अष्टम माला, खण्ड 33, अंक 15

गुरुवार, 26 नवम्बर, 1987

5 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 33, नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 15, गुरुवार, 26 नवम्बर, 1987/5 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 289 से 294 और 297	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—181
तारांकित प्रश्न संख्या : 295 से 296, 298 से 309	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2911 से 3019 और 3021 से 3124	30—181
सभा पटल पर रखे गए पत्र	186—188
समिति के लिए निर्वाचन	189
राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	
विदेश प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	189—200
नियम 377 के अधीन मामले :	200—204
(एक) नसीराबाद और महू के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता	
श्री बालकवि बैरागी	200
(दो) मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता	
डा० प्रभात कुमार मिश्र	200—201
(तीन) कर्नाटक में कतिपय कम्पनियों को विद्युत् की आपूर्ति के बारे में भेदभाव दूर करने की आवश्यकता	
श्री केशवराव पारधी	201

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) केन्द्रीय तेल उद्योग संगठन को उन्नत तिलहनों का आबंटन उसी दर से करने की आवश्यकता जिस दर पर वह वनस्पति उद्योग को किया जाता है ताकि उक्त संगठन खाद्य तेलों का मूल्य उचित स्तर पर बनाए रख सके	
श्री चिन्तामणि जेना	201—202
(पांच) कलकत्ता से करीमगंज तक स्टीमर सेवा पूरे वर्ष उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री सुदर्शन दास	202
(छः) आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी	202—203
(सात) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त करने की आवश्यकता	
डा० दत्ता सामन्त	203
(आठ) महाराष्ट्र में जनजातियों के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा न दिए जाने के मामले की जांच करने की आवश्यकता	
श्री उत्तम राठौड़	203
(नौ) कानपुर में गंगा में दूषित पानी को गिरने से रोकने की आवश्यकता	
श्री जगदीश अवस्थी	203—204
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक	**204—222**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	204—210
खण्ड 2 से 17 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	211—222
श्री जनार्दन पुजारी	212—222
श्री सी० जंगा रेड्डी	220—222
रेल दावा अधिकरण विधेयक	
और	
भूमि रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक	**222—241**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री माधवराव सिन्धिया	222—225
श्री अमल दत्त	225—228

विषय	पृष्ठ
श्री शरद दिघे	228—231
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति	231—235
श्री विजय एन० पाटिल	235—237
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	237—239
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	239—241
श्री भद्रेश्वर तांती	241
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा	**241—271**
डा० चिन्ता मोहन	241—245
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	245—247
श्री जायनल अबेदिन	248—251
डा० गौरी शंकर राजहंस	251—253
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	253—256
कुमारी ममता बनर्जी	256—259
श्री हरीश रावत	259—261
श्री सौडे रमैया	261—262
श्री शरद दिघे	263—264
श्री पी० नामग्याल	264—269
श्री सैफुद्दीन अहमद	269—271

लोक सभा

गुरुवार, 26 नवम्बर, 1987/5 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और प्रसूति केन्द्रों में स्वच्छता

[अनुवाद]

*289. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रसूति केन्द्रों में, विशेषकर सैक्टर-6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के बारे में शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उनके नियन्त्रणाधीन अस्पतालों और औषधालयों से भी इसी प्रकार की शिकायतें मिली हैं, और यदि हां, तो अस्पतालों और औषधालयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अस्पतालों और औषधालयों में स्वच्छता के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप स्वच्छता बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). सरकार को यह विदित है कि रामकृष्णपुरम के सैक्टर पांच में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसूति अस्पताल की सफाई की दशाओं में सुधार किए जाने की जरूरत है। मुख्य समस्या असंतोषजनक जल विकास सुविधाओं के बारे में है। नालियां बार-बार रुक जाती हैं जिससे दीवारों में सीलन आ जाती है और अस्वास्थ्यकर स्थितियां पैदा हो जाती हैं। यह रुकावट प्रायः इसलिए पैदा होती है क्योंकि रोगी और उनके रिश्तेदार शौचालयों और हौजों में ठोस और अर्ध-ठोस अवांछित चीजें डाल देते हैं।

केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में आने वाले अन्य अस्पतालों और औषधालयों के मामले में भी ऐसी ही समस्याएं हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, सैक्टर पांच, रामकृष्ण पुरम् के मामले में इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

से अप्रैल, 1987 में रख-रखाव और मरम्मत के लिए अनुमान प्राप्त हो जाने पर 87-88 के संशोधित अनुमानों में व्यवस्था की गई है और कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। इस अस्पताल की दशाओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई भी शुरू की गई है :—

—गर्म जल की लगातार सप्लाई करनेके लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था;

—ऑपरेशन थियेटर और प्रसव कक्ष में पानी सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त पानी भण्डारण टैंक ;

—उच्च दाब के भापसह पात्रों (ऑटो क्लेव) के लिए मृदु जल की सप्लाई करने के लिए वाटर सॉफ्निंग प्लांट की स्थापना करना।

केन्द्रीय सरकार और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और उपलब्ध संसाधनों के द्वारा दशाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) अपशिष्ट और संदूषित सामग्री के निपटाने की व्यवस्था करना ;

(ii) नालियों में सुधार करना ;

(iii) पानी की सप्लाई में वृद्धि करना।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रकाशन में अस्पताली सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों में अपशिष्ट और संदूषित सामग्री का निपटान करने और गन्दे पानी और कूड़े-करकट के उपयुक्त निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी सुझाव भी शामिल हैं।

दिल्ली के मुख्य अस्पतालों में उपचारी कदम उठाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं। दिल्ली के अस्पतालों पर धीरे-धीरे दबाव बढ़ रहा है और हमेशा इन अस्पतालों के लिए सेवाओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अस्पतालों के बारे में माननीया मन्त्री महोदया ने बताया है कि वहां पर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है लेकिन दवाइयों की परेशानी के बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जैसी कि मुझे जानकारी है कि जंगपुरा, श्रीनिवासपुरी, आर के पुरम आदि कई अस्पतालों में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है।

क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और वहां की दीवारें भी बहुत खराब हो रही हैं जिससे मरीज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके साथ-साथ जो दवाएं डॉक्टर लिखते है, वे दवाएं भी नहीं मिलती हैं। क्या उस सिलसिले में माननीया मन्त्री जी बतायेंगी कि क्या उपाय कर रहे हैं और दूसरी खामियों के बारे में क्या सोच रही हैं।

[अनुवाद]

कुमारी सरोज खापर्डे : हम इस बात को पूरी तरह महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वा-

स्थ्य योजना के अस्पतालों की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। माननीय सदस्य दवाइयों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। दवाइयों की सूची में 215 दवाइयों को शामिल किया गया है और इनमें से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में 192 दवाइयां ही उपलब्ध हैं। इससे यह पता चलता है कि इन डिस्पेंसरियों में सूची में सम्मिलित दवाइयों की 92 प्रतिशत दवाइयां उपलब्ध हैं तथा जो दवायें सूची में शामिल नहीं हैं और जिनकी सिफारिशें विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा विशेषतया दिल्ली में की जाती हैं, इन दवाइयों की खरीद सुपर बाजार से की जाती है और इन दवाइयों की सप्लाई एक से तीन दिन के भीतर कर दी जाती है। डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह सूची में दर्ज दवाइयों की जरूरत के अनुसार सुपर बाजार से खरीद कर इनका 15 दिन का बफर स्टाक अपने पास रख सकता है।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : अध्यक्ष महोदय, कई बार लोग जाते हैं और फिर भी उनको दवायें नहीं मिलती हैं। उसकी वजह से काफी समय बरबाद होता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है तथा मरीज भी सफर करता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि उन दवाओं को अस्पताल में ही रखा जाए और उनको दे दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो अस्पताल हमारे अधीन नहीं चलते हैं तो क्या उनको लेने का कोई प्रस्ताव आपके सामने है कि उनको ले रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह जरूरी है कि ऐसे अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। घर पर कोई व्यवस्था नहीं होती है इसलिए जच्चा-बच्चा अस्पताल में जाती है और अस्पतालों में भी वही बात सामने आती है, सफाई न होना, दवाओं का न मिलना आदि। क्या इस सिलसिले में माननीय मन्त्री जी ऐसा सोच रही हैं कि कोई संसदीय कमेटी बना दी जाए ताकि इन व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से इन्तजाम हो सके क्योंकि तमाम व्यवस्था ठीक नहीं है।

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य ने कोई कमेटी बनाने के बारे में पूछा है। मैं नहीं समझती कि संसदीय कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता है। मेडिकल इन्चार्ज जो हास्पिटल का होता है, वह ही इन चीजों को देखता है। दवाओं के बारे में मैंने पहले ही बताया कि इस प्रकार की 92 परसेंट दवायें हमारे पास हैं। जहां पर इन दवाओं की व्यवस्था नहीं होती वहां पर हास्पिटल के साथ ही सुपर बाजार की शाखाएं होती हैं, जहां से पेशन्ट के लिए हम दवाओं का इन्तजाम करते हैं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं माननीया मन्त्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में काले ज्वर से 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और अब इस ने महामारी का रूप धारण कर लिया है और अब लोग इससे भयभीत हैं। यदि राज्य सरकार इस बारे में रुचि नहीं ले रही तो क्या माननीय मन्त्री ..(व्यवधान)

यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। कृपया हंसिए नहीं। महोदय, 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदया एक चिकित्सा दल तथा दवाइयां वहां भेजेंगी जिससे लोगों को बचाया जा सके। (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : आज सभा में प्रश्न दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की

डिस्पेंसरियों और प्रसूति केन्द्रों में स्वच्छता के बारे में है। माननीय सदस्या जिस बात का उल्लेख कर रही हैं उसके लिए अलग प्रश्न होना चाहिए। फिर मैं निश्चित रूप से इसका उत्तर दूंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० भोई

कुमारी ममता बनर्जी : सौ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्या आप वहां चिकित्सा दल भेजेंगी ?

(व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : हम पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल सरकार नहीं भेजेगी।

(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से कुछेक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया है कि प्रश्न प्रसूति केन्द्रों के सम्बन्ध में है न कि स्त्री रोग के सम्बन्ध में। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस सम्बन्ध में मार्ग निर्देश अथवा मानदण्ड क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रसूति केन्द्रों, बाल स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा प्रसूति अस्पतालों के रख रखाव के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है जिसको पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा निरुपित किया गया था और यदि हां तो इन शिकायतों को दूर करने अथवा रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन से निवारक और सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : प्रश्न काल में इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है। यह एक विशेष रूप से पूछा गया प्रश्न है और इसका विशेष रूप से उत्तर देना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य देश की आत्मा होती है दिल्ली में मन्त्री महोदय की नजर के सामने यह हालत है कि···

अध्यक्ष महोदय : जो स्पेसिफिक प्रश्न है वह पूछें, आत्मा और परमात्मा को रहने दें।

श्री रामस्वरूप राम : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने प्रखण्ड स्तर पर और तहसील स्तर पर जो अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र बनाए हैं, छोटा नागपुर में अस्पतालों में एक भी डाक्टर नहीं है इसलिए आप बिहार सरकार के पास एक केन्द्रीय दल भेजें जो यह पता लगाए···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दें, आपकी दरख्वास्त मैं करवा दूंगा।

उड़ीसा में स्वायत्तशासी कालेज

[अनुवाद]

*290. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने कालेजों को स्वायत्तशासी कालेजों के रूप में मंजूरी दिए जाने के मामले लम्बित पड़े हैं और क्या ऐसे कालेजों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) कितने सरकारी तथा प्राइवेट कालेजों से इन कालेजों को स्वायत्तशासी कालेजों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के अतर्गत भंजनगर में के० एस० यू० बी० कालेज ने कालेज को स्वायत्तशासी कालेज के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है ; और यदि हां, तो इस बारे में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की कार्रवाई योजना में सातवीं योजना के अन्त तक लगभग 500 स्वायत्त कालेजों के विकास की परिकल्पना की गई है। इस संख्या का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा के 8 कालेजों ने सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को स्वायत्त स्तर प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

(ग) जी, हां। बरहमपुर विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया है कि फिलहाल इससे सम्बद्ध किसी भी कालेज को स्वायत्त स्तर प्रदान न किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में कृषि विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के अलावा तीन अन्य विश्वविद्यालय—बरहमपुर विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय और सम्भलपुर विश्वविद्यालय हैं। इन तीनों विश्वविद्यालयों में कोई भी निर्वाचित सिंडिकेट अथवा कुलपति नहीं है। यहां का कार्य केवल प्रशासक ही चला रहे हैं और कई बार इन विश्वविद्यालयों में मनमाने रूप से निर्णय ले लिए जाते हैं।

माननीय मन्त्री महोदया ने यह उत्तर दिया है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों के आठ कालेजों द्वारा सम्भवत: स्वायत्तता प्राप्त करने के बारे में निवेदन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कालेज कौन-कौन से हैं और इन्होंने किस विश्वविद्यालय में आवेदन किया है और स्वायत्तता प्राप्त करने वाले इन कालेजों का भविष्य क्या होगा ? कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यापक मार्ग निर्देश जारी किए हैं। जिनमें एक बात यह भी कही गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश

करेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बरहमपुर विश्वविद्यालय में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, यदि हां तो बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान, आयोग के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया ? क्या यह सच है कि अगर कोई कालेज स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए यह अनिवार्य है कि वहां पर स्नातकोत्तर कक्षाएं पढ़ाई जा रही हों ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक साथ इतने सारे प्रश्न पूछ लिए हैं परन्तु मैं उनके मूल प्रश्न का उत्तर ही देना चाहती हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य की इतने सारे प्रश्न पूछने के पीछे जो मन्शा है, वह मैं समझ गयी हूं और उसी को सदन में स्पष्ट करना चाहती हूं चाहे वे कितने व्यापक रूप से प्रश्न करें। जहां तक स्वायत्तता प्रदान किए जाने का सम्बन्ध है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम है। मापदण्ड भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। परन्तु जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उसके लिए हमें ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट और एक्ट में संशोधन करना होगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : मन्त्री महोदय ने मानदण्डों का उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मार्ग निर्देशों का पालन किया जा रहा है ?

श्रीमती कृष्णा साही : जी हां, निश्चित रूप से उनका पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

यह मामला राज्य सरकार और विश्व-विद्यालय के बीच में है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूं कि राज्य के शिक्षा मन्त्री से हमें आश्वासन मिला है कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि उड़ीसा के किसी भी विश्व-विद्यालय की ओर से हमें अभी तक स्पेसिफिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, न यू० जी० सी० को मिले हैं। कुल 8 कालेजों से आवेदन-पत्र आये हैं, जिसमें ब्रह्मपुर विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत के० एस० यू० जी० कालेज, भंजनगर, सम्भलपुर विश्व-विद्यालय के अधीन गंगाधर मेहर कालेज तथा रीजनल इंजीनियरी कालेज, राऊरकेला, उत्कल विश्व-विद्यालय के अधीन 5 कालेजों से : जिनमें क्रमशः एम० पी० सी० कालेज, कटक, एन० सी० कालेज, जयपुर, गवर्नमेंट कालेज, आंगुल, चायबाला वूमन कालेज, कटक भी शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर तीनों विश्व-विद्यालयों के अधीन 8 कालेजों से हमें आवेदन-पत्र मिले हैं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन तीनों विश्वविद्यालयों यह आग्रह करता आ रहा है कि वह इन तीनों कालेजों के बारे में अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजें। सम्भलपुर विश्वविद्यालय ने आयोग को बताया है कि कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने के बारे में विश्व-विद्यालय के नियमों में अभी संशोधन किया जाना है। यह मामला अभी उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्कल की ओर से कोई उत्तर अभी नहीं आया है। सम्भलपुर के बारे में मैंने बता दिया। तीनों विश्वविद्यालयों के 8 कालेजों से हमें आवेदन पत्र आए हैं। यदि माननीय सदस्य कुछ और पूछना चाहें तो बताएं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। साथ ही मेरे मुख्य प्रश्न के बारे में दिए गए जवाब को देखते हुए भी इसे नहीं समझा गया। यह राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों के बीच के विवाद की बात नहीं है। यह देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। माननीय मन्त्री महोदय ने पहले प्रश्न में यह बताया है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार 500 कालेजों को स्वायत्तशासी दर्जा दिए जाने की सम्भावना है। अतः यह राज्य सरकार अथवा राज्य के विश्वविद्यालयों का कार्य नहीं है अपितु यह एक राष्ट्रीय मामला है। यह विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन करने का मामला नहीं है। यह देखना केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है कि शिक्षा नीति को लागू की जानी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राज्य इस नीति को लागू न करना चाहें। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदया ने यह जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार का रवैया क्या है और उड़ीसा सरकार का रवैया क्या है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : सर, सभी राज्य सरकारों को यहां से लिखा गया है और यह सही है कि हम चाहते हैं—सातवीं पंचवर्षीय योजना तक हम 500 कालेजों को आटोनोमस करें, लेकिन जनवरी, 1987 तक हम कितने कर पाए हैं, यह मैं बताना चाहती हूं कि 67 कर पाए हैं। मात्र ये ही 67 कालेजेज ऐसे हैं जिनको यू० जी० सी० ने एप्रूव किया है। इनमें 45 नए हैं और 22 पुराने हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रोसेस में हैं। भारत सरकार का शिक्षा विभाग सभी राज्य सरकारों को लिखता रहा है और यू० जी० सी० भी फालोअप एक्शन लेती रही है। सी० ए० बी० ई० की बैठक में हमने 1987 में भी विचार-विमर्श किया था। केवल पश्चिम बंगाल की सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने इसकी स्वीकृति दी है और सभी चाहती हैं कि इसको लागू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह जान सकता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वायत्तशासी कालेजों को स्वीकृति प्रदान किए जाने के मानण्ड क्या है? मन्त्री महोदया द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार उड़ीसा के कुछ कालेजों ने स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसका मानदंड क्या है क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह बताया है कि विश्वविद्यालयों ने अपनी सहमति नहीं दी है और राज्य सरकारें अपनी सहमति नहीं दे रही हैं। अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि अगर सम्बद्ध विश्वविद्यालय और राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं देती तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनके मामले पर विचार करेगा? यदि हां, तो इन कालेजों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किन परिस्थितियों में विचार करेगा?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें प्रश्न के रूप में पूछी हैं। पहला प्रश्न क्राइटीरिया के बारे में है। क्राइटीरिया के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि महाविद्यालय की शैक्षिणक गुणवत्ता देखी जाएगी, परीक्षाफल और शैक्षिणक कार्यशीलता कैसी है, इसको देखा जाएगा। शैक्षिक उपलब्धता देखी जाएगी। छात्रों एवं शिक्षकों के चुनाव की क्या प्रक्रिया कालेज द्वारा अपनाई गई और भौतिक सुविधाएं क्या-क्या हैं, ये भी देखा जाएगा। पुस्तकालय है कि नहीं और शिक्षा संस्थानों की और क्या-क्या जरूरतें हैं तथा वित्तीय स्रोत क्या हैं, ये देखा जाएगा। ये तो इसका क्राइटीरिया है। यानी जो महाविद्यालय ये जरूरतें पूरी करेंगे उनको ही केवल स्वायत्ता प्रदान की जाएगी।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का क्या है ?

श्री चिन्तामणि जेना : अगर कोई कालेज ये कण्डीशन्स फुलफिल न करे और वह स्वायत्तता के लिए एप्लाई करेंगे, तो उनका क्या हाल होगा ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्यों की स्वायत्तता की बात होती है और दूसरी तरफ यह बात कही जाती है कि अगर राज्य सरकारें इस बात की अनुशंसा नहीं करें कि कुछ कालेजों को स्वायत्तता दी जाए, तो भारत सरकार क्या करेगी ? भारत सरकार की तरफ से हम बार-बार राज्य सरकारों को लिखते हैं और यू० जी० सी० को फालोअप एक्शन लेने के लिए हम कहते हैं। यू० जी० सी० फालोअप एक्शन ले रही है। ऐसा नहीं है कि वह फोलोअप एक्शन नहीं रही है। इसलिए माननीय सदस्य को इतना अधिक चिन्तित होने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय,···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : अरे, आप कैसे खड़े हो गए ?

अध्यक्ष महोदय : ये भी आटोनोमस बनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

ये स्वायत्तशासी कालेज में भर्ती हो रहे है।

स्वायत्तशासी कालेज में आना चाहते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उत्तर के अनुसार 500 स्वायत्तशासी कालेजों के विकास के लक्ष्य को सातवीं योजना के अन्त तक प्राप्त करना है और इसके लिए अब केवल दो वर्ष ही बचे है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सरकार के लिए ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं सातवीं योजना के पूरा होने के लिए साथ ही दिल्ली में कांग्रेस (ई) सरकार का समय पूरा होने के लिए। महोदय अब तक इस बारे में कोई शुरुआत नहीं की गई।

एक भी कालेज को स्वायत्तशासी कालेज का दर्जा नहीं दिया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष परियोजना के विकास की दिशा में क्या-क्या अड़चने हैं तथा स्वायत्तशासी कालेज का दर्जा प्रदान करने के लिए अन्तिम रूप से निर्णय देने का अधिकार किसे प्राप्त है ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि यह अब तक क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ? इसके बारे में यही कह सकती हूं कि नए प्रयोग के प्रति छात्रों एवं छात्राओं में कुछ ऐसी झिझक भी हैं, और आशंकाएं होती है, उनको ज्यादा मालूम है, कि टीचर कैसे सभी नई योजनाओं को रोकते हैं जिसमें एकाउन्टेबलिटी ज्यादा हो जाती है। नए पाठ्यक्रमों की तैयारी, सूक्ष्म विधि का विकास और निरन्तर व्यापक मूल्यांकन वगैर इतने सारे अतिरिक्त बोझ के कारण छात्र नहीं चाहते हैं। लोग झिझक को दूर करने बाद ही उसकी अनुशंसा कर सकते हैं। शिक्षा संगठनों द्वारा भी इसका कुछ विरोध किया गया है। इस कारण कि विश्वविद्यालयों का जो नियन्त्रण है, वह महाविद्यालय की व्यवस्था मैनेजमेंट में चला जाएगा। इस डर से शिक्षक संगठन नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इस योजना को लागू नहीं करेंगे, रचनात्मक कार्य करने के लिए सरकार से जो संभव प्रयास होगा, वह करेंगे।

(व्यवधान)

कम्प्यूटर संगणना के सम्बन्ध में वैदिक गणित की उपयोगिता के बारे में अनुसन्धान

[अनुवाद]

*291. **डा० ए० के० पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 3 सितम्बर, 1987 के "टाइम्स आफ इंडिया" समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि ब्रिटेन में शोधकर्ताओं ने वैदिक गणित को कम्प्यूटर संगणना के परिणाम की जांच करने में बहुत उपयोगी पाया है और इससे अन्य क्षेत्रों में भी नए आयाम मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में वैदिक गणित और इसके उपयोग के सम्बन्ध में अब तक किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है और आगे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास किए हैं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ऐसा पता चला है कि भारत में कुछ विद्वान वैदिक गणित के अध्ययन और प्रसार में कार्यरत हैं। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, वैदिक गणित और कम्प्यूटर संगणना पर इसके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक परियोजना तैयार करने पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल : मेरे प्रश्न का दिया गया उत्तर पूर्णतः अस्पष्ट है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वैदिक गणित की साधारण प्रणालियां किन-किन देशों में पढ़ाई जा रही है और अपने देशों में केन्द्रीय विद्यालयों में जो सही केन्द्र के नियन्त्रण में हैं। छात्रों को उक्त विधि से पढ़ाए जाने के बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह एक कठिन विषय है। वैदिक गणित की खोज काफी लम्बे समय के बाद हो पाई है। कई शताब्दियों की उपेक्षा के बाद कुछ अध्येताओं ने···

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : वैदिक मैथेमैटिक्स क्या है, जरा क्लीयर समझाइये। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्लास लगाकर बतायेंगे।

श्री वी० तुलसीराम : वैदिक मैथेमैटिक्स क्या है ?

एक माननीय सदस्य : आप नहीं समझेंगे।

श्री बालकवि बैरागी : मैं राव साहब से निवेदन करना चाहता हूं, कि श्री तुलसी राम जी वैदिक गणित को आयुर्वेदिक समझ रहे हैं, इनको जरा आप समझा दीजिए।

श्री वी० तुलसीराम : इसको समझने के लिए ही बोला है।

अध्यक्ष महोदय : आयुर्वेदिक में भी वैदिक है।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सही है कि इस विषय को समझना बहुत कठिन है इसलिए सदस्य गण इसे जानना चाहते हैं कि यह क्या है। यह बात भी सही है कि इस विषय की कई शताब्दियों से उपेक्षा की जाती रही है। केवल वर्ष 1961 में पहली बार भारत के एक महान वैदिक विद्वान शंकराचार्य ने (पुरी है के शंकराचार्य नहीं बल्कि जो मैं बताना चाहता हूं वे भारतीय कृष्ण शंकराचार्य गोवर्धन हैं) एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने वैदिक विधि के 16 सूत्र दिये हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब वे पूछेंगे कि सूत्र क्या है ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उन्होंने सिद्ध किया है कि इन सूत्रों के आधार पर सभी जटिल गणनाएं अब तक अपनाये जा रहे तरीके के बजाय काफी आसानी से हल की जा सकती हैं। महोदय आज हमे याद है कि उदाहरण के लिए वर्ष 1960 में हमने नया गणित अपनाया था। उनकी काफी आलोचना हुई थी, काफी प्रतिरोध हुआ था। नये गणित में संख्याओं पर काफी जोर दिया गया और अब

समूची कम्प्यूटर की संकल्पना संस्थाओं पर आधारित है। हम दशमलव प्रणाली के प्रयोग के आदी हो गए है। अब एक षड दशमलव प्रणाली भी है जिसमें 16 को आधार माना जाता है उदाहरणार्थ जैसे हम आना का प्रयोग करते थे। यह भी उसी तरह का प्रयोग है। 4 पैसे का एक आना होता है तथा 16 आने का एक रुपया अब यह दहाई में बदल गया है कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका प्रयोग युग्मक है अर्थात केवल दो ही आधार है। दुहरी गणना से आज जो कुछ हम समझते हैं वह हजारों वर्ष पहले वैदिक पाठ में भी उपलब्ध था। इसी की आज खोज की गई है। अब वैदिक विधि पर काफी कार्य हो रहा है। यह केवल वेदों में ही नहीं है। इन्हें उप वेद कहा जाता है। वास्तव में "स्थापत्य" उदाहरण के लिए वस्तुकला, मन्दिर वास्तुकला जो हज़ारों साल से चली आ रही है स्वयं वेद का एक हिस्सा नहीं है। इसे उप-वेद कहा गया है। जिसका प्रादुर्भाव वेद से ही हुआ है और इस प्रकार यह उत्कृष्ट ज्ञान आज तक विद्यमान है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रिग्ज ने अपने एक लेख में यह कहा है कि ऐसा सोचना अत्यंत आश्चर्यजनक है कि भारत के महान विद्वान शून्य की खोज के अलावा दहाई प्रणाली तथा अन्य संख्याओं के प्रति भी सचेत रहे जो कि आज कम्प्यूटर संकल्पना का आधार बन गया है। अब हमें इसकी गहराई में जाना है। अभी कुछ ही महीने पहले 'प्रतिष्ठान' की स्थापना की गई है। हमने उन्हें इसका अध्ययन करने को कहा है। वास्तव में प्रतिष्ठान को आध्यात्मिक क्षेत्र में वेदों के केवल मूल पाठ का ही अध्ययन नहीं करना है। यही सब कुछ नहीं है। वे वेदों वेदान्तों तथा उप-वेदो के मूल पाठ को आधुनिक समय से जोड़ना चाहते हैं तथा यह मालूम करना चाहते हैं कि इससे और कितना अधिक सरलीकरण हासिल किया जा सकता है जिसके बारे में इस समय शायद पाश्चात्य विद्वान भी अनभिज्ञ होंगे। इस प्रकार उन्हें इस अन्य प्रकार के काम के अलावा इस तरह का काम सौंपा गया है। इस प्रकार हमें उन्हें कुछ करने का अवसर देना चाहिए महोदय कई बातों का पता लग रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहेंगे।

डा० ए० के० पटेल : स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा लिखे गए 16 खण्डों के पुनः तैयार करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? उनकी पांडुलिपियां जो गई हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मामला विशेषज्ञ निकाय को सौंप दिया गया है और इस निकाय में वेदों के विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं तथा इस मामले का अध्ययन तथा देखरेख वे ही कर रहे होंगे।

डा० ए० के० पटेल : क्या आप इस परियोजना के लिए नियोजित विद्वानों के नाम बता सकते हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : समूचे 'प्रतिष्ठान' को पहले इस मामले की जांच करनी है, इसके बाद इस प्रयोजन के लिए वे एक समिति गठित करेंगे। हम अभी उस स्थिति तक नहीं आये हैं। प्रतिष्ठान की स्थापना केवल तीन चार महीने पहले की गई यह एक बिल्कुल नया संस्थान है। हम निश्चित ही इस पर ध्यान देंगे। हम सभी को इसमें रुचि है और हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है हम पाश्चात्य विद्वानों को भी यह कह कर कि जो कुछ उन्हें अभी तक मालूम नहीं है वह सब वैदिक समय में विद्यमान था, कुछ जानकारी दे सकें।

नौवहन उद्योग का पुनरुत्थान

*292. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नौवहन उद्योग के पुनरुत्थान के उपायों को अन्तिम रूप दे दिया है और आर्थिक-रूप से सक्षम कम्पनियों के पुनःस्थापन के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों से नौवहन उद्योग की किस सीमा तक सहायता होगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग). हाल में सरकार द्वारा नौवहन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए उपायों में पुनर्स्थापन प्रस्तावों के माध्यम से व्यवहार्य नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, नौवहन कम्पनियों को भारतीय कार्यों के शेयर में अधिक प्रतिशता प्राप्त करने में मदद करना, जहाजों के अधिग्रहण और स्क्रैपिंग की प्रक्रियाओं को सरल करना, विशिष्ट, कम ईंधन खपत करने वाले जहाजों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना आदि शामिल है। प्राइवेट सेक्टर की व्यवहार्य नौवहन कम्पनियों के पुनर्स्थापन के लिए सरकार द्वारा शिपिंग क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड की मदद से तैयार किए गए मार्ग निर्देशों में ऋणों की अदायगी पर मोरेटोरियम, सीमित अवधि के लिए ब्याज की अदायगी से छूट, ऋणों की अदायगियों के लिए फिर से समय-निर्धारण आदि शामिल है। इन उपायों के दमखम वाली व्यवहार्य नौवहन कम्पनियों को लम्बी अवधि की विश्वव्यापी मंदी से उबरने में मदद मिलेगी और वे सुदृढ़ और वित्तीय रूप से व्यवहार्य नौवहन उद्योग के सृजन में सहायक होंगी।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, सरकार विश्व्यापी मन्दी को ध्यान में रखते हुए जिसका कि भारतीय नौवहन की छोटी कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, नौवहन उद्योग के सुधार के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय नौवहन निगम सहित भारतीय नौवहन कम्पनियां अधिकांशत: कोरिया निर्मित जहाजों को खरीद रहे हैं जो कि हमारे देश के लिए अनुपयुक्त हैं।

डेन्मार्क, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी जैसे पश्चिम यूरोपीय देशों से उक्त जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में काफी प्रस्ताव आये जिनमें काफी सुविधाएं देने की पेशकश भी की गई थी। यदि हां, तो कोरिया और जापानी सप्लायरों के स्थान पर इन प्रस्तावों पर यथोचित रूप से विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने विभाग से उठाया वह नौवहन कम्पनियों के सम्बन्ध में तथा जो कुछ सरकार उसके पुनर्वास के लिए कर रही है उस सम्बन्ध

में था। अब जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वह यह है कि क्या कुछ देशों से जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में पेशकश प्राप्त हुई है। क्या हम उन पर विचार कर रहे हैं अथवा नहीं। यह उचित होता अगर वे इस विषय पर एक अलग प्रश्न करते।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय पिछले दिसम्बर में नौवहन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए एक संदर्शी योजना तैयार करने के सवाल के अध्ययन हेतु एक योजना दल गठित किया गया था। मैं समझता हूं कि उक्त दल की रिपोर्ट आ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि योजना दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं।

श्री राजेश पायलट : यह एक शक्ति प्राप्त समिति थी जिसका गठन इस मामले की जांच के लिए किया गया था और यह विषय वित्त मन्त्रालय को अन्तरित कर दिया गया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में यह समिति कार्य कर रही है। मैं समझता हूं इस विषय पर वित्त मन्त्रालय आपको अधिक जानकारी दे सकेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस समय हमारे देश में सिन्धिया स्टीम नेविगेशन पुराने नौवहन उद्योगों में से एक है। यह इस समय बंद और परिसमापन के कगार पर है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या हमारे देश के सबसे पुराने नौवहन उद्योगों में से एक उद्योग सिन्धिया स्टीम नेविगेशन को बचाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बहुत पुरानी कम्पनी, यहां तक कि जिसे देश की सबसे पुरानी नौवहन कम्पनी कहने का गर्व है वह सिन्धिया है।

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : आपका बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : इस बात पर माधवराव जी को काफी प्रसन्नता हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह कम्पनी इस स्थिति में पहुंच गई है।

महोदय इस कम्पनी के इसमें पहुंचने के कई कारण हैं, इनमें से मुख्य कारण यह है कि कम्पनी में कुप्रबन्ध है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नौवहन उद्योग मन्दी में चल रहा है। सभी नौवहन कम्पनियों को अपने कार्यसंचालन में परिवर्तन लाना चाहिए था जो कि वे नहीं ला पाये। वास्तव में यह एक मुख्य कारण है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। महोदय वर्ष 1920 में जब यह कम्पनी चालू हुई थी तो इसके पास 40 जहाज थे और यह देश में सबसे बड़ी कम्पनी थी। लेकिन धीरे-धीरे इसकी परिसम्पत्तियां घटकर 85 करोड़ रुपया रह गई तथा उस पर 165 करोड़ रुपये की बकाया राशि है और सरकार से ली गई लगभग 135 करोड़ रु० की विलम्बित देय राशि है। सरकार इस पर विचार कर रही है। हमने उन्हें इसके कई विकल्प दिए हैं। वे सरकार को किस प्रकार महसूस कराते हैं कि राजकोष से प्राप्त धन का राष्ट्रीय उद्देश्य तथा एक सही उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है। यदि सरकार उन प्रस्तावों से सन्तुष्ट हो जाती है और वे अर्थक्षमता की स्थिति में आ सकते हैं तो सरकार उनकी सहायता करेगी।

श्री आनन्द सिंह : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में बताया गया है "....अर्थक्षम नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना शामिल है..." मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए इस योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, इसमें सवाल धनराशि का नहीं है ऐसी लगभग 17 कम्पनियां हैं जिन्होंने अर्थक्षमता के मूल्यांकन के लिए कहा था और 17 में से 9 कम्पनियों को उन सुविधाओं प्राप्त करने की सिफारिश की गई है जिनकी हमने नौवहन कम्पनियों, वित्त मन्त्रालय और जल-भूतल मन्त्रालय के साथ चर्चा की थी। 6 कम्पनियों को अपना कारोबार बन्द करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि वे अर्थक्षम स्थिति में नहीं है और अन्य दो कम्पनियां अभी भी विचाराधीन हैं। इसमें निश्चित रूप से धनराशि का सवाल नहीं है क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि नौवहन उद्योग मन्दी में है। मुझे सभा को यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि इस आदी मन्दी की स्थिति में भी हमारे नौवहन उद्योग ने, अन्य विकसित देशों की तुलना से जहां सरकार इस बात से भारी चिन्तित है कि नौवहन उद्योग को कितनी धनराशि की सहायता दी जाय, स्वयं को कायम रखा है। जो कुछ भी हमारा देश, हमारी सरकार कर सकी, उन प्रयासों से काफी हद तक हम मन्दी की स्थिति में भी टिके हुए हैं।

सरकार की ओर से, जैसाकि मैं सदन में और अन्य समारोहों में कहता रहा हूं कि सरकार ने मन्दी का सामना कर रही कम्पनियों को माल ढुलाई सहायता, आर्थिक सहायता देने और ऋण की अवधि में छूट देने तथा अन्य सम्भव उपाय करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए हैं।

श्री आनन्द सिंह : प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट है कि यह वित्तीय सहायता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह प्रश्न नहीं है।

श्री आनन्द सिंह : उन्होंने यह सहायता दी है। लेकिन वह वित्तीय सहायता के रूप में कितना दे रहे हैं ? वह कहते हैं कि धनराशि का कोई प्रश्न नहीं है फिर किसका प्रश्न है ?

डा० दत्ता सामंत : देश में सभी नौवहन कम्पनियां संकट से गुजर रही हैं (व्यवधान) मेरी वहां कोई यूनियन नहीं है। बम्बई में सिंधिया नौवहन कम्पनी और मैंकेनीज कम्पनी में कुछ हो रहा है। उनकी शेयर पूंजी केवल 180 करोड़ रुपए है। लेकिन अब तक इन कम्पनियों ने बैंकों और सरकार से 700 या 800 करोड़ रुपये का ऋण लेकर व्यय कर दिया है। परन्तु ये लोग उद्योग का आधुनिकी-करण नहीं कर रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

डा० दत्ता सामन्त : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप उन्हें इतनी धनराशि देने की बजाय एक काम क्यों नहीं करते हैं। भारत का समुद्र क्षेत्र काफी विस्तृत है जहां से काफी मात्रा में आयात-निर्यात किया जाता है। आप इन उद्योगों का अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेते हैं ? अन्यथा ऐसा ही होता रहेगा। आप इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उनका अधिग्रहण कर लें। नौवहन उद्योग एक समान्तर और अच्छा परिवहन माध्यम है।

श्री राजेश पायलट : आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य महोदय की बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने यह कहा था कि हम इस धन को नौवहन उद्योग की पुर्नस्थापना के लिए आवंटन के रूप में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उनकी जो भी आवश्यकताएं है उनका पता लगाया जाएगा। कुछ कम्पनियों को ऋण के भुगतान में कुछ छूट देने भुगतान न करने की आवश्यकता होगी। कुछ कम्पनियों को इकाई को चालू रखने के लिए कुछ और ऋण की आवश्यकता होगी। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि जितनी भी आर्थिक सहायता की आश्यकता होगी हम उसे देने का प्रयत्न करेंगे

ताकि वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम रहें। अगर ये आर्थिक दृष्टि से सक्षम न रह सकें तो उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मैं इन उपायों को पढ़ रहा हूं जो हम मन्दी को दूर करने तथा कम्पनियों को चालू रखने के लिए कर रहे है ताकि सदन को उनका पता चल सके :—

(एक) घाटे में चल रही इकाइयों को हटाकर नौवहन उद्योग का पुर्नगठन करना।

(दो) आर्थिक दृष्टि से सक्षम नौवहन कम्पनियों के पूंजी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

(तीन) गैर-नौवहन कम्पनियों को नौवहन में लाने के लिए तथा नौवहन कम्पनियों को अपतटीय क्षेत्र में अपना प्रसार करने के लिए प्रोत्साहन देना।

(चार) जहाजों को भाड़े पर देने की प्राथमिकता की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना।

(पांच) भारतीय नौवहन कम्पनियों को ढुलाई सहायता देना।

(छः) पुराने जहाजों को प्राप्त करने के लिए लचीली नीति अपनाना, पहले ऐसा नहीं था।

हमने एक समय सीमा निर्धारित की है। जब कोई कम्पनी जहाजों को प्राप्त करना चाहती है तो कम्पनी को 4 से 6 सप्ताह के अन्दर "हां या ना" का जवाब देना पड़ेगा पहले इसमें वर्षों लग जाते थे। कम्पनी को जहाज को चिन्हित करना होता था और जब तक सरकार से अनुमति मिलती थी तब तक जहाज बिक जाता था। हमने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है।

इसके अलावा जहाजों को तोड़ने की नीति की समीक्षा करने की बात है। पहले कम्पनियों को इसके लिए सीमा शुल्क विभाग की अनुमति लेनी होती थी तथा सीमा शुल्क देना होता था। अब हमने इसे ओ० जी० लाइसेंस के अन्तर्गत रखा है। किसी भी समय जब जहाज को तोड़ना हो तो इसमें कोई देरी नहीं की जाती है। इसी तरह हम परिवर्तन तकनीक के साथ समुद्री प्रशिक्षण का पुर्नगठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये सब उपाय किए जा रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है हम प्रमुखतः माल ढुलाई सहायता के रूप में सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले, जब वे वस्तुओं का आयात करते थे तब वे विक्रेता के जहाज द्वारा करते थे इसे सी० आइ० एफ० कहा जाता है। अब हम इसे एफ० ओ० बी० (पोत पर्यन्त निशुल्क) द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इससे नौवहन उद्योग के विकास में बहुत सहायता मिलेगी।

मैं प्रत्येक तीन महीने के बाद जहाज उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक करता हूं। हम आमने-सामने बातचीत करते हैं। इस बैठक में विभाग के सभी अधिकारियो के साथ नौवहन उद्योग के भी सभी अधिकारी सम्मिलित होते हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और नौवहन उद्योग की सहायता करने के लिए जो भी सहायता की जा सकती है तत्काल दी जाती है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं सरकार को उसके द्वारा नौवहन उद्योग की पुर्नस्थापना के लिए किए गए कदमों के लिए बधाई देता हूं। अभी-अभी मन्त्री महोदय ने जिन उपायों का उल्लेख किया है बहुत बढ़िया है बशर्तेसोची गई योजना के अन्तर्गत वे काम करें। मन्त्री महोदय ने स्वयं ही इस बात को कहा है कि एक पुराने जहाज को खरीदने की अनुमति देने तथा जहाज को तोड़ने के लिए अनुमति देने

में कैसे वर्षों का समय लग जाता है। अब वे इन कार्यों को महीनों के अन्दर निपटाने की आशा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जब तक नौवहन उद्योग का पुर्नस्थापन न हो जाए सरकार अपनी इच्छाओं को कार्यरूप देगी। आप इस कार्य को महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों के अन्दर करें। किसी कार्य को करने के लिए महीनों लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा ही धन की बात नहीं होती जैसा कि मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि प्रश्न यह है कि सही समय पर सही निर्णय लिए जायें और मुझे आशा है कि ऐसा किया जाएगा।

श्री राजेश पाइलट : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि एक पाइलट की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है।

अध्यक्ष महोदय : इससे सहायता मिलेगी।

सड़क दुर्घटनाएं

*293. **श्री बृजमोहन महन्ती†** :

श्री ए० जयमोहन :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अनेक वर्षों से कदम उठाने के बावजूद भारत में सड़क दुर्घटनाओं की दर में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है तथा सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु हो जाने की दर भारत में सब से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नये उपाय करने का विचार है ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। गत वर्षों से प्रति एक हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में प्रगामी रूप से कमी आती गई है।

(ख) हाल ही में गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने जुलाई, 1987 में हुई अपनी बैठक में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से यह सिफारिश की कि वे राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदें और जिला-स्तरीय समितियां गठित करें और राजमार्ग गश्त सहित सड़क सुरक्षा के उपाय करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

ड्राइवर लाइसेंसों, वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्रों और यातायात सम्बन्धी उल्लंघनों को रोकने हेतु दण्ड देने के सम्बन्ध में मोटर वाहन विधेयक में सख्त प्रावधानों का भी प्रस्ताव किया गया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान परिवहन मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1984-85 के दौरान 1 लाख किलोमीटर सड़क पर दुर्घटनाओं की दर 1.47 थी। वर्ष 1985-86 में यह बढ़कर 1.55 तथा वर्ष 1986-87 में यह बढ़ कर 1.63 हो गई।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री महोदय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में वृद्धि होने के कारणों की जांच करके उनका पता लगाया है और क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाया है।

श्री राजेश पायलट : घातक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि को देखकर सरकार चिंतित हुई और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की स्थापना की। हमने इस बारे में सड़क क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा अन्य उपलब्ध विशेषज्ञों के साथ उनके विचार जानने के लिए बातचीत की और हमने यह निर्णय लिया कि राज्य स्तर पर भी ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इस बारे में भली भांति सोच विचार करके कुछ कदम उठाए जा सकें। मैं सदन तथा माननीय सदस्य की घातक सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि के प्रति व्यक्त की जा रही चिन्ता में पूर्णतया शामिल हूं। मैं इस कारण से इन्कार नहीं कर रहा हूं। भारत को सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सबसे ऊपर रखने के बावजूद जब आप प्रति हजार वाहन घातक दुर्घटनाओं का अनुपात निकालें और उसकी तुलना विकसित राष्ट्रों से करें जहां वाहनों की संख्या बहुत अधिक है तो यह अनुपात कम हो जाता है। अगर आप उनकी दुर्घटनाओं की संख्या को देखें तो वह हमसे कहीं अधिक हैं। उनका यह अनुपात कम हो जाता है क्योंकि विकसित देशों में भारत की अपेक्षा अपनी जनसंख्या के अनुपात में वाहनों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। उस स्थिति में हमारा अनुपात बहुत अधिक है। मैं उस तथ्य से इन्कार नहीं कर रहा हूं परन्तु सरकार मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को लाकर हर सम्भव प्रयत्न प्रारम्भ कर रही है जो किसी दिन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। मैं इसे यहां अपनी अनुपस्थिति के कारण नहीं ला सका हूं। हम सड़क सुरक्षा परिषद् की सुरक्षा बैठकें भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें कुछ फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

प्रत्येक राज्य में ड्राइवरों के चयन के मामले में हम वहां यातायात पुलिस के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति को अनिवार्य बना रहे हैं ताकि वह इस सब को रोक सके।

प्रो० एन० जी० रंगा : सड़कों की हालत भी बहुत खराब है।

श्री बृजमोहन महन्ती : ड्राइवर लाइसेंस, वाहन उपयुक्तता प्रमाणपत्र तथा यातायात का उल्लघन करने के लिए दण्ड आदि के प्रावधान के अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सड़कों की हालत सुधारने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, क्या इस बात पर परिवहन मन्त्रियों की बैठक में विचार कर लिया गया है तथा क्या इस बारे में मार्गनिर्देश बना लिए गए हैं ?

श्री राजेश पायलट : सड़कों की स्थिति भी एक मुख्य कारण है, हमने अपने सीमित साधनों से सड़कों की हालत सुधारने की कोशिश की है और मैं सदन को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन महोदय इस समय हमारे सामने एक और समस्या है जिसका मैं आज सदन के सामने उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को एक विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है परन्तु मुझे यह अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह कार्य अपेक्षा के अनुरूप सही नहीं होता है। हम राज्य सरकारों के साथ एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र पर व्यय की जाने वाली धनराशि पर निगरानी रखी जा सके और सड़कें जिन्हें कि उपयुक्त मानक का बनाया जाना चाहिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी जांच की जा सके। यह प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने राज्य सरकारों के साथ इस विषय को बहुत गम्भीरता से लिया है कि सड़कों का निर्माण और रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

श्री अताउर्रहमान : सड़क दुर्घटना का प्रश्न अत्यन्त विस्तृत विषय है। मैं नहीं समझता कि

इसे 10 या 15 मिनट के समय में निपटाया जा सकता है, इसमें ग्रामीण यातायात, शहरी यातायात तथा गृह मन्त्रालय आते हैं। श्री राजेश पायलट ही अकेले व्यक्ति नहीं होंगे जो इस विशिष्ट विषय से सम्बद्ध होंगे। गृह मन्त्री महोदय को भी यहां होना चाहिए क्योंकि जो मामले दर्ज किए जाते हैं और निपटाए जाते हैं, वे गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत आते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 24000 से 25000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में व्यक्ति अपंग हो जाते हैं। अतः ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए और जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि सलाहाकार समिति का गठन करना इन समस्याओं का जिनका हम सामना कर रहे हैं, कोई हल नहीं है। सलाहकार समितियां सहायता नहीं करेंगी। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के इकट्ठे बैठने का प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक प्रश्न कीजिए। यह केवल एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है।

श्री अताउर्रहमान : मन्त्री महोदय, राज्य सरकार के सहयोग से किस प्रकार के सुधारात्मक और ठोस उपाय करने के बारे में सोच रहे हैं? सड़की की स्थिति पूरी तरह से खतरनाक है। हमें सड़कों की स्थिति को सुधारना चाहिए और हमें तेज चलने वाले और धीरे चलने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग सड़कें करनी चाहिए और पैदल चलने वालों के लिए एक अलग लेन बनानी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आधे घण्टे की चर्चा कराने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने केवल सुझाव दिए हैं, अनुपूरक प्रश्न नहीं किए हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने दुर्घटनाओं से बचने के लिए दो-पथ मार्ग को चार-पथ राजमार्गों, अर्थात् दो पथ एक ओर तथा दो पथ विपरीत दिशा में दूसरी ओर बदलने का सुझाव दिया था। यदि ऐसा है, तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसकी जांच करेगी और तुरन्त आवश्यक स्वीकृति देगी और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए और चार-पथ राजमार्गों के विकास के लिए आगे कदम उठाएगी?

श्री राजेश पायलट : इस बारे में विभाग से पता करना होगा, मैं बाद में माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा। इस बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

पत्तन कामगारों के वेतनमानों में वृद्धि एवं उन्हें अन्तरिम राहत

[हिन्दी]

*294. **डा० चिन्ता मोहन**† :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन कामगारों के वेतनमानों में वृद्धि करने एवं उन्हें अन्तरिम राहत देने का भी निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). पत्तन श्रमिकों का वेतन ढांचा 1-1-1988 से संशोधित होना है। इस बीच सरकार ने उनको 1-1-1986 से अन्तरिम राहत की संस्वीकृति प्रदान की है, जिस रीति से औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के श्रमिकों को संस्वीकृति दी गई है।

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, मैं जल-भूतल परिवहन विभाग को सुधारने तथा शीघ्र और तत्काल निर्णय लेने के लिए माननीय सदस्य, श्री एच० एम० पंटेल द्वारा दी गई बधाई में उनकी भावनाओं में शामिल होता हूं। यहां पर मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय नौवहन निगम ने किन दिशा निदेशों और स्थितियों के अन्तर्गत गत वर्ष वेतन-मानों को संशोधित किया था। किन परिस्थितियों में उन्होंने गत वर्ष पत्तन श्रमिकों को दी जाने वाली अन्तिम राहत की राशि बढ़ानी पड़ी थी।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पत्तन श्रमिकों से सम्बन्धित है। नौवहन निगम से सम्बन्धित उनका प्रश्न एक अलग विषय है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि मूल प्रश्न पत्तन श्रमिकों से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, माननीय मन्त्री उत्तर देने से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : वह अभी यहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उन्होंने सभा को यह बताकर कि श्रमिकों के वेतन-मानों से सम्बन्धित यह प्रश्न पत्तन श्रमिकों से सम्बन्ध रखता है, उत्तर देने से बचने का प्रयत्न किया है। आखिरकार, भारतीय नौवहन निगम मूल संस्था है। वह इससे इन्कार नहीं कर सकते। हम दोनों— मैं स्वयं और डा० चिन्ता मोहन— केवल 900 अधिकारियों के वेतन में 39 प्रतिशत वृद्धि, जिससे भारतीय नौवहन निगम को 3.27 करोड़ रुपये की हानि होगी, स्वीकृति देने में माननीय मन्त्री द्वारा अपनाए गए रवैया के बारे में चिन्तित हैं। सरकारी उद्यम कार्यालय के दिशानिर्देशों को नजर अन्दाज करके ऐसा किया गया है साथ ही, श्रेणी-III और श्रेणी-IV संवर्गों के कर्मचारी मन्त्रालय से अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए वर्ष 1975 से निवेदन कर रहे हैं। उनका ज्ञापन नामंजूर कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में, मैं पूछना चाहूंगा कि सरकारी उद्यम कार्यालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना और उन्हें नजरअन्दाज क्यों किया गया है और निम्न वर्ग के कर्मचारियों की उपेक्षा क्यों की गई है ? मैं इसका उत्तर माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इसे दूसरे तरीके से रखा है। पत्तन भारतीय नौवहन निगम की मूल संस्था है क्योंकि पत्तन ने कार्य करना पहले प्रारम्भ किया था। जो प्रश्न आपने पूछा है वह पूर्णतः पत्तन कर्मचारियों के विषय के अन्तर्गत आता है। आज आप जो पूछ रहे हैं, वह अलग प्रश्न है। आपने यह उपयुक्त सूचना मुझे दी है। मैं निश्चय ही इसकी जांच

कराऊंगा कि यह कैसे किया गया। मैं रिकार्ड की जांच किए बिना स्पष्ट और सही सूचना नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं सूचना आप तक पहुंचाऊंगा। यदि यह सही है, मैं सूचना आप तक पहुंचाऊंगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं आपको एक पत्र लिख सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैं स्वयं ही आपको सूचित करूंगा। मैं स्वयं आपके सम्मुख आऊंगा।

[हिन्दी]

बिलासपुर-जबलपुर रेलवे लाइन

*297. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर से जबलपुर तक का बरास्ता मांडला एक रेलवे लाइन बनाए जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं ;

(ग) इस रेलवे लाइन के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) बिलासपुर से जबलपुर तक की वर्तमान रेलवे लाइन की तुलना में प्रस्तावित रेलवे लाइन के चालू हो जाने से कितने किलोमीटर दूरी और समय में कमी आ जायेगी ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). सर्वेक्षण पूरा होने और रिपोर्ट की जांच की जाने से पहले इस लाइन का निर्माण शुरू करने के बारे में न तो कोई विनिश्चय किया जा सकता है और न ही कोई तुलना की जा सकती है।

श्री मोहन लाल झिकराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अविकसित क्षेत्रों के सवालों को कब तक टाला जाता रहेगा, इनका उत्तर कब तक टाला जाएगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, सर्वे पूरा होने से पूर्व इसके बारे में पूर्व-निश्चय कैसे लिया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कानूनी कार्यवाही से सम्बन्धित चिकित्सीय मामलों में तुरन्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना

*295. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने नियन्त्रणाधीन अस्पतालों और औषधालयों को, जिनमें कानूनी कार्यवाही से सम्बन्धित चिकित्सीय मामलों की प्राथमिक चिकित्सा अथवा नियमित उपचार की व्यवस्था अपेक्षित है, विशेष अनुदेश जारी किए हैं, यदि हां, तो उन अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या व्यवहारिक रूप में ऐसे मामलों के अस्पताल पहुंचते ही उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए इन आदेशों की पुनरीक्षा करने और यदि आवश्यक हो, तो गृह मन्त्रालय के परामर्श से इनमें संशोधन करने का विचार है, जिससे कि अस्पतालों में कानूनी कार्यवाही से सम्बन्धित चिकित्सीय मामलों की अविलम्ब उपचार की व्यवस्था की जाए और साथ-साथ पुलिस भी इन मामलों पर कार्यवाही करे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (घ). दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और पुलिस प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों की 1986 में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित चिकित्सीय मामलों में रोगियों को बिना देरी किए तत्काल सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस निर्णय की सूचना सभी अधीक्षकों को अनुपालन के लिए भेजी जा चुकी है और इसका पालन किया जा रहा है। निर्णयों की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अस्पतालों में कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने की विधि को बदलने पर विचार विमर्श करने के लिए 29-5-1987 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकारी अस्पतालों तथा दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :—

(1) अस्पताल में जब कभी कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित कोई चिकित्सीय मामला आता है, तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को चाहिए कि वह ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को रोगी के नाम, आयु, लिंग तथा दुर्घटना के स्थान और समय के बारे में सूचना दे और रोगी का अपेक्षित उपचार शुरू कर दें। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की यह ड्यूटी होगी कि वह सम्बन्धित पुलिस स्टेशन अथवा उच्च पुलिस अधिकारियों को अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सूचित करें।

जैसे ही रोगी की जांच तथा उपचार पूरा हो जाए, वैसे ही एक पूरी-पूरी चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की जाए और पुलिस को दे दी जाए। पुलिस के पहुंचने अथवा पुलिस औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रोगी के उपचार करने में देरी न की जाए।

(2) कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित चिकित्सीय घायलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों के जो जोन बनाए गए हैं, वे केवल उन्हीं मामलों में लागू होंगे जो पुलिस द्वारा लाए जाएंगे। कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित जो रोगी अपने

आप अस्पताल आएंगे (भले ही दुर्घटना किसी अन्य अस्पताल के क्षेत्र में घटी हो), उन्हें उस अस्पताल द्वारा जहां रोगी आएगा इलाज की मनाही नहीं की जाएगी और न ही रोगी को केवल इसलिए किसी अन्य अस्पताल में भेजा जाएगा क्योंकि दुर्घटना किसी ऐसे क्षेत्र में हुई है जो किसी अन्य अस्पताल के क्षेत्र में आता है। इन मामलों में वही पुलिस औपचारिकताएं अपनाई जायेंगी जो उपर्युक्त पैरा (1) में दी गई हैं।

सभी सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थाओं को कहा आए कि वे सभी मामलों में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें भले ही वे कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित चिकित्सीय मामले हों या नहीं। कुछेक अस्पतालों द्वारा रोगियों को प्राथमिक सहायता तक देने की मनाही करने तथा रोगियों को केवल इसी कारण अन्य अस्पतालों में भेजने का रवैया कि वे कानूनी कार्रवाई से सम्बन्धित चिकित्सीय मामले हैं, उचित नही हैं। वैसे, रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सहायता दे देने के बाद यदि उस संस्था में उपचार के लिए जरूरी विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे अस्पताल में भेजा जा सकता है।

सोवियत संघ की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

*296. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विशेषज्ञों द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की प्रारूप योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आधुनिकीकरण योजना केन्द्रीय सरकार को सौंप दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रारूप योजना में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :—

1. दोनों परिवर्तक शालाओं का आधुनिकीकरण और सतत ढलाई करने वाली मशीनों की स्थापना।

2. अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता 40 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन करना।

3. हाट स्ट्रिप मिल का आधुनिकीकरण।

4. विक्रेय इस्पात की क्षमता 31.56 लाख टन से बढ़ाकर 39.95 लाख टन तक करना।

(घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सोवियत प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कच्चे लोहे का उत्पादन

*298. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के समेकित इस्पात संयंत्र ढलाई कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे लोहे का उत्पादन नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश में कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या देश में उत्पादन और ढलाई उद्योग की आवश्यकता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए कच्चे लोहे का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो कच्चे लोहे के आयात की वर्तमान व्यवस्था क्या है और क्या यह संतोषजनक ढंग से कार्य रही है ; और

(ङ) ढलाई कर्ताओं और कच्चे लोहे के प्रयोक्ताओं द्वारा हाल ही में की गई इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि कच्चे लोहे का आयात भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से किया जाए ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान ढलाई घरों तथा अन्य उपभोक्ताओं की कच्चे लोहे की अनुमानित मांग लगभग 15 लाख टन है। चालू वर्ष के दौरान, सेल के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य लगभग 14 लाख टन है, जिसमें से 13 लाख टन बिक्री के लिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने की योजना है। तथापि, प्रथम छः महीनों में निर्धारित लक्ष्य में मामूली कमी अर्थात लगभग 7 प्रतिशत की कमी आई है।

(ख) "सेल" वर्ष की शेष अवधि के दौरान अपने उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य में आई कमी को पूरा करने के प्रयास कर रही है। मांग तथा सेल से होने वाली अनुमानित उपलब्धता के बीच आए अन्तराल को, गौण उत्पादकों से माल प्राप्त करके तथा आयात से पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय कच्चे लोहे का आयात, माध्यम अभिकरणों की मार्फत आयात करने की प्रणाली खुले, सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात, पंजीकृत निर्यातक नीति के अन्तर्गत आयात और अग्रिम लाइसेंसिंग के द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ङ) सरकार ने इस मांग के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नाइजीरिया से चिकित्सा स्नातकों की डिग्रियों का पंजीकरण न किया जाना

*299. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय मूल के सैकड़ों छात्र जिन्होंने

नाइजीरिया से चिकित्सा स्नातक की डिग्री ली है, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उनकी चिकित्सा-स्नातक डिग्री का अपेक्षित रजिस्ट्रेशन न किए जाने के कारण परेशान हैं ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उपरोक्त चिकित्सा डिग्री के रजिस्ट्रेशन किए जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारतीय मूल के नाइजीरिया में बसे कुछ छात्रों ने अभ्यावेदन दिया है कि नाइजीरियन संस्थाओं द्वारा दी गई मेडिकल डिग्रियों को भारतीय अयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) नाइजीरियन मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने का मामला कुछ समय से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विचाराधीन है। परिषद ने सूचित किया है कि नाइजीरियन संस्थाओं का दौरा करने के लिए एक टीम भेजने के लिए उनके द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किए जा रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही यह टीम दौरा करेगी और उसकी रिपोर्ट पर परिषद विचार करेगी।

वन्यजीव अभयारण्यों के लिए अधिसूचित वन-क्षेत्र

*300. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगली जानवरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में कितने-वन-क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ख) उड़ीसा में इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन वन्यजीव अभयारण्यों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) इस समय देश में 358 अधिसूचित वन्य-जीव अभयारण्य हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) वन्यजीव अभयारण्यों के विकास के किए गए उपायों में शामिल हैं :—सम्बन्धित राज्य सरकारों के वन्यजीव प्रभागों को वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्रीय और प्रशासनिक नियन्त्रण का अधिकार देना, वन और घासभूमि के दोहन को समाप्त करना, प्रबन्ध क्षमता, वासस्थल संरक्षण, प्राणिजात की बेहतर सुरक्षा, प्रकृति की बेहतर व्याख्या और शिक्षा, अनुसंधान एवं उन्नत संचार को उन्नत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता।

विवरण

उड़ीसा में वन्यजीव अभयारण्यों के ब्यौरे

क्रम सं०	अभयारण्य का नाम	जिला (ले)	क्षेत्रफल वर्ग किमी० में	महत्वपूर्ण प्रजातियां
1.	बालुखण्ड	पुरी	72.00	कालामृग, ओलिव रिडले कछुआ
2.	भित्तर कनिका	कटक	650.00	मछियारी बिल्ली, खारे पानी में पाया जाने वाला मगर
3.	चन्दका	पुरी	220.00	हाथी
4.	चिल्का	पुरी और गंजाम	900.00	जल मुर्गी
5.	देब्रीगढ़	सम्बलपुर	346.90	तेंदुआ
6.	हदगढ़	क्योंझर, मयूरभंज	191.60	हाथी, बाघ
7.	खालासुनी	सम्बलपुर	116.00	हेंनी बैजर, तेंदुआ
8.	कोठागढ़	फूलबनी	399.50	हाथी, पिसूरी
9.	कूलदिहा	बालासौर	272.75	बिज्जू, पेंगोलिन
10.	लखारी	गंजाम	300.00	चीता
11.	महानदी बैसीपाली	पुरी	168.35	बाघ, हाथी, पिसुरी
12.	नन्दनकानन	पुरी	4.26	पैंगोलिन, घड़ियाल
13.	सत्कोसिया दर्रा	धेनकनाल, पुरी कटक और फूलबनी	795.52	तेंदुआ, हाथी, भेड़िया
14.	सिमलीपाल	मयूरभंज	2447.00	बाघ, रीछ, मगरमच्छ
15.	युना बेडा	कालाहांडी	442.13	जंगली भैंसा
16.	उषाकोठी	सम्बलपुर	285.00	हेंनी बैजर, हाथी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुराने रेल डिब्बों को बदलना

*301. प्रो० पराग चालिहा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के उपयोग के लिए पुराने और मियाद पूरी कर चुके रेल डिब्बे उपलब्ध कराये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यदि इनके स्थान पर नये डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहे सवारी डिब्बों की हालत के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सवारी डिब्बों के बदलाव की व्यवस्था उनकी आयु-एवं-हालत के आधार पर की जाती है। सवारी डिब्बों के निर्माण की समग्र क्षमता कम है। क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सोवियत संघ से रेल उपकरणों की खरीद

*302. श्री कमल नाथ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोवियत संघ से कुछ रेल उपकरण, जिसमें भारी क्षमता वाले विद्युत चालित रेल इंजन भी शामिल हैं तथा पर्याप्त मात्रा में रेल पटरियां खरीदने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख). भारत और रूस के बीच खरीद या तकनीकी सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों में भारी क्षमता वाले बिजली रेल इंजनों और पटरियों की पहचान की गयी है। लेकिन, इस सम्बन्ध में बातचीत निहायत प्रारम्भिक दौर में है।

कुछ मदों के आयात को सरलीकरण योजना से मुक्त करना

*303. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जा रही इस्पात की कुछ मदों, हाट रोल्ड कोइल्स तथा कोल्ड रोल्ड शीट्स के आयात की भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखनलाल फोतेदार) : (क) और (ख). गर्म वेलित क्वायलों तथा ठंडी वेलित चादरों सहित कुछेक मदों, जिनका इस समय आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत किया जा रहा है, का आयात करने के लिए सेल को अनुमति देने के लिए सेल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे सेल इन मदों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सके।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम

*304. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय द्वारा अब तक आरम्भ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति और भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). इस विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1987 में दो डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं, एक प्रबन्ध में और दूसरा सुदूर शिक्षा में। ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों और सृजनात्मक लेखन में एक नए डिप्लोमा कार्यक्रम में दाखिला जनवरी, 1988 में करने का प्रस्ताव है। बी० ए० और बी० काम० पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला जुलाई, 1988 में करने का प्रस्ताव है। शुरू-शुरू में उन छात्रों के लिए, जिन्होंने अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, एक प्रारम्भिक कार्यक्रम जनवरी और जून, 1988 के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस प्रारम्भिक कार्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा सितम्बर, 198 / में आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय का संगणक शिक्षा, पुस्तकालय-विज्ञान, जनजातीय शिक्षा तथा महिला-शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण सामग्री की तैयारी का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तमिलनाडु सेक्शन को सुदृढ़ बनाना

*305. श्री एन० डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तमिलनाडु सेक्शन को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी खण्ड पर 625/0 कि० मी० से 631/2 कि० मी० तक तथा 644/0 कि० मी० 650/0 कि० मी० तक की सड़क को सुदृढ़ करने के लिए 150 81 लाख रुपए के दो अनुमानों की मंजूरी दी गई है।

एशियाटिक सोसाइटी में वित्तीय संकट

*306. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र द्वारा धनराशि न दिए जाने के कारण एशियाटिक सोसाइटी, जो देश की एक प्रमुख अनुसंधान और अध्ययन संस्था है, को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संस्था को कितनी धनराशि मंजूर की गई है और अब तक उसे कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ग) पूरी धनराशि का भुगतान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संस्था को निकट भविष्य में बन्द होने से बचाने के लिए उसे मंजूर की गई धनराशि का तुरन्त भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार स्वीकृत योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धनराशि देती है । प्रतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । वर्ष 1987-88 के लिए एशियाटिक सोसाइटी के 59.00 लाख रुपए (योजनागत) और 46.38 लाख रु० (योजनेतर) के बजट प्रावधानों में से चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक योजनागत के अधीन 25.91 लाख रु० और योजनेतर के अधीन 20.72 लाख रुपए दिए गए हैं । इनमें दोनों शीर्षों के अन्तर्गत 1986-87 से आगे ले जाई गई धनराशियां भी शामिल हैं ।

धनराशियां, अपेक्षित प्रासंगिक विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर ही, सामान्य पद्धति के अनुसार दी गई है । सोसाइटी ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों का संकेत देते हुए सरकार को कुछ पत्र भेजे थे । धनराशि देने में विलम्ब मुख्यतः इसलिए हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ने पूरी सूचना समय पर नहीं भेजी थी ।

(घ) सोसाइटी से पूर्ण ब्यौरे प्राप्त होने पर आगे धनराशि सामान्य पद्धति के अनुसार ही दी जाएगी ।

हल्दिया पत्तन का विकास

*307. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में हल्दिया पत्तन के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अब तक मंजूर की गई तथा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). हल्दिया डाक कम्पलैक्स, कलकत्ता पोर्ट का एक अंग है । हल्दिया डाक कम्पलैक्स के विशिष्ट विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली महत्वपूर्ण स्कीमें नीचे दी गई हैं :

क्रम सं०	स्कीम का नाम
1.	मौजूदा तेल जेटी को सुदृढ़ करना ।
2.	गोदी के अन्दर और बाहर सड़क का निर्माण ।
3.	ट्रैक्टर टगों के साथ दूसरी तेल जेटी ।
4.	अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ ।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम
5.	मौजूदा कंटेनर टर्मिनल में वृद्धि।
6.	चिरंजीव पुर टाउन शिप में आवासीय मकान।
7.	हल्दिया में नदी सुरक्षा बांध।

(ग) अब तक सरकार द्वारा हल्दिया डाक कम्पलैक्स की स्कीमों के लिए कोई धनराशि रिलीज नहीं की गई है क्योंकि इस प्रकार का खर्च उनके अपने आंतरिक संसाधनों से वहन किया जा रहा है।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के निकट यमुना नदी पर पुल का निर्माण

*308. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के निकट यमुना नदी पर पुल के निर्माण के बारे में 9 अप्रैल, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के निकट यमुना नदी पर पुल के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसकी प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो रही है और क्या पुल वर्ष 1988 के अन्त तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). चूंकि दिल्ली में अन्तराज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना नदी पर पुल 'दूसरी सड़कों' पर पड़ता है, इसलिए लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) इस परियोजना को देख रहा है। उनके अनुसार अब तक 72 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। प्रगति के मौजूदा गति लगभग निर्धारित समय के अनुरूप है और पुल को यातायात के लिए 1988 के अन्त तक खोल दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमालयन कार रैली

*309. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में हिमालयन कार रैली आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो रैली में भाग लेने वाली कारों और प्रतियोगियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस रैली का उद्देश्य क्या था तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां, 8वीं हिमालयन कार रैली 27 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1987 तक हिमालयन रैली एसोसिएसन द्वारा आयोजित की गई थी।

(ख) 8वीं हिमालयन कार रैली में 192 भाग लेने वालो और 96 कारों ने भाग लिया था।

(ग) रैली का मुख्य लक्ष्य, देश में मोटर खेलों को बढ़वा और प्रोत्साहित करना है। अनुमान है कि आठवीं हिमालयन कार रैली के आयोजन में लगभग 15 लाख रुपए खर्च होंगे।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए महाराष्ट्र को अनुदान

2911. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बारे में 13 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आयोजित सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कब और कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). राज्य स्वास्थ्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें सामान्य किस्म की थीं और उपचारात्मक निवारक तथा संवर्धनात्मक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होती थीं। महाराष्ट्र राज्य में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी प्रगति सन्तोषजनक हैं और आशा है कि राज्य इस सम्बन्ध में सातवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, उप-केन्द्रों को छोड़कर, जो कि 1-4-81 के बाद शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना हैं, इन यूनिटों की स्थापना के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने की योजना के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि आबंटित की जाती है।

[अनुवाद]

बल्क औषधियों के निर्माण के लिए सक्षम कर्मचारी

2912. श्री चिन्तामणि जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में बल्क औषधियों के निर्माण के लिए सक्षम कर्मचारियों का अनुमोदन करने के लिए सक्षम हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र, राज्य सहित, वर्ष 1983 में बल्क औषधियों के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों का अनुमोदन किया गया ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के लिए अपेक्षित मूल योग्यताओं और अनुभव का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). राज्य सरकारें लाइसेन्स प्राधिकारियों को नियुक्त करती हैं जो औषधों के निर्माण के लिए लाइसेन्स मंजूर करते हैं। लाइसेन्स मंजूर करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि निर्माता औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं।

सक्षम तकनीकी कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

फार्म 25 में लाइसेन्स की मंजूरी अथवा नवीकरण के लिए शर्तें

फार्म 25 में लाइसेन्स की मंजूरी देने अथवा नवीकरण करने से पहले आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा :—

1. विनिर्माण कार्य सक्षम तकनीकी कर्मचारी के सक्रिय निर्देशन और वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाएगा जिसमें कम से कम एक व्यक्ति होगा जो पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और जो :

(क) इस नियम के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी अथवा फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक हो और स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात औषध-निर्माण में कम से कम 18 महीनों का व्यावहारिक अनुभव हो। वैसे, अनुभव की इस अवधि को छह मास तक घटाया जा सकता है यदि व्यक्ति के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के दौरान छह माह की अवधि के लिए औषध निर्माण में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान का स्नातक हो जिसने इस उद्देश्य के लिए अपनी डिग्री पाठ्यक्रम में रसायन शास्त्र का एक मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो और अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् औषध निर्माण में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, अथवा

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से रसायन अभियंत्रकी अथवा रसायन प्रौद्योगिकी में स्नातक हो तथा इसके साथ अपनी स्नातक डिग्री के पश्चात औषध-निर्माण में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का सामान्य प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो, अथवा

(घ) कोई भी विदेशी अर्हता प्राप्त किए हुए हों, जिसके प्रशिक्षण की गुणवत्ता

और विषय वस्तु धारा (क), धारा (ख) अथवा धारा (ग) में निर्धारित की गई अर्हताओं के बराबर हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस नियम के अन्तर्गत सक्षम तकनीकी स्टाफ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई हो।

बशर्ते कि वह व्यक्ति, जो 29 जून, 1957 के तुरन्त पहले औषधों के निर्माण कार्य का सक्रिय रूप से निर्देशन और व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण कर रहा था और जिसका नाम तदनुसार फार्म 25 में मन्जूर किए गए किसी लाइसेन्स में प्रविष्ट कर लिया गया था, जो उस तारीख से पहले ही दिया गया था, इस नियम के लिए अर्हता प्राप्त समझा जाएगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि लाइसेन्सिंग प्राधिकारी विसंक्रामक तरल पदार्थ कीटनाशक लिक्विड पैराफिन, औषधीय गैसें, गैर-रसायनिक गर्भनिरोधक, प्लास्टर आव पेरिस और सर्जिकल ड्रेसिंग के उत्पादन के मामले में, जिनके निर्माण के लिए फार्मास्यूटिकल कमिस्ट्री अथवा फार्मेसी का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं हैं, और यद्यपि जिसके पास इस नियम की धारा (क), (ख) अथवा (ग) में शामिल की गई अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो लेकिन लाइसेंसिंग प्राधिकारी के विचार में वे ऐसे पदार्थों के निर्माण में पर्याप्त अनुभव रखते हों, सक्षम तकनीकी कर्मचारी के सक्रिय निदेशन और वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत ऐसे पदार्थों के निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

पुन: वन लगाने के लिए नए शुल्क 'बायोमास प्लेटफार्म'

2913. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पुन: वन लगाने के विचार से और नये शुल्क 'बायोमास प्लेटफार्म' स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि/ग्रामीण पालिटैकनिकों की स्थापना

2914. **डा० सुधीर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अथवा ग्रामीण पालिटैकनिकों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). इस मन्त्रालय की एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय प्वाइंट के रूप में काम करने के लिए कुछ जाने पहचाने पालिटेकनिकों का चयन किया जाता है इन पालिटैकनिकों को समुदायिक पालिटैकनिकों के रूप में पदनामित किया जाता है और इन्हें इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस समय 108 सामुदायिक पालिटैकनिक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह निर्धारित किया गया है कि सामुदायिक पालिटैकनिक प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी कोटि तथा कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए उनको उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। तदनुसार, इस मूल्यांकन को करने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस प्रणाली का और आगे विकास अथवा अन्यथा रूप से इस समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे शिशुगृह

2915. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे शिशुगृह केवल 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों की ही देख रेख करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन को 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिशुगृहों में लेने के निर्देश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) नीति अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका केवल 3 मास से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रवेश देती है, क्योंकि 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के स्कूल जाने की सम्भावना होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोगिन्दर नगर से मण्डी तक छोटी रेल लाइन बिछाना

2916. **प्रो० नारायणचन्द पाराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इस दशक में हिमाचल प्रदेश में जोगिन्दर नगर से मण्डी तक छोटी लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन की लम्बाई सहित इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं तथा जोगिन्दर नगर मण्डी छोटी लाइन के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ; और

(ग) इस लाइन को स्वीकृति देने और इसके निर्माण के लिए रेलवे ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाएं

2917. श्री मानिक रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए निवारक और संवर्धन कार्य ;

(ii) संचारी रोगों का नियन्त्रण उन्मूलन ;

(iii) परिवार नियोजन के बारे में शिक्षा, प्रेरणा तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सेवाओं की व्यवस्था ;

(iv) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या जिसमें रोग प्रतिरक्षण, रक्ताल्पता तथा विटामिन 'ए' की कमी से बचाव शामिल है ;

(v) बाह्य क्लीनिकों के माध्यम से रोगहारक सेवाएं ;

(vi) एक्स-रे, ई० सी० जी० और पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला सुविधाओं जैसी नैदानिक सुविधाएं ;

(vii) सर्जन, प्रसूति और स्त्री रोग-विज्ञानी, फिजीशियन और बाल-चिकित्सा विज्ञानी की विशेषज्ञ सेवाएं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

2918. श्रीमती सुमति उरांव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऊंची शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में मिलने वाली छात्रवृत्तियों के समान छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित करने के अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार उत्तर-मैट्रिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्तियों की योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे उत्तर-स्नातक स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। कल्याण मन्त्रालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियों का भुगतान न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालयों/कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण के प्रावधान के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन समुदायों से संबंधित छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इन सुविधाओं में विभिन्न प्रकार की शिक्षावृत्तियां/छात्रवृत्तियां प्रदान करना/आरक्षण करना, विशेष उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करना, नरसरी योजना लागू करना आदि शामिल हैं।

भारतीय नौवहन निगम का निम्नतम भाड़ा सम्बन्धी समझौते में भाग लेना

2919. डा० वी० एस० शैलेश : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करमाहेम सम्मेलन के सदस्य नौवहन कम्पनियों और गैर-सदस्य नौवहन कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए निम्नतम भाड़ा समझौते में भारतीय नौवहन निगम ने भाग लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और इसमें भाग लेने से निगम को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) पीछे मालभाड़ा दरों में 1-5-1985 को संशोधन किया गया था। उसके बाद से माल भाड़ा के स्तर में काफी गिरावट आई है। इसलिए सदस्य लाइनों ने कुछ बाहरी लाइनों के साथ मिलकर इस व्यापार में नियमित रूप से ढोयी जा रही प्रमुख सामग्रियों के बारे में सहमत दरें तय कर एक 'न्यूनतम मालभाड़ा करार' किया। न्यूनतम मालभाड़ा करार करने से मण्डी शेयर और भारतीय नौवहन निगम की मालभाड़ा आय में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

नई शिक्षा नीति की कार्यवाही योजना में शिक्षकों को भागीदार बनाना

2920. श्री अजीज कुरेशी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यवाही योजना में शिक्षकों को भागीदार बनाने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं ;

(ख) क्या इन विशेष उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षकों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संगठन की राष्ट्रीय स्तर की समिति में स्कूल शिक्षकों की विशेष भागीदारी का कोई प्रावधान है और तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षक प्रशिक्षण परिषद् में शिक्षकों और प्रशिक्षकों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ; और

(ङ) शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् को एक सांविधिक निकाय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षकों की केन्द्रीय भूमिका को सम्मान देती है तथा नीति यह स्वीकार करती है कि नीति के प्रावधानों को शिक्षकों की समग्र सहभागिता तथा उनकी वचनबद्धता के साथ ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय नीति में शिक्षकों को ऊंचा दर्जा देने तथा उन्हें नवीन-परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता की परिकल्पना की गई है। इसमें शिक्षकों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार की परिकल्पना की गई है जो उनको सामाजिक तथा व्यावसायिक जिम्मेदारियों के अनुरूप होगा। इसमें सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने के लिए शिक्षकों को उन्नत सुविधा की अभिधारणा की गयी है तथा इसमें शिक्षक संघों का शामिल होना अपेक्षित है। नीति में शिक्षकों की सक्षमता को स्तरोन्नत करते के लिए शिक्षक शिक्षा को सुधरे हुए कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षकों सक्षमता में सुधार करने के लिए, उन्हें राष्ट्रीय नीति के महत्वपूर्ण बलों से पूर्णत: अवगत कराने के लिए तथा उनकी प्रेरणा में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने 1986 से प्रत्येक वर्ष 5,00,000 स्कल शिक्षकों के जन-अनुस्थापन के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों की सहायता से रा० शै० अनु० प्र० परिषद् के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) रा० शै० अनु० प्र० परि० तथा वि० अनु० आयोग की संरचना की अभिशासित करने वाले नियमों के अनुसार, रा० शै० अनु० प्र० की परिषद के चार शिक्षक तथा इसी तरह चार विश्वविद्यालय शिक्षक वि० अनु० आयोग के सदस्य हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारी समितियों में राज्य शिक्षा मन्त्री द्वारा नामित किए जाने वाले 6 व्यक्ति शामिल हैं इसमें से कम-से-कम दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होते हैं।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में 42 सदस्य हैं जिनमें से पूर्व-स्कूल तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में 12 विशेषज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन और क्षमताएं प्रदान की जाएंगी तथा पाठ्यचर्या और प्रणालियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यवाही योजना जिसने नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार की हैं, में यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्तता तथा सांविधिक दर्जा दिया जाएगा। नीति

तथा कार्यवाही-योजना के इन प्रावधानों को समय-रहते कार्यान्वित करने लिए कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

[अनुवाद]

आरक्षित वन क्षेत्र

2921. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुल आरक्षित वन क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां तो 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आरक्षित वन क्षेत्र कितना है ; और

(ग) आरक्षित वन क्षेत्रों के उचित संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). जैसा कि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा सूचना दी गई है, वर्ष 1984-85 में रिजर्व वनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

(ग) वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाएं किए गए हैं :

1. राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी गिए गए हैं :

   (1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां ऐसी कटाई फसलों को पुन: उगाने और अन्य वन-वर्धन उपयोग के लिए अनिवार्य हो तो इसे पहाडियों में 10 हेक्टेयर और मैदान में 25 हेक्टेयर क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

   (2) कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई में पेड़ों को गिराने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करना।

   (3) पहाड़ियों और नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनकी वनों की कटाई से सुरक्षा की आवश्यकता है और तत्काल जोरदार वनरोपण की आवश्यकता है।

   (4) भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में अलग रखना जैसे वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमण्डल रिजर्व आदि।

2. प्रति वर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ईंधन की लकड़ी और चारा पौधरोपण के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

3. हिमालय में मिट्टी, जल और वृक्ष संरक्षण (आपरेशन सायलवाच) और अन्य वनरोपण कार्यक्रम।

4. अवसंरचना का विकास और वन की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबन्धों का प्रवर्तन ।

5. वन भूमि के गैर-वन प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाने से रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रवर्तन ।

6. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास ।

7. पैकेजिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में वैकल्पिक सामग्रियों द्वारा लकड़ी का प्रतिस्थापन ।

8. वन उत्पादकों के लिए उदारीकृत आयात नीति ।

9. उन उद्योगों, जो लकड़ी का प्रतिस्थापन करेंगे, को वित्तीय प्रोत्साहन देना ।

10. परिरक्षण उपचार के प्रयोग पर जोर दिया गया है ताकि इमारती लकड़ी की मियाद को अधिक लम्बी अवधि तक रखा जा सके, इससे मांग में कमी होगी ।

11. झूम खेती पर नियन्त्रण ।

विवरण

राज्यवार रिजर्व वन के अन्तर्गत वन क्षेत्र के ब्यौरे

(वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	रिजर्व क्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	49921
2. असम	17277
3. अरुणाचल प्रदेश	13623
4. बिहार	5051
5. गोवा, दमन और द्वीव	42
6. गुजरात	13448
7. हरियाणा	228
8. हिमाचल प्रदेश	1825
9. जम्मू व कश्मीर	20892
10. कर्नाटक	28574
11. केरल	9152

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	रिजर्व क्षेत्र
12. मध्य प्रदेश	80995
13. महाराष्ट्र	42713
14. मणिपुर	1377
15. मेघालय	706
16. मिजोरम	8048
17. नागालैंड	483
18. उड़ीसा	26108
19. पंजाब	43
20. राजस्थान	12281
21. सिक्किम	2240
22. तमिलनाडु	18297
23. त्रिपुरा	3863
24. उत्तर प्रदेश	34579
25. पश्चिम बंगाल	7054
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2912
27. चण्डीगढ़	—
28. दादर और नगर हवेली	203
29. दिल्ली	उपलब्ध नहीं
30. पाण्डिचेरी	—
31. लक्षद्वीप	—
योग	401935

"इन्टरफ्रेन्टियल करन्ट स्टीम्यूलेटर्स" का आयात

2922. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजियोथिरेपी के लिए प्रयोग किए जाने वाले "इन्टरफ्रेन्टियल करन्ट स्टीम्यूलेटर्स"

के भारत में आयात की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कानून के किस विशिष्ट प्रावधान के अन्तर्गत इन्हें आयात करने की अनुमति दी जाती है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किने आयात की अनुमति दी गई और आयातित "स्टीम्यूलेटर्स" का मूल्य कितना था और इन्हें किन-किन देशों से आयात किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां, बशर्ते व्यापार विकास महानिदेशालय से इसे देश में आयात करने की अनुमति मिल हो और मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात से आयात का लाइसेंस मिला हो ।

(ख) आयात की अनुमति वित्त मन्त्रालय के दिनांक 30-9-1983 की अधिसूचना के उपबन्धों के अन्तर्गत दी जाती है ।

(ग) मुख्य नियन्त्रक आयात एवं निर्यात से मिली सूचना के अनुसार अस्पताल और चिकित्सा संस्थाएं अपने इस्तेमाल के लिए एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रु० के मूल्य तक के चिकित्सीय उपकरणों का आयात कर सकती हैं। केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल बगैर किसी मूल्य सीमा के अपने जरूरत के उपकरणों का आयात कर सकते हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयात का ब्यौरा तथा आयात किए गए इन स्टिमुलेटरों का मूल्य और उन देशों के नाम जहां से इन्हें आयात किया गया है, उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मद खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आती है ।

"साइंटिफिक स्टडीज आन भोपाल गैस विक्टिम्स" पर विशेष अंक का विमोचन

2923. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने "साइंटिफिक स्टडीज आन भोपाल गैस विक्टम्स" नामक एक विशेष खण्ड प्रकाशित किया है जिसमें अनेक भारतीय वैज्ञानिकों के विश्व के किसी भी देश में होने वाली इस सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना जिसमें भयानक परिणामों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य सम्मिलित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भोपाल गैस पीड़ितों पर वैज्ञानिक अध्ययनों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान जरनल का एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया है । इसमें दिए गए अध्ययनों का ब्यौरा इस प्रकार प्रकार है :—

गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल, भोपाल में दाखिल गैस से पीड़ित 978 रोगियों का विश्लेषण करने से पता चला है कि गैस से होने वाली सामान्य और प्रमुख शिकायतें थीं—नेत्रों में प्रदाह होना, श्वसनी लक्षण, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, संवेदना अवरुद्ध होना और वक्ष में पीड़ा होना, मतली, वमन और अधिजठर बेआरामी, मांस पेशियों में कमजोरी आना, कम्पन, पेरेस्थेजिया और दबाव ।

भोपाल में गैस रिसाव से प्रभावित 500 व्यक्तियों का वक्ष एक्सरे का, सांस में गैस अन्दर चले जाने से पाई गई तत्काल असामान्यताओं को रिकार्ड करने के लिए अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि 41.4 प्रतिशत रोगियों में इन्टरस्टिशियल ओडेमा के अनुरूप पल्मोनरी प्रतिक्रिया का पता चला जबकि 40.6 प्रतिशत रोगियों में वायुकोष सहित इन्टरस्टिशियल ओडेमा का पता आदि चला। 8 प्रतिशत रोगियों में गुहिकायन और वात मध्यस्थानिका जैसी घातक विक्षप्तियों का पता चला। गैस सांस में अन्दर जाने से फेफड़े को हुई क्षति को उन रोगियों में, जिन्हें गम्भीर कष्टश्वास, खांसी और वक्ष में दर्द था, गैसे के रिसने के 72 घण्टों के बाद रिकार्ड किया गया था।

जहरीली गैस से ग्रस्त 224 रोगियों पर किए गए फेफडे कार्यकरण सम्बन्धी अध्ययनों में स्पाइरोमेटरी द्वारा की गई जांच से आम तौर पर यह परिणाम निकला कि फेफड़ों के आकार में कमी अथवा बिस्तार हुए बगैर उसमें हवा का प्रवाह सीमित था। श्वसनी लक्षणों का घनत्व फेफड़े कार्यकरण में आए विकारों के अनुपात से अधिक था।

10 सरकारी क्लीनिकों के बाह्यरोगी विभागों में यादच्छिक मूल्यांकन करने में जांचे गए रोगियों का (22.6 प्रतिशत) मानसिक विकारों से पीड़ित पाए गए। 193 रोगियों में 37.3 प्रतिशत तन्त्रिका रोग, 24.9 प्रतिशत उत्तेजनावस्था और 35.2 प्रतिशत सामंजस्य प्रतिक्रिया के शिकार थे।

इम्यून अवस्था, जेनेटाक्सिक प्रभावों तथा उग्ररूप से प्रभावित जीवों के मूत्र में म्युटेजेन का पता लगाने सम्बन्धी मूल्यांकन अस्पताल में भर्ती रोगियों तथा भोपाल में रेलवे कोलोनी के निवासियों पर किए गए थे ताकि मूत्र में एम्स परीक्षण के विलम्बित प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सके। आमतौर पर ये-अपसमान्यताएं अस्थायी और अल्प किस्म की थी। वैसे, सैल साइकिल पैरामीटर्स अपसमान्य थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके कारण होने वाली जटिलताओं और विषैले गैस के समग्र विषैले प्रभावों के साथ उनके सम्बन्ध का जायजा लेना कठिन है। पूरी अवधि, समय से पूर्व जन्म तथा चिकित्सा द्वारा गर्भ की समाप्ति पर पीड़ित महिलाओं में मानव बीजाण्डासन की मार्फिलॉजी सम्बन्धी एक अध्ययन किया गया था। गैस के किसी बुरे प्रभाव के प्रमाण के लिए 134 बीजाण्डासनों के अध्ययन किए गए थे। बीजाण्डसन का औसत भार और पूरी अवधि पर भ्रूण भार पूरी अवधि के बाद नियन्त्रण वर्ग की महिलाओं के मुकाबले गैस से प्रभावित महिलाओं में कम पाया गया। जहां तक इनफार्कशन तथा कैल्सीफिकेशन जैसे घटिया परिवर्तनों का सम्बन्ध है, गैस से पीड़ित और सुरक्षित महिलाओं के बीच कोई अन्तर नहीं था। फाइबरीनाइड बेकरायसिन, सिसिस्टीकल नाटस, वास्कुलेसिनसिटियल मम्बरेन की घटना साहित्य में पहले से बतलाये गए विवरण के समान है। जिस महिला ने चिकित्सा द्वारा गर्भ समाप्त करा लिया है उसके बीजाण्डासनों में जलसंचयी विकृति सुरक्षित महिलाओं की अपेक्षा गैस पीड़ित महिलाओं में अधिक थी। वैसे, पूरी अवधि पर होने वाले प्रसवों में जलसंरचरना विकृति में गैस पीड़ित तथा गैस से सुरक्षित महिलाओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं दिखाई दिया।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को हुआ घाटा

2924. **डा० सुधीर राय :**

श्री एम० पलाकोंड्रायुडु :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को संयंत्र-वार कितना लाभ और घाटा हुआ ; और

(ख) इन घाटों को कम करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गए हैं तो वे क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान 'सेल' की संयंत्र-वार लाभदायकता निम्नानुसार है :

	लाभ (+)/हानि(—) करोड़ रुपये
भिलाई इस्पात कारखाना	(—) 38.67
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 22.46
राउरकेला इस्पात कारखाना	11.13
बोकारो इस्पात कारखाना	125.17
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 25.72
सेलम इस्पात कारखाना	2.92
अन्य/समायोजन	0.44
"सेल"	52.81
इसको	(—) 81.91 (अनन्तिम)

(ख) "सेल" अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों से अपनी लाभकारिता अधिक करने का प्रयास कर रही है :—

(i) कुल उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना ;

(ii) तकनीकी आर्थिक प्राचलों में सुधार लाना ;

(iii) माल-सूचियों तथा चल पूंजी को कम करना ;

(iv) बेहतर उपलब्धता के लिए संयंत्रों तथा उपस्करों के रखरखाव में सुव्यवस्थित ढंग से सुधार लाना ;

(v) बढ़िया क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना ;

(vi) प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ-साथ परियोजनाओं को आधुनिक बनाना ; और

(vii) निजी विद्युत उत्पादन का इष्टतमीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण ।

राष्ट्रीय जहाज डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना

2925. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जहाज डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय जहाज डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र को स्थापित कर दिया गया है या इस पर कार्य शुरू किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्य कब प्रारम्भ होगा और यह केन्द्र कहां स्थापित किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक में एक राष्ट्रीय जहाज डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए 4 करोड़ रुपए का योजनागत प्रावधान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा कार्य शुरू होने की तिथि या परियोजना के स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हृदय रोग के लिए औषधि का विकास

2926. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने हृदय रोग के लिए एक नई औषधि का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह औषधि इस रोग के उपचार में कहां तक सफल हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). गुगुलीपिड कोम्मीफोरा मुकुलरिसिन का एक अविषैला अंश है। पशुओं पर किए गए चिरकारी विषाक्तता सम्बन्धी अध्ययनों में गुगुलीपिड लेने से कोई प्रतिकूल प्रभाव टेरेटोजेनिसिटी अथवा म्युटेजेनिक प्रभाव पड़ने का पता नहीं चला। गुगुलीपिड नैदानिक परीक्षणों के तीन चरणों से सफलतापूर्वक गुजरा है। छह चिकित्सा संस्थानों में विभाजित खुराकों में गुग्लीपिड 1580 मि० ग्रा०/दिन के फेस-3 परीक्षण किए गए। 70-80 प्रतिशत रोगियों में गुगुलीपिड से इस समय इस्तेमाल की जाने वाली क्लोफिब्रेटों के साथ क्रमशः सीरम कोलोस्ट्रोल (10 प्रतिशत) ओर ट्रिग्ली-

सपिडस (21 प्रतिशत) के मुकाबले क्रमशः 11 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की औसतन कमी हुई। गुगुलोपिड अपने हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव में क्लोफिब्रेट से तुलनीय थी। गुगुलीपिड गौण प्रभावों से प्राप्त है और क्लोफिस्टेट जैसा फलु उत्पन्न करती है औषध (गुगुलीपिड) इस समय सिप्ला प्रयोगशालाएं बम्बई द्वारा "गुग्लिप" ब्रांड नाम के अन्तर्गत बेची जाती है।

ओजोन परत का नष्ट होना

2927. **श्री बी० कृष्ण राव :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओजोन परत के नष्ट होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। सरकार को समतापमंडलीय परिवर्तन का ओजोन परत-प्रभाव और जलवायु में परिवर्तन से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम समन्वय समिति की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) सरकार विशेषज्ञों के परामर्श से इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

जयनगर और उदयपुर के बीच रेल लाइन

2928. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में सीमेंट कारखाने की स्थापना एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर से उदयपुर तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं। नेपाल में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जयनगर से लक्ष्मीपुर तक एक रेलवे लाइन के लिए राइट्स द्वारा केवल एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हृदय रोगों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं

2929. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में 3 करोड़ व्यक्ति हृदय रोगों से पीड़ित हैं और यह रोग युवा लोगों में फ़ैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस रोग को फैलने से रोकने के उपाय तथा इसके इलाज हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) देश में लगभग कितने हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलाजिस्ट) हैं ;

(घ) देश में कितने गहन परिचर्या यूनिट हैं ; और

(ङ) देश में इस समय कितने "ओपन हार्ट सर्जरी" यूनिट हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को देश में हृदय वाहिका रोगों की अत्यधिक घटनाओं की जानकारी है। अस्पतालों में सभी चिकित्सीय मामलों में इस रोग में लगभग 20 से 40 प्रतिशत तक युवा पीड़ित हैं और रयूमेटिक हार्ट रोगों से प्रत्येक 1000 स्कूली बच्चों में 6 से 7 बच्चे तक पीड़ित हैं।

(ख) सरकार ने देश में हृदय रोगियों के इलाज के लिए विशेष जांच प्रयोगशालाओं की सुविधाओं के लिए मेडिकल कार्डिलॉजिकल यूनिट, इंटेसिव केयर यूनिट और कार्डियक सर्जरी यूनिट वाले कार्डियक सैंटर स्थापित किए हैं।

(ग) सरकार को देश में उपलब्ध हृदय रोग विशेषज्ञों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) देश के सभी मुख्य अस्पतालों (केन्द्रीय सरकारी और निजी स्वामित्व वाले) में गहन परिचर्या एकक हैं।

(ङ) देश में 13 संस्थाएं हैं जहां जटिल हृदय शल्य चिकित्सा की जाती है।

विदर्भ और बम्बई के बीच रेल लाइन

2930. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ और बम्बई के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) विदर्भ और बम्बई के बीच रेल लाइनें पहले से मौजूद हैं।

मनमाड-परली-बैजनाथ और परभनी-पुदखेड़ रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

2931. **श्री अशोक शंकर राव चव्हाण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र में मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-परली-बैजनाथ और परभनी-पुरना-मुदखेड़ रेलवे लाइनों को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में धन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से एक ऐसी योजना तैयार करने का अनुरोध किया है जिसमें वह लागत का एक भाग ऋणपत्र जारी करके वहन कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र में अनुमोदित आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा धन की आंशिक व्यवस्था ऋण-पत्र जारी करके और तदन्तर उपयोगकर्ता-सेवा पर अधिभार लगा करके वसूली द्वारा की जा सकती थी।

राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि इस पर आगे कोई कार्रवाई करने से पहले उपर्युक्त योजना के लिए वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

नौवहन सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट

2932. श्री के० एस० राव : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक नौवहन संबंधी कार्यकारी दल गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस दल ने कोई अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है अथवा अन्तिम रिपोर्ट पेश की है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार की प्रमुख सिफारिशों विशेष रूप से भारतीय नौवहन उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश और इस उद्योग में गैर सरकारीकरण के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). 2000 ई० की समयावधि में परिवहन सेक्टर के लिए एक दीर्घकालीन भावी योजना तैयार करने और एक भलीभांति समेकित बहु-माडल परिवहन प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से योजना-आयोग ने एक संचालन समिति का गठन किया है जिसमें इस क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञ हैं। इस संचालन समिति ने भी कई विशेषज्ञ दलों का गठन किया है जिनमें भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित नौवहन सम्बन्धी योजना दल शामिल है। दल ने अन्य बातों के साथ-साथ 2000 ई० में राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन टनेज की आवश्यकता का अनुमान लगाया है और नौवह उद्योग की सहायता करने के लिए कार्गो सहायता सहित कुछ उपाय सुझाए हैं। इस दल की रिपोर्ट योजना आयोग में संचालन समिति के कार्य के लिए एक इनपुट के रूप में होगी।

डाक्टरों की मांग पत्र पर निर्णय

2933. श्री केशव राव पारधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों द्वारा गत वर्ष अपनी हड़ताल के समय सरकार को दिए गए मांग-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ उनकी सेवा निवृति की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाने की मांग भी थी ;

(ख) क्या सरकार ने डाक्टरों के मांग-पत्र पर उनकी सेवा-निवृति की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाने का आश्वासन दिया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच डाक्टरों की उपरोक्त मांग पर निर्णय ले लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ). जो डाक्टर 20-7-87 से 28-7-87 तक हड़ताल पर थे उनकी एक मांग उनकी सेवानिवृति की आयु बढ़ाने के बारे में थी। हड़ताली डाक्टरों को सूचित किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की सेवानिवृति की आयु के सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। बहरहाल, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रसवपूर्व गर्भाशय वेधन (एम्नीओसेन्टेसिस) परीक्षण का दुरुपयोग

2934. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसवपूर्व गर्भाशय वेधन (एम्नीओसेन्टेसिस) परीक्षण के दुरुपयोग के विरूद्ध कोई कानून प्रभावी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या प्रसवपूर्व गर्भाशय वेधन परीक्षण के दुरुपयोग के कोई मामले प्रकाश में आए हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार एम्नीओसेन्टेसिस की सुविधाएं 40 सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध है। तथापि, इस मन्त्रालय को एम्नीओसेन्टेसिस परीक्षण के दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं।

रेलवे इन्जीनियरिंग वर्कशाप आर्कोनम के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

2935. **श्री आर० जीवरत्नम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप, आर्कोनम में जनवरी, 1984 के बाद नियुक्त स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं को कब तक नियमित किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) निम्नलिखित तिथि को कर्मचारियों की संख्या	स्थाई	अस्थाई
1	2	3
1-1-1984	1977	408

1	2	3
1-1-1985	1918	418
1-1-1986	1921	379
1-1-1987	2145	128

(ख) नियमित पदों पर कार्यरत सभी अस्थाई कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं।

पोरबन्दर-जूनागढ़ रेल लाइन को बदलना

2936. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर-जूनागढ़ रेल लाइन को बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग). पोरबन्दर और वांसजालिया के बीच बड़ी लाइन मौजूद है। वांसजालिया-जेतलसर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का अनुमोदन नहीं किया गया है। जेतलसर-जूनागढ़ खंड राजकोट-वेरावल मीटर लाइन का एक भाग है। वित्तीय निहितार्थों का पता लगाने हेतु राजकोट-वेरावल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

वनरोपण कार्यक्रम

2937. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावनि :**

श्री उत्तमभाई एच० पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गुजरात और देश के अन्य भागों में कितने वृक्ष लगाए गए हैं ;

(ख) नवरोपित पौधों के वृक्षों में विकसित होने की वर्तमान दर क्या है ;

(ग) क्या वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत सफेदे के वृक्ष लगाए जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सफेदे के वृक्ष लगाए जाने के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उगाए गए वृक्षों की जीवंतता दर/प्रतिशत के सम्बन्ध में

कोई विधिवत् अथवा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). जी हां। वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपण की जाने वाली प्रजातियों में से यूकलिप्टस एक है। परन्तु यूकलिप्टस सहित विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का रोपण पृथक-पृथक कितने क्षेत्र में किया गया है, के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) यूकलिप्टस के विरोध में प्रमुख आलोचना यह है कि यह भूमिगत जल को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करता है जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत जलस्तर नीचे चला जाता है; इसके फलस्वरूप वृक्ष के आसपास की भूमि पर घास आदि अन्य छोटे पौधे नहीं उग पाते और इस प्रकार मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। यह आलोचना निर्णायक वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। फिर भी सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि विशेषकर जिन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती हैं वहां केवल यूकलिप्टस न लगाएं और स्थानीय अवस्थाओं के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को उचित संख्या में सम्मिलित रूप से साथ-साथ उगाएं।

विवरण

सितम्बर, 1987 तक रोपित वृक्षों की संख्या, 1987-88 के दौरान रोपित किए जाने वाले वृक्षों के लक्ष्य

क्र०सं०	राज्य/के०शा० प्रदेश	लक्ष्य पौधों की संख्या लाखों में	सितम्बर, 87 तक उपलब्धि पौधों की संख्या लाखों में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3000.0	1,848.17
2.	असम	500.0	450.55
3.	बिहार	3500.0	2,281.00
4.	गुजरात	3000.0	1,543.98
5.	हरियाणा	725.0	271.85
6.	हिमाचल प्रदेश	700.0	362.94
7.	जम्मू व कश्मीर	405.0	107.30
8.	कर्नाटक	2500.0	2,276.29
9.	केरल	1700.0	1,028.11
10.	मध्य प्रदेश	4000.0	3,997.54

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	2600.0	1,997.14
12.	मणिपुर	170.0	165.35
13.	मेघालय	150.0	203.75
14.	नागालैण्ड	200.0	प्राप्त नहीं
15.	उड़ीसा	2600.0	1,639.13
16.	पंजाब	535.0	275.54
17.	राजस्थान	1500.0	765.00
18.	सिक्किम	120.0	129.83
19.	तमिलनाडु	2400.0	83.41
20.	त्रिपुरा	260,0	260.00
21.	उत्तर प्रदेश	5000.0	2,631.0
22.	पश्चिम बंगाल	1400.0	1,330.0
23.	अ० एवं नि० द्वीव समूह	100.0	64.75
24.	अरूणाचल प्रदेश	125.0	20.77
25.	चण्डीगढ़	3.4	2.95
26.	दादरा एवं नगर हवेली	4.0	30.50
27.	दिल्ली	40.0	14.80
28.	गोआ, दमन एवं द्वीव	100.0	73.16
29.	लक्षद्वीप	0.2	0.19
30.	मिजोरम	725.0	277.50
31.	पांडिचेरी	10.60	0.41
	योग	38,073.20	24,133.01

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैम्पस के निर्माण और विकास सम्बन्धी बसु जांच समिति

2938. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैम्पस के निर्माण और विकास में कमियों की जांच करने वाली जस्टिस बसु समिति ने किसी को जिम्मेदार ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विश्वविद्यालय अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 179वीं रिपोर्ट (1983-84) में की गई सिफारिश के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री ए० के० बसु को निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया था :

1. वास्तुकार के साथ हुए इकरारनामे की शर्तें लागू करने में विश्वविद्यालय की असफलता।
2. वे परिस्थितियां, जिनमें 69.57 लाख रुपए के ठेके एक अनुभवहीन ठेकेदार, मैसर्स होम डेकोलम को दिए गए थे।
3. वे परिस्थितयां, जिनमें निर्माण की सामग्री खो गई थी तथा विश्वविद्यालय स्टाफ और ठेकेदारों के बीच किसी मिलीभगत की सम्भावना हो।
4. विश्वविद्यालय द्वारा कार्य न करने वाले कम्प्यूटरों की खरीद ताकि जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।

जांच समिति ने तथाकथित गलतियों के लिए किसी को भी विशेष रूप से जिम्मेदार नहीं पाया। तथापि, इसने मैसर्स होम डेकोलम को आठ ठेके दिए जाने से सम्बन्धित आरोप से विश्वविद्यालय के वास्तुविद, श्री सी० पी० कुकरेजा को पूर्णतः विमुक्त नहीं किया। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि वास्तुविद की सेवाएं जारी रखने से सम्बन्धित मामला, भवन तथा निर्माण समिति के विचारार्थ उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा।

मानस बाघ परियोजना

2939. **श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मानस बाघ परियोजना" के आस-पास स्थानीय आदिवासी लोगों को अपनी घरेलू

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी, घास फूस आदि एकत्र करने की अनुमति दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). असम राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मानस बाघ रिजर्व की प्रबन्ध योजना के अनुसार, मानस अभ्यारण्य और अभ्यारण्य के बाहर के क्षेत्र जिससे मानस बाघ रिजर्व बनता है, में कोई अधिकार मान्य नहीं हैं। तथापि, मानस अभ्यारण्य के बाहर, चराई, मछली पकड़ने और घास-फूस संग्रह के सम्बन्ध में रियायत दी जाती हैं।

वनरोपण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

2940. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में व्यापक पैमाने पर वनरोपण कार्यक्रमों के लिए कुछ देशों ने वित्तीय सहायता देने का वायदा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सहायता देने का वायदा किया है और इस सम्बन्ध में कौन सी योजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है ;

(ग) क्या इस योजना में हमारे देश में न केवल बान्धकी-उद्योग को समृद्ध बनाने, बल्कि इसके साथ ही वनों पर आधारित हस्तशिल्प उद्योगों को भी सहायता प्रदान करने और विकसित करने के लिए व्यापक प्रयास करने की परिकल्पना की गई है ताकि आदिवासियों को अपनी वनभूमि से विस्थापित न किया जाए ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). जी हां। विभिन्न राज्यों में वनीकरण क्रिया-कलापों में सहायता प्रदान कर रहे देशों/संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रयोजनाओं में वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई है जिससे गरीब ग्रामीणों तथा जनजातियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः चारा, ईंधन लकड़ी, इमारती लकड़ी, तथा फल प्राप्त होंगे। वनों पर आधारित हस्तशिल्प उद्योगों का विकास इन परियोजनाओं का अंग नहीं है। फिर भी ये कार्यक्रम जनजातियों के उनकी अपनी वन भूमि से विस्थापन को रोकने के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के रूप में जनजाति के विकास में सहायता प्रदान करते हैं।

विवरण

वनीकरण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

क्रम सं०	प्रायोजनाओं के नाम	अवधि	दाता एजेन्सी	कुल व्यय (रु०मि०)	बाह्य सहायता (यू. एस. डालर मि.)	कुल वास्तविक लक्ष्य (है० में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	यू० पी० सामाजिक वानिकी प्रायोजना चरण-II	5 वर्ष 1985-86 से 1989-90	विश्व बैंक/ यू. एस. एड.	1611.60	88.30	1,61,950
2.	गुजरात सामाजिक वानिकी प्रायोजना चरण-II	तदैव	तदैव	1296.50	92.30	3,13,400
3.	राजस्थान सामाजिक वानिकी प्रायोजना	तदैव	तदैव	391.90	25.20	1.20,800
4.	हिमाचल प्रदेश सामाजिक वानिकी प्रायोजना	तदैव	तदैव	572.90	36.60	1,12,833
5.	हरियाणा सामाजिक वानिकी प्रायोजना	5 वर्ष 1982-83 से 1986-87 (मार्च, 88 तक बढ़ाया गया)	विश्व बैंक/ डेनिडा	331.20 +75.00	16.90	67,000 +15,655

1	2	3	4	5	6	7
6.	जम्मू व कश्मीर सामाजिक वानिकी प्रायोजना	तदैव	तदैव	237.12 +71.50	13.80	44,000 +12,300
7.	कर्नाटक सामाजिक वानिकी प्रायोजना	5 वर्ष 1983-84 से 1987-88	विश्व बैंक/ ओ. डी. ए.	522.20	50.00	1,49,500
8.	केरल सामाजिक वानिकी प्रायोजना	6 वर्ष 1984-85 से 1989-90	विश्व बैंक/	599.20	31.80	85,300
9.	पश्चिम बंगाल सामाजिक वानिकी प्रायोजना	6 वर्ष 1981-82 से 1986-87 (मार्च, 88 तक बढ़ाया गया)	तदैव	348.55 +142.80	29.00	93,000 +24,150
10.	बिहार सामाजिक वानिकी प्रायोजना	6 वर्ष 1985-86 से 1990-91	सिडा	538.70	80 के. ई. के. मिलियन पहले तीन वर्ष के लिए	1,57,950 है० +20.5 मि. एस डी. एल.
11.	उड़ीसा सामाजिक वानिकी प्रायोजना	5 वर्ष 1983-84 से 1987-88	तदैव	281,70	135 एस. ई. के. मिलियन	58,000 है0 +51 मि.एस.डी.एल

12. तमिलनाडु सामाजिक वानिकी प्रायोजना	5 वर्ष 1981-82 से 1985-86 (मार्च, 88 तक बढ़ाया गया)	तदैव	591.38	263 एस. ई. के. मिलियन	1,42,405 है० +7925 के. एल. +170.33 एम. एस. डी. एल.
13. आंध्र प्रदेश सामाजिक वानिकी प्रायोजना*	5 वर्ष 1983-84 से 1987-88	सी.आई.डी.ए.	564.04	44.00 सी. डालर एम.	1,44,655 है० +15590.4 के. एम. +225.75 मि.एस.डी.एल.
14. महाराष्ट्र सामाजिक वानिकी प्रायोजना	8 वर्ष 1982-83 से 1989-90	यू. एस. एड.	564.00	30.00 यू. एस. डालर मि.	81,000 है०
		कुल योग :	8662.29	413.90 यू.एस.डालर मि. +478एस.ई.के.एम +44.00 सी. डालर एम.	16,83,898 है० +23,515.4 के० एम० +467.58एम.एस.डी.एल

*1989-90 तक परियोजना अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधित वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य।

[हिन्दी]

पर्यावरण का संरक्षण

2941. **श्री राजकुमार राय** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1987-88 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) क्या पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउररहमान अन्सारी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) गंगा कार्य योजना के तहत निधियों के उपयोग में काफी कमियां हैं। इस कमी के मुख्य कारण राज्यों द्वारा स्कीमों को प्रस्तुत करने में विलम्ब और अवसंरचना की अपर्याप्तता थी।

विवरण

बंटित धनराशि तथा पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा वनरोपण सहित पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित योजना कार्यक्रमों पर किया गया खर्च

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बंटित	खर्च किया गया
1985-86	84.70	66.18
1986-87	145.45	102.37

2. वर्ष 1987-88 के लिए बंटित धनराशि 164.20 करोड़ रुपए हैं।

[अनुवाद]

दूध तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट

2942. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध और दुग्ध उत्पादों तथा मसालों, दालों और फल उत्पादों आदि में मिलावट की प्रतिशतता 1986-87 में 14 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 के प्रथम चार महीनों में 21.6 प्रतिशत तक पहुंच गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या मिलावट को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या 41 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था और यदि हां, तो उनमें से कितने मामलों में दोष सिद्ध हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजधानी में खाद्य पदार्थों में मिलावट की कुल प्रतिशतता वर्ष 1987-88 के पहले चार महीनों के दौरान 1986-87 की लगभग 14 प्रतिशत से बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गई है।

वर्ष 1986-87 और 1987-88 के पहले चार महीनों का एक तुलनात्मक विवरण संलग्न (पृष्ठ 58) है।

(ख) दिल्ली प्रशासन का खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग नमूने एकत्र करने सम्बन्धी जोरदार अभियानों द्वारा मिलावट रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और मिलावट करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन मुकदमे चलाए जाते हैं।

(ग) 1987-88 के पहले चार महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा 41 मामलों में मुकदमे चलाए गए थे और उसी अवधि के दौरान 33 मामले दोषी पाए गए थे।

दूध में मिलावट

2943. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

डा० वी० वेंकटेश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के पहले चार महीनों में दिल्ली में दूध में सबसे अधिक मिलावट पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार राजधानी में दूध में मिलावट की प्रतिशतता, जो 1986-87 के दौरान 13.66 प्रतिशत थी, 1987-88 के पहले चार महीनों में बढ़ कर 17.03 प्रतिशत हो गई है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन नमूना उठाने के अभियानों को तेज करके मिलावट को रोकने के भरसक प्रयास कर रहा है और मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1986-87 के पूरे वर्ष में दूध के तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के 1070 नमूने उठाए गए थे जबकि वर्ष 1987-88 के पहले चार महीनों के दौरान उठाए गए नमूनों की संख्या 637 थी।

विवरण

वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के पहले चार महीनों के दौरान उठाए गए खाद्य वस्तुओं के नमूनों में पाई गई मिलावट का तुलनात्मक विवरण

क्रम सं०	वस्तु का नाम	1986-87			1987-88		
		उठाए गए नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए	मिलावट की प्रतिशतता	उठाए गए नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए	मिलावट की प्रतिशतता
1.	पेय	13	—	शून्य	45	05	14.28
2.	मसाले	173	21	12.13	174	52	29.88
3.	मीठे पदार्थ	103	05	4.85	27	09	33.33
4.	चाय/कॉफी	20	—	शून्य	09	02	22.22
5.	दूध और दुग्ध उत्पाद	344	47	13.66	182	31	17.03
6.	खाए जाने वाले तेल	90	06	6.66	89	03	3.33
7.	खाद्यान	191	23	12.04	86	15	17.44
8.	फल उत्पाद	26	03	11.53	03	01	33.33
9.	अन्य विविध	110	44	40	32	20	62.5
	कुल :	1070	149	13.92	637	138	21.6

अन्य महानगर परिवहन निगमों की कार्य-कुशलता की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम की कार्य-कुशलता

2944. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में "बेस्ट", हैदराबाद में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मद्रास, और बंगलौर में मद्रास राज्य सड़क परिवहन निगम जैसे परिवहन निगमों की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम में प्रति यात्री औसत दर बसों के बेड़े की उपयोग क्षमता, प्रति लीटर डीजल तेल की खपत से प्रत्येक बस की औसत मील रफ्तार आदि (संचालन आंकड़े) क्या हैं ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की कम कार्यकुशलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की कार्य-कुशलता बढ़ाने तथा उसके वाहनों के रख-रखाव में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1986-87 के लिए दिल्ली परिवहन निगम, बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग और पल्लवन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की नगर सेवाओं के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े नीचे की तालिका में दिए गए हैं :—

क्र० सं०	विवरण	दि० प० नि०	बेस्ट	पी० टी० सी०
1.	बस यात्रियों का औसत (प्रतिशत)	166.80	124.00	123.50
2.	बेड़े का उपयोग (प्रतिशत)	85.99	85.58	88.00
3.	डीजल खपत (प्रति लीटर कि० मी०)	3.59	2.94	3.49
4.	प्रति कि० मी० आय (पैसे)	318	596	506
5.	दुर्घटना दर (प्रति एक लाख कि० मी०)	1.67	6.79	3.30

हैदराबाद और बंगलूर में नगर सेवाओं के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) अन्य नगर परिवहन निगमों की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम का कार्य बेहतर है। प्रति कि० मी० आय में अन्तर बम्बई और मद्रास में प्रति कि० मी० यात्री भाड़ा अधिक होने के कारण है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम में कार्यकुशलता में सुधार लाने के कुछ उपाय जो अनवरत आधार पर किए जाते हैं, वे हैं—पुरानी बसों को बदलना, आधारभूत सुविधा प्रदान करना, विभिन्न कार्य निष्पादन मानदण्डों के लिए मानक और लक्ष्य निर्दिष्ट करना तथा बेड़े की जल्दी मरम्मत/अनुरक्षण।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के वास्तविक उत्पादन में कमी

2945. **श्री अमल दत्त :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र का वास्तविक उत्पादन 18 लाख टन की निर्धारित क्षमता से घटकर 11 लाख टन रह जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्पादन में कमी आने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख). जी, हां। राउरकेला इस्पात कारखाने में कम उत्पादन होने के सम्बन्ध में अध्ययन से पता चले मुख्य कारण ये हैं :—

(i) उपस्कर तथा संयंत्र के डिजाइन में निहित अवरोध ;

(ii) कच्चे माल की गुणवत्ता के गिरावट ; और

(iii) उपस्करों के पुराने पड़ने तथा उनका प्रौद्योगिकीय अप्रचलन होने के कारण, उपस्करों की क्रमिक रूप से गिरती हुई उपलब्धता तथा उनका कम उपयोग।

(ग) उपर्युक्त कारणों के जटिल तथा विविध स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक उत्पादन के निर्धारित क्षमता से कम होने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की जा सकती।

सफदरजंग अस्पताल की तरह के नए अस्पताल का निर्माण

2946. **डा० के० एन० रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पश्चिम दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल की तरह के एक नए अस्पताल का निर्माण करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली प्रशासन का पश्चिमी दिल्ली में निम्नलिखित अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है :—

(1) हरी नगर में 500 पलंग वाला दीनदयाल उपाध्यक्ष अस्पताल।

(2) मंगोलपुरी में 100 पलंगों वाला संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल।

(3) जाफरपुर में 100 पलंगों वाला अस्पताल।

उपर्युक्त अस्पतालों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल गाड़ियों में दिए जाने वाले भोजन की किस्म की जांच करने के लिए अचानक निरीक्षण

2947. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेल गाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन लिए जाने वाले उसके मूल्य की तुलना में काफी घटिया किस्म का होता है ;

(ख) क्या केरल एक्सप्रेस में दिए जाने वाले मध्याह्न/रात्रि भोजन के पैकेटों की किस्म के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ;

(घ) क्या रेलवे अधिकारियों ने रेल गाड़ियों में दिए जाने वाले भोजन की किस्म की जांच करने के लिए अचानक निरीक्षण किए थे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इन निरीक्षकों के निष्कर्ष क्या थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। अनेक गाड़ियों में किए गए व्यापक मतसंग्रह से पता चलता है कि अधिकांश यात्रियों ने भोजन की गुणवत्ता को अच्छा पाया है।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ). भोजन की गुणवत्ता तथा सेवा की किस्म की जांच करने के लिए रेलों के निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षणों के दौरान नोटिस में आई त्रुटियों में खाना गर्म न होने, खाने की गुणवत्ता निर्धारित स्तर की न होने, बेयरों द्वारा वर्दी न पहनने, सेवा में विलम्ब, बिल न देने जैसी कुछ घटनाएं शामिल हैं। इन निरीक्षणों के फलस्वरूप पाई गई त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध निवारक तथा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। खान-पान व्यवस्था में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में बेहतर किस्म की कच्ची सामग्री का उपयोग, आधार रसोईघरों का आधुनिकीकरण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई, इस्तेमाल के बाद फेंकने योग्य कंटेनरों का इस्तेमाल आदि शामिल हैं।

अध्यापकों के लिए अध्यापन घंटे

2948. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अध्यापकों से कुशल और प्रभावी सेवा लेने की दृष्टि से दिल्ली में सरकारी स्कूलों और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन घंटों की अधिकतम संख्या प्रति अध्यापक प्रति सप्ताह 28 और 32 अध्यापन घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित करने का कभी कोई निर्णय लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस निर्णय के कब तक कार्यान्वित करने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सिद्धांत रूप में लिया गया निर्णय, सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सड़क-निर्माण में सहायता और बसों के लिए श्रीलंका द्वारा निवेदन

2949. **श्री जी० एस० बसवराजू :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने भारत से 2500 बसें सप्लाई करने का निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ग) क्या श्रीलंका की सरकार ने सड़कों के निर्माण में भी सहायता देने के लिए अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत इस सम्बन्ध में श्रीलंका को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल कम्पनियों द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलेंडर स्वीकार करना

2950. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के लिए निर्मित विशेष इस्पात को स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, वर्ष 1987 के मार्च के दौरान कुछ सिलेंडर निर्माताओं ने "सेल" के ध्यान में यह बात लायी थी कि कुछ उष्मा की गर्म बेलित चादरों में सिलेंडरों का निर्माण करते समय अत्यधिक चटक आ गयी है। इसको अधिक सावधानी का मामला मानते हुए स्वयं "सेल" ने सिलेंडर निर्माताओं के पास उपलब्ध इन चादरों को वापस लेने का निर्णय लिया।

(ग) "सेल" के तकनीकी विशेषज्ञों ने एल० पी० जी० इस्पात की चादरों के उत्पादन में सम्मिलित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है। असफलताओं की सम्भावनाओं को कम करने के लिए कड़सी प्रक्रिया नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को भी अपनाया गया है।

पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों द्वारा बांग्लादेश में हैजारोधी औषध का मौके पर परीक्षण

2951. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक मनुष्यों पर चिकित्सा-अनुसंधान के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करने वाली हेलसिंकी-घोषणा के उपबन्धों का उल्लंघन करके बांगलादेश में व्यापक पैमाने पर हैजारोधी औषध का परीक्षण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य होने के नाते सरकार का इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बात-चीत करने का विचार है जिसने इस सम्पूर्ण अनुसंधान का प्रयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में स्वैच्छिक मानवों पर हैजा-रोधी औषध और वैक्सीनों के व्यापार परीक्षण, जानवरों पर परीक्षण पूरे कर लिए जाने के बाद किए गए थे। यह एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। इससे "हैल्सिंकी घोषणा" के उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता है जिसमें मानवों पर चिकित्सा अनुसंधान के दिशानिर्देश हैं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली-सीतापुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का देरी से चलना

2952. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और सीतापुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी सीतापुर और दिल्ली अक्सर विलम्ब से पहुंचती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी के विलम्ब से चलने में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) हालांकि दिल्ली और सीतापुर सिटी के बीच एक्सप्रेस गाड़ी समय पर चलती है लेकिन, मुख्यतः शरारती तत्वों द्वारा खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण सीतापुर और दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रैस गाड़ी अपने मंतव्य स्टेशन पर कभी-कभी विलम्ब से पहुंचती है।

(ख) इसके चालन समय पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा

2953. श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री के० प्रधानी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चालू योजनावधि के दौरान सभी ऐसे स्थानों पर जहां विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा योजना अभी नहीं चल रही है, इस शिक्षा योजना का विस्तार करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान इस योजना पर कितना व्यय किया गया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). चालू योजना अवधि के दौरान विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजति योजना के कार्य क्षेत्र का नियमिति रूप से विस्तार करने का सरकार का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यवाही योजना को ध्यान रखते हुए इस योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे योजना के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट खण्डों का चुनाव करें और बिखरे हुए स्कूलों में योजना को कार्यान्वित करने के बजाए, वहां स्कूलों में सभी अनिवार्य निवेश की व्यवस्था करें। योजना की क्रियान्वयन की गति तेज करने के लिए स्वैच्छिक/स्वायत्त संगठनों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) 1985-86	45.00 लाख रुपये
1986-87	170.77 लाख रुपए

दुर्राह और सुकेत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर धीमा कार्य

2954. श्री कुमार सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कोटा-झालवाड़ क्षेत्र में दुर्राह और सुकेत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर धीमी गति से और घटिया कार्य करने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : इस सड़क खण्ड पर निर्माण कार्यों की प्रगति पर, जो विशिष्टियों के अनुसार किए जा रहे हैं, 1987 के दौरान भारी वर्षा के कारण असर पड़ा है ?

[हिन्दी]

डाक्टरों, अध्यापकों और प्रोफेसरों के सेवा निवृत्ति होने की आयु

2955. **श्री सरफराज अहमद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथी डाक्टरों के सेवा निवृत्ति होने की आयु 58 वर्ष है जबकि अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है ;

(ख) क्या उम्र के साथ-साथ डाक्टरों के अनुभव भी बढ़ते जाते हैं और वे राष्ट्र के लिए और अधिक उपयोग हो जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डाक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, हड़ताली डाक्टरों के लिए घोषित किए गए एक मुश्त सामले में यह बताया गया था कि सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सम्बन्धी सामान्य नीति के सन्दर्भ में विचार किया जायेगा। फिलहाल सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डिप्थीरिया, टिटनस आदि के टीकों का मूल्य नियन्त्रण

2956. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

श्री राज कुमार राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग प्रतिरक्षण के लिए डिप्थिरिया, टिटनस, पर्टुसिस और ट्रिपल एंटिजन की आवश्यकता होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त रोगों के टीकों का देश में उत्पादन होता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आयात नहीं किया गया है ;

(ग) इन टीकों की खरीद के लिए कितना वार्षिक आवंटन किया गया है ;

(घ) क्या सरकार ने श्रेणी-1 के अन्तर्गत इन टीकों का मूल्य नियन्त्रण रखने के लिए अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। देश इन वैक्सीनों के स्वदेशी उत्पादन मे आत्म निर्भर है। तथापि, यूनिसेफ ने इस कार्यक्रम के लिए 1984-85 में डी० पी० टी० की 75 लाख खुराकें और डी० टी० वैक्सीन की 50 लाख खुराकों का आयात किया।

(ग) इन वैक्सीनों की खरीद के लिए वार्षिक आवंटन नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपए)

	1984-85	1985-86	1986-87
डी० पी० टी०	266.43	314.64	323.03
डी० टी०	100.55	94.16	70.04
टी० टी०	78.39	100.44	81.40

(घ) और (ङ). चूंकि सीरा और वैक्सीनों की उपलब्धता उनकी कीमत से अधिक महत्व रखती है इसलिए इन्हें मूल्य नियन्त्रण की दृष्टि से श्रेणी-I में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि मूल्य नियन्त्रण से वैक्सीनों की भारी कमी हो गई है।

बंगलौर और हावड़ा के बीच एक दैनिक रेल सेवा चलाना

2957. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और हावड़ा के बीच कोई दैनिक रेल सेवा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या बंगलौर से हावड़ा के बीच रेल सेवा के लिए भारी मांग को देखते हुए क्या बंगलौर और हावड़ा के बीच कोई दैनिक रेल सेवा चलाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। बेंगलूर और हावड़ा के बीच दो थ्रू सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं। इसके अलावा इच्छुक यात्री जोल्लारपेट्टै/मद्रास में एक बार गाड़ी बदलकर यात्रा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कस्तूरी मृगों का अभयारण्य

2958. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के धर्मघर और पिथौरागढ़ जिले में कस्तूरी मृगों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). कस्तूरी मृग सहित स्थानीय प्राणिजात की सुरक्षा एवं प्रवर्धन के लिए पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में एक वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनाएं

2959. **डा० वत्सा सामंत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के सम्बन्ध में कितनी अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की हैं ;

(ख) तत्सम्बन्धी अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इन अनुसंधान परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :

	संख्या	परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
1. चल रही परियोजनाएं	345	19.16
2. पूरी की गई परियोजनाएं	292	8.80
3. परियोजनाओं की कुल संख्या (चल रही + पूर्ण की गई)	637	27.96

(ग) अनुसंधान परियोजनाएं पर्यावरणीय सुरक्षा के बहु-विषयक पहलुओं से सम्बन्धित हैं ताकि सतत संसाधन प्रबन्ध तथा पर्यावरणीय अनुसंधान आयोजित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनाएं तैयार की जा सकें। परियोजना के विषय क्षेत्रों में भूमि उपयोग, वनस्पति-जात, प्राणिजात, स्वास्थ्य, विषविज्ञान, वायु, जल और भूमि प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए प्रबोधन, नृजाति विज्ञान, संकटापन्न पौध और पशु प्रजातियां, बीजजैविकी, ऊतक संवर्धन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन शामिल हैं। इन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय सहायता देकर अनुसंधान और जनशक्ति के लिए सुविधाएं बढ़ाकर कार्यान्वित किया जाता है। इन परियोजनाओं की प्रगति विभिन्न तन्त्रों जैसे पुनरीक्षण बैठकों/कार्यशालाओं, वार्षिक प्रगति रिपोर्टों और विशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षण करके प्रबोधन किया जाता है। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के निष्कर्षों से उपयोगकर्ता एजेंसियों को कार्यान्वयन के लिए सूचित किया जाता है।

राजस्थान में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

2960. **श्री विष्णु मोदी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में खुदाई का कोई कार्य चलाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, नहीं. तथापि चालू सत्र (1987-88) के दौरान राज्य निदेशालय, पुरातत्व और संग्रहालय, राजस्थान को गणेश्वर, जिला सीकर, राजस्थान में खुदाई पुन: आरम्भ करने की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है।

तम्बाकू के प्रयोग के विरुद्ध अभियान के लिए राशि आवंटन

2961. **श्री सुभाष यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी प्रकार के तम्बाकू के प्रयोग के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाने के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाने के लिए धन का कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, लोगों में तम्बाकू से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सिनेमा स्लाइडों, जन प्रचार के माध्यमों और पैम्फलेटों के जरिए एक व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाया गया है। भारत सरकार ने पहले एक वृत्त चित्र तैयार किया था जिसमें धूम्रपान और चबाए जाने वाले तम्बाकू के खतरों और उनसे होने वाले मुंह के कैंसर के बारे में जानकारी दी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2962. **श्री राम श्रेष्ठ खिरहर** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की तुरन्त मरम्मत कराए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक मरम्मत कराई जाएगी और अभी तक इसके लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत शुरू करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) तात्कालिक स्वरूप की मरम्मतों के इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है। सुधार सम्बन्धी स्थायी उपायों के तीन वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अब तक बिहार सरकार को 647.58 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इस सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

महिला दल द्वारा 'व्हाइट नीडल पीक' पर आरोहण

2963. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महिलाओं के कुछ दलों ने 'व्हाइट नीडल पीक' का आरोहण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय पर्वतारोहण संघ का इन अभियानों में भाग लेने के लिए अधिक संख्या में देश की महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ और कार्यक्रम तैयार करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी नसीम अख्तर, महासचिव, युवा एडवेन्चरस फोरम, गुवाहाटी के नेतृत्व में एक दल ने सितम्बर, 1987 के दौरान कश्मीर हिमालय में व्हाइट नीडल पीक (6500 मीटर) पर चढ़ाई की थी। दल में 10 महिलायें, 2 पुरुष प्रशिक्षक, एक डाक्टर, 4 सहायता करने वाले सदस्य और एक टेलिविजन कैमरा सदस्य शामिल थे।

(ग) से (ङ). भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान वार्षिक शरदकालीन शिविर और पर्वत आरोहण प्रतियोगिताएं आयोजित करता है जिसमें लड़कियों द्वारा भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खान-पान सम्बन्धी प्रबन्ध

2964. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर ताजी पूरी/सब्जी ट्रालियों के स्थान पर भारत पर्यटन विकास निगम के परामर्श से अच्छी किस्म के स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट अल्पाहार देना प्रारम्भ किए जाने के नाम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ में कमी आई है ;

(ख) कितने स्टाल हटाए गए और कैसेरोल में पूरियां बेचने के लिए कितने कमीशन वेंडर नियुक्त किए गए ; और

(ग) कैसेरोल में खाद्य पदार्थ देने के कारण यदि किसी धनराशि का घाटा हुआ है, तो वह कितना है और ताजी पूरी/सब्जी की ट्रांलियां हटाए जाने के कारण कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्लेटफार्म से कोई स्टाल नहीं हटाया गया है, लेकिन कुछ स्टालों का आकार कम किया गया है और कुछ स्टालों का स्थान बदला गया है। किसी अतिरिक्त कमीशन वेंडर की नियुक्ति नहीं की गयी है लेकिन 3 मौजूदा कमीशन वेंडरों से कैसेरोल्स में पूड़ियां बेचने का काम लिया गया है।

(ग) लाभ-हानि का लेखा यूनिट-वार रखा जाता है, प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग नहीं। नयी दिल्ली की खान-पान यूनिट लाभ कमा रही है।

सिन्धी विकास बोर्ड

2965. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्धी भाषा और साहित्य के विकास के लिए उर्दू विकास बोर्ड की तरह का एक सिन्धी विकास बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). सिन्धी भाषा और साहित्य के विकास के लिए तरक्की उर्दू बोर्ड की रूपरेखाओं पर सिन्धी विकास बोर्ड बनाने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में खानों को पट्टे पर देना

2966. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरिजनों और आदिवासी लोगों का जीवन स्तर उठाने की दृष्टि से उन क्षेत्रों में खानों को जहां ये लोग अधिसंख्य हैं, पट्टे पर देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). नये क्षेत्रों में खनन करना क्षेत्र में खनिज क्षमता सहित विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। वर्तमान कानून के अनुसार, सरकारी क्षेत्र में खनन के लिए आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र पर खनन पट्टे हेतु कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है और पट्टा अनुदान सामान्यत: आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। हरिजन और आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में पट्टा अनुदान को प्राथमिकता दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कुम्बालंगी-पेरुम्पादाप्पु सेतु के लिए दी गई धनराशि

2967. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन में कुम्बालंगी-पेरुम्पादाप्पु सेतु के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (आवंटन) से अब तक सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां कार्यवार नहीं जारी की जाती बल्कि राज्य सरकार को एक मुस्त जारी की जाती है जिसमें उनकी संभूतियों के आधार पर राज्य के लिए अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, मौजूदा चालू संस्वीकृतियों की बकाया राशि में से जारी की गई राशि, राज्य सरकार द्वारा परिलक्षित निधियों की आवश्यकता और बजट में निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। कोचीन में कुम्बालंगी-पेरुम्पादाप्पु पुल के निर्माण का कार्य मूलत: जनवरी, 1981 में 80.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में जून, 1984 में संशोधित किया गया और यह लागत 148.50 लाख रु० हो गई जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि (आवंटन) खाते से 120.00 लाख रुपए शामिल हैं। तथापि, इस पुल के तकनीकी दृष्टि से संस्वीकृत निर्माण-कार्य के ब्यौरे उस पर हुए खर्च को आडिट से प्राधिकृत कराने के लिए राज्य सरकार से अभी प्रतीक्षित हैं। इस निधि से 1981-82 से 1986-87 तक केरल राज्य सरकार को जारी की गई राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपए)
1981-82	39.40
1982-83	33.73
1983-84	82.83
1984-85	110.00
1985-86	80.00
1986-87	शून्य

[हिन्दी]

इन्द्रावती नदी के पुल तक पहुंच मार्ग का निर्माण

2968. **श्री मानकूराम सोडी :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में जगदलपुर के निकट इन्द्रावती नदी के पुल तक के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) इस पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ठेकेदार द्वारा विलम्ब किए जाने और करार के अनुसार निर्माण कार्य पूरा न करने के लिए कोई विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). अब इन्द्रावती पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तथापि वन भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयों और संविदा सम्बन्धी समस्याओं के कारण पहुंच मार्गों के कार्य में रुकावट आई है। ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया गया है और राज्य का लोक निर्माण विभाग इस कार्य को विभागीय तौर पर ही मार्च, 1988 तक पूरा करना चाहता है। करार की शर्तों के अनुसार दोषी ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

"निरोग के नाम पर हो रहा मौत का आयात" शीर्षक से समाचार

2969. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1987 के "जलते दीप" में "निरोग के नाम पर हो रहा है मौत का आयात" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका से एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत रोगी के शरीर में नुकीली सुईयों से लगाए जाने वाले टीकों का आयात किया जाना है ;

(ग) क्या अमेरिका के वैज्ञानिकों को स्वयं ही इन टीकों की सफलता पर सन्देह है, क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना कोई निश्चित मत नहीं बनाया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समझौता करने से पहले इस पहलू पर विचार किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). भारत सरकार ने "निरोग के नाम पर हो रहा है मौत का आयात" नामक कोई समाचार नहीं देखा है। लेकिन, भारत सरकार ने अमेरिका सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वैक्सीन एक्शन कार्यक्रम के वैचारिक ढांचे की रूपरेखा दी गई है। इस कार्यक्रम में वर्तमान प्रौद्योगिकी का विकास करने तथा भारत में बड़े पैमाने पर मौजूद संचारी रोगों के विरुद्ध तथा देश के हित में अनेक वैक्सीनों के सम्बन्ध में नई प्रौद्योगिकियां तैयार करने की बात कही गई है।

(ग) से (ङ). अमेरिका सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए भारत सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया था। भारत में जनस्वास्थ्य के प्रमुख रोगों के वैक्सीन ही चुने जाएंगे। इनका चुनाव भी प्रयोगशाला परीक्षणों में कारगर पाए गए तथा विपरीत प्रभाव न होने के प्रमाणों पर निर्भर करेगा। इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व शामिल की जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक वैक्सीन की भारतीय विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक छानबीन की जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में वनों का तेजी से कम होना

2970. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में वन तेजी से कम हो रहे हैं और यदि वनों को वर्तमान दर से काटा जाता रहेगा तो इस शताब्दी के अन्त तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र ही 'सघन वन' के अन्तर्गत रह पाएगा ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को क्या सहयोग दिया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उपग्रह बिम्बावली का उपयोग कर राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन अभिकरण के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1972-75 से 1980-82 की अवधि के दौरान उड़ीसा में 8958 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की क्षति हुई थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.8 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1981-82 की अवधि में 'सघन वन' और 'खुले वन' राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के क्रमशः 18.3 और 15.6 प्रतिशत थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"इल्मेनाइट प्लेसर" भण्डार

2971. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1945 से इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के कोंकण समुद्र-तट के साथ "इल्मेनाइट प्लेसर" के भण्डार विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण समुद्र-तट के जयगढ़-विजयदुर्ग क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय सागर-विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से इल्मेनाइट के विशाल भण्डार का पता लगा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भू-वेधन-छिद्रों का छिद्रण करके भण्डारों का पता लगाने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(घ) इन भण्डारों का किस वर्ष तक वाणिज्यिक विदोहन किए जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की क्या योजनाएं हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माल भाड़े से राजस्व की प्राप्ति

2972. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल-सितम्बर, 1987 के दौरान माल भाड़े से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : अप्रैल से सितम्बर, 1987 की अवधि के दौरान माल यातायात से हुई कुल आमदनी 291.63 करोड़ रु० है।

चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

2973. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये सिफारिशें किस तारीख से कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 (चट्टोपाध्याय आयोग) ने 26-3-1985 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के उद्देश्य से 16-10-1985 को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति को नियुक्त किया। इसी बीच सरकार ने नई शिक्षा नीति को बनाना शुरू किया। चूंकि आयोग द्वारा विचार किए मुख्य मुद्दे भी नई शिक्षा नीति में विचाराधीन थे अतः सिफारिशों की जांच करने को रोक दिया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 की सिफारिशों और उस पर अधिकार प्राप्त समिति के दृष्टिकोणों और जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निहित अभिधारणाओं के अनुसार सरकार ने संघ-शासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यरत स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 की सिफारिशों को इस मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्यवाही योजना में भी शामिल कर दिया गया है जिसे विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार अधिकाधिक 56 सिफारिशों पर पहले से ही कार्रवाई कर ली गई है। शेष सिफारिशों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त समिति जिसका अब गठन हो चुका है, उनकी जांच कर रही है। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

बन्दी अवस्था में ऊदबिलावों का प्रजनन

2974. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक वन विभाग द्वारा बन्दी अवस्था में ऊदबिलावों के प्रजनन सम्बन्धी कोई

कार्यक्रम शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है ; और

(घ) यह कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहा है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में ऊदबिलावों की जंगल में पुनः बसाने के प्रयोजन से इनकी दो प्रजातियों का बन्दी प्रजनन करना शामिल है।

(ग) केन्द्र सरकार ने कर्नाटक को इस कार्यक्रम हेतु 2,37,500 रुपया प्रदान किया है।

(घ) इस कार्यक्रम को 1986-87 में शुरू किया गया था और बन्दी प्रजनन के लिए अवसंरचना को उन्नत् किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सफेदा के वृक्षों के बुरे प्रभाव

2975. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अत्यधिक मात्रा में लगे सफेदा के वृक्षों के समीप वाले क्षेत्रों में सूखे का बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है अथवा कराने का विचार है ; और

(ग) लगाए गए सफेदा के वृक्षों के आसपास के क्षेत्रों और वनस्पति पर सूखे के प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बड़े पैमाने पर सफेदे की पौधरोपण वाले क्षेत्र के निकट स्थित भूमि अन्य भूमि की तुलना में सूखे से अधिक प्रभावित होती है, इसका कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है।

(ख) सफेदे की जल की आवश्यकताएं और मिट्टी की नमी और भूमिगत जल के तल पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इनमें से कुछ जारी हैं।

(ग) सरकार ने स्थानीय लोगों के परामर्श से प्रजातियों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिनमें एक ही किस्म की प्रजातियों की पौधरोपण पर प्रतिबन्ध लगाना, मिश्रित देशी प्रजातियों की पौधरोपण को प्राथमिकता देना और पौधरोपण के लिए छोटे-छोटे भू-खण्डों को छोड़कर प्राकृतिक वनों को न काटना शामिल हैं।

[अनुवाद]

तिब्बत से भारत में "कियांग" का आना

2976. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के चैंगलांग क्षेत्र में "कियांग" तिब्बत के जंगली गधों की संख्या इनके सीमा पार तिब्बत से बड़ी संख्या में आने से, तथा हमारे क्षेत्र में पशुओं को दी जाने वाली सुरक्षा के कारण कई गुना बढ़ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पशु की संख्या में वृद्धि और उनकी खाने की आदत से चारागाह क्षेत्र, झाड़ियां समाप्त हो गई हैं जिससे हमारे पालतू पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो पर्यावरण तथा सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पालतू पशुओं की सुरक्षा करने के लिए सरकार का "कियांग" की संख्या में हो रही गुणात्मक वृद्धि को रोकने तथा उनके हमारे देश में आने पर नियन्त्रण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चूंकि, "कियांग" अथवा तिब्बती जंगली गधे की संख्या का कोई प्रबोधन नहीं किया गया है, यह प्रमाणित करना सम्भव नहीं है कि क्या चैंगथांग में इस प्रजाति का बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ है अथवा नहीं।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार के अनुसार, यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कियांग की संख्या में वृद्धि होने के कारण चराई भूमि अवक्रमित हो गए हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार की बाढ़ से रेलवे लाइनों को क्षति

2977. **श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे को दानापुर डिवीजन में बख्तियारपुर-राजगीर रेलवे लाइन पर बाढ़ से हुई क्षति के कारण रेलगाड़ियों का आना जाना स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप दैनिक यात्रियों, राजगिरहा, नालंदा, पावापुरी और बिहार शरीफ जाने वाले तीर्थ यात्रियों तथा अन्य पर्यटकों को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो समकार क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों पर मरम्मत कार्य कब तक शुरू करेगी और वहां रेलगाड़ियों का आना जाना कब तक शुरू हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) कुछ असुविधा अपरिहार्य है।

(ग) पूर्व रेलवे द्वारा पुनर्स्थापन कार्य शुरू कर दिया गया है और 31-1-1988 तक पूरा होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों आदि की नियुक्ति के बारे में नीति

2978. **श्री राम भगत पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उप कुलपति/रेक्टर/प्रति-उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समान नीति है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क)(i) दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (शिलांग), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और हैदराबाद विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा एक समिति द्वारा अनुशंसित कम से कम 3 नामों के एक पेनल से की जाती है जिसमें विजिटर का एक नामित व्यक्ति और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद/प्रबन्ध बोर्ड के दो नामित व्यक्ति होते हैं।

(ii) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में, कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा 5 व्यक्तियों के एक पेनल से, जिसकी कार्यकारी परिषद, द्वारा सिफारिश की जाती है, कोर्ट द्वारा अनुशंसित कम से कम 3 व्यक्तियों के एक पेनल से की जाती है।

(iii) विश्वभारती के मामले में, कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा एक समिति द्वारा अनुशसित कम से कम तीन व्यक्तियों के एक पेनल से करता है, जिसमें कोर्ट का एक नामित व्यक्ति कर्मचारी परिषद का एक नामित व्यक्ति और विजिटर का एक नामित व्यक्ति होता है।

(iv) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति की नियुक्ति विजिटर इस उद्देश्य के लिए अपने द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है।

(v) पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा इसके अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अन्तर्गत पांच-वर्षों की अवधि के लिए की गई है।

किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समकुलपति/रेक्टर की नियुक्ति विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद/प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। विश्वभारती के मामले में, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल विश्वविद्यालय का रेक्टर है।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उपर्युक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक समान नीति अपनाई जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण भारत के अधिक लोगों में मधुमेह रोग होना

2979. **श्री आर० एम० भोये :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्य भागों की तुलना में दक्षिण भारत के लोगों को मधुमेह रोग होने की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं ;

(ख) क्या मद्रास के जनरल अस्पताल में इन्सुलिन से उपचार किया जाने वाले मधुमेह रोग कहे जाने वाले एक अन्य किस्म के मधुमेह रोग का जो कि इन्सुलिन पर ही निर्भर है मधुमेह रोग और इन्सुलिन के बिना उपचार किए जा सकने वाले मधुमेह रोग से भिन्न है, का पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश के अन्य भागों की तुलना में दक्षिणी भारत में मधुमेह रोग के प्रकोप में कोई विशेष अन्तर है, यह दर्शाने के लिए कोई पक्के आंकड़े नहीं हैं।

(ख) इस तरह का मधुमेह देश के अनेक भागों में बताया गया है, लेकिन इसके लिए भिन्न-भिन्न नामों का प्रयोग किया गया है।

(ग) और (घ). अध्ययन शुरू किए गए हैं। उड़ीसा से प्राप्त हुई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 30 वर्ष से कम आयु में कुपोषण से सम्बन्धित मधुमेह रोग कुल दो/तिहाई रोगियों में है जिनमें प्रोटीन की कमी वाला मधुमेह रोग अधिक है।

हिमसागर एक्सप्रेस रेल गाड़ी का रद्द किया जाना

2980. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हिमसागर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को, जो कश्मीर से कन्या कुमारी तक चलती थी, रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख). जी हां। यह गाड़ी अपर्याप्त यू यातायात और नई दिल्ली केरल एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर प्रतिदिन चलाए जाने के कारण रद्द कर दी गई है।

आगरा-झांसी और मालवा एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना

2981. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर हो कर जाने वाली आगरा-झांसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सदैव अत्यधिक भीड़ रहती है ;

(ख) क्या आगरा के यात्रियों ने इस रेलगाड़ी तथा मालवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने की मांग की है ;

(ग) क्या मुरैना से कुछ दूर दतिया में रेलगाड़ी के विशेष रूप से रुकने के सम्बन्ध में भी मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 11 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां सुविधाजनक समयों पर आगरा को झांसी से जोड़ती हैं। तथापि, आगरा-झांसी एक्सप्रेस नाम की कोई गाड़ी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). मालवा एक्सप्रेस और 7 अन्य गाड़ियों के दतिया स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था की गयी है।

असम से आरम्भ होने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाना

2982. **श्री मानिक साग्याल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के विभिन्न भागों से आरम्भ होकर हावड़ा, नई दिल्ली, बम्बई, त्रिवेन्द्रम और लखनऊ आदि स्थानों को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां जो उत्तर बंगाल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से होकर जाती हैं, में आरक्षण-कोटा बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उत्तर बंगाल की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अर्थात् उत्तर-पूर्वी राज्यों, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, बिहार के भाग, आदि से यात्रियों की मांग नमूना के आधार पर असम से प्रारम्भ होने वाली भिन्न-भिन्न गाड़ियों में मौजूदा आरक्षण कोटे का वितरण किया गया है। फिलहाल, इन कोटों में समायोजन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी योजना

2983. **श्री ए० जे० बी० बी० महेश्वर राव** :

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता को 100 रुपए का भुगतान करके सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह योजना उचित प्रकार से कार्यान्वित नहीं की जा रही है, क्योंकि कार्यकर्त्ताओं को नियमित रूप से औषधियों की सप्लाई नहीं की जाती है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने कार्यकर्त्ता कार्य कर रहे हैं और सरकार का

योजना के कार्यकरण में सुधार होने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइड, जिन्हें पहले जन स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता था, को 50 रुपए प्रतिमास का मानदेय मिल रहा है।

(ख) सामान्यत: स्वास्थ्य परिचर्या के निवारक एवं संवर्धनात्मक पहलुओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, यदि नियमित रूप से दवाइयां सप्लाई न की जाएं तो छोटी-मोटी बीमारियों/चोटों पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) देश में कार्य कर रहे स्वास्थ्य गाइडों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वास्थ्य गाइड संघों द्वारा दायर की गई रिट याचिका के न्यायालयों द्वारा रद्द किए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

देश में कार्य कर रहे राज्यवार स्वास्थ्य गाइडों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	34822
असम	10192
बिहार	12180
गोवा	458
गुजरात	288
हरियाणा	9512
हिमाचल प्रदेश	4328
कर्नाटक	14673
मध्य प्रदेश	31739
महाराष्ट्र	43154
मणिपुर	1718
नागालैंड	348
उड़ीसा	22495
पंजाब	11931
राजस्थान	184
सिक्किम	273
त्रिपुरा	1897

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		संख्या
उत्तर प्रदेश		82855
पश्चिम बंगाल		41233
	कुल योग :	324280

वर्ष 1986-87 के दौरान जांच के लिए एकत्र किए गए औषधियों के नमूने

2984. **श्री तारिक अनवर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान औषध निरीक्षक द्वारा औषधियों की जांच के लिए कितने नमूने एकत्र किए गए ;

(ख) इनमें से कितने नमूने परीक्षण हेतु केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला को भेजे गए ;

(ग) इनमें से कितनी जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) इनमें से कितने नमूने घटिया पाए गए थे ;

(ङ) दोषी निर्माता कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और

(च) क्या केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में सम्पूर्ण परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (च). वर्ष 1986-87 के दौरान उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच के लिए 28382 नमूने लिए गए थे जिनमें से 4066 नमूने घटिया किस्म के बताए गए थे। 1986-87 के दौरान 1011 मामलों में मुकदमे चलाए गए थे शेष मामलों में फर्म के लाइसेंस रद्द करना/उन्हें निलम्बित करना, बाजार के औषधों के बैचों को हटाना आदि जैसी विभागीय कार्रवाईयां की गई थीं। 664 मुकदमों का फैसला किया गया जिनमें 428 मामले दोषी पाए गए और 236 मामलों को दोषमुक्त पाया गया था।

केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक योजना प्रस्ताव तैयार किया गया है।

रेलवे स्टेशनों के पूछताछ कार्यालयों में टेलीफोन

2985. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और और अन्य बड़े स्टेशनों पर सामान्य पूछताछ और रेल आरक्षण के बारे में पूछताछ करने के लिए केवल एक टेलीफोन है, जो प्रायः व्यस्त रहता है और इसके परिणामस्वरूप जनता को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी आदि नगरों में मुख्य रेलवे स्टेशनों पर सामान्य पूछताछ कार्यालयों तथा आरक्षण सम्बन्धी पूछताछ कार्यालयों दोनों में अधिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). जी नहीं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और वाराणसी स्टेशनों के सामान्य पूछताछ कार्यालय और आरक्षण पूछताछ कार्यालय में, प्रत्येक में एक से अधिक डाक-तार विभाग के टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। फिलहाल टेलीफोनों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है।

रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए सुविधाएं

2986. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों में यात्रियों को दी जाने वाली यात्री सुविधाओं के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों में दी जाने वाली ऐसी सुविधाओं में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो किन मानदण्डों के आधार पर यह अन्तर रखा जाता है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). यात्री सुविधाओं के मानक का सम्बन्ध उपनगरीय, कम दूरी, लम्बी दूरी आदि जैसी विभिन्न किस्म की यात्राओं की आवश्यकताओं से है।

लकड़ी के स्थान पर अल्यूमीनियम का उपयोग

2987. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय अल्यूमीनियम संघ ने यह अध्ययन किया है कि घरों में दरवाजों और खिड़कियों के लिए लकड़ी के स्थान पर अल्यूमीनियम का उपयोग करके विशाल वन क्षेत्रों को बचाया जा सकता है और यह भी बताया कि प्रतिवर्ष एक लाख वृक्षों को बचाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को लकड़ी के स्थान पर एल्यूमीनियम के प्रतिस्थापन के बारे में भारतीय एल्यूमीनियम एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के अनुसंधान सहायकों एवं सहायक अनुसंधान अधिकारियों के वेतनमानों में असमानता

2988. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के अनुसंधान सहायकों एवं सहायक

अनुसंधान अधिकारियों (आयुर्वेद) को क्रमशः 1400-2300 रुपए तथा 2000-3500 रुपए के वेतमान दिए गए हैं ;

(ख) क्या चतुर्थ वेतन आयोग ने आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों के सभी स्नातकों को 2200-4000 रुपये का समान वेतनमान देने की सिफारिश की है जैसा कि एम० बी० बी० एस० के मामले में किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य के बावजूद कि आयुर्वेद में इन पदों पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद में अनुसंधान सहायकों एवं सहायक अनुसंधानअधिकारियों (आयुर्वेद) को वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में न रखने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में यदि आयुर्वेद सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के पदधारी डिग्री वाले हों तो संशोधन पूर्व 650-1200 रुपये के वेतनमान के भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पदों/होम्योपैथी के चिकित्सकों को 2200-4000 रुपये का संशोधित वेतनमान दे दिया जाए।

(ग) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद में कार्य कर रहे अनुसंधान सहायकों एवं सहायक अनुसंधान अधिकारियों (आयुर्वेद) को इन वेतनमानों में इन श्रेणियों के पदों के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार संशोधित वेतनमान दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम रेलवे में छोटी लाइन (नैरोगेज) में चलने वाली रेलगाड़ियों का फिर से चलाया जाना

2989. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पश्चिम रेलवे में उन नैरो गेज सेक्शनों और रेलगाड़ियों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें गत छः महीनों के दौरान स्थगित किया गया था और जिन्हें अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में नैरो गेज सेक्शन पिछड़े क्षेत्रों से होकर जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थगित रेल मार्गों और रेलगाड़ियों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1-11-1987 को यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार स्थगित रही छोटी लाइन की गाड़ियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). छोटी लाइन की गाड़ी सेवाओं के यौक्तिकीकरण के उपाय के रूप में कुछ

खण्डों में पानी की कमी के कारण भी कुछ गाड़ियों की स्थगित करते समय विभिन्न खण्डों के यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

विवरण

पश्चिम रेलवे पर स्थगित की गई छोटी लाइन की गाड़ियों को पुन: चलाना 1-11-1987 को यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार छोटी लाइन के खण्डों और स्थगित रही गाड़ियों का ब्यौरा

क्रम सं०	खण्ड	गाड़ियों का विवरण
यौक्तिकीकरण के कारण		
1.	अंकलेश्वर-राजपीपला	135/158 मिश्रित
2.	नडियाद-मादरन	181/182 मिश्रित
3.	नडियाद-मादरन	183/184 पैसेंजर
4.	नडियाद-कपडवंज	167/166 मिश्रित
5.	मियागाम-मकरोल	193/194 मिश्रित
6.	डभोई-टिम्बा रोड	225/226 मिश्रित
7.	चांदेड-डभोई	248 मिश्रित
8.	चांदेड-डभोई	195/196 मिश्रित
9.	डभोई-मालसर	209/210 मिश्रित
10.	प्रतापनगर-जम्बूसर	197/198 मिश्रित
11.	प्रतापनगर-जम्बूसर	215 ए/216 ए पैसेंजर
12.	प्रतापनगर-डभोई	215 पैसेंजर
13.	प्रतापनगर-डभोई	212 पैसेंजर
14.	समनी-दहेज	217/218 मिश्रित
15.	समनी-दहेज	231/232 पैसेंजर
पानी की कमी के कारण		
1.	जोरावरनगर-सायला	490/491 मिश्रित
2.	भावनगर-तलाजा	497/498 मिश्रित
3.	भावनगर-महुवा	495/496 मिश्रित

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

2990. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक वर्ष के दौरान उत्पादन की स्थिति कैसी रही है ;

(ख) क्या उनके उत्पादन में नियमित वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कार्य-निष्पादन में अधिक सुधार लाने के लिए कौन से प्रयत्न किए गए ताकि वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग). एक ब्यौरा संलग्न (पृष्ठ 86-87) है जिसमें पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के पहले सात महीनों में इस्पात विभाग के अधीन उपक्रमों में हुए उत्पादन के साथ संगत वृद्धि दरों का ब्यौरा दिया गया है।

जहां तक खान विभाग के अधीन उपक्रमों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने की प्रक्रिया निरन्तर स्वरूप की है और न केवल योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपितु उससे भी अधिक उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास कार्य संस्कृति में सुधार करके, संयंत्र तथा उपस्करों का बेहतर रखरखाव करके, प्रौद्योगिकीय मानकों का पालन करके और बेहतर तथा प्रभावी निगरानी रख कर किए जा रहे हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया को विश्वविद्यालय का दर्जा देना

2991. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय को ध्यान में रखकर जामिया इस्लामिया को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन

इस्पात विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया उत्पादन

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा उत्पाद का नाम	उत्पादन (इकाई में)	1985-86	1986-87	वृद्धि-दर (प्रतिशत)	1987-88 (अप्रैल से अक्तूबर 87 तक)	पिछले वर्ष के प्रथम सात मास की तुलना में इस वर्ष के सात मास की वृद्धि दर (प्रतिशत)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल)							
विक्रेय इस्पात	लाख टन	60.04	63·12	5	34.84	12	—
2. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी, लि०							
(क) लौह अयस्क सांद्रण	लाख टन	18.02	34.58	92	20.05	6	—
*(ख) पैलेट	लाख टन	—	1.65	—	3.76	—	—

3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार० लि०							
(क) लौह अयस्क	लाख टन	93.85	101.25	8	47.55	(—)5	एन० एम० डी० सी० की बैलाडिला-14 खानों में अग्नि दुर्घटना के कारण लौह अयस्क के उत्पादन में गिरावट आयी।
(ख) हीरे	कैरेट	15,819	15.190	(—)4	90,50	7	
4. मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड (मायल)							
मैंगनीज अयस्क	लाख टन	4.53	4.79	6	2.65	(—)1	निम्न ग्रेड के अयस्क, जो किफायती नहीं हैं, के उत्पादन में योजनाबद्ध कमी के कारण मामूली गिरावट।
5. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड							
ईंटें (गारा सहित)	टन	52,556	54,360	3	29,001	(—)2	बिजली की बार-बार गड़बड़ी, श्रमिक समस्याओं तथा कुछ उपस्करों में खराबी आ जाने के कारण मामूली गिरावट।

1	2	3	4	5	6	7	8
6. इण्डिया फायर ब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कं० लि० (इफ्रिको)							
ईंटें (गारा सहित)	टन	32,006	31,276	(—)2	18,217	4	—
7. स्पंज आयरन इण्डिया लि० (सिल)							
स्पंज लोहा	टन	42,033	51,545	23	19,632	(—)25	आंध्र प्रदेश राज्य के 3 महीने से अधिक समय में सभी उद्योगों में बिजली सप्लाई पर 60 प्रतिशत की कटौती।

*पैलेटों का वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1987 में शुरू हुआ था।

गंजेपन के इलाज के लिए औषध

2992. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला हैदराबाद ने गंजेपन का इलाज करने के लिए एक औषध का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई औषध के कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस औषधि के प्रयोग के किए गए परीक्षणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं। तथापि, क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने "मिनोजाइडल" नामक औषध तैयार करने की प्रक्रिया तैयार की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बेची गई है।

(ख) क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने सी० आई० पी० एल० ए०, बम्बई द्वारा प्रायोजित एक स्कीम के अन्तर्गत इसकी निर्माण प्रक्रिया तैयार की है।

(ग) और (घ). जी हां। भारत में परीक्षण नहीं किए गए हैं। तथापि, कुछ मामलों में त्वचा-रोग सम्बन्धी प्रभाव देखे गए हैं। कुछ अन्वेषणों में मिनोक्सिडिल के प्रयोग से खुजली, पर्पटीकरण, सम्प्रवाहन जैसे त्वचारोग सम्बन्धी प्रभाव देखे गए हैं। एक बार मिनोक्सिडिल का प्रयोग आरम्भ कर देने के बाद इसे जारी रखना आवश्यक होगा क्योंकि इसे बन्द कर देने पर बालों के झड़ने का खतरा रहेगा।

बाल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2993. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1987 में दिल्ली में एक बाल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ;

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों और विदेशी राष्ट्रों के क्या नाम हैं ;

(घ) क्या इस अवसर पर बच्चों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया गया है तथा इस संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). नवम्बर, 1987 में दिल्ली में कोई अन्तर्राष्ट्रीय बाल सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। तथापि बाल भवन सोसायटी भारत, ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्मदिवसों के अवसर पर 10 से 9 नवम्बर तक राष्ट्रीय बाल एसेम्बली, बाल दिवस, थियेटर फैस्टीवल का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के विभिन्न राज्य बाल भवनों/बाल केन्द्रों से लगभग 200 बच्चे आए। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के बच्चों ने बड़ी संख्या में इन कार्यकलापों में भाग लिया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) बच्चों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय निर्माणाधीन है। जब यह संग्रहालय पूरा हो जाएगा तो इसमें एक ही छत के नीचे 5 दीर्घाएं, श्रृव्य-दृश्य खण्ड, विज्ञान अनुभाग और खगोलीय प्रयोगशाला होंगी।

गुजरात को विश्व पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सहायता

2994. श्री पी० पेंचालैया : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यावरण कार्यक्रम से गुजरात के जनजातीय जिलों में वानिकी के विकास के लिए कुल कितनी सहायता मिली है ; और

(ख) क्या यह सहायता पांच वर्ष तक के लिए है अथवा उससे अधिक अवधि के लिए है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गुजरात के आदिवासी जिलों में वानिकी के विकास के लिए विश्व पर्यावरण कार्यक्रम से कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में संगीत और प्राथमिक शिक्षकों के कार्य घण्टे

2995. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विभागों के लिए स्कूल का समय क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली और बाहर के केन्द्रीय विद्यालयों में संगीत और प्राथमिक शिक्षकों के कार्य घण्टे, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विभागों के लिए सामान्य रूप से निर्धारित कार्य घंटों से अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो यह अन्तर रखने के कारण और औचित्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में स्कूल के घण्टे निम्नलिखित हैं :—

(i) प्राइमरी कक्षाएं—30 मिनटों के अर्ध अवकाश सहित 5 घंटे 30 मिनट।

(ii) माध्यमिक और उच्चतर

माध्यमिक कक्षाएं—30 मिनटों के अर्ध अवकाश सहित 6 घंटे 10 मिनट।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण सम्बन्धी मार्ग निर्देश

2996. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्थानांतरण सम्बन्धी मार्ग निर्देशों में यह उपबन्ध है कि वाइसप्रिंसिपलों के रूप में पदोन्नत स्नातकोत्तर शिक्षकों को उनके वर्तमान नियुक्ति क्षेत्र से बाहर तथा साथ ही अन्य भाषा क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या इस उपबन्ध का शब्दशः पालन किया जा रहा है ; और

(ग) उप पदोन्नत हुए शिक्षकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पदोन्नत करके या तो क्षेत्र के भीतर अथवा उसी भाषा क्षेत्र में नियुक्त किया गया है जहां पदोन्नत शिक्षकों को उनकी पदोन्नतियों के समय नियुक्त किया गया था ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमत ी कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाड़ी युद्ध में मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों को मुआवजा

2997. **श्री शांताराम नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक जहाजों में कार्यरत कितने भारतीय नाविकों को पिछले एक वर्ष के दौरान खाड़ी युद्ध में उनके जहाजों पर हुए आक्रमण के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी ;

(ख) क्या सम्बन्धित कम्पनियों ने मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बम्बई और कलकत्ता के नाविक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से लगाए गए और वाणिज्यिक जहाजों पर काम कर रहे किसी भी भारतीय नाविक की पिछले एक वर्ष के दौरान खाड़ी युद्ध में उनके जहाजों पर हुए

हमले के फलस्वरूप मृत्यु नहीं हुई। तथापि, 1-11-87 को यू. एस. नौसेना के जहाज द्वारा यू. ए. ई. के फिशिंग बोट पर किए गए हमले के फलस्वरूप उस पर काम कर रहे एक भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु हुई।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

शिमला-अमृतसर मेल और रांची एक्सप्रेस को फिर से चलाना

2998. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन को कालका और अमृतसर के बीच पठानकोट/जम्मू तक जाने वाले सीधे डिब्बों के साथ चलने वाली शिमला-अमृतसर मेल और कालका और रांची के बीच चलने वाली गाड़ियों रांची एक्सप्रेस को चालू वर्ष (1987-88) के दौरान रद्द करने से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ के लोगों को होने वाली अत्यधिक असुविधा की जानकारी है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन को इन गाड़ियों को फिर से चलाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया और ये गाड़ियां कब तक फिर से चलाई जाएंगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनको फिर से चलने में देरी के क्या कारण हैं और इस कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). यद्यपि कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस मार्ग पर प्राप्त होने वाला यातायात कम है। इन थोड़े से यात्रियों को भी कोई भारी असुविधा नहीं है क्योंकि भिन्न-भिन्न गन्तव्यों से/तक अम्बाला के रास्ते उपयुक्त मेल लेने वाली गाड़ियां उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों का नवीकरण

2999. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक न जोड़े गए कुछ स्टेशनों जैसे उत्तर रेलवे में सैला-खुर्द-होशियारपुर को जोड़कर कुछ अलाभप्रद रेलवे लाइनों को लाभप्रद बनाने के लिए कदम उठाने का निर्णय किया है ताकि इन लाइनों पर अधिक यातायात हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुनी गई रेलवे लाइनों के जोन-वार नाम क्या हैं और अब तक न जोड़े गए इन स्टेशनों को किस तारीख तक जोड़ दिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की स्वीकृति सिफारिशों के अनुसार, नई रेल लाइनों का चयन करने के मापदण्ड में ऐसी रेल

लाइनें शामिल हैं जो अप्राप्त कड़ी के रूप में कार्य करें तथा मौजूदा व्यस्त रेल मार्ग पर संकुलन कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग बन सकें। सैला-खुर्द से होशियारपुर तक रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे में तालचेर-सम्बलपुर का निर्माण अप्राप्त कड़ी के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसका पूरा होना आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान केन्द्रों को वित्तीय सहायता

3000. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन अनुसंधान संस्थाओं/केन्द्रों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके रख-रखाव के लिए आवर्ती अनुदानों के रूप में इस समय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) इन संस्थाओं के चयन अथवा उनका पता लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है ;

(ग) देश में उन अनुसंधान संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1984 से केवल गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक को कितनी धनराशि का अनुदान प्राप्त होता है ; और

(घ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के पास इस योजना के अन्तर्गत अनुदानों के लिए कोई आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिक्षेत्र से बाहर सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही सोसायटियों तथा संस्थानों को सहायक-अनुदान के नियमों में निर्धारित मानदण्डोंऔर कार्य प्रणाली के वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्धारित मानदण्डों में यह शामिल है कि संस्थान एक पंजीकृत सोसायटी होनी चाहिए जिसकी कार्य अवधि कम से कम पांच वर्षों से चल रही हो, इसे अखिल भारतीय स्वरूप का होना चाहिए, और इसने सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की होनी चाहिए। ऐसे संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी क्षमता और संभाव्यता के संबंध से एक निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किए जाते हैं। पूर्वोक्त योजना के अन्तर्गत इस समय 22 अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ; व्यय की अनावर्ती मदों के लिए अनुदानों के अतिरिक्त, इन सभी संस्थानों को व्यय की आवर्ती मदों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस मामले में निम्नलिखित संस्थानों से योजना के अन्तर्गत अनुदानों के लिए प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ;

(i) गुजरात क्षेत्र आयोजना संस्थान, अहमदाबाद।

(ii) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।

(iii) अम्बेडकर श्रम अध्ययन संस्थान, बम्बई।

विवरण

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित अनुसंधान संस्थाओं के पतों की सूची

1. डा० वी० एम० राय,
स्थानापन्न निदेशक
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन
के लिए संस्थान
नगरभावी-पो० ओ० बंगलौर

2. प्रो० सुरजीत सी० सिन्हा
निदेशक
सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र
10, लेक टेरेस, कलकत्ता-700029

3. डा० टी० एन० कृष्ण,
निदेशक
विकास अध्ययन केन्द्र,
अकुलम रोड, उल्लूर, त्रिवेन्द्रम-695011

4. प्रो० नागेश्वर प्रसाद
निदेशक,
गांधी अध्ययन संस्थान
पोस्ट बॉक्स सं० 1116, राजघाट
वाराणसी-221001

5. डा० एम० पी० पाण्डेय
रजिस्ट्रार
ए० एन० ए० सामाजिक संस्थान,
पटना-800001

6. श्री टी० एल० संकर
निदेशक,
लोक अधम संस्था
विश्वविद्यालय कैम्पस
हैदराबाद-500007

7. डा० टी० एन० मदन
निदेशक,
आर्थिक उत्थान संस्था
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

8. प्रो० जी0 डी० देशींकट
विकास समितियों के अध्ययन
केन्द्र, 29; राजपुर रोड. दिल्ली-110006

9. डा० एस० पी० पुन्लकर
निदेशक,
सामाजिक अध्ययन केन्द्र,
दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय कैम्पस,
उधना-भगदल्ला रोड
सूरत-395007

10. डा० सी० टी० कुरियन
निदेशक,
विकास अध्ययन संस्था मद्रास
गांधी नगर अदयाद
मद्रास-600020

11. प्रो० पी० आर० पन्चमुखी
निदेशक,
भारतीय शिक्षा संस्था
128/2, जे० पी० नायक रोड, कठरूड,
पूर्णे-4111029

12. डा० बी० के० जोशी
निदेशक,
गिरी विकास अध्ययन संस्था
सेक्टर 'ओ' अलीगंज एक्टेंशन योजना,
लखनऊ-226020

13. डा० वी० ए० ई० पन्नदिकट
निदेशक,
नीति अनुसंधान केन्द्र,
धर्मा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

14. प्रो० आर० जे० मोडी
निदेशक,
सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्था
थालतेज रोड
अहमदाबाद-380004

15. प्रो० ए० डी० पन्त,
निदेशक,
जी० बी० पन्त सामाजिक विज्ञान संस्था
80, टैगोर टाऊन
इलाहाबाद-211002

16. श्री डी० पी० मिश्रा
निदेशक,
प्रशासन, सामाजिक विकास परिषद
54, लोदी स्टेट, नई दिल्ली-11003

17. प्रो० डी० डी० नरूला,
निदेशक,
विकास अध्ययन केन्द्र
बी-124, ए० मंगल मार्ग, बापूनगर
जयपुर-302015

18. श्री रशपाल मलहोत्रा
निदेशक,
ग्रामीण अनुसंधान एवं औद्योगिक विकास केन्द्र
2-ए० सेक्टर 19 मध्य मार्ग,
चंडीगढ़-160019

19. डा० बुद्धयान चटटोपाध्याय
निदेशक,
क्षेत्रीय परिस्थितिकी एवं विकास एवज विज्ञान
अध्ययन केन्द्र, चतुरंग,
फ्लैट नं० 3, 32, गोविन्द एम्डी रोड
कलकत्ता-700027

20. डा० वीना माजूमदार
निदेशक,
महिला विकास अध्ययन केन्द्र
बी-43, पंचशील एन्कलेव
नई दिल्ली-110017

21. प्रो० आर० राधाकृष्ण
निदेशक,
आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र
निजामिया अवलोकन कैम्पस
बेंगमपेट
हैदराबाद-500016

22. डा० बी० एन० मिश्रा
निदेशक,
विकास अध्ययन केन्द्र
द्वारा राज्य योजना बोर्ड सचिवालय
भुवनेश्वर

सामाजिक विज्ञान को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से जोड़ना

3001. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामाजिक विज्ञान को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के साथ जोड़ने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान में कितने सामाजिक वैज्ञानिक, विशेष रूप से समाजशास्त्री, सामाजिक मानव विज्ञानी स्वास्थ्य अर्थशास्त्री कार्यरत हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) स्वास्थ्य समस्याओं से सम्बन्धित सामाजिक विज्ञानों के कुछ पहलू राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किए गए हैं जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों से सम्बन्धित है इस नीति के कार्यान्वयन स्तर पर सामाजिक वैज्ञानिकों की भूमिका और ऐसे कार्मिकों की ठीक-ठीक आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान में ऐसे कोई पद नहीं हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्णयों की पुनरीक्षा करने सम्बन्धी अपीली प्राधिकरण

3002. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनने के लिए अभी तक कोई प्राधिकरण स्थापित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्णयों की पुनरीक्षा करने हेतु अपीली प्राधिकरण की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

नये पाठ्यक्रम आरम्भ करना

3003. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सम्बन्ध केन्द्रों में घरेलू अर्थशास्त्र (होम-इकानामिक्स) और पोषाहार जैसे नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें ये पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). गृह विज्ञान में प्रथम डिग्री और उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम पहले ही अधिकांश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। कई अन्य विश्वविद्यालय और कालेज इस विषय में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

सामान्य शिक्षा में अवर-स्तानक पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रयुक्त प्राच्य विषय को शुरू करने का सुझाव दिया है। अन्य विषयों के साथ गृह आर्थिक शास्त्र को संभावित क्षेत्रों के रूप में सुझाया गया है जिनमें ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं और लागू किए जा सकते हैं।

उन संस्थाओं की सूची वहां गृह आर्थिक शास्त्र के विषय में पाठ्यक्रम उप लब्ध हैं विवरण-I के रूप में सलंग्न है।

उन संस्थाओं की सूची जिनमें गृह आर्थिक शास्त्र को एक प्रयुक्त प्राचय विषय के रूप में शुरू किया गया है विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

उन संस्थाओं की सूची जहां गृह आर्थिक शास्त्र के विषय में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं :

विश्वविद्यालय

1. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
2. असम कृषि विश्वविद्यालय
3. जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय
5. हरियाणा कृषि विद्यालय
6. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
7. केरल कृषि विश्वविद्यालय
8. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ
9. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
10. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय

11. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
12. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
14. एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा
15. निर्मल निकेतन विश्वविद्यालय, बम्बई
16. एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई
17. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात
18. मैसूर विश्वविद्यालय
19. इन्दौर विश्वविद्यालय
20. उत्कल विश्वविद्यालय

कालेज

1. अविनाशलिंगम कालेज, कोयम्बतूर
2. लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली
3. एस० आई० ई० टी० मद्रास
4. वी० एच० डी० संस्थान, बंगलौर
5. जे० डी० बिड़ला संस्थान
6. सेन्ट टरेसा कालेज इरनाकूलम
7. क्वीन मेरी मद्रास
8. गृह विज्ञान कालेज, चण्डीगढ़
9. डब्लू. सी० सी० मद्रास
10. लेडी अमृत बाइ डागा कालेज
11. एस० एस० कन्या कालेज, गोन्द्रा (नागपुर)

विवरण-II

उन संस्थानों की सूची जहां गृह अर्थशास्त्र एक प्रयुक्त प्राध्य विषय के रूप में शुरू किया गया है :

1. राणा प्रताप डिग्री कालेज,	आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा
2. दौलतराम कालेज, दिल्ली	,,

3. लक्ष्मीबाई कालेज, दिल्ली	खाद्य तकनीक
4. विवेकानन्द महिला कालेज, दिल्ली	,,
5. हिन्दू कन्या कालेज, जगाधारी	फल संरक्षण एवं प्रयुक्त आहार
6. आर्य कन्या कालेज, अम्बाला	,,
7. वधिरे कला, एवं वाणिज्य कालेज, सतवाड़	गृह अर्थशास्त्र
8. तुलजाराम कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, कालेज बरामती	,,
9. एस० एन० कला डी० जे० एम० वाणिज्य बी० एच० एस० विज्ञान कालेज, भंगमनेर	,,

राजधानी के अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार करना

3004. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से राजधानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य अस्पतालों में, सुविधाओं में सुधार करने का कोई नया प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पानी से पैदा होने वाले रोग

3005. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सम्बन्धित विशेषज्ञों ने कोई सुनिश्चत दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं, लेकिन सरकार को पानी से पैदा होने वाले रोगों के नियन्त्रण के लिए अपेक्षित उपायों की पूरी जानकारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शेरे-काश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर

3006. **प्रो० संफुद्दीन सोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेरे-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ को पाने वालों की मान्यता प्राप्त सूची में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जी नहीं, क्योंकि अभी तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना श्रीनगर में शुरू नहीं की गई है ।

कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग और उससे होने वाली मृत्यु घातक रोगों के सम्बन्ध को निश्चित करने के लिए अध्ययन

3007. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग और उससे होने वाली मृत्यु घातक रोगों के सम्बन्ध को निश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं जो मानव जीवन के लिए घातक घोषित कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग को नियन्त्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में और अन्यत्र विभिन्न नाशक जीवनाशी दवाइयों और उनसे होने वाली मौतों/घातक रोगों के कारणों के बीच सम्बन्धों का पता लगाने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नाशक जीवनाशी दवाओं के सुरक्षित प्रयोग की निरन्तर समीक्षा करता है।

(ख) किए गए अध्ययनों से यह पता नहीं चला कि कोई मौत/घातक रोग जब स्वास्थ्य में कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल के कारण हुआ हो। जनस्वास्थ्य क्षेत्र में डी० डी० टी० और एच० सी० एच० (क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन कीटनाशी दवाएं) और मलाथियन (आर्गनोफास्फेट कीटनाशी) को दो-तीन दशकों से अधिक अवधि से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब तक माननीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) और (घ). कोई राज्य जब स्वास्थ्य मे ऐसी कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो माननीय जीवन के लिए हानिकारक घोषित की गई हैं।

देश मे कीटनाशी/नाशक जीवनाशी दवाओं के इस्तेमाल को कीटनाशी अधिनियम, 1968

द्वारा विनियमित किया जाता है। केवल उन्हीं कीटनाशी/नाशक जीवनाशी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो देश में इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

रेलों में यात्री सुविधाएं

3008. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अनेक प्रयोक्ता संगठनों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के बारे में रेल विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री से यात्रियों के लिए कतिपय अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) दिए गए सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) रेलों ने भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित कई सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था कर रखी है। यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना एक संतत प्रक्रिया है। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धनराशि के भीतर सुधार/परिवर्धन किए जाते हैं।

विवरण

रेलों में यात्री सुविधाएं

1. सभी सुपरफास्ट गाड़ियों में लाउडस्पीकर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. सवारी डिब्बों में ले जाने वाले सामान की मदें सीमित की जानी चाहिए।

3. आरक्षित सवारी डिब्बों में कम दूरी के यात्रियों का अनधिकृत प्रवेश रोका जाना चाहिए।

4. लाइसेंसशुदा भारिकों को प्रमाणित छपे हुए कार्ड लटकाने चाहिए जिन पर सामान ढुलाई प्रभार लिखे हों।

5. लम्बी दूरी की सुपरफास्ट गाड़ियों तथा प्लेटफार्मों पर पीने के पानी की पर्याप्त सप्लाई।

6. सभी प्रस्थान प्लेटफार्मों पर सामान तोलने वाली मशीनें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

7. पैसेंजर गाइडों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. टिकटों पर संशोधित किराये रबड़ की मोहर द्वारा दर्शाये जाने चाहिए।

9. रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ न होने देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

10. रात्रिकालीन यात्रा वाली सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. गाड़ियों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन तथा शीतल पेय की किस्म में सुधार किया जाना चाहिए।

12. यात्रियों के अचानक बीमार पड़ जाने के आपातिक मामलों में इलाज के लिए गाड़ियों में एक डाक्टर उपलब्ध होना चाहिए।

13. यात्रा शुरू होने से पहले गाड़ियों के सवारी डिब्बों की ठीक से धुलाई तथा सफाई की जानी चाहिए।

'मानस प्रोजेक्ट टाइगर' को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना

3009. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाघ और अन्य वन्य जीवों की रक्षा के लिए मानस प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में मान्यता प्राप्त वन ग्रामों सहित और अधिक क्षेत्र शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) इसके फलस्वरूप कितने वन ग्रामों और कितनी जनसंख्या के प्रभावित होने की संभावना है तथा विस्थापित ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु क्या योजनाएं हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त 'प्रोजेक्ट टाइगर' को उसके वर्तमान क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करना सम्भव नहीं हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) असम सरकार मानस बाघ रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने का विचार कर रही है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय उद्यान में क्षेत्रों को शामिल करने का विचार असम सरकार के अधिकार में है। राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार प्रभावित ग्रामवासियों को पुनः बसाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने मानस बाघ रिजर्व के सम्बन्ध में अब तक इस प्रयोजन के लिए किसी सहायता की मांग नहीं की है।

(घ) मौजूदा मानस बाघ परियोजना क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करना सम्भव होगा।

महाराष्ट्र में वनों के विकास हेतु विदेशी सहायता

3010. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य की वन संपदा के विकास हेतु सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपलब्ध की जाने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रम का, कार्यान्वित की जा रही रोजगार योजनाओं सहित, ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). जी हां। सहाराष्ट्र राज्य में 1982-83 से 1989-90 तक 8 वर्ष की अवधि के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट (यू० एस० ए० आई० डी०) से प्राप्त वित्तीय सहायता से सामाजिक वानिकी प्रायोजन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की चारा, ईंधन लड़की तथा इमारती लड़की की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 81,000 है० परती भूमि का नवीकरण करने के लिए प्रायोजना पर 30.0 मिलियन अमरीकी डालर (28.2 करोड़ रुपए के बराबर) के अंशदान सहित 56.4 करोड़ रुपए के व्यय होने का अनुमान है। प्रायोजना प्रगति पर है और इसमें वनीकरण कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के लगभग 30 मिलियन श्रम दिवसों की परिकल्पना की गई है।

भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों से सम्बन्धित चिकित्सा अनुसंधान परियोजना को समाप्त करने का निर्णय

3011. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों से सम्बन्धित अनुसंधान परियोजनाओं को समय से पूर्व समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण एवं कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). दो परियोजनाओं अर्थात् (1) भोपाल के जिन क्षेत्रों में मिक गैस का प्रभाव पड़ा तथा जिसमें नहीं पड़ा उनमें थायरायड का स्तर-एक दीर्घकालीन मूल्यांकन तथा (2) मिक गैस से पीड़ित व्यक्तियों में क्लीनिकल तथा फरेन्सिक टॉक्सिकलॉजिकल अध्ययन को विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से विचार करने के बाद समाप्त कर दिया था क्योंकि कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं पाए गए थे।

'यूनेस्को' सम्मेलन

3012. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 20 अक्तूबर, से 21 नवम्बर, 1987 तक फ्रांस में आयोजित 'यूनेस्को' के 24वें सामान्य सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर बातचीत हुई और क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) विभिन्न मामलों पर भारत ने क्या रुख अपनाया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सम्मेलन की कार्य सूची में मुख्य द्वि वर्ष 1988-1989 के लिए यूनेस्को के बजट और कार्यक्रम प्रारूप पर विचार करना था। सम्मेलन संगठन के कार्यकलापों और चुनिन्दा कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर महानिदेशक से अनेक रिपोर्टें भी प्राप्त हुई। सम्मेलन के दौरान, महिलाओं के स्तर में सुधार करने, शान्ति, मानवाधिकारों की प्रोन्नति, पृथकतावाद और जातिवाद समाप्त करने में यूनेस्को के योगदान से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विचार करने के अतिरिक्त पूर्ण सत्रों में एक सामान्य नीति वाद-विवाद आयोजित किया गया था। पूर्ण सत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के लिए कार्यक्रम-प्रारूप पर महानिदेशक से प्राप्त रिपोर्ट पर एक विशेष वाद-विवाद भी आयोजित किया गया था। सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय परिवार-वर्ष की घोषणा के प्रस्ताव और विश्व सांस्कृतिक विकास दशाब्दी से सम्बन्धित एक रिपोर्ट पर विचार किया गया। यूनेस्को के नए महानिदेशक का चुनाव किया गया और यूनेस्को के विभिन्न अन्तर-सरकारी कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी अनेक अन्तर-सरकारी निकायों के चुनाव भी आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी बोर्ड में रिक्त पड़े स्थानों के लिए चुनाव किए गए।

2. कार्यसूची में शामिल विषयों में से एक विषय, जिसका प्रस्ताव भारत द्वारा किया गया था, यूनेस्को द्वारा 1989 में जवाहरलाल नेहरू की जन्म-शती मनाना था।

3. भारतीय शिष्टमण्डल के नेता, श्री पी० वी० नरसिंह राव ने महा-सम्मेलन के पूर्ण सत्र में एक व्यापक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया, जिसमें 1988-1989 के बजट और कार्यक्रम प्रारूप के विभिन्न पहलू शामिल हैं। श्री नरसिंह राव ने सम्मेलन में यह बताया कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का हमेशा समर्थन किया है और इसने अन्तर्राष्ट्रीय-सहयोग को इसके सभी रूपों में सुदृढ़ करने के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में शान्ति को बनाए रखने, समानता, पारस्परिकता तथा सामंजस्य के आधार पर सहयोग करके राष्ट्रों के बीच विषय सम्बन्धों को प्रतिस्थापित करने में यूनेस्को के कार्यकलापों और राष्ट्रों के बीच पूर्वाग्रहों और तनाव दूर करने के उपायों के लिए सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव सभ्यता के उच्च क्षेत्रों से सीधे सम्बद्ध मानवजाति के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों और उपलब्धियों के आदान-प्रदान के लिए यूनेस्को एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मंच है।

4. भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्यों ने पांच कार्यक्रम आयोगों और प्रशासनिक आयोग की सभी चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया। भारतीय शिष्टमण्डल ने विभिन्न आयोगों में विचारार्थ आयोजित प्रत्येक चर्चा में भाग लिया। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के समारोह के लिए आयोजित विशेष चर्चा में भी भारत ने भाग लिया। भारत ने 14 संकल्प-प्रारूप प्रस्तुत किए जिनमें अनेक कार्यकलाप शामिल करने अथवा अगले दो वर्षों के बजट और प्रारूप कार्यक्रम से सम्बन्धित दस्तावेज में निर्धारित मौजूदा कार्य-योजनाओं में संशोधन की अपेक्षा की गई थी। प्रस्तावित संशोधनों का आधारभूत उद्देश्य था भारत तथा अन्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण पर बल देना और कुछ ऐसी प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना, जिन पर यूनेस्को को ध्यान देना चाहिए। भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्पों में जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया था, वे हैं—प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, निरक्षरता-उन्मूलन, औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के बीच समन्वय, लड़कियों तथा महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर, उच्च शिक्षा का विकास और सुधार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक और मानव-विज्ञानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग, सूचना प्राप्त करने में सुधार, जल संसाधनों का प्रबन्ध, सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और प्रस्तुतीकरण, आदि।

5. महासम्मेलन में भारत के संकल्प का भी अनुमोदन किया गया और महानिदेशक से ऐसे अनेक व्यवहारिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए कहा गया, जिनमें जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए यूनेस्को शामिल हो और सदस्य-राज्यों में जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यकलापों में संगठन को शामिल करें।

6. भारत ने 1988-89 के लिए यूनेस्को के द्वि-वार्षिक बजट, जिसकी राशि 350,386,000 अमरीकी डालर है, के अनुमोदन से सम्बन्धित चर्चाओं में भी प्रमुख रूप से भाग लिया।

7. स्पेन के श्री फेडरिको मेयर को यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया और उन्हें नियुक्त किया गया। इस सत्र में, भारत को यूनेस्को की निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर-सरकारी समितियों के लिए चुना गया है :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद्।

(2) सामान्य सूचना कार्यक्रम की अन्तर-सरकारी परिषद्।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोलाजिकल कार्यक्रम की अन्तर-सरकारी परिषद्।

(4) विश्व सांस्कृतिक विकास दशक की अन्तर-सरकारी समिति।

(5) मुख्यालय समिति।

असम में रामखा पीठ मन्दिर और हजरत अजान पीर दरगाह का संरक्षण

3013. **प्रो० पराग चालिहा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिवसागर जिले (असम) में देवधारिया स्थित रामखा पीठ नामक एक ऐतिहासिक मन्दिर, ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ एवं उसके द्वारा भूक्षरण के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है तथा देवधारिया उक्त मन्दिर के निकट हजरत अजान पीर दरगाह नामक एक ऐतिहासिक मकबरा तथा तीर्थ स्थान के भी लगातार भूक्षरण के कारण इसी प्रकार नष्ट हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐतिहासिक मकबरे के संरक्षण और उक्त मन्दिर का पुनर्निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या असम सरकार ने इस वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार को टी० एस० पी० के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण विस्तृत योजनाएं प्रस्तुत की थीं, जिनमें उक्त ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के उपाय बताए गए थे ;

(घ) क्या यह योजनायें अभी तक उनके मन्त्रालय के विचाराधीन हैं ; और यदि हां, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) टी० एस० पी० के अन्तर्गत इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). देवधारिया में रामखा पीठ नाम से प्रसिद्ध मन्दिर और हजरत अजान

पीर दरगाह केन्द्रीय संरक्षणाधीन नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के कारण मन्दिर को हुए नुकसान और दरगाह को इसी प्रकार के खतरे के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के पुरातत्व विभाग से इन के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ). आसाम सरकार देवधारिया और अजान पीर दरगाह क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए दो परियोजनाओं पर विचार कर रही है। इन परियोजनाओं को आसाम सरकार की जनजाति उप-योजना में शामिल किया गया है परन्तु उपरोक्त क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए केन्द्रीय जल विद्युत आयोग द्वारा तकनीकी जांच और आगे की कार्यवाही के लिए विस्तृत परियोजनायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

विधवाओं और निराश्रितों के लिए वित्तीय सहायता

3014. **श्री राजकुमार राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधवाओं और निराश्रितों के भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं ;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत उक्त श्रेणी की महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ; और

(ग) क्या संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य की सिफारिश पर भी वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख). विधवाओं और निराश्रितों के निर्वाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत महिलाओं के, जिनमें विधवाएं और निराश्रित भी शामिल हैं, कल्याण कार्य किए जाते हैं : –

1. संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान खोलने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित सहायता योजना ;
2. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार एवं उत्पादन इकाईयां।
3. श्रमजीवी महिलाओं के लिए दिवस देखभाल केन्द्र वाले होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता योजना।
4. जरूरतमंद, निराश्रित महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम।

उपरोक्त योजनाओं की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

1. संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित सहायता योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित महिलाओं और आश्रित बच्चों को व्यवसाय प्रशिक्षण देकर और आवासीय देखभाल के जरिए पुनर्वासित करना है ताकि ये महिलायें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सके। राज्य सरकारों की सिफारिश पर प्रशिक्षणार्थियों की वृत्तिकाओं, प्रशिक्षकों के वेतन, भवन का किराया, उपकरणों आदि के खर्च और जहां आवश्यक हो पुनर्वास अनुदान का खर्च वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी एजेंसी को 45 : 45 : 10 के अनुपात में खर्च वहन करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। अनुदान राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से दी जाती है ।

2. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार, सह-उत्पादन इकाईयां

नार्वे की सहायता से 1982-83 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सरकारी उद्यमों/ निगमों/स्वायत संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे कि ग्रामीण/ शहरी स्लम क्षेत्र की गरीब महिलाओं, समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं, सैनिकों और उद्यमों आदि के कर्मचारियों की विधवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके और उन्हें स्थाई आधार पर नौकरियां मिल सके। सहायता कार्यशाला एवं उत्पादन रिकार्ड के निर्माण प्रशिक्षण खर्च, व प्रारम्भिक काम चलाऊ पूंजी के रूप में दिवस देखभाल केन्द्र सहित शयनकक्ष सुविधाओं के लिए निवेश-पूंजी के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान सहायता के लिए आवेदन-पत्र राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से भेजे जाते हैं ।

3. श्रमजीवी महिलाओं के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवन के निर्माण/ विस्तार की सहायता योजना

योजना का उद्देश्य अविवाहित और अविवाहित श्रमजीवी महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा, अलग रहने वाली महिलाओं, विवाहिताओं, को, जिनके पति अलग शहर से दूर रहते हों, आवास सुविधायें प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को भूमि की कीमत के 50 प्रतिशत तक और भवन के निर्माण खर्च या तैयार निर्मित भवन की खरीद के लिए 75 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है। श्रमजीवी महिलायें जिनकी आय 2000 रुपए प्रति माह (समेकित) से अधिक नहीं होती होस्टल में आवास करने के लिए पात्र है। सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से दिया जाता है ।

4. जरूरतमंद, निराश्रित महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्त और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं को पूर्णकालिक और अंशकालिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके परिवार की आय में वृद्धि हो। राज्य

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर स्वयंसेवी संगठनों को 3 लाख रुपए तक की सहायता निम्नलिखित इकाईयां खोलने के लिए दी जाती है :—

(क) लघु उद्योगों के अन्तर्गत इकाईयां ;

(ख) बड़े उद्योगों की सहायक इकाईयां ;

(ग) हथकरघा उद्योगों के लिए प्रबन्ध/उत्पादन इकाईयां ;

(घ) हथकरघा प्रशिक्षण-सह-उत्पादन इकाईयां ;

(ङ) कृषि आधारित उत्पादन इकाईयां।

[अनुवाद]

संस्कृत के विद्वानों को आर्थिक सहायता

3015. **डा० ए० के० पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत शिक्षा विकास योजना के अन्तर्गत संस्कृत के 55 वर्ष से अधिक आयु के विद्वान, जिनकी आय 250 रुपए प्रति मास से कम है, इतनी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं, जिससे उनकी कुल मासिक आय 250 रुपए हो जाए ;

(ख) यदि हां; तो यह निर्णय कब लिया गया था ;

(ग) क्या उन्हें अब तक मंहगाई भत्ते आदि के रूप में कोई धनराशि मंजूर की गई है, जैसा कि अन्य सरकारी पेन्शन भोगियों के मामले में किया गया है ; यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(घ) क्या वित्तीय सहायता की धनराशि में भी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). "संस्कृत शिक्षा के विकास" की योजना के अन्तर्गत, संस्कृत के वे प्रख्यात अध्येता, जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है और वार्षिक आय अनुमत्य अनुदान से कम है, उन्हें 3000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। विगत में, यह राशि 1800 रुपए थी, जिसे वर्ष 1980-81 से बढ़ा दिया गया था।

(ग) यह चूंकि एक साधारण वित्तीय सहायता है, अतः मंहगाई भत्ता आदि दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). वर्तमान राशि में वृद्धि किए जाने का प्रश्न इस मन्त्रालय के विचाराधीन है।

खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों का समाप्तप्राय होना

3016. **श्री ए० जयमोहन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तट के साथ-साथ खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों के तेजी से समाप्त होते जाने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का मगरमच्छों की इस दुर्लभ जाति के संरक्षण के लिए कौन से उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हाल ही के बीते समय में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि हुई है और इन दो राज्यों में ये तेजी से समाप्त नहीं हो रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह सरीसृप कुछ वर्षों में तेजी से समाप्त हो गया है।

(ख) खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छ का बन्दी प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया और इन नमूनों को पूर्ववास-स्थलों सहित निर्दिष्ट अभयारण्यों में छोड़ा गया है। पूर्वी समुद्र तट के पास इन प्रजातियों और इनके वासस्थलों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य सृजित किए गए हैं।

प्रशिक्षित नर्सों की कमी

3017. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी है जैसा कि हाल में भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ने गोवाहाटी में हुए अपने द्विवार्षिक सम्मेलन में दावा किया है ;

(ख) क्या नर्सों की सेवा शर्तें सन्तोषजनक हैं ;

(ग) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति इन पहलुओं की जांच कर रही है ;

(घ) क्या उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई हैं ; और

(ङ) क्या नर्सों की आवश्यकता और उनकी नियुक्ति के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए कोई लघु अवधि कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में नर्सिंग कर्मिकों की कमी है। नर्सों के कार्यों की शर्तें अन्य स्वास्थ्य कर्मिकों जैसी ही हैं।

(ग) और (घ). देश में नर्सिंग व्यवस्था से सम्बन्धित सेवा शर्तों उनके स्तर तथा सम्बद्ध मामलों की पुनरीक्षा करने तथा सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए नर्सों एवं नर्सिंग व्यवसाय सम्बन्धी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) नर्सों का प्रशिक्षण मुख्यतः राज्य का विषय है और अपनी आवश्यकता के अनुसार वे नर्सों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं।

[हिन्दी]

सामाजिक वानिकी योजना

3018. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत लगाए जाने वाले पेड़ों की किस्मों के बारे में भारतीय अधिकारियों द्वारा निर्णय किए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत लगाए जाने वाले पेड़ों की मुख्य किस्में कौन सी हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत चारा, ईंधन लकड़ी, छोटी लकड़ी और फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। सिरिस, सुबबूल, नीम, लसौड़ा, कचनार, बबूल, सैंजना, खेजड़ी, बकान, विलायती बबूल यूकलिप्टस, कंजी, कैजुरिना, शीशम, सागौन, बांस, गम्हार, जामुन, आम, काजू, बेर, इमली, कटहल (जैकफ्रूट) आदि मुख्य प्रजातियां रोपित की गई हैं।

[अनुवाद]

सामाजिक वानिकी योजना

3019. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए देश में कौन-सी संस्थाएं सहमत हुई हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : देश में बाह्य सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित संगठन सहायता दे रहे हैं :—

क्रम सं०	संगठन/एजेंसी का नाम	राज्य जिसमें कार्यान्वित की जा रही हैं
1	2	3
1.	विश्व बैंक (आई० डी० ए०)	उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल।
2.	यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इण्टरनेशनल डेवलपमेंट (यू० एस० ए० आई० डी०)	उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र।

1	2	3
3.	स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी (एस० आई० डी० ए०)	तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार।
4.	केनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सी० आई० डी० ए०)	आन्ध्र प्रदेश।
5.	ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट एसिस्टेन्ट (ओ० डी० ए०)	कर्नाटक।
6.	डेनिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (डी० ए० एन० आई० डी० ए०)	हरियाणा और जम्मू व कश्मीर।

[हिन्दी]

मांडला और जबलपुर के बीच बरास्ता नैनपुर सीधी रेलगाड़ी चलाना

3021. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मांडला (मीटर गेज लाइन) से जबलपुर तक बरास्ता नैनपुर एक सीधी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मांडला फोर्ट और जबलपुर के बीच पहले ही मेल दिलाने वाली दो जोड़ी गाड़ियां उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 का मांडला तक विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3022. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी से लखनादोन तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 का घुनसोर होते हुए मांडला तक, जो 86 किलोमीटर आगे है, विस्तार करने का प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शराब बनाने के कारखानों से प्रदूषण

3023. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

डा० जी० विजयरामाराव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और सम्बन्धित उद्योगों विशेषकर शराब बनाने वाली यूनिटों को, जिनसे देश में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदूषण समाप्त करने के लिए तुरन्त और प्रभावी कदम उठाने हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड ने 11 उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक (मिनास) विकसित किए हैं। केन्द्रीय बोर्ड ने मद्यनिर्माणशाला के बहिस्रावों हेतु 1981 में न्यूनतम राष्ट्रीय मानक विकसित किए और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को उनके राज्यों में मद्य-निर्माणशालाओं में कार्यान्वयन हेतु जारी कर दिए। मद्यनिर्माण यूनिटों से उनके बहिस्रावों को वांछित मानकों के अन्तर्गत लाने हेतु मई, 1984 उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई थी। अधिकांश मद्यनिर्माण यूनिटों ने अब तक ऐसे उपचार संयंत्रों की व्यवस्था नहीं की हैं। केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों द्वारा समय-समय पर उपचारी उपायों की समीक्षा की जाती है। कुछ दोषी इकाईयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (रांगिया) में कोच फैक्टरी

3024. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर रांगिया में एक रेलवे कोच फैक्टरी स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि अभी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, तो क्या इसे कभी बाद में स्थापित करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). जी नहीं। देश की मौजूदा उत्पादन यूनिटों की उपलब्ध क्षमता और सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए निर्माणाधीन यूनिटों को ध्यान में रखते हुए, आगे कोई और वृद्धि आवश्यक नहीं समझी जाती है। अतः, फिलहाल अथवा निकट भविष्य में देश में अन्य सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुवाहाटी और तिनसुकिया के बीच रेल सम्पर्क

3025. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में अब तक उपेक्षित जिला मुख्यालय तथा नवगांव, गोलाघाट, शिवसागर, जोरहाट और डिब्रूगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहरों को रेल सम्पर्क से जोड़ने के लिए गुवाहाटी से तिनसुकिया तक बड़ी रेल लाइन की काफी लम्बे समय से की जा रही मांग की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) वैकल्पिक मार्गों में से एक मार्ग के रूप में नौगांव, जोरहाट और शिवसागर जिला नगरों को जोड़ने के लिए गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया तक एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया गया था। तथापि, असम सरकार ने चापरमुख से नौगांव तक बड़ी लाइन सम्पर्क और मौजूदा मीटर लाइन मार्ग के साथ-साथ गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया तक एक बड़ी लाइन की सिफारिश की थी। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य

3026. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री तथा आई० टी० आई० शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य छात्रों को आत्म-निर्भर बनाना तथा उन्हें रोजगार प्रदान करना है ;

(ख) क्या उपर्युक्त तकनीकी शिक्षा इस उद्देश्य को पूरा करती है ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत आमूल परिवर्तन करके इस तकनीकी शिक्षा को नया रूप प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि सभी छात्र आत्म-निर्भर हो सकें एवं उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री सहित विभिन्न स्तरों पर तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिनसे इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित छात्र लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्योगों अथवा अन्य प्रयोक्ता संगठनों द्वारा उपयुक्त स्तरों पर नियुक्त किया जाता है।

सवेतन रोजगार के अलावा, कुछ छात्र स्वतः रोजगार नियुक्त होने की प्रणाली को भी चुन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह निर्धारित किया गया है कि छात्रों को स्वतः रोजगार को एक जीविका उपार्जन के विकल्प के रूप में विचार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षुता में डिग्री अथवा डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति के अनुसरण में प्रशिक्षता प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का सृजन करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

पत्तन कर्मचारियों द्वारा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला उपबन्ध समाप्त करना

3027. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री बम्बई पत्तन के कर्मचारियों द्वारा राजनीति में भाग लिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले उपबंध के बारे में 19 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन कर्मचारियों द्वारा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला उपबन्ध अभी तक समाप्त नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1985 से अब तक की अवधि में नगर निगम के अथवा कोई अन्य चुनाव लड़ने के कारण बम्बई पत्तन न्यास के किन्हीं कर्मचारियों को दंडित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो पत्तन अधिकारियों द्वारा उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). बम्बई पत्तन न्यास विनियमों के सम्बन्धित उपबन्धों के तहत पत्तन के कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की मनाही है। सरकार ने किसी भी समय इस उपबंध को निरस्त करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ग) से (ङ). बम्बई पत्तन न्यास ने उन दो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने बृहतर बम्बई के नगर निगम का चुनाव लड़ा था और वे उसी आधार पर एक अन्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम

3028. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के बावजूद राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में उप-शिक्षा अधिकारियों तथा प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण विषयों में गत दस वर्षों से संशोधन नहीं किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। संस्थान द्वारा आयोजित जिला शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की विषयवस्तु की निरन्तर समीक्षा की जा रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्रवाई योजना पर केन्द्रित है और इस व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम-सम्बन्धी विषयवस्तु में राष्ट्रीय शिक्षा

नीति पर प्रमुख बल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आयोजना तथा प्रबन्ध मुद्दे; शिक्षा में समाज की सहभागिता, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की शिक्षा; प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना; गैर औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा; राष्ट्रीय साक्षरता अभियान; शिक्षा का व्यावसायीकरण; माध्यमिक शिक्षा; मानव संसाधन विकास आयोजना; स्कूल-परिसर; स्कूल मानचित्रण और संस्थागत आयोजना और मूल्यांकन शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना, 1986 के महत्वपूर्ण विषयों पर बल और स्वायत्त कालेजों सम्बन्धी विषय, समानता, कोटि और दक्षता के लिए पाठ्यक्रमों तथा आयोजना की पुनःसंरचना; कालेज का राज्य, विश्वविद्यालय, स्कूल तथा समाज के साथ सम्बन्ध; महिला शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के विषयों को शामिल करने के लिए कालेज प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशिक्षण विषयवस्तु की भी पुनःसंरचना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना के प्रमुख बल वाले क्षेत्रों, और जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रम के सामने पहले ही सूचीबद्ध किए गए अन्य प्रसंगिक विषयों को भी शामिल करने के लिए स्कूल-प्रधानाचार्यों के लिए कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण-विषयवस्तु में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है। इन कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम राज्यों केन्द्रीय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों आदि के अनुरोध पर आयोजित किए जाते हैं और उन्हें उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बजट प्रावधान

3029. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु प्रचारित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है और इसके लिए किए गए सभी बजट प्रावधान अप्रयुक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि वर्तमान कार्यक्रम जारी रखा जाएगा, परन्तु उनकी कोटि में प्रमाणित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेशों का प्रयोग करके, बेहतर पर्यवेक्षण, उचित प्रशिक्षण, शैक्षिक नव परिवर्तन इत्यादि से सुधार किया जाएगा। यद्यपि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभी तक अन्तिम रूप से शुरू नहीं की गई हैं, वर्तमान कार्यक्रम जारी हैं तथा इसके लिए उपलब्ध कराई गई आवश्यक निधियों का उपयोग किया जा रहा है।

नवोदय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन

3030. **प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवोदय विद्यालयों के लिए निर्धारित धनराशि का कितना प्रतिशत भाग सितम्बर, 1987 के अन्त तक खर्च किया गया है ;

(ख) क्या इसके लिए और धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इस कार्य में पीछे रहे हैं और उनके पीछे रहने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए संशोधित प्राक्कलन में नवोदय विद्यालयों के लिए 59.00 करोड़ रु० का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इसमें से, सितम्बर, 1987 तक 5.00 करोड़ रु० की राशि मुक्त की गई है जो 8.47 प्रतिशत है।

(ख) फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

(ग) तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को छोड़कर, जिन्होंने योजना में परिकल्पित शिक्षण के माध्यम के बारे में कुछ आशंकाएं अभिव्यक्त की हैं, सभी अन्य राज्य और संघ शासित क्षेत्र अपने-अपने जिलों में नवोदय विद्यालयों को एक चरणबद्ध तरीके से आरम्भ करने के लिए भूमि और भवन प्रदान कर रहे हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की रक्षित समेकित संचार प्रणाली के बारे में लागत प्राक्कलन

3031. **श्री अमल दत्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री भारतीय इस्पात द्वारा उपग्रह के माध्यम से स्थित समेकित संचार प्रणाली की स्थापना के बारे में 9 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा उपग्रह के माध्यम से स्थिति समेकित संचार प्रणाली की स्थापना के बारे में परियोजना रिपोर्ट सहित लागत प्राक्कलन अब उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की स्थापना पर होने वाले व्यय का अनुमान क्या है ;

(ग) इस प्रणाली से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की कार्यशाला में किस प्रकार सुधार होगा ;

(घ) इस प्रणाली के न होने से भारतीय इस्पात प्राधिकरण की क्षमता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और देश को इससे कितना वित्तीय लाभ होगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ). इस प्रणाली से सेल के कारखानों, इकाइयों, खानों, केन्द्रीय विपणन संगठन, शाखा कार्यालयों तथा स्टाकयार्डों के लिए सफल एवं विश्वसनीय संचार व्यवस्था उपलब्ध होने की सम्भावना है।

उन्नत संचार प्रणाली से जानकारी अधिक तेजी से मिलेगी जबकि इस समय कारखानों, खानों और स्टाकयार्डों के विभिन्न प्रचालनात्मक तथा विपणन पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी इतनी शीघ्रता से नहीं मिल पाती है। इससे ऐसी समस्याओं को हल करने में अधिक शीघ्रता से निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। विस्तृत बजट रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद ही वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है।

इस्पात का गैर-सरणीकृत आयात

3032. **श्री अमल दत्त :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के गैर-सरणीकृत आयात का लेखा रखा जाता है/आंकड़े रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि में किए गए इस्पात के गैर-सरणीकृत आयात के श्रेणी-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) किन-किन एककों को इस्पात के गैर-सरणीकृत आयात की अनुमति दी गई थी और उन्हें किस प्रयोजन के लिए इसका आयात करने की अनुमति दी गई थी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बिना माध्यम के इस्पात का आयात करने वाली इकाइयों की इकाई-वार सूची उपलब्ध नहीं है।

इस्पात का निर्माण

3033. **श्री अमल दत्त :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** इस्पात के आयात के बारे में 20 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन श्रेणियों के इस्पात का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है ;

(ख) क्या इन श्रेणियों के इस्पात का निर्माण शुरू करने के प्रयास किए गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इनमें से कुछ श्रेणियों का निर्माण भारत में हो सकता है, यदि हां, तो इनके आयात के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्वदेशी उत्पादन की लागत पर आयात किस सीमा तक किया जाता है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ग). कुल मिलाकर देश, इस्पात की सभी मुख्य श्रेणियों का उत्पादन करने में सक्षम है। तथापि, कुछ मामलों में भारत में इस प्रकार की मदों की मितव्ययी ढंग से उत्पादन करने के लिए मांग पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामलों में और जहां देशी उत्पादन, मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आयात की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी, हां। आयात प्रतिस्थापन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और भारतीय इस्पात उद्योग आयात प्रतिस्थापन के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा है। बायलर क्वालिटी की प्लेट, प्रेशर वेसल स्टील, हाई स्ट्रैंग्थ माइक्रो अलायड स्टील, 90 यू० टी० की रेल पटरियां आदि के उत्पादन से इस्पात की उन मदों के निर्माण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिनका पहले उत्पादन नहीं किया गया था।

(घ) मुख्य रूप से यह बात सुनिश्चित करके ही आयात को विनियमित किया जाता है कि उससे देशी उत्पादन की हानि न हो।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन

3034. **श्री अमल दत्त :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण के बारे में 20 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के किन मुख्य उपकरणों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन किया जाना है और ऐसे प्रत्येक उपकरण की लागत कितनी है ;

(ख) विभिन्न मुख्य उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए क्या समय निश्चित किया गया है ; और

(ग) आधुनिकीकरण से कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की प्रस्तावित योजना को दो चरणों में बांटा गया है। चरण-I में कच्चेमाल की तैयारी में सुधार तथा उसकी व्यवस्था करने से सम्बन्धित योजनाओं तथा अन्य सभी प्रचालन प्राचलों की परिकल्पना की गई है। आधुनिकीकरण योजना के चरण-II में मुख्यत: कंटिन्युअस कास्टर सहित नई इस्पात गलनशाला की स्थापना वर्तमान, इस्पात गलनशालाओं में कंटिन्युअस कास्टर की स्थापना तथा प्लेट मिल हाट स्ट्रीप मिल के आधुनिकीकरण को शामिल किया गया है।

आधुनिकीकरण के चरण-I पर अनन्तिम रूप से 415 करोड़ रु० तथा चरण-II पर 1265 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है।

(ख) आधुनिकीकरण योजना के चरण-I के पांच वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है। तथापि, आधुनिकीकरण के सम्पूर्ण कार्य के छः वर्ष से कुछ अधिक समय में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण से तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात और विक्रेय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होने के अलावा इनके परिणामस्वरूप उत्पादकता और प्रौद्योगिकीय मानकों में सुधार होगा जिससे कारखाने को पर्याप्त बचत होगी और उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।

केरल में सूखे के कारण पेचिश का फैलना

3035. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सूखे के कारण और शुद्ध पेय जल की अनुपलब्धता के कारण पेचिश आदि जैसी बीमारियों के फैलने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सूखा ग्रसित क्षेत्रों में किसी महामारी के फैलने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य पर सूखे से पड़ने वाले किसी सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख, से (ङ). स्वास्थ्य सेवा निदेशक, केरल से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार त्रिवेन्द्रम जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में जुलाई, 1987 के दौरान 276 व्यक्तियों के जठरांत्रशोथ से पीड़ित होने और 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई बताई गई है। जबकि जून, 1987 में 206 व्यक्तियों को यह रोग लगने तथा 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई बताई गई थी। क्विलान जिले में 29-9-1987 से 30-10-1987 की अवधि के दौरान 502 व्यक्तियों के जठरान्त्र शोथ/हैजा से पीड़ित होने तथा 20 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। रोगियों की इतनी अधिक संख्या होने का कारण इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति और पीने का साफ पानी उपलब्ध न होना है। रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

—पीने के पानी के स्रोतों में क्लोरीन मिलाना।

—स्वास्थ्य शिक्षा देना।

—ओ० आर० एस० पैकेट बांटना।

इसके अतिरिक्त केरल सरकार को 3.3 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है ताकि जलपूर्ति के साधनों में सुधार करने, नलकूप खोदने, पावर पम्प तथा हैण्ड पम्प लगाने, भण्डारणों का निर्माण करने आदि जैसे अल्पकालीन राहत उपाय किए जा सकें। ये कार्य मार्च, 1988 से पहले शुरू और पूरे किए जाने हैं, ताकि नगरीय क्षेत्रों में जलपूर्ति की स्थिति में सुधार हो सके।

यमुना नदी को दिल्ली में नौगम्य जलमार्ग के रूप में विकसित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3036. **श्री महेन्द्र सिंह :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्देशीय जल-मार्ग प्राधिकरण राजधानी की परिवहन समस्या को हल करने के लिए दिल्ली में यमुना नदी को नौगम्य जलमार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने यमुना नदी पर नौचालन की व्यवहारिकता का पता लगाने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्षेत्रीय महिला पालिटेक्नीक

3037. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय महिला पालिटेक्निक स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में एक ऐसे पालिटेकनिक का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह कब स्थापित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में, सरकार का केन्द्रीय योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आवासीय पालिटेक्नीकों की स्थापना का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रकार के एक पालिटेक्नीक को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए राज्य सरकारों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उड़ीसा राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्बलपुर रेलवे डिवीजन

3038. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर रेलवे डिवीजन का कार्य शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब से ;

(ग) उस परियोजना के स्थापना कार्य में अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) उस परियोजना के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हाँ।

(ख) नियन्त्रण कार्यालय का निर्माण शुरू करने के साथ 16-10-87 को।

(ग) और (घ). सम्बलपुर मण्डल की स्थापना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि 4.5 करोड़ रुपए है। 1987-88 तक के लिए 82 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

इस्पात बनाने वाली क्रियाओं के उपोत्पादों का प्रयोग करने सम्बन्धी योजना

3039. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास अनेक किस्म के अन्य उत्पाद बनाने के लिए कोक ओवन गैस, धमन भट्टी से निकला कचरा और इस्पात बनाने वाली प्रक्रियाओं के अन्य उपोत्पादों का प्रयोग करने सम्बन्धी योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन उपोत्पाद संयंत्रों से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख). जी हां। सेल के कारखाने, उपोत्पाद के रूप में कोक ओवन गैस से कई कोयला रसायनों की प्राप्ति कर रहे हैं। इन से बेंजेन, टोलुएन, सोलवेंटनेफ्था, एक्स्ट्रा हार्ड पिच, टार आयल आदि जैसे योजित मूल्य डाउन-स्ट्रीम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सेल, नए डाउनस्ट्रीम उद्योगों के साथ ऐसे उद्योगों के साथ ऐसे आदानों के दीर्घविधि समझौते सम्बन्धी प्रस्तावों पर आगे विचार कर रही है। सेल, सीमेंट के उत्पादकों को घमन भट्टी के दानेदार स्लैग बेचती है।

(ग) जी, हां।

व्यापक प्रतिरक्षण अभियान शुरू करने का कार्यक्रम

3040. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कतिपय क्षेत्रों में, जिन्हें निश्चित अवधि में व्यापक प्रतिरक्षणता प्राप्त करने की भारी सम्भावना के रूप में चुना गया है, व्यापक प्रतिरक्षण अभियान चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार चुने गए जिलों और मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने 1985 से व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कमसे कम 85 प्रतिशत शिशुओं का वैक्सीन से रोकथाम की जा सकने वाली छह बीमारियों अर्थात् डिप्थीरिया, कूकर खांसी, टेटनस, क्षय रोग पोलियो और खसरे से बचाव करने का प्रस्ताव है और शतप्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टी० टी० की दो खुराकें देकर टेटनस से बचाव किया जाएगा। 1990 तक सारे देश को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। जिलों ये चरणबद्ध ढंग से यह कार्यक्रम चलाया जाता है और इस वर्ष तक 182 जिले लाभान्वित किए गए हैं और इस प्रकार 1989-90 तक शेष जिले इस कार्यक्रम से लाभान्वित किए जायेंगे। इस कार्यक्रम की सफल शुरूआत के उद्देश्य से कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिलों का चयन कुछ मान-दण्डों के आधार पर किया गया था जैसे सुविकासित आधारभूत ढांचा, कार्य कर रहे कर्मचारी आदि। इसके अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सिफारिश पर जिले चुने जाते हैं। 1985-86 के दौरान 50 मेडिकल कालेजों तथा उनके सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था और 1986-87 के दौरान शेष 56 मेडिकल कालेज भी शामिल कर लिए गए थे। इस वर्ष के दौरान चुने गए जिलों तथा आने वाले वर्षों में राज्य-वार चुने जाने वाले जिला और 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए मेडिकल कालेजों की सूची सभा पटल पर रखे गए विवरण I और विवरण II में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5248/87**]

सफदरजंग अस्पताल से सम्बद्ध धर्मशाला का उपयोग

3041. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग से सम्बद्ध धर्मशाला का उपयोग उस प्रयोजन हेतु पूरी तरह से किया जा रहा है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). धर्मशाला का कुछ भाग रोगियों को आवंटित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तल प्रधान भुगतान और लेखा कार्यालय को दे दिया गया है क्योंकि उस कार्यालय के कर्मचारियों के लिए अस्पताल में कोई अलग स्थान नहीं है। धर्मशाला का एक भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं, जैसे पट्टियों, रुई आदि को रखने के लिए किया जाता है क्योंकि अस्पताल में उनके रखने के लिए भी स्थान नहीं है।

पुनः प्रयोग प्रौद्योगिकी का महत्व

3042. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** :

डा० वी० वेंकटेश :

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ठोस अपशिष्ट के पुनः उपयोग के लिए पुनः प्रयोग औद्योगिकी के महत्व पर जोर देने के लिए कोई उपाय किए हैं और उनका पर्यावरण सुधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने अपशिष्ट पदार्थों को उपयोग में लाने के महत्व के सम्बन्ध में जागरुकता लाने के लिए कदम उठाए है। जागरूकता पैदा किए जाने के फलस्वरूप, भारत में अपशिष्ट का व्यापक रूप मे पुनः उपयोग किया जाता है। औद्योगिक और नगरपालिका के ठोस अपशिष्टों को उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकियां उपलब्ध है। हमारे देश में ठोस अपशिष्टों के पुनः उपयोग के कुछ उदाहरण ये हैं : नगरपालिका और पशुओं के अपशिष्ट का कम्पोस्ट खाद, खोई का ईंधन के रूप में और कागज बनाने में उपयोग, उपयोग में लाए गए कागज का पुनः उपयोग, फ्लाई ऐश से धातु और प्लास्टिक के डिब्बे, कांच के बोतल और बर्तन और ईंटें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोषाहार सम्बन्धी दीर्घकालिक नीति

3043. **श्री बाबा साहिब बिखे पाटिल :**
डा० वी० वेंकटेश :
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पोषाहार के सम्बन्ध में दीर्घकालिक नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग की नवीनतम समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि 86 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की विभिन्न श्रेणियों में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या समीक्षा में यह भी बताया गया है कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार के सम्बन्ध में स्थिति कमजोर होती है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . योजना आयोग ने बच्चों और गर्भवती एवं शिशुवती माताओं में कुपोषण की मात्रा का कोई पुनरीक्षण नहीं किया है। परन्तु विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए अनेक अध्ययनों और सर्वेक्षणों से पता चला है कि गर्भवती एवं शिशुवती माताओं व बच्चों का पोषाहारीय स्तर घटिया है।

0—6 वर्ष, तक की आयु के बच्चो और गर्भवती एव शिशुवती माताओं के पोषाहार स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित "समेकेतिक बाल विकास सेवा योजना" में एक पोषाहार घटक शामिल किया है। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और श्रमजीवी तथा बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह योजनायें भी ऐसे बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करते हैं जो इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं। भारत सरकार एक और पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसे 0—6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं के लाभ के लिए "गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम" कहा जाता है। निर्धारित आयुवर्ग के बच्चों की पोषाहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें भी विशेष पोषाहार कार्यक्रम चला रही हैं।

उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सोवियत संघ से बातचीत

3044. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :**
डा० वी० वेंकटेश :
श्री भद्रेश्वर तांती :
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1987 के मध्य में सोवियत संघ से एक शिष्टमण्डल ने दिल्ली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उसके साथ उच्च शिक्षा और विशेषज्ञ प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के बारे में भी चर्चा की थी ;

(ग) क्या छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में वृद्धि किये जाने के बारे में भी चर्चा की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). सोवियत गणतंत्र समाजवादी संघ ने निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अल्प अवधि के विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भारतीय अध्येताओं को प्रति वर्ष 180 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान करना स्वीकार किया ;

—बुनियादी और प्रयुक्त विज्ञानों में 55 छात्रवृत्तियां।

—इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी में 60 छात्रवृत्तियां।

—पर्यावरण विज्ञान में 10 छात्रवृत्तियां।

—मानविकी और समाज विज्ञान में 40 छात्रवृत्तियां, तथा

—खेल प्रशिक्षण और खेल चिकित्सा शास्त्र सहित विविध क्षेत्रों में 15 छात्रवृत्तियां।

अन्धेपन को दूर करना

3045. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

डा० वी० वेंकटेश :

श्री भालेश्वर तांती :

श्री विमल कान्ति घोष :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने व्यक्ति अंधेपन के शिकार हैं ;

(ख) सरकार ने अन्धापन दूर करने के लिए कौन से उपाय किए हैं ; और

(ग) ये उपाय किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1971-73 में किए सर्वेक्षण के अनुसार देश मे लगभग 90 लाख व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। ये व्यक्ति छह मीटर की दूरी से आगे अच्छी तरह नहीं देख सकते। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1981-82 में किए गए एक और सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 34.7 लाख दृष्टिहीन व्यक्ति ऐसे हैं जो तीन मीटर की दूरी से आगे अच्छी तरह नहीं देख सकते।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने लोगों की नेत्र परिचर्या के लिए आधारभूत ढांचा बनाया/सुदृढ़ किया है और परिक्षीय, मध्यवर्ती तथा केन्द्र स्तर पर विभिन्न स्तरीय विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध की गई हैं। लाख लोगों को नेत्र परिचर्या और जरूरत बंद लोगों को

शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा उपायों के साथ नेत्र शिविर जगह-जगह लगाने की नीति अपनाई गई है। प्राथमिक नेत्र उपचर्या सेवाएं व्यापक स्तर के 3700 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 80 केन्द्रीय मोबाइल यूनिटों और 120 जिला मोबाइल यूनिटों के माध्यम से उपलब्ध की जा रही हैं। नेत्र परिचर्या की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए 404 जिला अस्पतालों, 60 मैडिकल कालेजों, नेत्र विज्ञान के 9 क्षेत्रीय संस्थानों और 5 नेत्र बैंकों को सुदृढ़ बनाया गया है। दृष्टिहीनता के बारे में इस समय एक राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) मोतिया बिन्द के किए जाने वाले वार्षिक आपरेशनों में भी वृद्धि की गई है। 1981-82 में 5 50 लाख आपरेशन किए गए थे। और 1986-87 में लगभग 12 लाख आपरेशन किए गए। 1981-82 और 1986-87 के दौरान देश में लगभग 60.50 लाख मोतियाबिन्द आपरेशन किए गए हैं।

आयुर्वेद के आचार्यों की सहायता से वनरोपण कार्यक्रम

3046. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में उपयोगी और औषधीय पौधे लगाने के लिए आयुर्वेद के आचार्यों की सेवायें प्राप्त करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). आयुर्वेद आचार्यों के साथ औपचारिक परामर्श करना आवश्यक नहीं माना जाता है। तथापि, वनरोपण कार्यक्रम के तहत, स्थानीय लोगों और अन्य विशेषज्ञों के साथ-साथ मांग और कृषि संबंधी जलवायु की दशा को ध्यान में रखकर प्रजातियों को पौधरोपण के लिए चुना जाता है।

विभिन्न रोगों का उन्मूलन कार्यक्रम

3047. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन रोगों के नियंत्रण के लिए कौन-कौन सी औषधियों की आवश्यकता है ;

(ग) क्या इनमें से किसी औषधि का आयात किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इन औषधियों के क्या नाम हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मलेरिया और फाइलेरिया के नियंत्रण से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम-कुष्ठ रोग के सभी पता लगे रोगियों में रोग को समाप्त करने के लिए एक शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम में गलगण्ड के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीकृत नमक सप्लाई करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम—क्षय रोगियों के रोग की रोकथाम के लिए है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम—दृष्टिहीनता और दृष्टिविकारों की रोकथाम के लिए है। गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्थानिकमारी वाले राज्यों में इन रोग के उन्मूलन के लिए कार्य किया जाता है।

ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी के अन्तर्गत ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के द्वारा अतिसार रोगों पर नियंत्रण पाया जाता है।

विस्तारित रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम वैक्सीन द्वारा रोके जा सकने वाले और बचपन में होने वाले डिप्थीरिया, कुकरखांसी, टेटनस, पोलियोमाइलिटिस, खसरा, क्षय और टाइफाइड ज्वर जैसे रोगों से होने वाली रुग्णता और मौतों की रोकथाम के लिए 1978 में आरम्भ किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए आवश्यक औषधियां

i. राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम

1. इन्जेक्शन स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट
2. आइसोनिकोंटिनिक एसिड एचसीएल टेबलट
3. कोम्बीनेशन कनटेनिंग—से युक्त योग
   आइसोनिकोटिनिक एसिड एचसीएल—150 मि० ग्रा०
   थियासिटाजोन—75 मि० ग्रा०
4. कोम्बीनेशन कनटेनिंग—से युक्त योग
   आइसोनिकोटिनिक एसिड एचसीएल—75 मि० ग्रा०
   थियासिटाजोन—37.5 मि० ग्रा०
5. इथाम्बुटोल गोलियां—800 मि० ग्रा०
6. सोडियम पास ग्रेनुअल्स
7. पाइराजिनामाइड
8. रिफेम्पीसिन

ii. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

1. डेप्सोन —100 मि० ग्रा० और 50 मि० ग्रा० गोलियां
2. क्लोफाजामाइन 100 मि० ग्रा० और 50 मि० ग्रा० कैप्सूल
3. रिफैम्पीसिन 300 मि० ग्रा० और 150 मि० ग्रा० कैप्सूल

iii. राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

1. टेट्रासाइक्लीन एच सी एल मलहम	1 प्रतिशत
2. सोडियम सल्फोसिटामाइड ड्राप्स	10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत
3. पिलोकारपीनन आई ड्राप्स	1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत
4. हाइड्रोकार्निसोन ड्राप्स एवं मलहम	0.5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत
5. आइडोक्सोरिडीन आई ड्राप्स	0.1 प्रतिशत
6. टिमोलोल मेलेट	0.25 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत
7. एसिटाजोलामाइड टेबलेट्स	250 मि० ग्रा०
8. एट्रोपियन आई ड्राप्स एण्ड मलहम	1 प्रतिशत
9. होमाट्रोपिन आई ड्राप्स	1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत

iv. ओरल रिहाईड्रेशन थेरापी के अंतर्गत डीहाइड्रेशन की रोकथाम

1. ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट

v. गलगण्ड कार्यक्रम

खाद्य नमक के आयोडीनीकरण के लिए पोटाशियम आयोडेट के रूप में आयोडीन आवश्यक है।

vi. रोगप्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम

रोगप्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के लिए डी० पी० टी०, डी० टी०, टी० टी०, बी० सी० जी० पोलियो टाइफाइड और खसरा वैक्सीन प्रयोग किए जाते हैं।

vii. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1. क्लोरोक्विन
2. एमोडियक्विन
3. कोनीन
4. पाइरिमेथेमाइन (25 मि० ग्रा०) + सल्फाडेटिपाइसेक्सिन (500 मि० ग्रा०) का योग।
5. पेरासिटामोल।

viii. फाइलेरिया

डाइयूल्केरबामाजाइन

(ग) जी हां।

(घ) 1. इन्जेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट

2. आइसोनिकोटिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलट्स

3. इथाम्बुटोल टेबलट्स

4. पाइराजिनामाइड

5. रिफेम्पीसिन

6. डेप्सोन

7. क्लोफाजामिन

8. पिलोकार्पिन आई ड्राप्स

9. हाइड्रोकार्टिसोन ड्राप्स और मलहम।

10. आइडोक्सोयूराडायन आई ड्राप्स

11. किटमोलोल मेलेट

12. होमाट्रोपिन आई ड्राप्स

13. पोटाशियम आयोडेट के रूप में आयोडीन

14. क्लोरोक्विन

15. पाइरामिथेमाइन (25 मि० ग्रा०)
सल्फामेटिपाइरोक्सिन (500 मि० ग्रा०) का योग।

16. पेरासिटामोल।

चित्रदुर्ग किले का जीर्णोद्धार

3048. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐतिहासिक चित्रदुर्ग किले की स्थिति जीर्ण है ;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा चित्रदुर्ग किले के जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना भेजी गई है ;

(ग) क्या किले के परिसर में अनधिकृत निर्माण हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस ऐतिहासिक किले के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). चित्रदुर्ग किले के कुछ भाग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और 1987-88 के लिए कार्य योजना में किला परिसर की संरक्षण परियोजना को पहले ही शामिल कर दिया गया है ।

(ग) और (घ). राज्य प्राधिकारियों द्वारा वह क्षेत्र जिसमें संरक्षित स्मारक स्थित हैं का औपचारिक स्थानान्तरण अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किया जाना है । अनधिकृत निर्माण को हटाने और अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ पहले ही कदम उठाये गए हैं ।

तुंगभद्रा नदी का दूषित होना

3049. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान ने जहरीले अपशिष्ट के विसर्जन के कारण कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के 10 किलोमीटर के फैलाव में प्रदूषण के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) क्या इस रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सी० आई० एफ० आर० आई०) ने कर्नाटक में हरिहर के निकट तुंगभद्रा नदी में जलीय जीवन पर हरिहर पोलीफाईबर और ग्वालियर रेयन फैक्टरी से निकलने वाले बहिस्रावों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

(ख) रिपोर्ट कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नवम्बर, 1986 में प्रस्तुत की गई थी ।

(ग) और (घ). कर्नाटक राज्य सरकार तकनीकी सलाहकार समिति के माध्यम से रिपोर्ट की जांच कर रही है ।

बंगलौर और तुमकुर के बीच एक्सप्रेस गाड़ियों और शटल गाड़ियों की गति बढ़ाना

3050. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ी को छोड़कर अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा बंगलौर और तुमकुर के बीच की दूरी को तय करने में अधिक समय लिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का बंगलौर और तुमकुर के बीच एक्सप्रेस गाड़ियों और शटल गाड़ियों की गति तेज करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). बेंगलूर-तुमकुर एक इकहरी लाइन वाला खंड है। मार्गवर्ती ठहराव तथा क्रासिंग, गाड़ियों का भार और अन्य परिचालनिक कारक विभिन्न गाड़ियों के चालन समय को निर्धारित करते हैं। फिलहाल, किसी भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

इस्पात की मांग

3051. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सन् 2000 तक इस्पात की कितनी मांग होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : सन् 2000 तक देश में इस्पात की अनुमानित मांग लगभग 250 लाख टन हो जाएगी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विभाग की स्थापना

3052. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत अब तक कोई सामाजिक विज्ञान विभाग स्थापित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का अब इसे स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में इस समय अनुसंधान अधिकारी और उससे ऊँचे पद के कितने समाज वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत अभी तक कोई सामाजिक विज्ञान प्रभाग स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग). कार्य की मात्रा को देखते हुए फिलहाल सामाजिक विज्ञान प्रभाग खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी और उसके ऊपर के स्तर के छह अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

नेहरू युवक केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण

3053. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर नेहरू युवक केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर नेहरू युवक केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में नेहरू युवक केन्द्र के लिए भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण किस वर्ष किया जाएगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) नेहरू युवा केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत, नेहरू युवा केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि, ग्रामीण युवा कार्यकलापों को सुकर बनाने हेतु नेहरू युवा केन्द्र अलीपुर (दिल्ली) में एक बहुउद्देशीय कम्पलैक्स का निर्माण शुरू किया गया है ।

(ख) इस समय किसी अन्य स्थान पर ऐसे कम्पलैक्सों का निर्माण सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

पिथौरागढ़ में भारत रिफ्रैक्ट्रीज की यूनिट की स्थापना

3054. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में देवलथल (पिथौरागढ़) में स्थापित की जाने वाली भारत रिफ्रैक्टरीज की यूनिट से सम्बन्धित निर्माण कार्य के प्रस्ताव को कभी स्वीकृति प्रदान की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति किस वर्ष दी गई थी ;

(ग) क्या इस स्वीकृति के आधार पर ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस फैक्टरी में उपयोगी किये जाने वाले मैग्नेसाइट की प्रभावी उपयुक्तता के सम्बन्ध में पुन: कोई जांच की गई है ; और

(च) यदि हां, तो यह जांच कब की थी और इस प्रकार की जांच करने का क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वीकृति सितम्बर, 1982 में दी गई थी ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड ने वांछित उपस्करों की सप्लाई करने, उन्हें स्थापित करने तथा चालू करने के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु कार्रवाई की थी । प्राप्त पेशकशों से पता चला है कि इस परियोजना पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के समय

जिस धनराशि का अनुमान लगाया गया था उससे अधिक धनराशि की आवश्यकता है। विलम्ब तथा लागतों में वृद्धि होने कारण कम्पनी को इन परियोजना की समीक्षा करानी पड़ी।

(ङ) और (च). चूंकि मैग्नेसाइट की गुणवत्ता की जानकारी है, इसलिए आगे और जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वी तट और बम्बई हाई के साथ-साथ समुद्री परिवहन हेतु गैर-सरकारी प्रस्ताव

3055. **डा० दत्ता सामन्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन के महानिदेशक को बम्बई के पूर्वी तट (बम्बई वाशी, बम्बई-बेलापुर) और बम्बई हाई के साथ-साथ समुद्री परिवहन के सम्बन्ध में गैर-सरकारी पार्टियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नौवहन महानिदेशक को मार्च, 1987 में न्यू फेरी व्हार्फ-वाशी और नरीमन प्वाइंट-बोरीविली रूटों पर होवर क्राफ्ट यात्री बोटों की खरीद के लिए एक कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) नौवहन महानिदेशालय द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी और कम्पनी से विभिन्न तकनीकी ब्यौरे/सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था, जो उन्होंने अभी तक पूर्ण रूप से नहीं भेजे हैं।

जंगली पौधों का रोपण

3056. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों द्वारा रोगों से मुकाबला करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले लगभग 7,000 जंगली पौधों और भोजन और शक्ति के स्रोत के रूप में उनके काम आने वाले 100 से अधिक पशु-पक्षियों की किस्मों का मानव जाति जीव-विज्ञान संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पौधों को देश के अन्य भागों में भी लगाया जाएगा ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन पौधों को रोगों के इलाज के लिए कहां तक उपयोगी पाया गया है ; और

(ङ) इस अनुसंधान कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है और इसके अब परिणाम निकले हैं तथा स्थानीय ज्ञान को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सुगमता से उपलब्ध इन संसाधनों के आधार पर

समुचित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास करके इनका किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परियोजना कार्यक्रम में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पौध प्रजातियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। परिणामों का व्यावहारिक संवर्धन/वाणिज्यिक दोहन के कार्य क्षेत्र से परे है।

(घ) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू जैसी संस्थाओं द्वारा इनमें से कुछ पौधों की रासायनिक एवं भेषज गुणविज्ञानीय (फार्माकोलॉजीकल) जांच करके उनके सम्भावित औषधीय गुणों का पता लगाया गया है। बहुत से पौधों को पीलिया, सर्पदंश, मिरगी, नपुंसकता व यौन रोगों, गठिया रोगों के उपचार और गर्भपात तथा गर्भरोधी उपयोग हेतु वैज्ञानिक जांच-पड़ताल के योग्य माना गया है।

(ङ) यह परियोजना इस समय 17 केन्द्रों में चल रही है और इसने अपने संचालन के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा आदिवासी क्षेत्रों के 55 से 60 प्रतिशत भाग को कवर कर लिया है। उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास के लिए परियोजना के निष्कर्ष राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं।

गैस रिसाव की घटनाएं

3057. **श्री विष्णु मोदी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक एककों से गैस रिसाव की घटनाएं सामान्य बात हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में सरकार की जानकारी में गैस रिसाव के कितने मामले आये हैं और गैस रिसाव की इन घटनाओं से क्षेत्र-वार तथा उद्योग-वार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए ;

(ग) दोषी उद्योगों के विरुद्ध उद्योग-वार क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार ऐसे औद्योगिक एककों को शहरों/कस्बों के बाहर अथवा अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के ध्यान में गैस रिसाव की 17 घटनाएं आई हैं। कुछ हद तक काफी व्यक्ति प्रभावित हुए थे और एक अथवा दो दिन के उपचार के पश्चात् उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

i. उत्पादन प्रक्रियाओं को तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि कारखाना निरीक्षणालय द्वारा पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है और उत्पादन पुनः शुरू करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाती है।

ii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योग का संचालन तब तक रोकने का आदेश जारी करता है जब तक कि कारखाना निरीक्षणालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा गठित किसी समिति द्वारा पूर्ण रूप से जांच नहीं कर ली जाती है ।

iii. राज्य सरकार राज्य में खतरनाक उद्योगों का पता लगाने के लिए अधिकांश मामलों में समितियां गठित करती हैं ।

(घ) और (ङ). सभी इकाइयों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है । अलग-अलग परिस्थितियों में प्रत्येक मामले पर विचार करना पड़ता है ।

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

3058. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन जार्यक्रम रोग के मामलों को न्यूनतम करने अथवा इसके पूर्ण उन्मूलन के निकट रहने में भी असफल रहा है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के सभी कार्यकलाप मुख्यत: शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं जबकि 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है ;

(ग) यदि हां, तो उस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक कितनी जनसंख्या को लाभ मिला है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पता लगाए गए कुष्ठ के सभी रोगी चाहे ये शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हों, कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं । राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम एक उर्ध्वाधर वर्टीकल कार्यक्रम है और शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जाता है । औषधों के संयोग बहु औषध उपचार (एम० डी० टी०) अत्यधिक प्रभावकारी पाए गए हैं । देश के 201 जिलो को रोग की स्थानिकमारी वाले जिलों के रूप में घोषित किया गया है । संभार-तंत्र, वित्तीय और संचालन संबंधी कारणों से स्थानिकमारी वाले जिलों में एम० डी० टी० चरणबद्ध ढंग से लागू करने की योजना है जिसमें जिले को एक इकाई माना गया है । इस समय 48 स्थानिकमारी वाले जिले एम० डी० टी० के अंतर्गत है और चालू वर्ष में 26 और जिलों में यह शुरू किया जाएगा । स्थानिकमारी वाले सभी जिलों को 1995 तक बहु औषध उपचार के अन्तर्गत लाया जाएगा ।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

3059. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्रीमती प्रभावती गुप्त :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ताकि उनके विलम्ब होने के कारण का पता चल सके ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान किए गए अध्ययन का क्या परिणाम निकला ;

(ग) किन-किन रेलवे जोनों में रेलगाड़ियों के समय पर चलने मे सुधार हुआ है और किन-किन रेलवे जोनों में यह स्थिति खराब हुई है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ियों के विलम्ब से चलने के लिए उत्तरदायी पाये गये मुख्य कारक थे—खतरे की जंजीर का खींचा जाना, आन्दोलन/बन्द, दुर्घटनाएं और डीजल तथा सिगनल उपस्करों की खराबियां।

(ग) दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण मध्य और पश्चिम रेलों पर समय पालन में सुधार हुआ है। मध्य, उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर रेलों पर इसमें गिरावट आयी है।

(घ) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समयपालन पर हर समय गहन ध्यान और निगरानी रखी जा रही है।

इस्पात उत्पादन के लिए जर्मनी की प्रौद्योगिकी अपनाना

3060. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जर्मनी की प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार कर रहा है जिसके अपनाने से इस्पात के उत्पादन की लागत कम आयेगी ;

(ख) क्या यह वही प्रौद्योगिकी है जिसे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने वर्षों पहले अपनाया था ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इसे पहले न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह एक अलग प्रौद्योगिकी है, यदि हां, तो इस पर कितना पूंजी निवेश होगा और उत्पादन स्तर पर लागत लाभ अनुपात कितना होगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) मेल, खुले मुंह की भट्ठी में आक्सीजन/वायु प्रारम्भ करने संबंधी "कोर्फ" प्रौद्योगिकी को अपना चुका है जिससे उत्पादकता में

वृद्धि होती है तथा इस्पात के उत्पादन की लागत कम करने में सहायता मिलती है।

(ख) और (ग). टिस्को ने सेल के उप लाइसेंसधारी के रूप में मार्च, 1987 में इस प्रौद्योगिकी को लागू किया था। "सैल" ने मैसर्स कोटेंक से इस प्रौद्योगिकी को अन्तरित कराने की पहल की थी। "सेल" ने यह प्रौद्योगिकी अप्रैल, 1987 में राउरकेला में लागू की थी और अब "इस्को" में लागू करने की योजना बना रही है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आसनसोल और वर्धमान के बीच स्थानीय रेल सेवा आरम्भ करना

3061. **डा० सुधीर राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल से वर्धमान के बीच एक अन्य स्थानीय रेल सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आसनसोल और बर्द्धमान स्टेशनों पर फालतू लाइन क्षमता की कमी है तथा टर्मिनल सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

साबुन और डिटरजेंट पाउडर के प्रयोग से चर्मरोग के मामलों में वृद्धि

3062. **श्री शांति धारीवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में साबुनों और डिटरजेंट पाउडरों के उपयोगों से होने वाले चर्मरोगों के बढ़ते हुये मामलों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या निर्माता साबुन और पाउडर बनाते समय उनमें "अल्कायल बेन्यून" "सल्फानेटेल इनर", "अल्कायल सल्फेट", "सोडियम सल्फेट" और "बेनेयुल सल्फेट", आदि का अपेक्षित मात्रा से अधिक मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार साबुन और डिटरजेंट पाउडर के उपयोग से अनेक चर्म रोग नहीं होते। परन्तु उस व्यक्ति को किसी खास ब्रांड के साबुन/डिटरजेंट पाउडर के एक या अधिक घटकों से प्रतिक्रिया हो सकती है जिसे इनसे एलर्जी होती है।

(ख) से (घ). उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास निभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये डिटरजेंटों के निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले सक्रिय घटक हैं। डिटरजेंटों के मानकों में इन सक्रिय घटकों की कतिपय न्यूनतम प्रतिशतता शामिल की गई है। इन घटकों में से एक या अधिक का प्रयोग निर्माताओं द्वारा किया जा सकता है। डिटरजेंट में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए निर्माता इन घटकों की अधिक प्रतिशतता इस्तेमाल कर सकते हैं।

[अनुवाद]

गोवा में राष्ट्रीय जल-क्रीडा (वाटर स्पोर्टस) संस्थान

3063. **श्री शांता राम नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में राष्ट्रीय जल-क्रीड़ा (वाटर स्पोर्टस) संस्थान स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). गोवा में जल खेलों का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त खेल परियोजनायें

3064. **श्री शांताराम नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों, राज्य खेल परिषदों, पंजीकृत संगठनों आदि को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित खेल अवस्थापन्न परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

(रु० लाखों में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित राशि	दी गई राशि
1985-86	177	385	213
1986-87	598	2976	1479
1987-88	245	1604	1155
(15 नवम्बर, 1987 तक)			

अनुदान की द्वितीय किस्त राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुक्त की जाएगी।

सेंट्रल वर्कशाप, गोल्डन राक में खलासी के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन

3065. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983 में सेंट्रल वर्कशाप, गोल्डन राक में खलासी के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन किया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था ;

(ग) क्या 211 उम्मीदवार चुने गए थे परन्तु उन्हें सेवा में नहीं रखा गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) यांत्रिक और डीजल स्कंधों में ग्रुप "डी" की रिक्तियों के लिए 1400 उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

(ग) और (घ). ऊपर भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित पेनल में से 164 उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी। ऊपर भाग (क) और (ख) में उल्लिखित भर्ती के अलावा, गोल्डन राक कारखाने के बिजली स्कंध में ग्रुप "डी" के पदों के लिए एक चयन किया गया था जिसे अक्तूबर, 1984 में अन्तिम रूप दिया गया था जिसमें 111 उम्मीदवारों का चयन किया गया था लेकिन पेनल की वैधता के दौरान अर्थात अक्तूबर, 1985 तक 47 उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जा सका था। इन 211 (164+47) उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी थी क्योंकि सम्बद्ध पेनलों की वैधता के दौरान उनकी नियुक्ति के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं।

दिल्ली में मेटाडोर बसें

3066. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मेटाडोर बसें चलाने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रकल्स लिमिटेड से कुछ मेटाडोर बसें खरीदी गई है ;

(ख) क्या दिल्ली के कुछ और क्षेत्रों को इन तर्सों के रूट में शामिल करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली के घने क्षेत्रों में पब्लिक को कम दूरी के लिए प्रदूषण रहित पनिवहन सुलभ कराने के लिए दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी ने प्रायोगिक आधार पर 69 बैटरी-चालित बसें खरीदी हैं जिन्हें इलेक्ट्रावैनों के नाम से जाना जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इन बसों के प्रचालन के परिणामों का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रणाली लगाना

3067. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रणाली लगाई गई है ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत कुछ बसों में प्रवेश द्वार की बाईं ओर बस के मार्ग के बारे में ब्यौरा दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुविधायें दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में उपलब्ध कराने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के तहत चल रही कुछ ऐसी प्राइवेट बसों में रूटों के ब्यौरे दिए होते हैं, जो नियत आबंटित रूटों पर चलती हैं, उनमें ये ब्यौरे प्रवेश द्वारों के बायीं तरफ दर्शाए जाते हैं ।

(ग) से (ङ). 300 और बसों में सार्वजनिक सूचना प्रणाली लगाने की कार्यवाही की जा रही है । विभिन्न रूटों/ट्रिपों पर चल रही बसों के प्रवेश-द्वार के बायीं तरफ रूटों के ब्यौरे दर्शाना व्यवहार्य नहीं पाया गया । तथापि रूटों के ब्यौरे प्रमुख बस-स्टापों पर दर्शाए जाते हैं ।

"हाइस्पीड कारीडोर" का निर्माण

3068. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल परिवहन की आधुनिक प्रणाली की प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और उसे अपनाने के लिए देश में एक "हाई स्पीड कारीडोर" का निर्माण करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है और इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) फिलहाल, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सड़क तथा सड़क विकास के लिए स्थायी समितियां

3069. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद से सड़क तथा सड़क विकास के लिए दो स्थायी समितियां स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो मुख्य समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) परिवहन विकास परिषद ने देश में सड़कों और यातायात के विकास में कितनी सहायता की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलेट) : (क) और (ख). जी, हां। परिवहन विकास परिषद ने 8 सितम्बर, 1987 को हुई अपनी 20वीं बैठक में दो स्थायी समितियों अर्थात् सड़कों और सड़क परिवहन पर एक-एक समिति का पुनर्गठन किया ताकि वे इन सेक्टरों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श कर सकें और सिफारिश कर सकें।

(ग) परिवहन विकास परिषद सड़कों और सड़क परिवहन के विकास के लिए नीति बनाने के क्षेत्र में सरकार को सलाह देने के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसकी सिफारिशें बहुत उपयोगी रही हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली और सहारनपुर के बीच बरास्ता शामली, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

3070. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली और सहारनपुर के बीच और उससे आगे चलने

वाली गाड़ियों में से केवल एक एक्सप्रेस गाड़ी शामली होकर जाती है ;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली और सहारनपुर के बीच, बरास्ता शामली एक और एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का विचार है ?

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक चलाये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). इस खंड पर प्रत्येक दिशा में एक एक्सप्रेस तीन फास्ट पैसेंजर और सभी स्टेशनों पर ठहरने वाली तीन पैसेन्जर गाड़ियां उपलब्ध हैं जिन्हें यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

[अनुवाद]

मधुमेह रोग की रोकथाम

3071. **श्री राजकुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मधुमेह रोग की रोकथाम कार्यक्रम को शामिल किया है ;

(ख) यदि हां, तो मधुमेह की रोकथाम के लिए की जा रही प्रस्तावित कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मधुमेह की रोकथाम के लिए अपेक्षित दवाइयों की खरीद के लिए धनराशि निर्धारित की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में "जिला मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम स्वीकार किया है। शुरू में यह कार्यक्रम देश के उन पांच जिलों में मार्गदर्शी आधार पर चलाए जाने की आशा है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या परीक्षण प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्कूल सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर मधुमेह रोग निवारण पर होगा। लोगों को मधुमेह रोग शिक्षा तथा जानकारी प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जीवन रक्षक औषध इन्सुलिन उपलब्ध करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ग) भारत सरकार ने मधुमेह के नियंत्रण के लिए अपेक्षित औषधियां खरीदने हेतु अलग से कोई राशि आबंटित नहीं की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यौन सम्बन्धों द्वारा होने वाले रोगों के लिए अपेक्षित औषधि

3072. **श्री राजकुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यौन सम्बन्धों से होने वाली बीमारियों के लिए अपेक्षित औषधियां बहुत महंगी हैं;

(ख) देश में इन बीमारियों का उपचार किन-किन केन्द्रों में होता है; और

(ग) इन बीमारियों के उपचार के लिए किन-किन औषधियों की आवश्यकता होती है और इन में से कितनी औषधियाँ सरकार द्वारा गरीब रोगियों में निःशुल्क वितरण के लिए इन केन्द्रों को सप्लाई की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) संभोग से होने वाले रोगों का इलाज मेडिकल कालेजों के त्वचा, संभोग जनित रोगों तथा कुष्ट रोग के सभी विभागों, जिला अस्पतालों के एस० टी० डी० क्लीनिकों, तथा के जनरल अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में किया जाता है ।

इन रोगों के इलाज के लिए निम्नलिखित औषधों की जरूरत होती है .—

1. पेनिसिलिन

2. स्ट्रेप्टोमाइसिन

3. सल्फाड्रग्स

4. एन्टी-हिस्टेमिनिक औषधें तथा

5. जिन रोगियों में पेनिसिलिन असर नहीं करती उनपें एरिथोमाइसिन अथवा टेट्रासाइक्लिन का उपयोग ।

संभोग जनित रोगों के केन्द्रीय कार्यक्रम के अधीन संभोग जनित रोगों के उपचार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई औषधें सप्लाई नहीं की जाती हैं । संभोग जनित रोगों से पीड़ित निर्धन रोगियों को एस० टी० डी० क्लनिकों द्वारा निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की जाती हैं ।

ग्लोकोमा के कारण अन्धता के मामलों में वृद्धि

3073. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोकोमा के कारण अन्धे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) देश में होने वाले अन्य नेत्र रोग कौन-कौन से हैं और अन्धे होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस रुख को बदलने और इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार करने के लिए इस समय क्या-क्या सुविधाएं और विशेषताएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) 1971-73 के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि देश में 90 लाख व्यक्ति अन्धे थे : ये व्यक्ति छह मीटर की दूरी तक अच्छी तरह नहीं देख सकते थे। इन व्यक्तियों का रोग-वार ब्यौरा इस प्रकार था :—

मोतिया बिन्द	55 प्रतिशत
रोहे एवं संबद्ध संक्रमण	20 प्रतिशत
चेचक	3 प्रतिशत
पौषणिक कमियां	2 प्रतिशत
चोटें	1.2 प्रतिशत
ग्लोकोमा	0.5 प्रतिशत
अन्य	18.5 प्रतिशत

(चेचक का जून, 1975 में उन्मूलन हो गया है।)

(ग) प्राथमिक नेत्र परिचर्या सेवाएं 3700 ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर 80 केन्द्रीय मोबाइल यूनिटों में उपलब्ध की गई है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में ये सेवाएं उपलब्ध करने के लिए 120 जिला मोबाइल यूनिटें जुटाई गई हैं। बेहतर नेत्र परिचर्या सुविधा उपलब्ध करने के लिए 404 जिला अस्पतालों, 60 मेडिकल कालेजों और 9 क्षेत्रीय संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है। इनमें ग्लोकोमा रोगियों का जल्दी पता लगाकर उपचार करना तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है।

अवध/असम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकना और कामरूप एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए अतिरिक्त कोटा

3074. **श्री मानिक साल्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे, मालीगांव के महाप्रबन्धक (प्रचालन) को जलपाइगुड़ी जिले में फालकाटा की जनता की ओर से नागरिक समिति से 509/510 अवध/असम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकने और फालकाटा के लिए 60 डाउन कामरूप एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अतिरिक्त कोटा मंजूर करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) फालकाटा में 509/510 अवध-असम एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था तथा 60 डाउन कामरूप एक्सप्रेस के कोटे में वृद्धि करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

कंचनजंगा एक्सप्रेस को पुन: चलाना

3075. **श्री मानिक सान्याल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जलपाईगुडी स्टेशन से हावड़ा जाने वाली 57 अप और 58 डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो बाद में न्यू बोंगाईगांव से चलने लगी थी, बन्द कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्तर बंगाल की उपेक्षित जनता को राहत पहुंचाने के लिए जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यू जलपाईगुडी से सिर्फ एक ही गाड़ी है, इस गाड़ी को पुन: चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). मार्गवर्ती खण्डों में बाढ़ और दरार पड़ जाने के कारण 57/58 कंचनजंगा एक्सप्रेस और 67/68 तिस्ता-ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस गाड़ियों को 16-8-87 से बन्दकर दिया गया था।

(ग) और (घ). फिलहाल इन दोनों गाड़ियों को 20-11-1987 से सप्ताह में 3 दिन पुन: चला दिया गया है।

असम मेल के प्रारम्भिक स्टेशन का बदला जाना

3076. **श्री मानिक सान्याल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे ने असम मेल का प्रारम्भ स्टेशन डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से बदल कर तिनसुखिया स्टेशन कर दिया है जिससे भारी जनसंख्या वाले डिब्रूगढ़ शहर को अत्यधिक असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख). गुवाहाटी में बड़ी लाइन की गाड़ियों का उपयोग करने वाले यू यात्रियों की सुविधा के लिए अक्तूबर, 1987 की समय सारणी में 3/4 असम मेल को तिनसुकिया से प्रारम्भ करने/वहां पर समाप्त करने के लिए उसकी समय-अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसके स्थान पर 7/8 तिनसुकिया मेल का डिब्रूगढ़ टाउन से/तक विस्तार किया गया है।

[हिन्दी]

"कान्टेक्ट लेन्स" के उपयोग में वृद्धि

3077. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल भारत में "कान्टेक्ट लेन्स" का उपयोग बढ़ रहा है ;

(ख) क्या नेत्र विशेषज्ञों की इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में भिन्न राय है ;

(ग) क्या भारत में बने लेन्स विदेशों में बने लेन्स की तुलना में महंगे हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के क्या विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) कान्टेक्ट लेन्सों की उपयोगिता नेत्र विशेषज्ञों ने स्वीकार की है। तथापि, नेत्र की विभिन्न स्थितियों में कुछ प्रकार के कान्टेक्ट लेन्सों की उपयोगिता के बारे में उनमें मतभेद हो सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कुछ त्रुटियों और कुछ नेत्र रोगों का कान्टेक्ट लैंसों से अच्छा उपचार होता है। अत्यधिक मायोपिया तथा अन्य त्रुटियों में चश्मे के स्थान पर दृष्टि के लिए कान्टेक्ट लैंसों का उपयोग किया जाता है। धूल भरे वातावरण जैसी कुछ स्थितियों में कार्निया को क्षति पहुंचने का खतरा रहता है। प्रशिक्षित दृष्टिमाप-विज्ञारी या नेत्र सर्जन की देखरेख में उपयुक्त रूप से बनाए तथा लगाए गए कांटेक्ट लैंस कार्निया या नेत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंचाते। कुछ दृष्टिगत तथा चिकित्सीय लक्षणों में यह एक आवश्यक रोगोपचार साधन है और इसकी लाभदायकता निरपवाद रूप से नेत्र विज्ञानियों ने भी स्वीकार की है।

[अनुवाद]

मिथायल गैस से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की मनोसामाजिक सक्षमता

3078. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के मिथाइल गैस से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की मनो-सामाजिक सक्षमता के बारे में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के अध्ययन से यह पता चला है कि इस घातक गैस से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा भोपाल में मिक गैस से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की मनो-सामाजिक सक्षमता के बारे में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(i) मिक गैस से पीड़ित बच्चों में कम दर्जे की मनोसामाजिक सक्षमता देखी गई है और उनमें नियन्त्रण समूह के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक मनोवैज्ञानिक समस्यायें पाई गई हैं।

(ii) प्रभावों में संज्ञान कार्यों का निम्नस्तर, शारीरिक बीमारियों सहित सामाजिक कौशल में विसामान्यता की कुछ डिग्री तथा मानसिक स्वास्थ्य और तंदरुस्ती को खतरा।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी भोपाल में मिक गैस से पीड़ित बच्चों पर एक मार्गदर्शी मनोविज्ञान अध्ययन किया था। इस मार्गदर्शी अध्ययन से पता चला कि नियन्त्रित क्षेत्रों में 6-16 वर्ष की आयु के बच्चों की तुलना में गैस पीड़ित क्षेत्रों के बच्चों का बौद्धिक स्तर कम है। इस सम्बन्ध में एक अन्य अध्ययन जारी है।

प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

3079. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यापक शिक्षा प्रसार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में राज्य-वार कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है ;

(ख) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में प्राथमिक स्कूलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ग) आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत एक माडल प्राथमिक विद्यालय पर औसतन कितना अनावर्ती खर्च और वार्षिक अवर्ती खर्च किए जाने की व्यवस्था है ;

(घ) क्या प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 30 सितम्बर, 1985 की यथा स्थिति के अनुसार प्राइमरी स्कूलों की संख्या 528079 है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकारें नए स्कूलों की आवश्यकता का मूल्यांकन किसी स्थान में उपलब्ध छात्रों की एक सम्भावी संख्या, आस-पड़ौस में स्कूल सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता और इसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर करती हैं। सभी राज्य सरकारों से इस बात को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि 300 की जनसंख्या वाली सभी (जनजाति, पर्वतीय और मरुस्थलों के मामले में

200) बस्तियों में सातवीं योजना के अन्दर प्राइमरी स्कूलों का प्रावधान किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं के बारे में ब्यौरेवार आंकड़े एकत्र करने के लिए 30 सितम्बर, 1986 की यथा संदर्भ तारीख के साथ रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ने माडल प्राइमरी स्कूल की कोई संकल्पना निर्धारित नहीं की है और न ही इस प्रकार के स्कूल के लिए लागत निकाली गई है। प्राइमरी स्कूल पर होने वाला खर्च एक स्कूल से दूसरे स्कूल में और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होता है जो छात्र/अध्यापक जनसंख्या, भवन का आकार तथा कोटि, तथा शिक्षण सहायक साधनों अध्यापकों के वेतनमानों पर निर्भर करता है। फिर भी, आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत अनिवार्य सुविधाओं सहित एक कार्यात्मक प्राइमरी स्कूल की परिकल्पना की गई है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड में सभी प्राइमरी स्कूलों में न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं अर्थात् (i) एक ऐसा स्कूल भवन जिसमें एक गहन बरामदा तथा सभी मौसमों में उपयोग किया जाने वाला एक पर्याप्त रूप से बडा कमरा तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय (ii) कम-से-कम दो अध्यापक जिनमें से एक महिला अध्यापक होगी (iii) ब्लैक बोर्ड, नक्शे चार्ट, एक छोटा पुस्तकालय, खिलौने और खेल और उपस्करों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार के स्कूलों के लिए लागत भिन्न-भिन्न होगी परन्तु ऐसा अनुमान है कि औसतन दो कमरों वाली कक्षा की लागत लगभग 52,000 रु० शौचालय की कीमत लगभग 5000 रु० और शिक्षण अध्यापन सामग्री की लागत लगभग 7,215 रु० होगी। अध्यापक का खर्च उस राज्य में लागू वेतनमानों पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ). प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दर्शाई गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

(1) आपरेशन ब्लैकबोर्ड : सभी प्राइमरी स्कूलों को उनके लिए दूसरे अध्यापक और अनिवार्य उपस्करों के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता।

(2) गैर-औपचारिक शिक्षा : राज्य सरकारों के गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों का 50% विशिष्ट रूप से मात्र लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए 90% और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को शत-प्रतिशत।

विवरण

प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	30-9-1985 की यथा स्थिति के अनुसार प्राइमरी स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	42054
2.	अरुणाचल प्रदेश	986

1	2	3
3.	असम	25970
4.	बिहार	50847
5.	गुजरात	11900
6.	हरियाणा	5078
7.	हिमाचल प्रदेश	6802
8.	जम्मू और काश्मीर	7700
9.	कर्नाटक	24735
10.	केरल	6845
11.	मध्य प्रदेश	62703
12.	महाराष्ट्र	37500
13.	मणिपुर	2717
14.	मेघालय	4150
15.	मिजोरम	1000
16.	नागालैंड	1270
17.	उड़ीसा	36993
18.	पंजाब	12331
19.	राजस्थान	27590
20.	सिक्किम	470
21.	तमिलनाडु	29118
22.	त्रिपुरा	1955
23.	उत्तर प्रदेश	74051
24.	पश्चिम बंगाल	49811
25.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	181
26.	चण्डीगढ़	34

1	2	3
27.	दादरा और नागर हवेली	124
28.	दिल्ली	1775
29.	गोवा, दमन और द्वीव	1014
30.	लक्ष्यद्वीप	18
31.	पांडिचेरी	356
	भारत	528079

संसाधन :—मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का आयोजना, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी प्रभाग।

316 डाउन बरहरवा-रामपुरहाट यात्री रेलगाड़ी की दुर्घटना के कारण

3080. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में 316 डाउन बरहरवा-रामपुरहाट यात्री रेलगाड़ी की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई थी, जिसमें अनेक डिब्बे पटरी से उतर गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, जिन्होंने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह दुर्घटना एक सवारी डिब्बे का संरक्षा ब्रेकेट टूट जाने और उसके रेलपथ पर गिर जाने से इस गाड़ी के चालन में बाधा पड़ने के कारण हुई थी।

गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा डिग्री/डिप्लोमा

3081. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के क्या नाम हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त किए बिना कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा झूठे दावे/वायदे करके डिग्रियां/डिप्लोमा दिए जाने के बारे में शंकाएं/शिकायत प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान किए

गए डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्रों की कोई मान्यता न होने के सम्बन्ध में जनता को सचेत करने के लिए कोई कदम उठाने का सुझाव दिया है/कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार का इन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की ऐसी कोई सूची नहीं रखी जाती है।

(ख) समय-समय पर शंकायें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ ऐसी संस्थाओं की प्रामाणिकताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है जो विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य कर रही हैं और अपनी ही डिग्रियां प्रदान कर रही हैं।

(ग) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुसार केवल उस विश्वविद्यालय को, जो केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित है, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली एक संस्था को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार है। अधिनियम के अन्तर्गत, संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई भी अन्य संस्था अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द नहीं लगा सकती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले तथाकथित विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के विरूद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसी संस्थाओं के स्तर तथा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों/डिप्लोमा की प्रामाणिकता से लोगों को अवगत कराने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रेस नोट भी जारी किए जाते हैं।

केरल में तेलीचेरी में व्यायामशाला स्थापित करना

3082. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में तेलीचेरी में एक व्यायामशाला स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए भूमि अर्जित कर ली गई है और कार्य शुरू हो गया है ;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 1987-88 में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(घ) क्या व्यायामशाला राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी अथवा इसका नियन्त्रण सीधे केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहेगा ;

(ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के फायदों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन सर्वेक्षण कराया था और उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस० ए० आई०) ने "विशेष क्षेत्रीय खेल" की अपनी योजना के अंतर्गत तेलीचेरी में जिम्नास्टिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) इस प्रयोजनार्थ केरल सरकार ने तेलीचेरी में भूमि उपलब्ध की है। निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(ग) जिम्नाजियम की अनुमानित लागत लगभग 20.00 लाख रुपये हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने केरल सरकार को अग्रिम तौर पर 10.00 लाख रुपये मंजूर किए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के पास वर्ष 1987-88 के दौरान परियोजना पर शेष लागत को पूरा करने के लिए राशि उपलब्ध है।

(घ) जिम्नास्टिक केन्द्र भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा सीधे तौर पर चलाया जाएगा।

(ङ)और(च). खेल विज्ञान और मानव विज्ञान में विशेषज्ञों द्वारा तेलीचेरी में और इसके इधर-उधर से परम्परागत सर्कस परिवारों में से जिम्नास्टिक के लिए प्रतिभाशालियों का पता लगाने और उन्हें पोषित करने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। परम्परागत सर्कस परिवारों में अपेक्षित आयु वर्ग में कई बच्चों का सर्वेक्षण भी किया गया था। परियोजना के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया गया था और परियोजना के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न बीमारियों का फैलना

3083. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न बीमारियां फैल गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप देश में और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे राज्यों को दी जा रही चिकित्सा, वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश को गत तीन महीनों के दौरान कितनी वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विभिन्न राज्यों को उनके अनुरोध पर ऋण के आधार पर सप्लाई की गई चिकित्सा सामग्री इस प्रकार है :—

उड़ीसा :

हैलोजन गोली—5 लाख गोलियां

ब्लीचिंग पाउडर—16.85 मीट्रिक टन

राजस्थान :

विटामिन "ए" कैप्सूल—1.00 लाख

ब्लाचिंग पाउडर—90 मीट्रिक टन

हैजा-रोधी टीके—50,000 खुराकें

हैलोजन गोलियां—60.00 लाख

कर्नाटक :

हैजा-रोधी टीके—10.00 लाख खुराकें

(घ) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश सहित किसी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश सहित सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में सूचित किए गए विभिन्न रोगों प्रभावित व्यक्तियों और मौतों की संख्या इस प्रकार है

राज्य का नाम	सूचित किए गए रोग का नाम	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	मौतें
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	अतिसार रोग	7,111	418
2. हिमाचल प्रदेश	अतिसार रोग	142012	—
	जठरांत्र शोथ	53272	
3. कर्नाटक	अतिसार रोग	1133	66
	हैजा	7242	375
	वायरल यकृतशोथ	243	
	खसरा	286	28
4. केरल	अतिसार रोग	433,201	123
5. मध्य प्रदेश	खसरा	37	10
	अतिसार रोग	112	12

1	2	3	4
6. महाराष्ट्र	अतिसार रोग	8046	12
	वायर यकृतशोथ	181	9
7. राजस्थान	जठरांत्रशोथ	1656	24
8. तमिलनाडु	जठरांत्रशोथ	25734	630
	हैजा	3116	33
9. उत्तर प्रदेश	जठरांत्रशोथ	1163	—

गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि उनके यहां ज्यादा रोग नहीं फैले।

आन्ध्र प्रदेश में पूछताछ काउन्टर

3084. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य में रेल पूछताछ काउन्टरों के कार्यकरण के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पूछताछ काउन्टरों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). जी हां। 1986-87 और 1987-88 (आज तक) के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्टेशनों पर पूछताछ कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों द्वारा जनता के टेलीफोन न सुनने के सम्बन्ध में आठ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) पूछताछ कार्यालय के कार्य निष्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को बार-बार अचानक जांच करने का निदेश दिया गया है।

(2) वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है कि वे कर्मचारियों की क्रियाशीलता की जांच करने के लिए अपना परिचय दिये बिना टेलीफोन किया करें।

(3) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में उपरि पुल

3085. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य में वर्ष 1985-86, 1986-87

और सातवीं योजना के अन्त तक रेल ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए कोई प्राथमिकता सूची भेजी गई है ;

(ख) इस पर आने वाली लागत, काम पूरा होने तथा काम पूरा होने के प्रत्याशित समय आदि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने ऊपरि पुलों के कार्य को पूरा करने की योजना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य वर्षानुवर्ष के आधार पर रेलों की वार्षिक योजना में शामिल किये जाते हैं वशर्ते राज्य सरकार लागत में हिस्सा वहन करने की वचनबद्धता सहित प्रस्ताव प्रायोजित करे और धन की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

विवरण

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 और इससे आगे के लिए प्राथमिकता सूची में संस्तुत किये गये ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्य इस प्रकार हैं :—

1985-86	निडदबोलू में उपरी सड़क पुल
	कावली में ऊपरी सड़क पुल
	महबूबनगर में ऊपरी सड़क पुल
	घाटकेसर में ऊपरी सड़क पुल
1986-87	कावली में ऊपरी सड़क पुल
	महबूबनगर में ऊपरी सड़क पुल
	घाटकेसर में ऊपरी सड़क पुल
	जनगांव में ऊपरी सड़क पुल
	राममूर्ति पंटुलूपेटा में ऊपरी सड़क पुल
सातवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि	जनगांव में ऊपरी सड़क पुल
	अजीत सिंह नगर में निचला सड़क पुल
	लालापेट में ऊपरी सड़क पुल
	फतेहनगर में ऊपरी सड़क पुल
	डाबिरपुरा में ऊपरी सड़क पुल
	आदिकमेट में ऊपरी सड़क पुल
	सीताफल मंडी में ऊपरी सड़क पुल
	घाटकेसर में ऊपरी सड़क पुल

उम्दानगर में ऊपरी सड़क पुल

थिम्मापुर में ऊपरी सड़क पुल

महबूबनगर में ऊपरी सड़क पुल

ओंगोल में ऊपरी सड़क पुल

सीतानगरम के निकट ऊपरी सड़क पुल

पार्वतीपुरम के निकट गरीबीडी में ऊपरी सड़क पुल

तिलारु टाउन में ऊपरी सड़क पुल

(ख) इन निर्माण कार्यों में अन्तर्विष्ट अनुमानित लागत नीचे दी गयी है :

क्र०सं०	कार्य का विवरण	रेलों का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा
		(लाख रुपयों में)	
1.	कावली में ऊपरी सड़क पुल	54.95	58.31
2.	निडदबोलू में ऊपरी सड़क पुल	62.61	77 09
3.	जनगांव में ऊपरी सड़क पुल	70.00	72.65
4.	लालापेट में ऊपरी सड़क पुल	86.92	255.70
5.	डाबिरपुरा में ऊपरी सड़क पुल	64.31	159.49
6.	अजीत सिंह नगर में निचला सड़क पुल	53.87	71.33
7.	उम्दानगर में ऊपरी सड़क पुल	46.31	50.97
8.	थिम्मापुर में ऊपरी सड़क पुल	56.01	61.55
9.	घाटकेसर में ऊपरी सड़क पुल	28.79	30.31

शेष कार्यों के सम्बन्ध में अन्तर्विष्ट लागत का अभी आकलन किया जाना है क्योंकि नक्शों, अनुमान तथा स्थल के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। स्वीकृत किये गये 8 कार्यों (ऊपर 1 से 8 तक की मदें) में से कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इन कार्यों का पूरा होना मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। मद 9 को 1988-89 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

हृदय रोगों में वृद्धि

3086. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हृदय रोगों की संख्या में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हो रही है ;

(ख) भिन्न-भिन्न आयु वर्गों और जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग और पाइपों द्वारा दिए जाने वाला मृदु जल उच्च कोलेस्ट्राल वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक है ; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाना विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). भारत में हृदय रोग बीमारी और मौत का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह बताने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं कि पिछले दिनों में हृदय रोगों में वृद्धि हुई है। हृदय रोग सभी आयु वर्ग के लोगों और सभी समाजार्थिक वर्गों को होते हैं। वैसे हृदय रोग की किस्में विभिन्न वर्गों में भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार बच्चों और नवयुवकों में जन्मजात हृदय रोग और रूमेटिक हृदय रोग होता है जबकि बूढ़ों में इसके मिक हृदय रोग और उच्च रक्त चाप आम होता है। रूमेटिक हृदय रोग गरीब लोगों में आम रूप से व्याप्त है जबकि उच्च रक्त चाप और इस्केमिक हृदय रोग समाज के धनिक वर्ग में आम है।

(ग) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है जिससे यह पता चला हो कि कृत्रिम उर्वरक और हल्का (साफनड्) पानी, जो नलकों से प्रदान किया जाता है उन व्यक्तियों के लिए हानिकारक है जिनमें कोलोस्ट्रोन की मात्रा ज्यादा होती है। वैसे कठोर पानी और हृदय-वाहिका रोगों के बीच विपरीत संबंध है।

(घ) सरकार ने हृदय-रोगियों के इलाज के लिए देश में विशेष जांच प्रयोगशालाओं की सुविधाओं, मेडिकल कार्डियकों लाजिकल यूनिट, इंटेसिव केअर कार्डियक यूनिट और कार्डियक आपरेशन यूनिट वाले कार्डियक केन्द्र स्थापित किए हैं।

गोधामी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का प्रस्ताव

3087. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोधामी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी में वातानुकूलित व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या गोदावरी एक्सप्रेस और गोधामी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के समय में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

वन्य जीवों का विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित होना

3088. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब कभी भी बड़ी परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं उनका वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) इन उपायों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में वन्यजीव पुनर्वास और प्रबन्ध योजना की तैयारी और कार्यान्वयन शामिल हैं।

परीक्षण ट्यूब शिशु

3089. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने परीक्षण ट्यूब शिशु पैदा हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने जीवित हैं और स्वस्थ हैं ; और

(ग) क्या इसे और सफल बनाने के लिए अब भी अनुसंधान कार्य जारी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रजनन अनुसन्धान संस्थान तथा के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई के सहयोगी कार्यक्रम के अन्तर्गत छह परख-नली शिशु पैदा हुए है।

के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई में पैदा हुए सभी परख-नली बच्चे जीवित हैं और स्वस्थ हैं।

(ग) जी हां, इसे अधिक सफल बनाने के लिए आगे अनुसंधान किए जा रहे हैं।

मंगलौर और बम्बई के बीच प्रतिदिन गाड़ी चलाने का अनुरोध

3090. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से मंगलौर और बम्बई के बीच, जहां इस समय सप्ताह में केवल दो बार गाड़ियां आती जाती हैं, प्रतिदिन गाड़ियां चलाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1987 से बम्बई और मंगलौर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ी की व्यवस्था कर दी गयी है। इसको प्रतिदिन चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

केरल से एड्स रोग से पीड़ित विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

3091. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स रोग होने के कारण केरल से किसी विदेशी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया गया था और निर्वासित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह जानने के लिए कि क्या भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को एड्स रोग है अथवा नहीं, सरकार द्वारा क्या तरीके अपनाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिवेन्द्रम के 3 विदेशी छात्रों में एड्स संक्रमण के पाजिटिव लक्षण पाए गए थे और उन्हें अपने-अपने देश को वापस भेज दिया गया है। इटली की एक महिला को नशीली औषधों का अवैध धंधा करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उसे केन्द्रीय जेल, त्रिवेन्द्रम में रखा गया था उनमें उनके रक्त की जांच करने पर एड्स संक्रमण के पाजिटिव लक्षण पाए गए थे और सम्बन्धित प्राधिकारियों को उन्हें अपने देश वापस भेजने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु सूचित कर दिया गया है। उन्हें 25-10-87 को अपने देश वापिस भेजा जा चुका है।

(ग) भारतीय विश्वविद्यालयों में दाखिल किय जा रहे सभी विदेशी छात्रों की एड्स सम्बन्धी जांच करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि मिशनों में कार्य कर रहे विदेशियों को छोड़कर उन सभी विदेशियों की एड्स सम्बन्धी जांच की जाए जो भारत में एक वर्ष से अधिक अवधि तक ठहरना चाहते हैं।

तमिलनाडु एक्सप्रेस रेलगाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना

3092. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अमला-नागपुर सेक्शन और उसके आगे मद्रास की तरफ कितनी बार दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितनी बार तमिलनाडु एक्सप्रेस रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तथा उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए और मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : अक्तूबर, 1987 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान मध्य रेलवे के आमला-नागपुर खण्ड पर एक गाड़ी दुर्घटना तथा नागपुर से आगे मद्रास दिशा की ओर 8 यात्री गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु एक्सप्रेस दो बार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 2 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी थीं तथा बिना चौकीदार वाले समपार पर एक बाहरी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इन दोनों मामलों में किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया और न ही देय था।

तथापि 7-11-1987 को नागपुर के निकट तमिलनाडु एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी जिसकी जांच की जा रही है।

रेलवे स्टेशनों के स्कूटर स्टैन्डों पर लिया जाने वाला किराया

3093. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्कूटर स्टैण्ड के ठेकेदार प्रति घण्टे के आधार पर काफी ऊंची दर से किराया लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) रेल विभाग द्वारा जनता से हेलमेट सहित लिए जाने वाले किराये की स्वीकृत दरें क्या हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ठेकेदारों द्वारा केवल स्वीकृत दरों पर ही किराया लिया जाए ; और

(ङ) देश में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल विभाग द्वारा स्वीकृत किराए की दरों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाले बोर्ड न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ऐसी कोई शिकायत नोटिस में नहीं आयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल (हेलमेट सहित) खड़ी करने के लिए रेलवे द्वारा अनुमोदित की गयी दरें नीचे दी गयी है :—

(क) 8.00 से 20.00 बजे तक	—	1.25 रुपए
(ख) 20.00 बजे से अगले दिन 8.00 बजे तक—		1.25 रुपए

नियमित ग्राहकों के लिए, मासिक दर 15 रुपए है।

(घ) रेल कर्मचारियों द्वारा निरन्तर अचानक जांच और निरीक्षण किए जाते हैं। ऐसे निरीक्षणों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के मामलों में करारगत शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सभी रेलवे स्टेशनों के साइकिल/स्कूटर स्टैंडों पर निर्धारित की गयी दरों को दर्शाने वाले बोर्ड लगाना अपेक्षित होता है। दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं

3094. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टशनों के प्लेटफार्मों पर यात्रियों को क्या-क्या न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने यात्रियों को दी जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं निर्धारित करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों की चार श्रेणियां विनिर्दिष्ट की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के रेलवे स्टेशन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए स्टेशनों की दो कोटियां हैं, जिनके नाम हैं (1) नियमित/फ्लैग स्टेशन और (2)

हाल्ट स्टेशन। इन रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर यात्रियों के लिए जिन न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, वे नीचे दी गयी हैं :—

1. नियमित/फ्लैग स्टेशन :—

1. प्रतीक्षालय कक्ष

2. बैठने के प्रबन्ध

3. प्रकाश की व्यवस्थाएं

4. पीने के पानी की व्यवस्था

5. शौचालय

6, उपयुक्त प्लेटफार्म

7. बुकिंग की व्यवस्थाएं

8. छायादार वृक्ष

2. हाल्ट प्लेटफार्म

1. उपयुक्त प्लेटफार्म

2. प्रतीक्षालय शेड एवं बुकिंग कार्यालय

3. रात्रि के समय जहां गाड़ी रुकती हैं वहां प्रकाश की व्यवस्था

4. छायादार वृक्ष

(ग) सुविधाओं की व्यवस्था मुख्यतः उस स्टेशन पर होने वाले यातायात की मात्रा पर आधारित होती है।

इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की भिन्न विशेषताएं

3095. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की वे मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं जो भारत के अन्य विद्यमान विश्वविद्यालयों के कार्यकरण से पूर्णतः भिन्न हैं ; और

(ख) क्या खुला विश्वविद्यालय की अवधारणा में अध्यापक और विद्यार्थी में परस्पर सम्बन्धों का अभाव है, जिसे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य आधार माना गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). खुला विश्वविद्यालय की विचारधारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा देने और अध्ययन की प्रोन्नति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश देना ही एक पूर्व शर्त नहीं है। खुला विश्वविद्यालय पद्धति के अध्यापन के पैकेज स्व-अध्ययन की प्रोन्नति करने के लिए तैयार किए गए हैं।

शिक्षक और छात्र के बीच व्यक्तियत सम्पर्क के अभाव को इन पैकजों को तैयार करने और उनकी वितरण प्रणाली में आधुनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पूरा किया गया है। इन्दिरा खुला विश्वविद्यालय की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं शिथिल प्रवेश नियम पाठ्यक्रमों के संयोजन में लचीलापन, विषयों में विविधता और छात्रों को अपने स्थान पर ही अपने समय और गति के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा। इसके अतिरिक्त; विश्वविद्यालय छात्रों को देश के विभिन्न भागों में स्थित अध्ययन केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से सलाह, परामर्श मार्गदर्शन आदि के द्वारा सहायक सेवाएं प्रदान करेगा। ये विशिष्ट विशेषतायें सुदूर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में छात्रों, गृहणियों व्यावसायिकों और अन्य सेवारत व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करता है जो कि परम्परागत विश्वविद्यालय प्रदान नहीं कर सकते हैं।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता समाप्त करना

3096. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता ससाप्त करने और अपनी नई शिक्षा नीति में रोजगार प्रधान शिक्षा प्रणाली पर बल देने का दृढ़ निर्णय किया है ;

(ख) सरकार का अपनी नई नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए कालेजों में प्रवेश लेने की छात्रों की प्रवृत्ति को बदलने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने छात्रों को रोजगार प्रधान शिक्षा देकर बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने का कोई निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 में चुने हुए क्षेत्रों में नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से विशिष्ट नौकरी पाठ्यक्रम को तथा रूप देने को सुकर बनाने की आशा है और यह उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जो किसी नौकरी के लिए सुसज्जित होने के बावजूद भी इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि वरीयता स्नातक उम्मीदवारों को दी जाती है।

(ख) और (ग). कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) ने उन पदों का पता लगाने के लिए विभिन्न नौकरियों की विषयवस्तु का विश्लेषण किया है ताकि उन पदों को निर्धारित किया जा सके जिनके विश्वविद्यालय डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने भी एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा (रा० प० से०) स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं जो विशिष्ट नौकरियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षायें आयोजित करेगा। यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय परीक्षा सेवा 1988-89 में कार्य करना आरम्भ कर देगी। जब राष्ट्रीय परीक्षा सेवा द्वारा आयोजित परीक्षायें एक बार मान्यता और विश्वसनीयता स्थापित कर लेगी और नियोक्ताओं द्वारा अधिक स्वीकार्यता प्राप्त कर लेंगी तब यह आशा की जाती है कि सामान्य शिक्षा के डिग्री पाठ्यक्रमों की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों में छात्र

अधिक दाखिला लेंगे। इसी बीच, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर आरम्भ करने के भी प्रयास चल रहे हैं।

गुजरात के दहेज और घोघा बन्दरगाहों के बीच नौका सेवा चलाना

3097. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के दहेज और घोघा बन्दरगाहों के बीच नौका सेवा चलाने के लिए निजी जहाज कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें मंजूरी देने में होने वाली देरी के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ऐसा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) नौवहन महानिदेशक ने फरवरी, 1985 में कम्पनी को सूचित किया था कि सेवा शुरू किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि जहाज का सर्वेक्षण किया गया हो और इस प्रयोजन के लिए फ्लैग—देश द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हों। कम्पनी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे ढोए जाने वाले प्रस्तावित ट्राफिक को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। उसके बाद नौवहन महानिदेशक को अभी तक कम्पनी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में सातवीं धमन भट्टी

3098. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में सातवीं धमन भट्टी स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) इसे 30 अगस्त, 1987 को चलाया गया था।

इंजीनियरी क्षेत्र में इस्पात की मांग

3099. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इंजीनियरी क्षेत्र को उनकी निर्यात आवश्यकतायें पूरा करने के लिए की जाने वाली इस्पात की सप्लाई सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इंजीनियरी क्षेत्र द्वारा कुल कितने इस्पात की मांग की गई और कुल कितना इस्पात सप्लाई किया गया ; और

(घ) इंजीनियरी क्षेत्र को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस्पात की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार : (क) से (घ). इस्पात की मांग की तुलना में उत्पादन कम होने के कारण सेल, इंजीनियरी क्षेत्र की निर्यात आवश्यकताओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण मांग पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई है। तथापि इंजीनियरी माल के निर्यातकों को उनकी निर्यात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक इस्पात शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। इंजीनियरी क्षेत्र के लिए इस्पात की सप्लाई तथा मांग के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते।

'बाल्को' के उत्पादन में गिरावट

3100. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा स्थित एल्यूमिनियम काम्पलेक्स, "बाल्को" में इस वर्ष उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) समग्र रूप से कार्य निष्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). चालू वित्त वर्ष (1987-88) के प्रथम सात महीनों में, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) के कोरबा एल्यूमिनियम काम्लेक्स से बिक्री योग्य एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में कुछ कमी आई है। बिक्री योग्य एल्युमिनियम धातु का उत्पादन लक्ष्य 55,850 टन था जबकि अक्तूबर, 1987 के अन्त तक वास्तविक उत्पादन 50,340 टन हुआ, जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष में, बाल्को के कोरबा कांपलेक्स को दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, (1) अप्रैल, 1987 में तूफान, जिससे 120 एम० वी० ए० के ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा और बिजली वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई ; और (2) अगस्त, 1987 में आसमानी बिजली गिरना, जिससे प्रदावक को बिजली पूर्ति करने वाले रेक्टिफार्मर का पूरी तरह जल जाना। इन कारणों से उत्पादन में कुछ कमी हुई। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर ठीक कर लिए गए हैं और संयंत्र में काम सामान्य रूप से शुरू हो गया है। अगस्त, 1987 में आसमानी बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त रेक्टिफार्मर को ठीक किया जा रहा है। बिक्रीयोग्य एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है, फलतः अक्तूबर, 1987 में उत्पादन निर्धारित मासिक लक्ष्य का 99% हुआ।

कुत्ते के काटने से मृत्यु और टीकों का आयात

3101. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुत्ते के काटने से प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति मरते हैं ;

(ख) क्या कुत्ते के काटने के उपचार के लिए टीकों का आयात किया जाता है अथवा उनका

देश में ही उत्पादन किया जाता है और इसके आयात पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार यदि कोई धनराशि व्यय की गई है तो वह कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन टीकों के देश में उत्पादन करने में आत्म-निर्भर होने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान सूचित की गई कुत्ते के काटने (जलांतक) से हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	मामले
1984	722
1985	698
1986	619

उपर्युक्त आंकड़े सामान्यतया केवल चिकित्सा संस्थाओं में इलाज किए गए रोगियों के हैं।

(ख) अलर्क-रोधी वैक्सीन [फिनौल अथवा बीटाप्रॉपियोलैक्टोन (बी० पी० एल०)] द्वारा निष्क्रियकृत शीप-ब्रैन वैक्सीन देश में ही तैयार की जाती है । लेकिन, जलांतक के लिए नई टिशू कल्चर वैक्सीन कुछ विकसित देशों में तैयार की जा रही है । कुछ निजी फर्मों/व्यक्ति सीमित इस्तेमाल के लिए इस वैक्सीन का आयात कर रहे हैं। सरकार के पास निजी फर्मों/व्यक्तियों द्वारा सीमित मात्रा में इस वैक्सीन का आयात करने के लिए खर्च की गई रकम के बारे में सूचना नहीं है।

(ग) देशी अलर्क-रोधी वैक्सीन (फिनौल अथवा बी०पी०एल०निष्क्रियकृत) का निर्माण करने में देश स्वावलम्बी है। तथापि, टिशू कल्चर वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना भारतीय पास्चुर, संस्थान कुनूर में चल रही है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर चाय का मूल्य

3102. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

श्री सन्तोष कुमार सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर चाय विक्रेताओं ने चाय के एक कप की दर पचास पैसे से बढ़ाकर एक रुपया कर दी है और चाय का स्तर भी अच्छा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर चाय के एक कप की दर कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). सभी रेलों पर कप में 150 मि० लि० चाय के मूल्य में वृद्धि की गई है। कच्चेमाल की कीमत और कर्मचारियों की मजूरी में

पर्याप्त वृद्धि के कारण लगभग 4 वर्षों की अवधि के बाद यह वृद्धि की गई है। रेलों को अनुदेश है कि वे यात्रियों को दी जाने वाली चाय की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करें। रेलों को इस आशय के भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए चाय की कम मात्रा के लिए कम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।

कान-नाक-गला विशेषज्ञों का सम्मेलन

3103. **डा० टी० कल्पना देवी :**

श्री सुभाष यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कान-नाक-गला रोग विशेषज्ञों की नवम्बर, 1987 में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने इसमें भाग लिया ;

(ग) क्या सम्मेलन में कुछ वैज्ञानिक, शैक्षिक और शोध कार्य प्रस्तुत किए गए थे ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सम्मेलन के दौरान कान-नाक-गले के विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के अवसर दिए गए थे ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रदर्शित गैजटों और उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) इसमें जिन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया वे हैं :—कोरिया, यू० के०, जापान, मस्कट, सीरिया, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, होलन, स्वीडन, यू० एस० एस० आर०, वियतनाम, चेकोस्लोवाकिया, चीन, यू० एस० ए०, ताइवान, (ताइवान के प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया) साऊदी एरीबिया, ईरान, टर्की, इजिप्ट, बेहरीन, बेलजियम, कतर, कुवेत, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, थाइलैंड, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, ग्रीस, न्यूजीलैंड, आस्ट्रीया, हांगकांग, सिंगापुर, फिलिपीन, इटली, फ्रांस, मलेशिया, फिनलैंड, श्रीलंका, बंगलादेश।

(ग) जी हां।

(घ) आयोजकों के अनुसार वैज्ञानिक सत्रों में आमंत्रित लेक्चर, पेनल विचारविमर्श, वैज्ञानिक फिल्में, आंख, नाक, गला विशेषज्ञता सहित अनेक रोगों के प्रचलित विभिन्न पहलुओं पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। इनमें कान और मुख के ढांचे की जन्मजात और संगत विकृतियां कान के गूढगर्तों की शल्यक्रिया, न्यूरो-आटोलाजी कोचलेयर इम्प्लांट, सिर और गर्दन सम्बन्धी अर्बुद, सिर और गर्दन कैंसर में सहायक थेरापी, प्रसाधन तथा पुनर्रचनाकारी प्रक्रियाएं, दुःस्वरता, इम्यूनोलाजी, और आंख, नाक, गला की प्रैक्टिस में एलर्जी, नई-नई नैदानिक तथा रोगहर तकनीकें, कटिबन्धीय आंख, नाक,

गला रोग, ग्रामीण क्षेत्रों में आंख, नाक गला रोग, क्लीनिकल कार्य आदि में संगणक का प्रयोग शामिल था।

(ङ) जी हां।

(च) सम्मेलन में ई०एन०टी० से सम्बन्धित सभी नैदानिक और क्रियाकारी उपकरण प्रदर्शित किए गए जैसे आपरेटिव माइक्रोस्कोपस, श्रव्यतामापी से उत्पन्न प्रतिक्रिया तथा विभिन्न इम्प्लांट आदि।

दिल्ली में तिपहिया स्कूटरों द्वारा बहुत संख्या में स्कूली बच्चों को ले जाया जाना

3104. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में तिपहिया स्कूटर चालक एक बार में 4 से 30 स्कूली बच्चे ले जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इतने अधिक बच्चों को ले जाने की अनुमति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन वाहनों का परमिट रद्द न करने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) तिपहिया स्कूटरों द्वारा ओवर लोडिंग किए जाने के मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे तिपहिया स्कूटरों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 112 और दिल्ली मोटर वाहन नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। 1-1-87 से 15-11-87 तक की अवधि में 548 तिपहिया स्कूटरों का ओवर लोडिंग के लिए चालान किया गया। दिल्ली प्रशासन के परिवहन प्राधिकारियों का ध्यान मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 60 की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर समुचित मामलों में परमिटों को रद्द करने का प्रावधान है।

निर्माणाधीन रेल लाइनों को पूरा करना

3105. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी चालू रेल परियोजना (नई लाइन बिछाना और बदलना) के पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शेष चालू परियोजनाएं आठवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों में पूरी होंगी ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक चालू परियोजना को प्रारम्भ करने की तिथि को और 1 जनवरी, 1987 को उसकी लागत कितनी-कितनी थी ; और

(ङ) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि और आठवीं योजना में नई परियोजनाओं के शुरू

करने से पूर्व सभी चालू परियोजनाएं पूरी कर ली जायेंगी ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). सातवीं योजना में अद्यतन रूप से निम्नलिखित नयी लाइनें पहले ही शुरू कर दी गई हैं :—

नयी लाइनें

1. नागोथाणे-रोहा (ब० ला०)	15 कि० मी०
2. तिरुनेलवेलि और मिलविट्टान के बीच समामान्तर बड़ी लाइन (ब० ला०)	53 कि० मी०
3. कोरापुट-मचिलीगुडा (ब० ला०)	20 कि० मी०
4. धर्मनगर-पैंचरथाल (मी० ला०)	22 कि० मी०
5. मिलविट्टान-तुत्तीकोरिन हार्बर साइडिंग (ब० ला०)	11 कि० मी०
6. तुपकाडीह्-तलनडिया (ब० ला०)	33 कि० मी०
7. माटुमारी-जग्गैय्यापेट (ब० ला०)	32 कि० मी०
8. विष्णुपुरम-नडिकुडे (मी० ला०)	18 कि० मी०

2. चालू वित्तीय वर्ष में शुरू करने के लिए निम्नलिखित नयी लाइनों और आमान परिवर्तन की योजना बनाई गई है :—

नई लाइनें

1. भटिण्डा बाईपास (ब० ला०)	6 कि० मी०
2. लालाबाजार-जामीरा (मी० ला०)	30 कि० मी०
3. मिरयालगुडा-नडिकुडे (ब० ला०)	21 कि० मी०
4. भुज-नालिया (मी० ला०)	107 कि० मी०

आमान परिवर्तन

1. सूरतगढ़-बीकानेर	178 कि० मी०

3. सातवीं योजना के शेष 2 वर्षों में अन्य नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनायें शुरू करना वार्षिक योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी नहीं, अभी तक संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

औषधों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

3106. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधों की जांच करने तथा औषध नियन्त्रण उपायों को क्रियान्वित करने हेतु बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है, जो आठवीं योजना में आरम्भ किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ढांचा तैयार किया गया है अथवा तैयार किया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों और केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, हाफकिन संस्थान, बम्बई और इनके जैसी अन्य केन्द्रीय प्रयोगशालाओं की क्या भूमिका होगी ; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

आधासीसी रोग के उपचार के लिए एण्टी-सेरोटोनिन औषधि का मौके पर जाकर परीक्षण

3107. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधासीसी रोग के उपचार के लिए खोज की गई एण्टी-सेरोटोनिन औषधि का मौके पर जाकर कोई परीक्षण किया गया है और आधासीसी रोग को दूर करने के लिए इस औषधी की रोग निवारण और रोग-रोधक सामर्थ्य और सुरक्षा दोनों की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) भारत में यह औषधि बिक्री के लिए कब उपलब्ध होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). अमेरिका में सैंसर्ट के व्यापारिक नाम से एक नई औषधि मेथिसरजाइड उपलब्ध है। यह औषध भारत में अभी उपलब्ध नहीं है।

विदेश में क्लिनिकल परीक्षण की जा रही जो अन्य एण्टी-सेरोटोनिन औषधियां प्रायोगिक अवस्था में हैं, ये हैं—मीटरगोलाइन/मेटिटेपाइन, मीएनसेरिन (पिणोटिफेना), और सिनैन्सेरिन।

बाल विश्वविद्यालय

3108. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के इस हिस्से में पहले "बाल विश्वविद्यालय" सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव पर इस माह के शुरू में राजधानी में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों और अनेक शीर्ष शिक्षाशास्त्रियों की बैठक में चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) प्रस्तावित बाल विश्वविद्यालय की मुख्य बातें क्या है और इसे कहां स्थापित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल टिकटों के आरक्षण में कदाचार

3109. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में टिकटों के आरक्षण के मामले में कई स्टेशनों पर अभी भी कदाचार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से विशेष उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस आशय की कुछ शिकायतें हैं।

(ख) आरक्षणों में कदाचार समाप्त करने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

1. आरक्षणों के कम्प्यूटरीकरण, जो दिल्ली क्षेत्र में शुरू हो गया है, का विस्तार अन्य प्रमुख शहरों में विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।

2. दलालों का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने के लिए आरक्षण कार्यालयों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा 1986 के दौरान 1497 दलालों को पकड़ा गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया।

3. आरक्षण कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा जिन कर्मचारियों को अनियमितताओं में लिप्त पाया जाता है उन्हें निवारक दण्ड दिये जाते हैं।

4. हस्तान्तरित आरक्षणों के मामलों का पता लगाने के लिए चलती गाड़ियों में जांच की जाती है।

5. रेल कर्मचारियों को यात्रियों द्वारा मांग पर्चियों में दिए गए पतों पर भी भेजा जाता है तथा फर्जी विवरण पाए जाने पर आरक्षण रद्द कर दिए जाते हैं।

6. कुछ मांग पर्चियों में दिए गए टेलीफोन नम्बरों के मामलों में सही आरक्षणों का पता लगाने के लिए टेलीफोन भी किए जाते हैं। सन्देहास्पद मामलों में आरक्षण रद्द कर दिया जाता है।

7. इच्छुक यात्रियों को टिकटों की अनधिकृत खरीद/बिक्री के विरुद्ध नोटिसों तथा लाउडस्पीकरों द्वारा बार-बार चेतावनी दी जाती है।

[हिन्दी]

दरभंगा-समस्तीपुर-हसनपुर रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना तथा सकरी और हसनपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछाना

3110. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदला जाना पूरा करने और सकरी हसनपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या है और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय अवधि नियत की गई है ;

(ख) क्या दरभंगा-जयनगर मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही किया जा चुका था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के बजाय एक समानान्तर बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा होने तथा रिपोर्ट की जांच करने तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

सकरी-हसनपुर नई मीटर लाइन का निर्माण एक अनुमोदित परियोजना है । संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस रेल लाइन का निर्माण शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). जी हां, दरभंगा-जयनगर (68 कि० मी०) मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण 1983 में किया गया था। इस परियोजना पर उस समय के प्रचलित मूल्यों के आधार पर 15.37 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था और इसे वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाया गया था।

[अनुवाद]

मद्रास बंदरगाह पर तरल माल के भंडारण और चढ़ाने-उतारने के लिए भूमि का आवंटन

3111. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से मद्रास बंदरगाह पर तरल माल के भंडारण और चढ़ाने-उतारने के लिए एक ही निजी कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों को प्रतिवर्ष भूमि आवंटित की जा रही है ;

(ख) क्या उस कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों ने आवंटित भूमि पर स्थायी ढांचे खड़े कर दिए हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों ने उन्हें एक वर्ष के लिए आवंटित भूमि पर तीन वर्ष की अवधि के लिए सामान के भंडारण के लिए एक टेंडर के लिए राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध बोली लगाई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) निम्नलिखित कम्पनियों को तरल कार्गो के भंडारण और हैंडलिंग के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा वार्षिक आधार पर भूमि आवंटित की गई है जिसे वर्ष-दर-वर्ष नवीकृत किया जा रहा है :

(1) इंडियन मोलासेज कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ।

(2) मैसर्स जे० आर० इन्टरप्राइजेज ।

(3) मैसर्स ए० वी० आर० कम्पनी ।

(4) मैसर्स ओसवाल आयल एण्ड वनस्पति इन्डस्ट्रीज ।

(5) तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ।

(6) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय तेल निगम को 1983 में 25 वर्षों के लिए भूमि आबंटित की गई थी ।

(ख) सभी आबंटनों के सम्बन्ध में आवंटन के तुरन्त बाद टैंक बनाए गए हैं ।

(ग) और (घ). यह स्पष्ट नहीं है कि किस कम्पनी का उल्लेख किया जा रहा है और इसलिए सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का लोकतन्त्रीकरण

3112. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का लोकतन्त्रीकरण करने के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देशों का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिनमें 1 नवम्बर, 1987 तक नीति निर्धारण में छात्रों को भागीदार नहीं बनाया गया था अथवा कार्यकारी निकायों में छात्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था ; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिनमें 1 नवम्बर, 1987 को छात्र संघ कार्य नहीं कर रहे थे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध पर कोई भी नई मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार नहीं की गई हैं । तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना में विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध पद्धतियों की समीक्षा करने की परिकल्पना की गई

है। इसके अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की है और इसका कार्य प्रगति पर है।

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों में विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों का गठन निर्धारित किया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और संविधियों के ऐसे प्रावधानों के ब्यौरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्र और रखा नहीं जाता। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उनकी कार्यकारी परिषदों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती के कोर्टों तथा शैक्षिक परिषदों और दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषदों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिनियमों और संविधियों में उसके किसी भी निकायों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के गठन को निर्धारित करने वाली संविधियों को अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ इस समय कार्य नहीं कर रहे है; पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने अभी तक छात्र संघ की स्थापना नहीं की है और राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र नहीं हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

बाढ़ से हुए क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

3113. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी भाग में हाल ही में आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई मुख्य क्षतियों का संक्षिप्त विवरण क्या है ;

(ख) क्या क्षतिग्रस्त हुए राजमार्गों की मरम्मत कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी किस तारीख तक मरम्मत किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितना विशेष आबंटन किया गया और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हाल की बाढ़ के दौरान असम, बिहार, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी क्षति पहुंची है। भारी क्षति में पुलियों, पुलों, सड़क की सतही जमावट की क्षति और सड़क का टूटना शामिल है।

(ख) और (ग). तत्काल आवागमन बहाल करने का कार्य पूरा हो गया है।

(घ) अब तक रिलीज की गई धनराशियों के राज्यवार अलग-अलग ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) असम — 50 लाख रुपए

(2) बिहार — 75 लाख रुपए

(3) पश्चिम बंगाल — 135 लाख रुपए

बाढ़ से रेलवे लाइनों को हुई क्षति

3114. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी भाग की हाल ही में आई बाढ़ के दौरान रेलवे लाइनों को हुई प्रमुख क्षति का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रेलवे लाइनों को हुई क्षति की मरम्मत कर दी गयी है और अब रेलों का आना जाना सामान्य हो गया है ; और

(ग) इस क्षति की मरम्मत करने में कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर कटिहार के रास्ते बड़ी तथा मीटर लाइन दोनों मार्गों और पूर्व रेलवे के ग्रांड कार्ड तथा मुख्य लाइन मार्गों पर भू संचार अस्त व्यस्त हो गया था।

(ख) निम्नलिखित खण्डों को छोड़कर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा तथा पूर्व रेलों पर बाढ़ से प्रभावित सभी खण्डों को पुनः चालू कर दिया गया है :—

1. ओल्ड माल्दा-सिंहाबाद	(पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)
2. मनिहारी-तेजनारायणपुर	(पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)
3. सकरी-निर्मली	(पूर्वोत्तर रेलवे)
4. झंझारपुर-लौकहा बाजार	(पूर्वोत्तर रेलवे)
5. बख्तियारपुर-राजगीर	(पूर्व रेलवे)

(ग) लगभग 25.42 करोड़ रुपए।

मनमाड औरंगाबाद-नांदेड़ मार्ग पर रेलगाड़ियों में वातानुकूलित शयनयान की सुविधा

3115. **श्री अशोक शंकर राव चव्हाण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी लाइन और मीटर लाइन दोनों पर चलने वाली मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में पुराने प्रथम श्रेणी के डिब्बों के स्थान पर वातानुकूलित शयनयान लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो मनमाड औरंगाबाद-नांदेड़ मीटर लाइन मार्ग पर कौन-कौन सी गाड़ियों में वातानुकूलित शयनयान लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 551/552 काचेगुडा-मनमाड अजन्ता एक्सप्रेस गाड़ियां।

इंजीनियरिंग वर्कशाप, अरकोणम के विकास/नवीकरण के लिए धनराशि का नियतन

3116. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के बजट में इन्जीनियरिंग वर्कशाप, अरकोणम के विकास/नवीकरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) इसमें से अब तक कितनी धनराशि दे दी गई है ; और

(ग) इस वर्कशाप के विकास के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1986-87 के लिए 34.42 लाख रुपए।

1987-88 के लिए 58.99 लाख रुपए।

(ख) सम्बद्ध वर्षों के बजट में पूरी राशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) कारखाने का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

सवारी डिब्बों को बदलना

3117. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का सभी प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बों को वातानुकूलित शयनयान में बदलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने डिब्बों को बदला गया है ;

(ग) कब तक सभी सवारी डिब्बों को बदल दिया जाएगा ;

(घ) क्या रेलवे ने पुराने प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बों का नवीकरण रोक दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन पुराने सवारी डिब्बों का तब तक प्रयोग किया जाएगा जब तक इनके स्थान पर वातानुकूलित शयन-यान नहीं लगा दिए जाते जिनके स्थान पर अन्यथा नये डिब्बे लगाये जाने थे अथवा कम से कम जिनका नवीकरण किया जाना था ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जिन गाड़ियों में पहले दर्जे के सवारी डिब्बे चल रहे थे उनमें से 280 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में तथा 56 नयी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में 336 वातानुकूलित शयनयानों की व्यवस्था की गई है।

(ग) सही समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह प्रतिवर्ष सवारी डिब्बों के उत्पादन पर निर्भर करता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कारखानों में नियमित अंतराल पर पहले दर्जे के सभी सवारी डिब्बों का नवीकरण और जांच की जाती है।

अस्थिरता विकलांग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

3118. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थि विकलांगों के लिए उच्च स्तर की सामग्री उपलब्ध न होने तथा नवीन अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के अभाव में सड़क दुर्घटनाओं में जख्मी व्यक्तियों का तुरन्त एवं प्रभावी उपचार करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या अनेक जख्मों वाले मरीजों की मृत्यु-दर बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो अस्थि-विकलांगों के लिए रोपण सामग्री के निर्माण में अनुसंधान एवं विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कांडला पत्तन के विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना

3119. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन के विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). कांडला पत्तन के विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कांडला-गांधीधाम परिसर के विकास के लिए गैर-सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों के एक कार्य दल का गठन करने हेतु एक माननीय संसद सदस्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्य दल का मुख्य कार्य कांडला-गांधी धाम परिसर का औद्योगिकीकरण और आर्थिक अवस्थापना का विकास होना चाहिए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मासिक वेतन डाक्टरों और कर्मचारी राज्य बीमा के तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए डाक्टरों में असमानताएं

3120. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मासिक वेतन पर कार्य कर रहे डाक्टरों को कर्मचारी राज्य निगम के तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए डाक्टरों के समरूप लाने के प्रश्न पर विचार किया है क्योंकि दोनों श्रेणियों के डाक्टरों की प्रारम्भ में समान शर्तों के अन्तर्गत नियुक्ति की गई थी, यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार न्यायाधीकरण के निर्णय के तर्काधार से सहमत है जिसके आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा के तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए डाक्टरों को 90 दिन की सेवा के बाद सेवा में कोई व्यवधान किए बिना और अवकाश तथा वेतनवृद्धियों जैसे सम्बद्ध लाभ दिए बिना आरम्भ में अधिक वेतनमान दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों श्रेणियों के डाक्टरों में समानता लाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा अधिकारियों का समान आधार नहीं है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों की सेवा शर्तों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम लागू होते हैं जबकि कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन बने विनियम लागू होते हैं।

बाल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विचार-गोष्ठी

3121. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान द्वारा बाल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में 2 दिवसीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने 14-15 अक्तूबर, 1987 को नई दिल्ली में बाल दुर्घटनाओं की रोकथाम पर एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था।

(ख) इसकी सिफारिशों को मोटे-तौर से निम्नलिखित 5 श्रेणियों में रखा गया है :—

(1) दुर्घटनाएं जिनमें डाक्टरी इलाज की आवश्यकता हो।

(2) दुर्घटनाएं जिनमें शल्य-चिकित्सा की आवश्यतका हो। इसमें सिर की चोट भी शामिल हो।

(3) आंख में चोट आना।

(4) कान, नाक, गले की चोट।

(5) सड़क यातायात दुर्घटनाएं जिनमें हड्डियां आदि चोट ग्रस्त हों।

(ग) सरकार को अभी तक सिफारिशों सहित पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन सिफारिशों पर कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3122. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या इसके कारण देश में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है ; और

(ग) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम देश भर में एक समान रूप सेच लाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि की व्यापक व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में नसबन्दी कराने वाले लोगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1980-81 में 67.2 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में यह 71.3 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आई० यू० डी० अपनाने वालों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1980-81 में 58.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 76.0 प्रतिशत हो गई।

(ख) 1971 और 1981 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल आबादी में ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता धीरे-धीरे घट रही है (1970-71 में 80.09 प्रतिशत से घटकर 1980-81 में 76.69 प्रतिशत)। भारत के महापंजीयक की 1985 की नमूना पंजीयन पद्धति के आधार पर सारे देश की 2.11 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि दर 2.10 प्रतिशत थी। सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि इस वृद्धि दर में और कमी लाना और शताब्दी के अन्त तक शुद्ध प्रजनन दर-1 के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा।

(ग) चालू वर्ष के दौरान आवंटित की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई गई है।

विवरण

1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों को किए गए आवंटन

राज्य	आवंटन 1987-88 (लाख रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	3243.86
2. असम	1083.00

राज्य	आवंटन 1987-88 (लाख रुपये)
3. बिहार	2522.99
4. गुजरात	2189.57
5. हरियाणा	820.67
6. हिमाचल प्रदेश	438.03
7. जम्मू व कश्मीर	363.50
8. कर्नाटक	2911.25
9. केरल	1994.82
10. मध्य प्रदेश	2687.28
11. महाराष्ट्र	4120.11
12. मणिपुर	160.80
13. मेघालय	133.56
14. नागालैंड	99.92
15. उड़ीसा	1614.02
16. पंजाब	978.63
17. राजस्थान	2141.87
18. सिक्किम	93.26
19. तमिलनाडु	3154.77
20. त्रिपुरा	147.33
21. उत्तर प्रदेश	6231.48
22. पश्चिम बंगाल	3928.11

सिक्किम में निराश्रितों के लिये आवास

3123. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में निराश्रित महिलाओं के लिए कुछ आश्रय केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये आश्रय केन्द्र चल रहे हैं और ऐसे प्रत्येक आश्रय केन्द्र में इस समय कितनी निराश्रित महिलायें हैं ;

(ग) क्या निराश्रित महिलाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ योजनायें भी चल रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) ऐसी प्रत्येक योजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग ने अभी हाल में गंगटोक में महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावार गृह खोलने के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की है।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को सरकारी आवास देना

3124. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को सामान्य पूल से सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारी, जो अपने माता-पिता के साथ सरकारी आवास में रहते हैं, मकान किराया भत्ता लेने के पात्र हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी सामान्य पूल से सरकारी आवास के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं। तदनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ). इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के नियमों का पालन

करता है जिनके अनुसार जो कर्मचारी अपने अभिभावकों के साथ सरकारी आवास में रहते हैं, वे मकान किराया भत्ते के पात्र नहीं होते।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया सुनिए···

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : दिल्ली पुलिस···

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, मेरी बात सुनिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर आप इस तरह आरोपात्मक बातें नहीं कर सकते। आपको इसे मेरे ऊपर छोड़ना होगा। मैं पता लगाऊंगा कि क्या इसका कोई आधार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते ? मैं आपको उत्तर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सैकड़ों हलफनामे प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं हलफनामों पर विश्वास नहीं करता। कुछ नहीं कर रहा हूं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में परवाह नहीं करता।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो बिल्कुल असत्य है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं···

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह मैंने कब किया ?

प्रो० मधु दण्डवते : कार्य मन्त्रणा समिति···

अध्यक्ष महोदय : यह आप कह सकते हैं, इसका मुझसे संबंध न जोड़ें। मैंने इसकी अनुमति दी थी। मैंने इसे स्वीकृति दी थी। आप जो कुछ कह रहे हैं वह सच नहीं है। आपको यह नहीं कहना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूं। हमें कोई अवसर नहीं मिला था···

अध्यक्ष महोदय : आपको समय निकालना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। कोई समस्या नहीं है। यह आप पर निर्भर है। आप मुझे समय दें और मैं इसकी अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस मामले को निपटाने के लिए आप निदेश दीजिए और मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसका पता लगाना होगा क्योंकि शपथ पत्र दिये जा सकते हैं और इस चर्चा के लिए कोई मामला नहीं बनता है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। मैं स्वयं वायदा नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं एक बात के लिए वायदा कर सकता हूं—जिसके लिए मैं पहले से ही आपसे वायदा कर चुका हूं कि मैं मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे प्राथमिकता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मिश्रा आयोग की रिपोर्ट बहुत पहले सभा पटल पर रखी गई थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके सामने तो हुआ है, मुझे क्या कह रहे हो। बी० ए० सी० में आप टाइम निकालिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया।

श्री वसुदेव आचार्य : आप समय निकालिए और जल्दी कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : समय तो आपको निकालना है।

···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कराने में अड़चनें लगा रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस बात से इन्कार करता हूं। सरकार ने कहा था, "हम तैयार है"।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : दिल्ली पुलिस···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। इतना ही पर्याप्त है। असम्बद्ध है।

(व्यवधान)**

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : कल मैंने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर जिसमें कुछ टिप्पणियां की गई थी और सरकार से करने के लिए कहा गया था···, नियम 193 के अधीन चर्चा कराने की मांग की थी···

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

श्री शान्ताराम नायक : आन्ध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की थी और केन्द्रीय सरकार से···के विरुद्ध कुछ मामले पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए, मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : आप इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल चुके हैं···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। महफूज अली जी, आप भी मेरी बात सुन लीजिए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

[अनुवाद]

यह कुछ ऐसी बात है जो एक राज्य के मुख्य मंत्री और एक मंत्री से संबंधित है। पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का यह अर्थ नहीं है कि कुछ अपराध किया गया है। नहीं। श्री महफूज अली खां, यहां देखिए, आप भी इसे सुनिये। यदि यह स्थिति थी, तब तो स्थिति बहुत ही अतर्कसंगत बन जाती है···

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : विशेष आरोप लगाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वे सिद्ध नहीं हो जाते···(**व्यवधान**) श्री महफूज अली खां, आपने नियमों का अध्ययन नहीं किया है। नियम 353 के अधीन एक उपबन्ध है। इसके अन्तर्गत, यह किसी मन्त्री महोदय के विरुद्ध निन्दनीय प्रस्ताव है इसे लाया जा सकता है। अन्यथा, नहीं। जब तक इसके लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला न हो, तब तक मैं सभा में ऐसी बात उठाए जाने की अनुमति नहीं दे सकता। श्री शान्ताराम नायक, आप मुझे नोटिस दे सकते हैं। मैं इसकी जांच करूंगा। जो भी मैं कर सकता हूं, करूंगा। अन्यथा, नहीं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : नियम 353 के अन्तर्गत मैं नोटिस दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्राइमा-फेसी केस होगा तो मैं सोचूंगा।

[अनुवाद]

मैं केवल तब ही विचार कर सकता हूं यदि कोई बात होगी।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपये रोज एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन में गैस का नुकसान हो रहा है। उद्योगपति कारखाने नहीं लगाकर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कालिंग अटेन्शन नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

यह मेरे विचाराधीन है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : कल आपने कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया था जिनमें नियम 380 आकृष्ट नहीं होता।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय वे टिप्पणियां करते रहते हैं। यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस पर विचार करना है और इसके बाद मुझे अपनी सुविचारित राय देनी है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : तब ठीक है। लेकिन वे आपका कहना नहीं मान रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम नायक, क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक : महोदय, नियम, 380 के अन्तर्गत, आपने मेरी कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था। मैं कहता हूं, मेरी टिप्पणियां न तो निन्दात्मक थीं और न ही अशिष्ट थीं, और न ही असंसदीय थीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी भी कुछ नहीं निकाला।

श्री शांताराम नायक : जी नहीं। आपने निकाली हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, मैंने यह कहा था, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। पहले आपको मेरी अनुमति लेनी होगी और यदि ऐसी बात नहीं थी, तो मुझे यहां नहीं होना चाहिए। मेरे यहां होने का क्या फायदा है ? मैं केवल नियन्त्रण ही कर सकता हूं और नियन्त्रण मेरे विवेक से किया जा सकता है।

श्री शांताराम नायक : उन्होंने प्रधान मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाया था और वह रिकार्ड किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं है।

श्री शांताराम नायक : जी नहीं। मैंने देखा है। उन्होंने "इतालवी सम्बन्ध" जैसा कुछ कहा था और यह रिकार्ड किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी का ध्यान छोटा नागपुर के सिंह भूम जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए, ऐसे नहीं होता है।

श्री शिव प्रसाद साहू : मेरी बात तो सुनें, बहुत अहम् मसला है···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दें, मैं सुन लूंगा।

श्री शिव प्रसाद साहू : लिखकर देने की बात नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : कहने की बात कैसे हो सकती है।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

देखिए श्रीमन् अगर ऐसा करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। आप यहां आकर बैठ जाएं।

12.07 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत-परिवहन (मत्स्य-नौकाओं के स्किपरों और मेट की परीक्षा) नियम, 1987, जो 18 मई, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5108/87]

मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5109/87]

खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 और नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 14 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 855(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० का० नि० 856 (अ), जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 5 मई, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 458 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5110/87]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5111/87]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा अखिल भारतीय वाक्-शक्ति और श्रवण संस्थान का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1987, जो 30 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 71 (अ), में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके हिंदी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र, जो 21 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 723 (अ), में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5112/87]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1986 जो 13 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 851

(अ), में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 18 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1207 (अ), और 13 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 28 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5113/87]

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1986, जो 27 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 910 (अ), में प्रकाशित हुए थे तथा उसके हिन्दी संस्करण का एक शुद्धि पत्र, जो 15 मई, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 500 (अ), में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5114/87]

(3) (एक) अखिल भारतीय वाक्-शक्ति और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय वाक्-शक्ति और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय वाक्-शक्ति और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5115/87]

बंजर-भूमि विकास प्रोन्नति सोसाइटी का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बंजर-भूमि विकास प्रोन्नति सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) बंजर-भूमि विकास प्रोन्नति सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) बंजर-भूमि विकास प्रोन्नति सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5116/87]

12.07-1/2 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.08 म० प०

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नाती) : मैं इस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। महोदय, इस विधेयक के द्वारा सभी अल्प संख्यक—धार्मिक भाषाई और जातीय समुदायों के साथ विश्वासघात किया गया है। यह कहना कि यह विधेयक मुख्य अधिनियम के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव के परिणाम के रूप में लाया गया है, कुछ भी नहीं है बल्कि यह राजनीतिक आडम्बर है। इस विधेयक द्वारा अति राष्ट्रीयता वाली शक्तियों के समक्ष झुक जाना पड़ेगा जो कि निन्दनीय है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य अधिनियम इस सभा द्वारा असम में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था। अतः, उसमें अनेक रक्षोपाय सम्मिलित किए गए थे और संशोधन विधेयक में

[श्री जी० एम० बनातवाला]

इन सभी रक्षोपायों को समाप्त किया गया है। इसलिए, मैं कहता हूं कि यह विधेयक कानूनी उत्पीड़न और दमन का एक यन्त्र है। असम में उत्पीड़न और दमन का भयंकर चक्र यथावत चल रहा है और इस विधेयक के उपबन्ध से, यहां तक कि असम के निर्दोष नागरिक के उत्पीड़न और दमन को भी और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अतः मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं। यह विधेयक संवैधानिक गारंटी के सम्बन्ध में एक धोखा है। यह हमारी विधि व्यवस्था का एक उपहास है।

महोदय, मैं इस स्तर पर भी सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, कि वह इस निन्दनीय विधेयक को वापस ले ले। मैं सभा से इस विधेयक को हटाने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस विधेयक से उन भारतीय नागरिकों को भारी परेशानी हो जाएगी जो असम में कई दशकों से रह रहे हैं। पता लगाने और निष्कासन के नाम पर हजारों की संख्या में असली भारतीय नागरिक बेदखल हो जाएंगे जो वहां सन 1947 से रह रहे हैं।

वर्तमान अधिनियम से क्या कठिनाई हो रही है ? विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए वर्तमान अधिनियम पर्याप्त है। अब इस संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर सकता है क्योंकि इस संशोधन से 3 किलोमीटर की प्रादेशिक सीमा समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी व्यक्ति को इस अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी।

यह संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का उल्लंघन होता है। असम में रह रहे हजारों नागरिक और यहां तक कि वे वर्ष 1947 के दौरान असम में आने वाले नागरिक भी अब बेदखल हो जाएंगे। महोदय मुझे पता है कि मालीगांव और अन्य क्षेत्रों में रह रहे लगभग 85000 वास्तविक नागरिकों को अब विदेशी मानकर बेदखल किया जा रहा है।

अतः, इस विधेयक से हजारों भारतीय नागरिक बेदखल हो जाएंगे। चूंकि इस विधेयक के द्वारा संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, इसलिए मैं इस विधेयक—अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक—के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं और मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापस ले लें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आप बोलिए, आपका नोटिस बीच में आया हुआ है, सही टाइम में।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ठीक टाइम में !

अध्यक्ष महोदय : जी हां, ठीक टाइम में।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इसे प्रथम स्थान पर होना चाहिए। मैंने सोचा था कि मेरा नोटिस प्रथम स्थान पर होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस समय पर मिला था, इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, उन्हें संविधान का पूरा ज्ञान है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मानवता तथा सभ्य आचरण के लिए मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, स्पष्टतः यह एक राजनैतिक स्वार्थ का मामला है तथा यह न्याय और निष्पक्ष व्यवहार पर हावी होने जा रहा है।

वर्तमान विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि मूल अधिनियम, 1983 इस प्रश्न के, कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं, उचित रीति से अवधारण के लिए अधिकरणों की स्थापना करने के लिए था। किन्तु, निष्पक्ष व्यवहार और न्याय की जो किंचित मात्रा आरम्भिक विधान में शामिल की गई थी, उसे नष्ट किया जा रहा है। अब इस प्रश्न के निष्पक्ष अवधारण को मदद पहुंचाने अथवा सहायता करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता के लिए अभियोग लगाने अथवा दोषारोपण को सम्भव बनाने के लिए समस्त प्रक्रिया को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को विदेशी बताकर उन्हें असम से बाहर किया जा सके।

आरम्भिक विधान के कुछ उचित उपबन्धों के इस ह्रास से उन सभी आश्वासनों का निषेध होता है जो पण्डित नेहरू और सरदार पटेल ने इस सदन के समक्ष उन लोगों को दिए थे जिनके त्याग और बलिदान के कारण इस देश को स्वतन्त्रता मिली थी तथा पण्डित नेहरू और सरदार पटेल को सत्ता प्राप्त हुई थी।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रसंगवश, वर्तमान को भी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब, महोदय, उन आश्वासनों का क्या हो रहा है, जिन्हें उस समय इस देश की जनता को राष्ट्रीय बचनबद्धता बताया गया था तथा उन लोगों के धर्म-सिद्धांत, जो राजनैतिक स्वार्थपरता अर्थात देश-विभाजन के शिकार बने, की किस प्रकार रक्षा की जा रही है तथा उस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उन लोगों की, जिन्होंने उन लोगों से कम कष्ट नहीं उठाए जिन्हें आज हम सम्मान पत्र दे रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार बनाए रखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने कथन को थोड़ा और स्पष्ट करे कि किस प्रकार उद्देश्यों और कारणों के कथन में अवैध प्रवासी के प्रश्न के उचित रीति से अवधारण में बाधा हो रही है। क्या इसका उद्देश्य, जहां तक तथाकथित अवैध प्रवासियों का सम्बन्ध है, इसे और निष्पक्ष बनाना है अथवा तथाकथित अवैध प्रवासियों के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं के लिए इसे और निष्पक्ष बनाना है ? इसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ेगा। मुझे ऐसे उदाहरण मिले हैं तथा मैं आशा करता हूं कि जब कार्यपालिका से न्याय नहीं मिल रहा है तथा भारत सरकार सभी प्रकार के समझौते तथा करार, मानवता पर इनके गम्भीर परिणामों एवं प्रभावों पर ध्यान न देते हुए, कर रही है, जबकि इन लोगों की, जिनकी बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, गलत धारणा बन गई है कि इनका विकास तथाकथित रूप से उन लोगों के कारण रुक गया है जिन्होंने असम के सभी क्षेत्रों के विकास में भाग लिया है। अब इस प्रकार का समझौता करके इस देश में रहने वाले लोगों की मानवता तथा न्यूनतम अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

यदि आप उद्देश्यों और कारणों के कथन का अध्ययन करें, तो न्यायाधिकरणों की संख्या कम हो जाएगी। छोटी-छोटी शिकायतें करना आसान हो जाएगा। पहले, वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

केवल 3 कि. मी. के भीतर रहने वाला व्यक्ति ही शिकायत कर सकता था। इसका आधार यह था कि किसी व्यक्ति को स्वयं यह पता होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति एक अवैध प्रवासी है। अब किसी थाना-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सौ किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और इसलिए, इन लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। मैं आशा करता हूं कि इस देश में कोई अन्य मंच है तथा न्यायपालिका इन लोगों की सहायता के लिए आगे आएगी। यही कारण है कि न्यायपालिका तक पहुंचने को अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। यह एक गम्भीर विधान है। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को अपनी भावनाओं तथा निष्पक्षता के दृष्टिकोण का त्याग करना पड़ेगा अथवा इसके साथ समझौता करना पड़ेगा किन्तु, उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों के समक्ष इस आत्म-समर्पण से आप देश की एकता नहीं बनाए रख सकते, आप इस विधेयक के द्वारा लाखों लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अपना कदम वापस ले ले तथा बहुत बड़ी संख्या में लोगों के अधिकारों को इस तरीके से समर्पित न करे।

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी) : मैं भी इस विधेयक का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी सूचना समय पर नहीं दी। इसलिए मैं विवश हूं।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सर, ये आसाम के अकेले मेम्बर हैं, इनको समय दे दिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद : मैंने इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने के बारे में आपको लिखा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं। मेरी बात सुनिए। मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनते नहीं हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपने नोटिस देर में दिया। यह आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। आपका नोटिस 10.20 पर आया है।

[अनुवाद]

मैं उन्हें भी अनुमति दे सकता था। मुझे कोई संकोच नहीं है।

श्री अब्दुल हमीद : मैंने इसे 10 बजे म० पू० दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने 10.20 बजे म० पू० दिया था। इसे 10 बजे म० पू० आना चाहिए था।

[हिन्दी]

आपको पहले जागना चाहिए। आपको नोटिस पहले देना चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : इनके लिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

मैंने जब इनको नहीं रोका, तो इनके लिए क्या तकलीफ थी ?

[अनुवाद]

मेरा समय नष्ट न करें।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस समय विधेयक के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हमीद : मैं वाक-आउट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन पर बिल जब आएगा, तब बोलिए। वाक-आउट क्यों करते हैं ? अपनी कमजोरी का दूसरों पर तोहमत फेंकते हैं।

इस समय, श्री अब्दुल हमीद भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : महोदय, नियम 72 के अधीन विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध··· (व्यवधान)···केवल संवैधानिक मुद्दों तथा विधिक आधारों पर किया जा सकता है। चूंकि विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने सभा की संवैधानिक अथवा विधिक सामर्थ्य के प्रति आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए, अन्य बातों···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने उठाई है।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्यों, श्री बनातवाला जी, आचार्य जी तथा मेरे विद्वान मित्र ने इस विधेयक के उद्देश्यों में दिए गए कुछ उपबन्धों की गलत व्याख्या करने की कोशिश की है। भारत सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है···(व्यवधान)···

महोदय, हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे तथा असम या देश के किसी अन्य भाग में कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे जिससे हमारे देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ···(व्यवधान) टकराव हो। हम पण्डित नेहरू के महत्वपूर्ण कथन को लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे जो संविधान की आत्मा के प्रतिकूल हो।

मैं माननीय सदन तथा विपक्षी सदस्यों को इसका आश्वासन दे सकता हूं। यह सदन सर्वोच्च है। विचार-विमर्श के समय, माननीय सदस्य उन बातों की ओर ध्यान दिला सकते हैं जो वस्तुतः नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से, यह सदन सर्वोच्च है। किन्तु, इस समय केवल तुच्छ आधारों पर, ऐसे आधार जो विधिक तथा संवैधानिक नहीं हैं, इस विधेयक के पुरःस्थापन

[सरदार बूटा सिंह]

का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यों द्वारा किए गए कुछ आक्षेप सही नहीं हैं। मैं आपको केवल एक बात कह सकता हूं···(व्यवधान) संसद में जो अधिनियम पारित किए हैं, निष्पक्ष आचरण और न्याय इसके मूलभूत सिद्धांत हैं। हमारी पार्टी, हमारे देश के किसी भी भाग में अल्पसंख्यकों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 9] **[12.29 म० प०**

पक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अताउर्रहमान, श्री
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अरुणाचलम्, श्री एम०
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
किन्दर लाल, श्री
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लाला राम
कौल, श्रीमती शीला
कृष्ण सिंह, श्री
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गामित, श्री सी० डी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री विमल कान्ति
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चह्वाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
जौगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कमोदीलाल
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
झिकराम, श्री एम० एल०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोंगरा, श्री गिरधारी लाल
ढिल्लन, डा० जी० एस०
तम्बिदूराई, श्री एम०
तांती, श्री भद्रेश्वर
तिग्गा, श्री साइमन
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम, श्री वी०

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
थामस, प्रो० के० वी०
दलवाई, श्री हुसैन
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
नटराजन, श्री के० आर०
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नैगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटेल, श्री यू० एच०
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पांडे, श्री मनोज
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री विजय एन०
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पेंचालैया, श्री पी०
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुले, श्री शांताराम
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बूटा सिंह, सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल

बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच० के० एल०
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
मनोरमा सिंह, श्रीमती
महन्ती, श्री बृजमोहन
महावीर प्रसाद, श्री
महालिंगम, श्री एम०
महेन्द्रसिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मेहता, श्री हरुभाई
मोदी, श्री विष्णु
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणवीर सिंह, श्री
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम धन, श्री
राम सिंह, श्री
रामुलू, श्री एच० जी०

राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीहरि
रेड्डी, श्री सी० माधव
लाल डहोमा, श्री
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
विजयराघवन, श्री बी० एस०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शांति देवी, श्रीमती
शाह, श्री अनूपचन्द
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संतोष कुमार सिंह, श्री
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्नाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सैकिया, श्री गोकुल
सोढी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वैल, श्री जी० जी०
आचार्य, श्री बसुदेव
कुरूप, श्री सुरेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
तिरकी, श्री पीयूष
दण्डवते, प्रो० मधु
पटेल श्री एच० एम०
पांडेय, श्री काली प्रसाद
बनातवाला, श्री जी० एम०
बसु, श्री अनिल
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
महाता, श्री चित्त
रेड्डी, श्री सी० जंगा
रेड्डी, श्री एस० जयपाल
साहबुद्दीन, सैयद
साहा, श्री अजित कुमार
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 172

विपक्ष में : 17

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री सलाउद्दीन, श्री हरपाल सिंह, श्री नवल किशोर शर्मा और डा०गौरी शंकर राजहंस।

विपक्ष में : श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर तथा श्री मोहम्मद महफूज अली खां

श्री जी० एम० बनातवाला : हम अपना कड़ा विरोध प्रकट करते हैं तथा सभा-भवन से बाहर जाते हैं।

तत्पश्चात्, श्री जी० एम० बनातवाला तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

सरदार बूटा सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.29 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नसीराबाद और महू के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की फौजी छावनी नसीराबाद से मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फौजी छावनी महू तक की सड़क मध्य प्रदेश की एक और फौजी छावनी नीमच से होकर गुजरती है। इस सड़क का रखरखाव और वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। बम्बई से अजमेर-जयपुर होकर दिल्ली आने जाने वाला सारा यातायात इसी मार्ग से होकर जाता आता है। 24 घन्टों में लाखों वाहन इस सड़क पर दौड़ते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के लिए इस व्यस्तम मार्ग को सम्भालना और स्तरीय बनाए रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ताजा प्रस्तावों में नीमच से महू तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की पहल केन्द्र सरकार से की है। इस मार्ग पर यातायात का दबाव और घनत्व प्रतिदिन बढ़ रहा है।

जनहित में यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार नसीराबाद के महू तक के मार्ग को अपने अधीन ले और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे। इसमें नीमच से महू तक हिस्सा भी आ जाएगा। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं से इस महत्वपूर्ण राजमार्ग को शामिल करें और इस क्षेत्र के साथ न्याय करें।

(दो) मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अनुमानत: प्रदेश की एक तिहाई आबादी आदिवासी हरिजनों की है। प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्रफल आदिवासी क्षेत्र है जिनका कि निवास पहाड़ों और जंगलों में होता है। सरकार ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। परन्तु मध्य प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है। यहां तक कि विकसित एवं यातायात से जुड़े हुए स्थानों में भी शिक्षकों की

व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीण अंचलों के स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है तथा शिक्षकों की भी कमी बनी रहती है। आज जबकि पिछड़े वर्ग एवं हरिजन, आदिवासी शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण अंचलों में लड़कियों के स्कूलों की भारी कमी है। ग्रामीण अंचलों की लड़कियों को प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक तक ही शिक्षा देकर उनके मां-बाप उनकी पढ़ाई बन्द कर देते हैं क्योंकि वे अपनी लड़कियों को बाहर भेज कर शिक्षा नहीं दे पाते और न ही व्यवस्था कर पाते हैं। सत्य तो यह है कि ग्रामीण अंचलों में न तो समुचित स्कूल भवन हैं और न ही शिक्षक। ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को शहर के स्कूलों में दाखिला मिलने में परेशानी होती है। सुदूर ग्रामीण अंचल के आदिवासी बच्चों का शहर में आकर पढ़ना कल्पना से परे हैं। विडम्बना है कि एक तरफ तो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह यह देखे कि प्रत्येक स्कूल में छात्र-छात्राओं को पढ़ाने हेतु अध्यापक बिना किसी देरी के नियुक्त करें जिससे कि उचित शिक्षा मिल सके एवं बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल हो सके। धन्यवाद।

(तीन) कर्नाटक में कतिपय कम्पनियों को विद्युत की आपूर्ति के बारे में भेदभाव दूर करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री केशवराव पारधी (भण्डारा) : कर्नाटक में बिजली की भारी कमी के कारण उच्च-वोल्टता वाले उद्योगों के सम्बन्ध में 79-80 प्रतिशत बिजली की कटौती की जा रही है। तथापि, इस कटौती के बावजूद कुछ एककों को राज्य में एन. टी. पी. सी. के उत्पादक एककों से अतिरिक्त बिजली सप्लाई जा रही है। एक कम्पनी को तो 3 फरवरी, 1987 से प्रतिदिन 3 लाख यूनिट की दर से अतिरिक्त बिजली सप्लाई की जा रही है और इस बात को वर्ष 1986-87 की कम्पनी की निदेशक रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है।

यह मालूम हुआ है कि अन्य औद्योगिक एककों को भी कर्नाटक में एन. टी. पी. सी. से बिजली की अतिरिक्त सप्लाई की जा रही है।

किसी एकक को बिजली की सप्लाई के मामले में पक्षपात करना विद्युत अधिनियम, 1948 के प्रावधान के विरूद्ध है जिसमें यह अनुबन्ध है कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति अथवा विशेष एकक को अनुचित प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करने हेतु तत्काल और उचित उपाय करे और यदि इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव बरता जाता है तो उसे भी दूर करे।

(चार) केन्द्रीय तेल उद्योग संगठन को उन्नत तिलहनों का आवंटन उसी दर से करने की आवश्यकता जिस दर पर वह वनस्पति उद्योग को किया जाता है ताकि उक्त संगठन खाद्य तेलों का मूल्य उचित स्तर पर बनाए रख सके

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : आम आदमी के लिए खाद्य तेल दैनिक खाद्य का एक अनिवार्य भाग है। देश में खाद्य तेलों के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार प्रति

[श्री चिन्तामणि जेना]

वर्ष करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करके खाद्य तेलों का आयात कर रही है। इसके बावजूद देश में निर्मित खाद्य तेलों का मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

यह सन्तोष की बात है कि तेल उद्योगों के केन्द्रीय संगठन (सी. ओ. ओ. आई. टी.) ने खाद्य तेलों के मूल्यों को समान्य स्तर पर स्थिति रखने हेतु सरकार के साथ स्वयं समझौता करने की पेशकश की है।

यह मालूम हुआ है कि आयल रिफाइनरीज एसोसिएशन आल इण्डिया ने सरकार को लिखा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि यदि आयातित तिलहन संसाधन उद्योगों को उसी तरह दिए जाते हैं जिस तरह वनस्पति एककों को आयातित खाद्य तेल पूर्व निर्धारित मूल्यों पर किए जाते हैं तो वे ऐसा समझौता करने हेतु सहमत होंगे।

ये खाद्य तेल शोधन उद्योग अधिकांशतः लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उन्हें अपना उद्योग चलाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें उसी दर पर आयातित कच्चा तेल आबंटित नहीं किया जाता है जिस दर पर वनस्पति उद्योगों को आबंटित किया जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आयातित तिलहन और आयातित कच्चे तेल का आबंटन उसी दर पर, जिस दर पर वनस्पति उद्योगों को भी जाती है करने के लिए ओ. ओ. आई. टी. की पेशकश और उनके अनुरोध पर उचित ध्यान दे ताकि देश में उत्पादित खाद्य तेलों का मूल्य कम किया जा सके।

(पांच) कलकत्ता से करीमगंज तक स्टीमर सेवा पूरे वर्ष उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन दास (करीमगंज) : वर्षा के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो मेघालय राज्य में से गुजरता है और उत्तर सीमांत रेलवे के लमडिंग तथा कारबी से होकर उत्तरी कछार की पहाड़ियों से निकलता है, भू-स्खलन के कारण प्रायः बन्द हो जाता है जिससे त्रिपुरा, मिजोरम राज्य, असम के बछार तथा करीमगंज जिलों और मणिपुर राज्य के पश्चिमी भाग में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है और मूल्यों में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण वहां लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इस स्थिति से निबटने के लिए कलकत्ता से करीमगंज तक बंगलादेश के मार्ग से स्टीमर सेवा पूरे वर्ष चलाई जानी चाहिए जो कि अभी वर्ष में कुछ ही महीने चलाई जाती है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्टीमर सेवा पूरे वर्ष चलाई जाए।

(छः) आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी (चित्तूर) : मेरा सूचना और प्रसारण मन्त्री से अनुरोध है कि चित्तूर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाए। इस क्षेत्र के लोग न तो क्षेत्रीय कार्यक्रम देख सकते हैं और न ही वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाई देते हैं। चित्तूर के लोगों द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को समय-समय पर कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। चित्तूर के लोगों को देश के विकास कार्यों के बारे में कोई

जानकारी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वहां तत्काल एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्वीकृति दी जाए। इसके लिए चित्तूर के लोग मन्त्री महोदय के आभारी होंगे।

(सात) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त करने की आवश्यकता

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पिछले 31 वर्षों से सीमा विवाद चला आ रहा है। इससे दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रपने वाले लोगों में भाई-चारे की भावनाओं को चोट पहुंचने की सम्भावना है और इससे अन्ततः राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के सन्तोषजनक समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा महाजन आयोग की नियुक्ति सहित सभी प्रयास विफल रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को सलाह दी है कि आपस में मिलजुल कर इसका समाधान कर लिया जाए किन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

राज्यों में राष्ट्रीय एकता, सोहार्दता और भाई-चारा को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि महाजन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए, आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों और साक्ष्य का अध्ययन करने के लिए और (1) गांव, एक यूनिट के रूप में; (2) भौगोलिक निकटता और (3) भाषाई सम्बन्ध, अर्थात भाषाई बहुत तथा लोगों की आकांक्षाओं के सिद्धांतों को देखते हुए नए प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे।

(आठ) महाराष्ट्र में जनजातियों के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा न दिए जाने के मामले की जांच करने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महाराष्ट्र में अभाव और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लाभ के लिए फसल बीमा योजना आरम्भ की गई थी किन्तु महाराष्ट्र के नान्देड जिले की किनवात तहसील में अभाव प्रभावित पालिसी धारकों को वर्ष 1986-87 में कोई मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण यह योजना विफल हो गई है। यद्यपि वहां 133 गांवों की पाइसेवारी 50 पैसे से भी कम है, फिर भी उन्हें उनका उचित मुआवजा दिए जाने से इन्कार किया गया। इससे वहां लोगों में योजना के बारे में असंतोष और भ्रम पैदा हो गया है।

इस तहसील के साथ वाले क्षेत्र के लोगों, जिनकी बेहतर स्थिति थी, को मुआवजा दिया गया था जबकि किनवात तहसील के आदिवासियों को इस योजना के अन्तर्गत मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और लोगों तथा अधिकारियों से इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता करना चाहिए तथा किनवात, महाराष्ट्र के लोगों को बीमे की राशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

(नौ) कानपुर में गंगा में दूषित पानी को गिरने से रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसको प्रदूषित करने मे कल-कारखानों एवं मिलों का योगदान तो है ही, लेकिन

[श्री जगदीश अवस्थी]

चमड़ा टेनरियों ने तो वहां की स्थिति और भी बदतर बना रखी है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश में इन सभी टेनरियों को तब तक बन्द रखने का आदेश दिया है, जब तक कि इनमें प्रदूषण दूर करने वाले उचित संयंत्र न लगा दिए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कड़ाई से लागू किया जाए तथा कानपुर में भेरो घाट पम्पिंग स्टेशन एवं केसा पावर हाउस से पूर्व दो नाले गंगा जी में गिराए जाते हैं। उससे प्रदूषण तो होता ही है साथ में उसी जल को संवर्धित करके कानपुर में पेयजल के रूप में आपूर्ति की जाती है, जिससे जन-जीवन अनेक बीमारियों से ग्रसित रहता है। सरकार से अनुरोध है कि इसको तुरन्त बन्द किया जाए तथा स्वच्छ जल से पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।

12.40 म० प०

[अनुवाद]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री जनार्दन पुजारी द्वारा 23 नवम्बर, 1987 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

> "कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय मन्त्री।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। इस पक्ष से और विपक्ष से लगभग बीस माननीय सदस्यों ने इस विस्तृत जानकारी देने वाले वाद-विवाद में भाग लिया है और मैं कुछ उन माननीय सदस्यों के नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका योगदान बहुत प्रभावकारी रहा है। वे हैं—श्री माधव रेड्डी, श्री के० एस० राव, श्री बसुदेव आचार्य, श्री तम्पन थामस, श्रीमती बसवराजेश्वरी, प्रो० नारायण चन्द पराशर, श्री विजय एन० पाटिल, श्री वी० कृष्ण राव, श्री जी० एम० बनातवाला और श्री वी० सी० जैन। वास्तव में उनका आभारी हूं क्योंकि उन्होंने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन किया है और भावी संदर्भ में और भावी कार्यवाही के लिए उनका योगदान ध्यान में रखा जाएगा। वस्तुतः, जब मैं उनमें से कुछ सदस्यों का भाषण सुन रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्यकरण के बारे में हमें और अधिक जानकारी दी है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र को और विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कमजोर वर्गों को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 1969 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र सभी प्रयासों के बावजूद कमजोर वर्गों, छोटे किसान और सीमान्त किसानों जो दूरस्थ गांवों और आदिवासी इलाकों में रह रहे हैं, की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाये हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकों का व्यवहार केवल औद्योगिक क्षेत्रों और साथ ही बड़े क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में रहा है। उनका दृष्टिकोण यह था : जब उनसे दूरस्थ इलाकों में जाकर

गरीब वर्गों की सेवा करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सोचा कि जो धनराशि उन्हें दी जाएगी वह वापिस नहीं आएगी और गरीब वर्गों तक पहुंचना बैंकिंग क्षेत्र के लिए लाभप्रद नहीं होगा। अतः, देश में स्थिति का विचार करते हुए, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उस समय भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने के बारे में सोचा जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने कल यह बात उठाई थी कि कमजोर वर्गों और विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का कर्त्तव्य है।

कुछ अर्थशास्त्रियों और साथ ही कुछ तथाकथित विशेषज्ञों ने राष्ट्र के सम्मुख यह तर्क रखा कि यदि बैंकिंग क्षेत्र—जो वाणिज्यिक बैंक कहे जाते हैं—को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना लाभप्रद नहीं होगा और लाभ कमाने की मुख्य बात भी नहीं रहेगी। यह तर्क दिया गया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी, यद्यपि बैंकों के वर्ग के स्थान पर व्यापक बैंक सेवा को रखा गया था। भारत सरकार ने सोचा कि गरीब वर्गों की सेवा करने के लिए वाणिज्यिक बैंक लाभप्रद नहीं होंगे और हमारे पास एक ढांचा, एक संस्थान, जो कम लागत वाला ढांचा हो, होना चाहिए जिससे कोई भी यह शिकायत न कर सके कि यह लाभप्रद नहीं है। (व्यवधान) जब इस बात पर चर्चा चलाई गई और विचार किया गया तो इस सम्बन्ध में तैयारियां की गई और संसद के सम्मुख एक विधेयक रखा गया और इसे अधिनियमित किया गया। आज, हमारे पास कुछ ही वर्षों में, देश में, लगभग 13000 ग्रामीण बैंक की शाखाएं, 196 ग्रामीण बैंक है जो 23 राज्यों में 357 जिलों की सेवा करते हैं। हमने इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 1763 करोड़ रुपए जमा किए हैं और हमने ग्रामीण जनता अर्थात निश्चित वर्गों का ध्यान में रखकर उदाहरणार्थ छोटे और सीमान्त किसानों तथा साथ ही कमजोर वर्गों को···ऋण दिए (व्यवधान)

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम): कितनी राशि दी गई थी? आपने कितनी एकत्र की लेकिन उसे दिया नहीं गया था।

श्री जनार्दन पुजारी: यद्यपि जमा राशि 1763 करोड़ रु० थी, हमने 1846 करोड़ रु० दिए हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्रित जमा राशि का न केवल उपयोग किया है बल्कि हम प्रायोजक बैंक, रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संसाधनों से आने वाली राशि से भी कहीं अधिक राशि दे चुके हैं।

हम यह नहीं कहते हैं कि यह पर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक राशि दी जानी चाहिए। अब तक हमारे क्या प्रयास रहे हैं? देश में 53,540 शाखाओं में से—ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 29,922 शाखाओं में से—देश में ग्रामीण बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाओं की संख्या 11,918 है। यह ग्रामीण शाखाओं का 40 प्रतिशत है। जहां तक आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों का सम्बन्ध है अर्थात दूरस्थ स्थानों में जहां अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां रह रही हैं, हमने उनमें से अधिकांश का ध्यान रखा है। 96 जिलों में से हम अब तक 83 जिलों को इसके अन्तर्गत लाए हैं। इसी इसी प्रकार आदिवासी उप-योजना में 115 जिले में से हम 97 जिलों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत लाये हैं।

ग्रामीण जनता को दी गई राशि के बारे में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह राशि 1736 करोड़ रुपए है। जैसाकि माननीय सदस्य, श्री माधव रेड्डी द्वारा बताया गया है और अध्ययन किया गया है यह सच है कि जब हम इस क्षेत्र में ऋण देते है, तो कुछ ग्रामीण बैंकों को नुकसान हुआ है, कुछ

[श्री जनार्दन पुजारी]

ग्रामीण शाखाओं को क्योंकि उन्होंने हाल ही में कार्य करना प्रारम्भ किया है, उन्हें नुकसान हुआ है। जो जानकारी मेरे पास है वह यह है कि 194 शाखाओं में से 46 शाखाओं ने 4.65 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाया है, 148 क्षेत्रीय ग्रामीण शाखाओं का नुकसान हुआ है, और उनके नुकसान के आंकड़े 32.46 करोड़ रुपए हैं। अत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अब तक कुल नुकसान, जिसका मैंने उल्लेख किया है, 89.63 करोड़ रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान और व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं इस महान सभा के सम्मुख विनम्र निवेदन करता हूं कि क्या हम अपने कर्मचारियों को, जिनका हम सम्मान करते हैं और जिन्हें हम और अधिक देना चाहते हैं, क्या और सुविधाएं देने की स्थिति में हैं। यह एक सांविधिक उपबन्ध है कि उनके वेतन और सेवा शर्तें—क्योंकि उन्हें निश्चित वर्ग की आवश्यकयाओं को पूरा करना होता है जहां लागत, यथासम्भव, कम होनी चाहिए और इसे कमजोर वर्गों और छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए—और उनका ढांचा भी कम लागत वाला होना चाहिए; और एक सांविधिक उपबन्ध शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि उनका वेतन और अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होनी चाहिए।

राज्यों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। जहां तक ग्रामीण बैंक के ढांचे, का सम्बन्ध है, उनके पूंजी आधार का संबंध है—केन्द्रीय सरकार से उन्हें 54 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक से 35 प्रतिशत और राज्य सरकार से 75 प्रतिशत प्राप्त होता है। जैसाकि ढांचा कम लागत वाला है, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यह समाज के कमजोर-वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, इसकी लाभ की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं होगी। अत: यह विचार किया गया कि इसका ढांचा राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होना चाहिए, उनके वेतन और अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। राज्य सहकारी क्षेत्र, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के कर्मचारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सहानुभूति कमजोर वर्गों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से है।

श्री बसुदेव आचार्य और अन्य माननीय सदस्य और उस पक्ष से कुमारी ममता बनर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने इस पक्ष से उन्हें अधिकाधिक राशि और सुविधाएं देने के लिए कहा है। इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात और उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार इस समस्या का अध्ययन करने के लिए, आज हमने इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भुगतान का अध्ययन करने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की है। अत: जहां तक ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन और उनकी लाभ की स्थिति का सम्बन्ध है, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसमें हमसे सहयोग करें।

माननीय सदस्य, श्री माधव रेड्डी ने उल्लेख किया कि इन ग्रामीण बैंकों को बन्द करने के लिए मांग की गई थी और उन्होंने सरकार से जोरदार अपील की कि उन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिए और इस पक्ष से भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपील की कि उन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिए। मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुना है और यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और यह सरकार का भी विचार है कि हमें बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अध्ययन करना पड़ेगा और हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन को बन्द नहीं करना चाहिए और हमें इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आधार को मजबूत करना होगा। ये बैंक कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता जिनकी आय

6500 रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, की आवश्यकताओं को भली-भांति पूरा कर रहे हैं। हम इन सब संशोधनों सहित आए हैं। माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं और उन्होंने श्री केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों का भी उल्लेख किया है। इन सभी सिफारिशों के लिए सांविधिक उपायों की आवश्यकता नहीं है। जब कभी इसकी आवश्यकता होती है हम संशोधन करते है और अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में हमने जहां सम्भव था, प्रशासनिक कार्यवाही की है और यदि कोई माननीय सदस्य चाहता है, वे मुझे लिख सकते हैं और मैं उन्हें निश्चय ही सारे विवरण भेज दूंगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और स्टाफ के प्रशिक्षण सम्बन्धी पहलू के बारे में, श्री रेड्डी और श्री बसुदेव आचार्य तथा यहां पर अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों को कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और इस पक्ष से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, नोट कर लिया गया है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 46245 कर्मचारियों में से हम 37238 कर्मचारियों, दोनों अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी : यह एक अच्छा रिकार्ड है।

श्री जनार्दन पुजारी : हमारा यह भी प्रयास है कि इन लोगों को अधिक प्रशिक्षण दिया जाय और मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि अधिकारी और स्टाफ निष्ठावान होने चाहिए और उन्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए और कमजोर वर्गों और ग्रमीण जनता की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। और उनका दृष्टिकोण भी ग्रामीण होना चाहिए। यह विशिष्ट वर्ग वाला दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, उनका दिल और दिमाग, हरेक चीज ग्रामीण जनता के लिए होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाए। इतना ही नही हमने ग्रामीण इलाकों में अपने बैंकिंग क्षेत्र से कहा है कि वे सप्ताह में एक दिन बैंकों को बन्द रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहां लोगों से बातचीत करें और उनका मार्ग निर्देशन करें। वे कमजोर वर्ग के लोगों तथा ग्रामीण जनता को यह बताएं कि वे बैंकों से कितना फायदा उठा सकते हैं। हम इस सब पर निगरानी रखे हुए हैं तथा हमने बैंकों के अध्यक्षों, बैंकिंग प्रभाग के कर्मचारियों और अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारियों से भी गांवों में जाकर यह पता लगाने को कहा है कि ग्रामीण लोगों को इन बैंकों का कितना लाभ पहुंच रहा है। वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री की हैसियत से मैं व्यक्तिगत रूप

1.00 म० प०

से ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूं। हमाने यहां तक कुर्सी अथवा अन्य तरह के आसन आदि के बिना ही वृक्षों के नीचे बैठकर, फर्श पर बैठकर अधिकारियों के साथ ग्रामीण लोगों की समस्याओं पर चर्चा की तथा उक्त अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर लोगों की समस्याओं की जांच-पड़ताल करने, विशेषकर यह सुनिश्चित करने कि ग्रामीण महिलाओं की बैंक सम्बन्धी कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिले, के लिए प्रेरित किया। महोदय, इसके बावजूद मैं यह मानता हूं कि सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने बताया, कुछ ऐसे तत्व हैं जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अभी हाल ही में जब मैं गांवों में गया था तो अनुसूचित जाति के तीन या चार व्यक्तियों ने आकर मुझे बताया कि 'महोदय, हमने 12000 रुपए का ऋण लिया है और हमें इसके लिए 1000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी।' जब उन्होंने यह बताया तो हमने तत्काल कार्यवाही की और अनुसूचित जाति के उन लोगों का कथन रिकार्ड किया। मैंने बैंक के सहायक महाप्रबन्धक को वहां ठहर कर मामले की गहन जांच पड़ताल करने तथा यह पता लगाने के लिए कहा कि उसके लिए उत्तरदायी कौन है, तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

[श्री जनार्दन पुजारी]

महोदय, मेरा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जब कभी वे वहां जाते हैं—कुछ माननीय सदस्य मुझे शिकायतें लिखकर भेजते रहते हैं जो कि सामान्य किस्म की शिकायतें होती हैं और जब मैं शिकायतों की जांच के आदेश देता हूं और जब ये लोग गांवों में जाते हैं तो हमें वही पुराने घिसे-पिटे जवाब दे दिए जाते हैं। इसके लिए अन्य कोई तन्त्र नहीं है और कुछ मामलों में मैंने पाया है कि शिकायतों को चालाकी से समाप्त कर दिया जाता है। और उन्हें धमकी भी दी जाती है कि वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इस प्रकार की सूचना मिली है। जब भी हमें सूचना मिली हमने उस पर कार्यवाही की। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जब कभी वे हमें शिकायतों के बारे में लिखते हैं वे उन पर आगे अनुवर्ती कार्यवाही के लिए कहते रहें जब हम आपको कुछ जवाब देते हैं और आप उन जवाबों से सन्तुष्ट नहीं होते तो आप कृपया स्वयं शिकायतों तक पहुंचिए और सच्चाई का पता लगाइए कि मूल रूप से क्या कुछ हुआ है और पुनः हमें लिखिए। इस प्रकार की अनुवर्ती कार्यवाही से सरकार को कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

महोदय, हमने एक दिन में 49 बैंक अधिकारियों के घरों पर छापे मारे। उन पर कार्यवाही की जा रही है लेकिन हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। इस क्षेत्र में और सुधार किया जाना चाहिए ताकि और अधिक व्यक्तियों से निपटा जा सके। यदि कुछ विशेष घटनायें हमारी जानकारी में लाई जायें तो निश्चित ही हम किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे।

महोदय, शायद माननीय सदस्य यह जानने को इच्छुक होंगे कि कितने लघु और सीमान्त किसानों की सहायता की गई और किस सीमा तक। जहां तक इसका सम्बन्ध है 31-12-1986 तक 6.93 लाख किसानों को लगभग 169.32 करोड़ रुपए का ऋण दे चुके हैं।

(व्यवधान)

ये ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए हैं और इसमें केवल लघु और सीमांत किसान ही शामिल हैं, गैर-कृषि क्षेत्र शामिल नहीं है। मैंने बताया है कि 1846 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने कहा कि हमने दक्षिणी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अधिक कार्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां तक वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, यह सबसे अधिक है, दक्षिण राज्यों में अन्य किसी से लगभग 81 प्रतिशत अधिक है। और जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात का सम्बन्ध है, इसमें हम दक्षिणी राज्यों में 160 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मेघालय में यह सबसे अधिक है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : हम इस अनुपात को पश्चिम बंगाल में भी अधिक कर देते लेकिन वहां इसका थोड़ा प्रतिरोध हुआ। यदि वहां इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता और आप इस प्रेरणा में हमें सहयोग देते तो हम पश्चिम बंगाल के लिए भी अधिक धनराशि का आवंटन कर देते।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं लेकिन प्रचार के लिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री पीयूष तिरकी ने एक मुद्दा उठाया कि 'जब आपको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से ऋण मिल रहा है जहां कि ब्याज दर कम है, तो आप जनता को ब्याज मुक्त ऋण क्यों नहीं देते ?' और उन्होंने कतिपय उदाहरण भी दिए हैं। मैं उनसे सहमत हूं। बात यह है कि हम जो कुछ सहायता विश्व बैंक से लेते हैं, चाहे यह अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक हो अथवा कोई अन्य संस्था हो, वह सहायता भारत सरकार के कोष में आती है। 'इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।' राज्य सरकारों को विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह सब धनराशि इसी कोष से जाती है, यहां तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भी हमें ऋण देना होता है जो कि लगभग 78 प्रतिशत के आसपास बैठता है। निक्षेप लागत तथा अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए हम ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण 4 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर दे रहे हैं तथा किसानों को 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दे रहे हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हम एक तिहाई भाग राज-सहायता के रूप में दे रहे हैं। माना 3000 रुपए की राशि ऋण के रूप में दी गई है, तो उसमें 1000 रुपए राज-सहायता के रूप में होगा। छोटे किसानों के मामले में राज-सहायता 25 प्रतिशत होगी। आदिवासी लोगों के लिए राज-सहायता 50 प्रतिशत होगी। इस प्रकार यदि हम इसकी गणना करें यह ब्याज मुक्त ऋण देने के बजाय अधिक लाभदायक होगा। अन्य मामलों में मूल राशि पर भी गरीब लोगों को राज-सहायता दी जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि ऋण मेलों में हम यह जाहिर करते हैं कि धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। माननीय सदस्य ने मुझसे यह सवाल किया है। मेरा कहना यह है कि ऋण मेलों में यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि ऋण को वापस करना उनका उत्तरदायित्व है। हम भ्रष्टाचार की बात भी करते हैं। हम इन ऋणों को 50,000 लोगों के सामने देते हैं। हम उन्हें यह समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इसके लिए एक गिलास पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है।

जमानत और प्रतिभूति के बारे में भी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5000 रुपए तक—अब यह राशि 10,000 रुपए कर दी गई है—कोई जमानत की आवश्यकता नहीं है। छोटे और ग्रामीण उद्यमों के लिए और लघु उद्योगों के लिए 25,000 रुपए तक कोई जमानत अथवा प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। यदि बैंकिंग कर्मचारी जमानत और प्रतिभूति मांगते हैं तो इसके लिए हम उन्हें भी चेतावनी दे रहे हैं कि वे ऐसा न करें। ऋण मेलों का मुख्य उद्देश्य तो कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है जो अशिक्षित है, जिन्हें कार्यक्रमों के विवरण की तथा उन्हें उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं उन्हें वह जानकारी देना है। कमजोर वर्ग के लोग इस स्थिति में नहीं है कि वे बैंकों की शाखाओं द्वारा छापे गए साहित्य को पढ़ सकें तथा समझ सकें। इसके लिए मन्त्री स्वयं वहां जा रहे हैं और विस्तार से समझा रहे हैं। यहां तक इन मेलों में लोगों को समझाने में अधिक समय देने के लिए मेरी आलोचना की गई है। आलोचना के बावजूद मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान और एक जिले से दूसरे जिले में जाने में काफी कठिनाई उठाई है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते। वास्तव में हमें समय नहीं मिलता। बिना मध्याह्न

[श्री जनार्दन पुजारी]

भोजन अथवा रात्रि भोजन, यहां तक कि चाय के लिए भी समय निकाले बिना कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए हम सुबह 7 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक घूमते रहे हैं। जब मैंने माननीय सदस्य श्री माधवराव सिंधिया के चुनाव क्षेत्र का दौरा किया तो मैंने 5 बजे दौरा शुरू किया और चम्बल घाटी सहित दो जिलों का दौरा कर 24 घण्टे लगातार कार्य करने के बाद लौटा। इस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह मेरे क्षेत्र शाजापुर में आयें और जरा देखें।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया ठहरिए। मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके प्रश्न पर आ रहे हैं। आप चिन्ता न करें।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हम इस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं। हम केवल दौरा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इस कार्य पर निगरानी भी रखे हुए हैं। हम निगरानी रखने के साथ-साथ कुछ स्थानों पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। माननीय सदस्य हमसे कार्यवाही करवाना चाहते हैं जब हम मौके पर कार्यवाही करते हैं तो यह कहकर आलोचना की जाती है कि हम सार्वजनिक रूप से जांच नहीं कर रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से जांच नहीं कर रहे हैं। जब आप संसद सदस्य या जनता के प्रतिनिधि यहां पर सवाल उठाते हैं, हमारी जानकारी में कुछ कमियों को लाते हैं अथवा जब आप हमारे सम्मुख भ्रष्टाचार के मामले लाते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है हम इसकी जांच करेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे। हम वहां जाते हैं क्योंकि सभी लोग दिल्ली नहीं आ सकते। जब हम गांवों में जाते हैं तो ग्रामीण लोग हमें यह सब बताते हैं। यदि हम इसकी जांच करवाते हैं और यदि हम कहते हैं कि इस पर हम कार्यवाही करें, तो क्या इसका अर्थ सार्वजनिक जांच करना लगाया जाएगा?

ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केन्द्रीय नेता यहां तक कहते पाए गए हैं कि हम सार्वजनिक जांच करवा रहे हैं। यह सत्य नहीं है। हम उन लोगों को राहत देना चाहते हैं जो दलित-वर्ग के लोग हैं, जो असहाय हैं, जो निरक्षर हैं, जो इस देश के अभागे लोग हैं। इस उद्देश्य के लिए यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिफारिश करता हूं सभा विधेयक पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी क्या आप विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नहीं महोदय, मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पर प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 5 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाएगा। अब लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होगी तथा 2.15 म० प० बजे पुनः समवेत होगी और तत्पश्चात विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाएगा।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.19 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.19 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 1987 पर खण्ड-वार विचार करेंगे।

खण्ड 2

खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 (धारा 3 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए डा० डी० बी० पाटिल द्वारा एक संशोधन दिया गया है। लेकिन वे अभी उपस्थित नहीं हैं। अब श्री सी० माधव रेड्डी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि पुनर्वित्तपोषण के रूप में बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राष्ट्रीय बैंक द्वारा ऐसे ऋण के लिए प्रभारित ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी।" (22)

महोदय, मैं खण्ड 3 के संशोधन के प्रयोजन के बारे में पहले ही बता चुका हूं और अब इसकी आगे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है और यदि मन्त्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना के समय उनकी शेयर पूंजी 25 लाख रुपए होती है। इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : खंड 3 पुनर्वित्तपोषण के बारे में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्रायोजित बैंकों द्वारा पुनर्वित्तपोषण के लिए ली जाने वाली ब्याज दर समान नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 7 प्रतिशत की दर से ब्याज ले रहा है जबकि प्रायोजित बैंकों की ब्याज की दर 8-1/2 प्रतिशत है। मैंने कहा कि इन बैंकों में इतनी अधिक ब्याज दर के कारण ऋणों पर, जमा राशि पर अत्यधिक सेवा प्रभार लेने के कारण···

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह मानता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मेरा संशोधन यह है कि एक सांविधिक प्रावधान होना चाहिए ताकि प्रायोजित बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अधिक प्रभार वसूल न करें।

श्री जनार्दन पुजारी : यहां इसे पहले ही कम किया जा चुका है अर्थात् 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। यह पहले ही किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी जी क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हो ?

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं खण्ड 3 में अपने संशोधन संख्या 22 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सी० माधव रेड्डी ने अपना संशोधन वापस लेने की सभा से अनुमति ले ली है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 से 5 तक सभा में मतदान के लिए एक साथ रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6—(धारा 6 का संशोधन)

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(i) प्रत्येक आदेशिक ग्रामीण बैंक की निगमित पूंजी, प्रथमतः, प्राधिकृत पूंजी के दसवें भाग से कम नहीं होगी।" (1)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(i) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की निर्गमित और प्रदत्त पूंजी प्रथमतः एक करोड़ रुपए होगी।" (22)

इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम ये ही बैंक की 1 करोड़ रुपये प्रदत्त पूंजी की व्यवस्था हो। ऐसा विधेयक में नहीं है। विधेयक में प्राधिकृत पूंजी को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाए जाने का उल्लेख है। लेकिन जहां तक निगमित प्रदत्त पूंजी का सम्बन्ध है उसे सरकार के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। सरकार ने इसे एक करोड़ रुपये करने का कोई वायदा नहीं किया है। मन्त्री महोदय ने अपना वक्तव्य देते समय यह पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वे उसे एक करोड़ करने जा रहे हैं। तो आप इसे इस विधेयक में ही शामिल क्यों नहीं कर देते ?

श्री जनार्दन पुजारी : संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन अधिक व्यापक है और इसे बनाए रखा जा सकता है। सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन से 193 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी जिससे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को बजट में अतिरिक्त आबंटन करना पड़ेगा। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या आपके कहने का यह तात्पर्य है कि सरकार बैंक की प्रदत्त पूंजी को 25 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये नहीं करेगी। आप ऐसा नहीं करना चाहते ? क्या मैं आपके द्वारा दिए गए भाषण को पढ़ूं ?

श्री जनार्दन पुजारी : वहां मैंने कहा कि शेयर पूंजी में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है। इन बैंकों की स्थापना के समय इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : ऐसा करने का इरादा नहीं है। आप मौजूदा बैंकों की प्राधिकृत पूंजी को एक करोड़ रुपए से बढ़कर 5 करोड़ करना चाहते हैं। विधेयक में यह कहा गया है कि निगमित

[श्री सी० माधव रेड्डी]

पूंजी और प्रदत्त पूंजी के सम्बन्ध में इस प्राधिकृत पूंजी को 25 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप इसे एक करोड़ रुपए तक बढ़ा भी सकते है। विधेयक पेश करते समय आपने कहा था कि इसे बढ़ा कर एक करोड़ रुपया किया जा रहा है। यदि आपका विचार इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपया करने का है। वित्तीय ज्ञापन में आपने कहा था कि ऐसा किया जा रहा है लेकिन अब आप इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविक व्यय कितना होगा। आपने वित्तीय ज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं किया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप इसमें वृद्धि नहीं करेंगे विधेयक का सारा आशय, वास्तव में केलकर समिति की सिफारिश द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि कम्पनी की शेयर पूंजी कितनी बढ़ाई जाए। तत्पश्चात केवल प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करना निरर्थक है। प्राधिकृत पूंजी को आप एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर सकते हैं—एक करोड़ से 5 करोड़ रुपए अथवा दस करोड़ रुपए कर सकते हैं, हमें इसकी चिन्ता नहीं है। जब तक बैंक की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि नहीं की जाती तब तक इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मैं नही जानता कि सरकार का आशय क्या है। आप क्या करने जा रहे हे? क्या आप बैंक की शेयर पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं अथवा नहीं?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय उसमें स्पष्ट व्यवस्था की गई है। जो कुछ मैंने पहले बताया है वह भी बिल्कुल स्पष्ट है। उपर्युक्त कारणों की वजह से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री माधव रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1 और 23 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 23 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 6 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7—(धारा 9 का संशोधन)

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 5—

"अधिकारी" के पश्चात "न" अन्तःस्थापित किया जाए" (2)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 37 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) दो निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक या किसी अन्य बैंक के अधिकारी हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी।" (6)

पृष्ठ 3···

पंक्ति 1 से 4 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(ग) दो निदेशक, जो राष्ट्रीय बैंक के अधिकारी हों, जिन्हें वह बैंक नामनिर्देशित करेगा ;"

(घ) एक निदेशक, जो बैंक के ऐसे मान्यताप्राप्त कार्मिक संघ का प्रतिनिधि हो, जिसके अधिकतम बैंक कर्मचारी सदस्य हों, जिसे वह संघ नामनिर्देशित करेगा।" (7)

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य यह देखना है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निदेशक भी गैर-सरकारी होने चाहिए। आप गैर-सरकारी अधिकारियों का कोटा भी अपने आप लेना चाहते हैं और आप अन्य शेयर धारकों अर्थात् राज्य सरकारों को गैर-सरकारी कोटा देना नहीं चाहते हैं? गैर-सरकारी अधिकारियों में से केन्द्रीय सरकार दो निदेशकों के नामनिर्देशित करेगी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा प्रायोजन बैंक अथवा फिर राज्य सरकार द्वारा बाकी नामनिर्देशित निदेशक सरकारी अधिकारी होंगे। प्रायोजित बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सरकारी अधिकारियों का नामांकन तो ठीक है लेकिन आप स्टेट बैंक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो निदेशकों के लिए भी सरकारी अधिकारी होने का प्रतिबन्ध क्यों लागते हैं? आखिर हममें की गैर-सरकारी तत्व हैं जब हम शेयर पूंजी में अंशदान कर रहे हैं, तब आप हमें, कम से कम एक सरकारी निदेशक और एक गैर-सरकारी निदेशक की सुविधा क्यों देते हैं। क्या यह भेदभाव नहीं है?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा संशोधन भी इसी प्रकार का है। परन्तु अब वर्तमान अधिनियम में राज्य सरकार दो गैर-सरकारी अधिकारियों को सीधे ही नामनिर्देशित कर सकती है और इसे इस संशोधन विधेयक में समाप्त कर दिया गया है, अब केवल केन्द्रीय सरकार ही दो गैर-सरकारी निदेशकों को नामनिर्देशित कर सकती हैं और बाकि अन्य प्रायोजक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे! वे केवल दो सरकारी आधिकारियों के नामनिर्देशित कर सकते हैं। अतएवं, वहां भी इसके लिए समान प्रावधान होना चाहिए। अब तक क्या होता है कि राज्य सरकार नामनिर्देशित कर सकती है, ताकि राज्य सरकार गैर-सरकारी अधिकारियों में से और सम्भवत किसान संगठन अथवा कृषि मजदूर संगठन में से नामनिर्देशित कर सके।

एक माननीय सदस्य : संसद-सदस्यों में से क्यों नहीं?

श्री वसुदेव आचार्य : अथवा फिर संसद सदस्य भी हो सकते हैं जो इस कार्य में इच्छुक हों, हम प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी की बात भी करते हैं लेकिन कम से कम एक प्रतिनिधि बहुमत वाली यूनियन से हो ऐसा कोई प्रावधाव इस संशोधन विधेयक में नहीं है। पहली बात यह है कि एसोसिएशन मान्यता प्राप्त होना चाहिए और एक निदेशक को बहुमत प्राप्त यूनियन का प्रतिनिधि होना चाहिए क्योंकि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बेहतर प्रबन्धन के लिए प्रबन्धन मे मजदूरों की भागीदारी की बात करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि एक निदेशक बहुमत वाली मान्यताप्राप्त यूनियन में से होना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा एक गैर-सरकारी अधिकारी को निदेशक नियुक्त किया जाता था तथा प्रायोजक बैंक दूसरे गैर-सरकारी अधिकारी के नाम सुझाव देता था। लेकिन उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता था। इस तरह से एक केन्द्रीय कोटे से होता था और दूसरा प्रायोजित बैंक के कोटे से होता था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता था। अब प्रायोजक बैंक द्वारा नाम प्रायोजित किए जाने की बजाय केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी अधिकारियों को सीधे ही नियुक्त कर रही है। हमने अर्थात् केन्द्रीय सरकार ने सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य छोड़ दिया है। जबकि प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के लिए पहले दो सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। हमने इसे 2 से घटाकर 1 नहीं किया है। जबकि केन्द्रीय सरकार के मामले में, हमने इसे घटाकर 3 से 2 कर दिया है। इसलिए, माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन स्वीकार्य नहीं हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं आपसे सहमत हूं कि आपने केन्द्रीय सरकार का कोटा घटाकर 3 से 2 कर दिया है। यह सही है। परन्तु, अब आप गैर-सरकारी अधिकारियों को नामनिर्देशित कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले ये दोनों निदेशक गैर-सरकारी अधिकारी हैं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अन्य दो निदेशक सरकारी अधिकारी हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : ये गैर-सरकारी अधिकारी किसी विशिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत आने वाले जिले से नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए वे उस राज्य के ही किसी जिले से संबंधित होते हैं। वे अलग-अलग राज्यों से नहीं होते हैं। लेकिन नियुक्ति केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाती है, इसके अलावा यह अधिकार सरकार को अब भी है। जहां तक प्रायोजित बैंक का सम्बन्ध है, उनका केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है क्योंकि ये प्रोयोजित बैंक था। प्रायोजित बैंक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्य कर रहा हैं। इसलिए यह अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास ही है। ये दोनों सरकारी अधिकारी राज्य सरकार से ही होते है।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : यह अधिकार राज्य को ही दे दिया जाना चाहिए कि वे बैंक के कार्य क्षेत्र में चाहे सरकारी अधिकारी नियुक्त करें अथवा गैर-सरकारी को नियुक्ति करें। यहां तक कि जिला इकाई में भी एक क्षेत्रीय बैंक होता है। इसमें सारे गैर-सरकारी अधिकारी हैं। आप यह शक्ति राज्य सरकार को देने में क्यों हिचक रहे हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : हम राज्य से भी नियुक्त कर रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप अपने आदमियों को ही नामनिर्देशित करेंगे, जोकि चुनावों में हार गए हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : अब यह केवल जिले तक ही सीमित है। हम इसे देखेंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे?

श्री जनार्दन पुजारी : आपका यह सुझाव भविष्य की कार्रवाई के लिए है, लेकिन हम इसे ध्यान में रखेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : एक संशोधन लाइए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 7 में प्रस्तुत किए गए सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 2, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8—(धारा 11 का संशोधन)

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 10—

"प्रायोजक बैंक के पश्चात्, "सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से" अन्तः-स्थापित किया जाए । (3)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 10—

"प्रायोजक बैंक" के स्थान पर "राष्ट्रीय बैंक" प्रतिस्थापित किया जाए । (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12 से 18 के स्थान पर—

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय बैंक का अधिकारी है, केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना नहीं की जाएगी ।"

प्रतिस्थापित किया जाए । (9)

पृष्ठ 3,—पंक्ति 22 से 31 तक के स्थान पर—

"(क) राष्ट्रीय बैंक को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय अध्यक्ष पदावधि समाप्त करने का अधिकार होगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष राष्ट्रीय बैंक का अधिकारी है तो केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना पदावधि समाप्त की जाएगी ।" प्रतिस्थापित किया जाए (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37 से 39 तक के स्थान पर :

[श्री बसुदेव आचार्य]

"(ख) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त, अपने पद पर बना रहेगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० बी० पाटिल—यहां नहीं हैं :

मैं खण्ड 8 में प्रस्तुत किए गए सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 3, 8, 9, 10 और 11 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 9 और 10 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं खंड 8 से 10 तक एक साथ रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 से 10 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11—(धारा 17 का संशोधन)

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

'(ग) दूसरे परन्तुक में

"अधिसूचित क्षेत्र में" शब्दों के पश्चात् "प्रायोजक बैंक," अन्तःस्थापित किया जाएगा।'(4)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 15 और 16 के स्थान पर

"(ख) पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"परंतु राष्ट्रीय बैंक के लिए, यदि उसे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के कार्यकाल के पांच वर्षों के दौरान अपने कृत्यों के कुशल कार्य-निष्पादन के लिए यथापेक्षित या यथा वांछनीय अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को राष्ट्रीय बैंक से प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अनुरोध किया जाए, तो यह विधिपूर्ण होगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० माधव रेड्डी और श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 और 12 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 11 और 12 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 13 (नये अध्यक्ष पांच-क का अन्तःस्थापन)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4 और 5—

पंक्ति 43 से 45 और 1 से 4 के स्थान पर

"(क) अन्तरक प्रादेशित ग्रामीण बैंक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा का अन्तरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर अन्तरक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी की वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना बना रहता, जो वे समामेलन के प्रवृत्त होने की तारीख से ठीक पूर्व या रहे थे या जिनसे वे शासित हो रहे थे;" **प्रतिस्थापित किया जाए। (13)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 (नई धारा 24-क का अन्तःस्थापन)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 17 से 23 के स्थान पर

"24क. धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय बैंक,

[श्री बसुदेव आचार्य]

समय-समय पर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्रगति मानिटर करेगा और अपने किसी एक या अधिक अधिकारियों या प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से राष्ट्रीय बैंक में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए किसी एक या अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, आंतरिक लेखा-परीक्षा और संवीक्षा कराएगा और ऐसे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा किए जाने वाले सुधार सम्बन्धी उपायों का सुझाव देगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 और 15 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16 (धारा 29 का संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6—

पंक्ति 29 से 32 का लोप किया जाए (15)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 और 17 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 और 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल तो अब पास होने जा रहा है। इस में केन्द्रीय सरकार दो नान-आफिशियल्स का नोमीनेशन करेगी। इसमें राज्य सरकारों को दो

में से कम से कम एक को नोमीनेट करने का अधिकार देने में आप को क्या एतराज है। आप ने बताया कि इसको दिमाग में रखेंगे। दिमाग में कितने दिन रखेंगे। यह यह कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। कम से कम जो सजेशन्स विरोधी दल के नेताओं ने दिए हैं, उन को आप मानिये। अगर आप दो नान-आफिशियल्स को पोलीटीकल लेविल पर नोमीनेट करते हैं, तो राज्य सरकारों को भी अपना पोलीटीकल एम पूरा करने के लिए, एक चांस दीजिए। चाहे वह आफिशियल करे या नान-आफिशियल करे, उसको मौका देने में आप को क्या आपत्ति है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। डिस्ट्रिक्ट में आप की पार्टी वाले भी हैं, उन की पार्टी वाले भी हैं और हमारी पार्टी वाले भी हैं। नान-आफिशियल्स को नोमीनेट करने से इस बात का पता चल जाता है कि रूरल बैंक किस प्रकार चल रहे हैं। वह आदमी 5 हजार से ज्यादा लोन नहीं दे सकता। डी० आर० डी० ए० की जो स्कीम्स हैं, वे ग्रामीण बैंक से लिंक होती है। जो आफीसर होता है, वह अपना कोटा पूरा करने की बात देखता है और बैंक वाले यह सोचते हैं कि पैसा जो दिया गया है, वह वापस आएगा या नहीं। बैंक वाले कर्जा वापस करने वालों को ही फिर पैसा देते हैं और हकीकत यह है कि जिन को पैसे की जरूरत है, उन को पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है। मैंने दो दिन पहले एक चिट्ठी आप को भेजी थी कि एक बैंक एम्प्लाई, कमर्शियल बैंक का हाल बता रहा हूं, ने, एक ब्रान्च के मैनेजर ने पैसा दिया और डी० आर० डी० ए० का कमीशन 30 पर सेन्ट; 75 पर सेन्ट कन्ज्यूमर को देता है और बाकी पैसा इधर लोन में देता है और उधर फिक्स्ड डिपोजिट में लगा देता है। इस से स्कीम अमल में नहीं आ सकती। वह आन्ध्र प्रदेश में डिपोजिट मोबीलाइज कर के फर्स्ट आ गया है। उस का नाम है उपला ब्रान्च, करीम नगर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोन दिए जा रहे हैं। उसका लाभ हो रहा है या नहीं, उस पर अमल हो रहा है या नहीं, इसको देखने की जरूरत है। तीन हजार रुपए में कोई पंपिंग सैट खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता, इसलिए उसका अलाटमेंट बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को आफिशल से ज्यादा नान-आफिशल जान सकता है। आई. ए. एस० आफिसर को अपना टारगेट पूरा करने की फिक्र रहती है, बैंक ओफिसर को यह देखना होता है कि लोन वापिस कैसे आएगा, जिससे ज्यादा श्योरिटी होती है, उसको वह लोन देता है। प्रोजेक्ट आफिसर को यह रहता है कि जो सबसिडी मिली है, वह जल्दी से जल्दी खत्म की जाए। इस प्रकार आकड़ों में देखने से गरीबी की रेखा से नीचे कम लोग नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में अधिक हैं।

इसी तरह से बैंकों में काम करने वाले एप्लायज के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्केल हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको बी. डी. ओ. के स्तर पर रखा गया है, लेकिन दोनों जगह बी० डी० ओ० का स्केल अलग है। इसी तरह से एल० डी० सी० का स्केल है। रीजनल बैंक के जितने एंप्लायज हैं वे राज्य सरकार के माफिक चलते हैं, यह ठीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम इतना स्केल मिलना चाहिए जो रीजनल बैंक के कर्मचारी का होता है कमर्शियल बैंक के आफिसर से उनकी तनख्वाह कम होती है और यहां पर यू० डी० सी० और एल० डी० सी० डेपूटेशन पर आते हैं जो प्रमोट होकर चेयरमेन बनकर आ जाते हैं। और जितने भी स्पोंडर्स बैंक के चेयरमैन हैं वे स्पोंसरर बन जाते हैं आप चेयरमैन क्यों बनाते हैं, उनकों कार देनी पड़ती है, ओवरहैड चार्जेज ज्यादा होते हैं, उनका टी० ए० डी० ए०, तनख्वाह, ये सारी बातें है। इन तमाम बातों को छोड़कर रीजनल लेवल पर या कम से कम 10-15 जिलों को मिलाकर एक रीजनल बैंक बनाया जाए और उसकी वायबिलिटी बनाइए। वायबिलिटी का जहां सवाल आता है तो अगर कोई फिक्स डिपाजिट करता है तो आप 10-11 परसेंट से ज्यादा उसको ब्याज नही देते जबकि कमर्शियल बैंक्स में अधिक मिलता है, इसलिए उसको बढ़ाने की भी कोशिश की जाए।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

इस तरह से जो अमेंडमेंट हमने दिए हैं, इनको कृपया मन्त्री जी ध्यान में रखें और अगली बार जब अमेंडमेंट लाएं तो इन पर भी विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी: महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अधिकांश प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी: आपने उत्तर तो दे दिया है। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वे भूल गए हैं। आप कम से कम यह तो स्पष्ट करें कि वे क्या चाहते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी: कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के लिए सभी अन्य सुविधाओं के बारे में जांच करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अतः इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.42 म० प०

रेल दावा अधिकरण विधेयक
और
भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अगली मद पर विचार करेगी।

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया): मोहदय, मैं इन दोनों विधेयकों को मिला कर एक साथ चर्चा करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में यह सभा इस से सहमत होगी। प्रश्न यह है कि मद संख्या 10 और 11 को एक साथ लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, माननीय मन्त्री अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "रेल प्रशासन को, रेल द्वारा वहन के लिए सुपुर्द किए गए पशु या माल की हानि, विनाश, क्षति, क्षय या अपरिदान के लिए या संदत्त

किराए या भाड़े के प्रतिदाय के लिए या रेल दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप यात्रियों की मृत्यु या उनको होने वाली क्षति के लिए रेल प्रशासन के विरुद्ध दावों की जांच और उनका अवधारण करने के लिए, रेल दावा अधिकरण की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं "कि भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए अन्यथा मैं माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री माधवराव सिन्धिया : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि रेल प्रशासन को, रेल द्वारा वहन के लिए सुपुर्द किए गए पशु या माल की हानि, विनाश, क्षति, क्षय या अपरिदान के लिए या संदत्त किराए या भाड़े के प्रतिदाय के लिए या रेल दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप यात्रियों की मृत्यु या उनको होने वाली क्षति के लिए रेल प्रशासन के विरुद्ध दावों की जांच और उनका अवधारण करने के लिए, रेल दावा अधिकरण की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अब श्री अमल दत्त बोलेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्भाव) संशोधन विधेयक पर बोलूंगा और श्री बसुदेव आचार्य रेल दावा अधिकरण विधेयक पर बोलेंगे···

श्री माधवराव सिन्धिया : मैं कुछ आरम्भिक टिप्पणियां करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रायः रेल दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु और घायल होने पर प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान में होने वाले विलम्ब के बारे में चिन्ता व्यक्त करते रहते हैं। बड़ी दुर्घटनाओं में दावा आयुक्तों को नियुक्त करने तथा उनके द्वारा दावों के बारे में निर्णय देने में काफी समय लग जाता है। छोटी दुर्घटनाओं के मामले में दावा करने वालों को सामान्य जिला न्यायालयों में आवेदन करना पड़ता है और जिला न्यायालयों, जहां पहले ही काम बहुत अधिक है, उनके मामलों में अन्तिम निर्णय देने में सालों लग जाते हैं। अतः, दुर्घटना दावों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने वाले तन्त्र की आवश्यकता है।

रेलवे के विरुद्ध दूसरे प्रकार के दावे रेल द्वारा वहन किए जाने वाली सामान के खो जाने और क्षतिग्रस्त होने के लिए भी किए जाते हैं। रेलवे इस प्रकार के दावों की प्रतिपूर्ति का निपटान अपने दावा अधिकारियों के माध्यम से करता है तथा इस आंतरिक तन्त्र को सरल और सुचारु बनाया जा रहा है ताकि इस सम्बन्ध में कम से कम मुकदमे हों। फिर भी, ऐसे कुछ मामले हो जाते हैं जिनमें विवाद निपटान के लिए दावे सिविल न्यायालयों में ले जाए जाते हैं। इस सभा को यह विदित है कि सामान्य

[श्री माधवराव सिन्धिया]

सिविल न्यायालयों द्वारा मुकदमों के निपटान में असाधारण विलम्ब किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस समय लगभग 22,425 मामले विचाराधीन हैं जो तीन से नौ वर्ष पुराने हैं और लगभग 2580 मामले नौ वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं। इसलिए, इतने लम्बे समय तक चले मुकदमों के कारण रेल प्रयोक्ताओं को होने वाली परेशानी और कठिनाइयों को दूर करने की तुरन्त जरूरत है। प्राक्कलन समिति और रेलवे सुधार समिति ने इस प्रकार के मामलों के निपटान के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है।

तदनुसार, सरकार ने रेल दावा अधिकरण विधेयक प्रस्तुत किया जिससे रेल दुर्घटनाओं के लोगों को प्रतिपूर्ति का भुगतान शीघ्र करने के लिए विशेषतया प्राप्त और अलग से एक अधिकरण मिल सके तथा रेल प्रयोक्ताओं को सामान के खो जाने और क्षतिग्रस्त होने पर शीघ्र ही कोई सहायता मिल सके। इस अधिकरण को किराया वापिस करने और माल भाड़ा शुल्क सम्बन्धी विवादों को निपटाने के अधिकार भी होंगे।

इस अधिकरण की देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त संख्या में न्यायपीठें होंगी जिससे कि आवेदकों को सहायता प्राप्त करने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े। प्रत्येक पीठ में दो सदस्य होंगे, एक न्यायिक और दूसरे तकनीकी। इससे तथ्यों को आसानी से समझने एवं कानून को सही रूप में लागू करने में मदद मिलेगी। इस अधिकरण को दस्तावेजों और हलफनामों के आधार पर संक्षिप्त निर्धारण करने की शक्तियां प्राप्त होंगी जिससे यथा सम्भव लम्बे मौखिक साक्ष्य से बचा जा सकेगा।

मुझे आशा है कि रेल दावा अधिकरण स्थापित करने से रेल प्रयोक्ताओं द्वारा काफी समय से की जा रही मांग पूरी हो सकेगी और यह रेल प्रशासन से अपने दावों के शीघ्र निपटान में काफी सहायक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस सभा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

जहां तक भूमिगत रेल (सकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, जैसा कि इस सभा को विदित है, इस समय रेल मन्त्रालय कलकत्ता के महत्वपूर्ण प्रणाली 'मास रैपिड ट्रांजिट' जिसे कलकत्ता मीट्रो के नाम से जाना जाता है, के निर्माण में व्यस्त हैं, यह देश में अपनी किस्म की पहली प्रणाली है।

भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 में केन्द्रीय सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत भूमि, इमारतों आदि का शीघ्रतापूर्वक अर्जन करने की प्रक्रिया दी गई है। इस अर्जन के लिए धारा 7 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करनी होती है जिसमें किसी विशेष भूखण्ड अथवा बिल्डिंग आदि के अधिग्रहण करने के लिए भूमिगत रेल के निर्माण के आशय का उल्लेख करना होता है। धारा 9 में इस अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्ति को अगर कोई आपत्तियां हों तो, इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। तत्पश्चात्, धारा 10 (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को एक घोषणा जारी करनी होगी जिसकी अधिसूचना राजपत्र में की जाएगी कि भूमि अथवा भवन आदि के लिए विशेष भाग का अधिग्रहण किया जाना है। तथापि, धारा 10 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि धारा 7 के अधीन अधिसूचना तब तक

प्रभावी नहीं होगी जब तक कि धारा 10 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना को, धारा 7 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख के एक वर्ष के अन्दर प्रकाशित नहीं किया जाता।

अनुभव से यह पता चला है कि उपर्युक्त उपबन्धों का फायदा उठाते हुए प्रभावित पार्टियां बहुधा विलम्ब करने के तरीकों को अपनाती है, न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेती हैं ताकि एक वर्ष की निर्धारित अवधि में धारा 10 (1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन सम्भव न हो सके। इस प्रकार, कुछ मामलों में, अधिग्रहण की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से विलम्ब होता है। माननीय सदस्य, इस बात की सराहना करेंगे कि अगर महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित एक भी प्लाट, प्रभावित व्यक्ति द्वारा विलम्बकारी तरीके अपनाए जाने के कारण नहीं मिल पाता तो सम्पूर्ण कलकत्ता भूमिगत रेल का शुरू किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कलकत्ता भूमिगत रेल सम्बन्धी महत्वपूर्ण परियोजना का समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भूमिगत रेल(संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक, 1987 राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया जिसमें कि इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) में एक परन्तुक का समावेश किया जा सके और धारा 10 (1) के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि की गणना करने के लिए उस अवधि को निकाला जा सके जिसके अनुसार न्यायालय के आदेश से अधिग्रहण प्रक्रिया स्थगित रहती है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में इसी प्रकार के उपबन्ध विद्यमान हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं यह विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में इस सभा द्वारा विचार करने की सिफारिश करता हूं।

श्री अमल दत्त : महोदय, भूमिगत रेल परियोजना महत्वपूर्ण है अथवा नहीं परन्तु कलकत्ता के जन-जीवन के लिए इसका होना अत्यन्त अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1960 के दशक के मध्य में इसे एक महत्वपूर्ण आवश्यक परियोजना स्वीकार किया था। लेकिन आज तक इस बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया कि भूमिगत रेल, जैसी कि इसके बारे में मूलतः परिकल्पना की गई थी। उस उद्देश्य को पूरा कर सकेगी अथवा इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे क्या उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ कलकत्ता के हुए विस्तार को देखते हुए इसमें भी कुछ विस्तार किया जाना आवश्यक है। अब भी हम उसी स्थित में है जैसे कि हम शुरू में 1960 के दशक के मध्य में थे। हम उससे तनिक भी आगे नहीं बढ़े हैं, चूंकि हम वह सब नहीं कर पाए हैं जो हमने 5 वर्ष में करने की कल्पना की थी। इसके बाद पन्द्रह वर्ष बीत चुके हैं। अभी यह परि- योजना पूरी होती नजर नहीं आती। यद्यपि यह महत्व परियोजना है परन्तु केन्द्रीय सरकार के लिए यह सराहनीय नहीं है कि उसने इसके कार्यनिष्पादन में तत्परता नहीं अपनाई है।

महोदय, उदाहरण के लिए इस विधेयक को ही लीजिए। भूमिगत रेल के लिए भूमिका अर्जन 1973 अथवा 1974 से आरम्भ किया गया था। वर्ष 1978 में कलकत्ता में भूमिगत रेल के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम बनाया। अब नौ वर्ष के पश्चात अब यह हो रहा है कि कुछ लोग भूमि अर्जन को लेकर न्यायालयों में जा रहे हैं और रिकार्ड खराब कर रहे हैं। इससे कितना ज्यादा समय लग गया है। ऐसी बात नहीं है कि जनता द्वारा विलम्बकारी तरीकों के अपनाए जाने की जानकारी सबको न हो पिछले तीस वर्षों से हमें भी इसकी जानकारी है।

[श्री अमल दत्त]

संविधान के उपबन्धों के अनुसार लोग, संविधान के कुछेक अनुच्छेदों के अंतर्गत न्यायालयों में जा सकते हैं और मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, तुरन्त ही कुछ राहत उन्हें मिल सकती है जो यद्यपि थोड़े समय के लिए होती है परन्तु न्यायालयों में कार्य की अधिकता होने के कारण इसमें काफी समय लग जाता है। यह एक सीधी सी बात है, लेकिन, रेल मन्त्री और उनके अधिकारी इसे नहीं समझ रहे। मैं वर्तमान रेल मन्त्री की बात नहीं कर रहा उनसे पूर्व की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : श्री दण्डवते सहित।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस अधिनियम के विरोध में मैं कुछ नहीं कह रहा परन्तु इसके कारण मुझे कुछ बातें अवश्य कहनी हैं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह तो मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी का एक तरीका है।

श्री अमल दत्त : भूमिगत रेल के सम्बन्ध में कुछेक बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है 1960 में आरम्भ की गई अपने किस्म की यह पहली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी लागत का अनुमान जून 1972 में 1970 अथवा 1971 के मूल्यों के आधार पर किया गया था और यह 140 करोड़ थी। दो वर्ष के बाद 1974 में दूसरे प्राक्कलन दिए गए और यह भी आंकड़े व्यापक न होकर अनुमानित ही थे और ये 250 करोड़ रु० थे। दो वर्षों में ही यह 140 करोड़ रु० से बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गया है। अगला अनुमान, मुझे नहीं मालूम अगर कोई अन्य आंतरिक है जो दिसम्बर, 1981 में दिया गया, 560 करोड़ रुपए का था।

अब श्रीमान, मैं यह सब इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्रारम्भ करने अथवा लागू करने के सरकार के तरीके के विषय में पता लग सके। वर्ष 1981 में, इसकी लागत 560 करोड़ रुपए आई थी। उस समय इस परियोजना पर केवल 96 करोड़ रुपए कम किए गए थे, जिसका अर्थ है कि उस समय आकलित लागत का छठवां भाग तक व्यय नहीं किया गया था। ब्यौरेवार लागत और अधिक होती। इस परियोजना को लागू करने के लिए कोई उचित तंत्र भी कभी स्थापित नहीं किया गया। कोई उचित तंत्र कभी भी स्थापित नहीं किया गया। अब तक, ऐसी कोई मीट्रो रेल प्राधिकरण नहीं है जो कि स्वतन्त्र निर्णय ले सके। छोटे-मोटे प्रयोजनों के लिए उन्हें आना पड़ता है और रिपोर्ट करनी पड़ती है। कई मामलों पर निर्णय लेने में विलम्ब हुआ है क्योंकि उन्हें इन मामलों पर मंजूरी लेने के लिए रेलवे बोर्ड के पास आना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वहां कोई तन्त्र स्थापित नही हुआ। वहां कोई स्वतन्त्र प्राधिकरण नहीं है और उन्हें मंजूरी हेतु किसी अन्य प्राधिकरण के पास जाना पड़ता है। अतः जिन निविदाओं को अन्तिम रूप देने में छह महीने से अधिक का समय न लगता वहीं 18 से 54 महीनों का विलम्ब हुआ है। निविदाओं को अन्तिम रूप देने और उन्हें देने में 12 से 34 महीनो का समय लगा है। चूंकि कार्य की उचित देखभाल नहीं हुई है उन्होंने उन ठेकेदारों, जिनके कार्य भी वे यह जानने के लिए कि वे समय पर कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं जांच

नहीं कर सकते थे ठेके की अवधि में एकमुश्त वृद्धि कर दी। देर से दिए गए ठेकों के लिए भी ठेकेदारों को 10 से 68 महीने तक की अवधि की वृद्धि की गई। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक के ठेकों को प्रारम्भ करने की अवधि में पांच वर्ष से अधिक समय तक की वृद्धि की गई। यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि रेलवे ने परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक तन्त्र की स्थापना नहीं की थी।

क्या केवल मैं ही यह कह रहा हूं कि यह परियोजना आवश्यक है? नहीं। मन्त्रिमण्डल के एक नोट में यह कहा गया था कि यह परियोजना आवश्यक है। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा, फिर रेल अभिसमय समिति ने भी यही कहा; और उसके पश्चात् राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति ने भी यही कहा। इन समितियों के यह कहने के बावजूद और मन्त्रिमण्डल के यह कहने के बावजूद उन्होंने आज तक निर्माण के प्रयोजन और रेल चलाने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं बनाया है। इसके परिणामस्वरूप और अधिक विलम्ब होगा।

मैं यह सब केवल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि लोगों को यह बताऊं कि मीट्रो रेल का काम खराब है; इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। आज भी उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और एक प्राधिकरण बनाना चाहिए जो कार्य पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हो।

इसके परिणामस्वरूप यह हुआ है कि रेल डिब्बे बनाने के आदेश देने तक में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। वे लम्बे समय तक डिब्बों के डिजाइन को अन्तिम रूप नहीं दे सके और जब उन्होंने उसे अन्तिम रूप दे दिया तथा उनके आर्डर प्रस्तुत किए तब भी मद्रास स्थित इंट्रीग्रल कोच फैक्ट्री ने उसमें असाधारण रूप से विलम्ब किया। जब दो अथवा तीन वर्ष के विलम्ब के पश्चात वे डिब्बे प्राप्त हुए तो उनके लिए आवश्यक था कि वे 2 लाख किलोमीटर परीक्षण के तौर पर चलें। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इनमें से प्रत्येक प्रोटोटाइप रेल का परीक्षण 2 लाख किलोमीटर की बजाय केवल 16000 किलोमीटर चला कर ही किया गया था। इसे मैंने निर्धारित नहीं किया है। रेलवे ने स्वयं ही यह निर्धारित किया है कि इसको परीक्षण के तौर पर 2 लाख किलोमीटर तक चलाया जाना चाहिए। इसके बजाय वे उस निर्धारित मानदण्ड के 10 प्रतिशत तक भी परीक्षण नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कभी कोई दुर्घटना होगी और फिर वे इसका आरोप किसी और पर मढ़ देंगे और स्वयं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि रेल मन्त्री इन रेलों को परीक्षण के तौर पर चलाने के लिए उचित व्यवस्था कर सकें। ऐसा अभी तक नहीं किया जा सका है।

2.58 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

दूसरा मुद्दा यह है कि मीट्रो रेलवे के लिए महाप्रबन्धक—मेरा विचार है कि पिछले पांच अथवा छः वर्षों में एक के बाद एक करके पांच अथवा छः नियुक्त किए गए और वे भी आठ से दस महीनों अथवा अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए और वह भी उनके कार्यकाल की समाप्ति पर। शायद वह रेलवे का महाप्रबन्धक पदोन्नत किए जाने के हकदार थे परन्तु कोई अन्य स्थान रिक्त नहीं था अतः उसे मीट्रो रेलवे का महाप्रबन्धक नियुक्त कर दो क्योंकि इसका तो कोई मालिक ही नहीं है। यह प्रवृत्ति रही है। यह भी एक कारण था जिसके कारण विलम्ब हुआ है।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया है—ठेकों को अन्तिम रूप

[श्री अमल दत्त]

देने, अवधि बढ़ाने में विलम्ब देखभाल न होने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। परन्तु एक कारण यह रहा है कि इस्पात और सीमेंट जैसी आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। वे इसे एक महत्वपूर्ण परियोजना कहते हैं और जब इस्पात और सीमेंट की कमी होती है तो वे इसको प्राथमिकता नहीं देते हैं। अब कोई अभाव नहीं है और प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है। परन्तु तब भी बचे हुए कार्य को पूरा करने में काफी विलम्ब हो रहा है। गाड़ियों को चलाने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है।

कुछ संसद सदस्यों ने मेट्रो रेलवे का दौरा किया है और हमें यह बताया गया कि जिस नियंत्रक के माध्यम से 1-1/2 मिनट के अन्तराल पर गाड़ियां चलाई जाती हैं अभी तक प्राप्त ही नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब गाड़ियां आठ से दस मिनट के अन्तराल पर ही चल पायेंगी।

3.00 म० प०

उनका कहना है कि इसमें चार वर्ष लगेंगे। जब वे कह रहे हैं कि इसमें चार वर्ष लगेंगे। जब वे कह रहे हैं कि इसमें चार वर्ष लगेंगे तो इसमें आठ से दस वर्ष लगेंगे। मुझे विश्वास है कि मीट्रो रेलवे के पूरी तरह तैयार हो जाने के बावजूद भी इस नियन्त्रक के अभाव में गाड़ियां उचित रूपसे नहीं चल पायेंगी। वे मीट्रो रेलवे के निर्माण कार्य के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में भी निर्णय नहीं कर पाए हैं। वे अभी भी इस बारे में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए और ठेका आदि किस प्रकार दिया जाए। रेलवे को अब तक इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। परन्तु रेलवे ने ऐसा नहीं किया। इन 15 वर्षों की अवधि में उन्हें यह सबक लेना चाहिए था।

कलकत्ता के कुछ स्थानों पर जनजीवन अवरूद्ध हो गया है क्योंकि हम भीड़भाड़ वाले स्थान पर मीट्रो रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। राज्य सरकार के साथ कोई समन्वय नहीं है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी इससे इन्कार करेंगे परन्तु मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब मैंने संसद सदस्य के रूप में राज्य सरकार और मीट्रो रेलवे के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। मैं शहरी कार्य मन्त्री के पास 1985 में गया था उस समय शहरी कार्य मन्त्री ने कहा था कि उन्होंने कई बैठकें आयोजित की है परन्तु मीट्रो रेलवे के महाप्रबन्धक एक भी बैठक में नहीं आए और अब मैं कोई बैठक नहीं बुलाऊंगा क्योंकि महाप्रबन्धक बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। फिर मैं कलकत्ता के मेयर के पास गया और मैंने पाया कि वहां भी वहीं स्थिति है। मैंने व्यक्तिगत रूप से महाप्रबन्धक को दो संदेश भिजवाए एक टेलीफोन से और दूसरा पत्र द्वारा। महाप्रबन्धक मेयर से मिलने नहीं आए। मुझे मालूम है रेलमंत्री समन्वय की कमी को नहीं मानेंगे। वह कहेंगे कि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है और इसी प्रकार अन्य आरोप लगायेंगे परन्तु यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और कोई व्यक्ति इससे इन्कार नहीं कर सकता है। मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को यह बताया है कि मीट्रो रेलवे का कार्य किस प्रकार चल रहा है। मीट्रो रेलवे के प्रबन्धक का यह कार्य है। क्या आप राज्य सरकार के सहयोग की आशा करते हैं? मैं यह नहीं जानता हूं कि स्थिति में कोई सुधार हुआ है अथवा नहीं परन्तु मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री इस पर ध्यान देंगे और इस स्थिति को सुधारेंगे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदया, ये दो विधेयक अर्थात् रेल दावा अधिकरण विधेयक और भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधक विधेयक सदन के समक्ष विचाराधीन

है। वास्तव में इन दोनों को मिला देने पर भी उनमें कोई समानता नहीं है सिवाय इसके कि इन दोनों विधेयकों को रेल मन्त्रालय प्रस्तुत कर रहा है। अतः, मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं केवल रेल दावा अधिकरण विधेयक पर ही टिप्पणी करूंगा।

मैं सभा के समक्ष इस रेल दावा अधिकरण विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण/न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करना है जिनमें हानि और रेलवे को परिवहन के लिए सौंपे जाने वाले सामान अथवा जानवरों को पहुंचे नुकसान के लिए रेलवे के विरुद्ध दावों का निपटारा किया जाएगा। दूसरा, इनमें किराए, मालभाड़े आदि की वापस अदायगी के सम्बन्ध में दावों और रेल दुर्घटना के कारण दुर्घटना दावों का निपटारा होगा जिनका इस समय दावा आयुक्त द्वारा निपटान किया जा रहा है। पहले दो प्रकार के दावों, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, सिविल न्यायालयों में निपटारा हो रहा है। यह एक मान्य तथ्य है कि हमारे सिविल न्यायालयों में कार्य का अत्यधिक बकाया है। अतः जिन लोगों ने चार अथवा पांच मामलों मे रेलवे के विरुद्ध दावे प्रस्तुत किए हैं उनको शीघ्र काम दिलाया जाए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है।

न्यायाधिकरण का विचार भी प्रशंसनीय है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायिक और तकनीकी सदस्य होंगे। न्यायाधिकरण को जितना सम्भव हो सका है उतना स्वतन्त्र बनाया गया है। नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जायेंगी। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। जहां तक अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। उन्हें हटाए जाने वाला भाग भी प्रशंसनीय है। किसी को भी दुर्व्यवहार सिद्ध होने के सिवाय किसी आधार पर हटाया नहीं जा सकता है अथवा कार्य करने की अक्षमता जिसे किसी न्यायाधीश के समक्ष सिद्ध करना होगा। ये सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो जनता के दावों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण को एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष संस्था बनाती है प्राविधिकता की भी अवहेलना करनी पड़ती है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन वे प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करेंगे, उच्च न्यायालय को की गई एक सीधी अपील के अलावा और कोई अपील नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि यह न्यायाधिकरण पहले से ही लंबित पड़े हजारों दावों के शीघ्र निपटान में निश्चय ही सहायक होगा। मन्त्री महोदय ने कहा है कि लगभग 22000 दावे जो तीन साल पुराने हैं, लम्बित पड़े हुए हैं। ऐसे भी दावे हैं जो इससे भी अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं। इस प्रकार यह न्यायाधिकरण निश्चय ही इन लम्बित मामलों को निपटाने में तथा इस राष्ट्र के उन नागरिकों को न्याय दिलवाने में सहायक सिद्ध होगा जो यात्रा करने के लिए तथा अपना सामान तथा मवेशी भेजने के लिए रेलवे का उपयोग करते हैं।

यह कहने के बाद, मैं जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैं इस सत्र के दौरान इस विधेयक को लाने के तर्क को सही-सही नहीं समझ पाया हूं। भारतीय रेल अधिनियम पहले से ही संसद के समक्ष है जिसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है। जब वह विधेयक पहले से ही संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस भाग को क्यों प्रस्तुत किया गया है।

इस दृष्टिकोण के कारण काम अधिक होगा और जटिलता बढ़ेगी। कई स्थानों पर वर्तमान भारतीय रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। जैसे ही इस विधेयक को पारित किया जाएगा और जब पुराने रेल अधिनियम के स्थान पर नया रेल अधिनियम लाया जाएगा

[श्री शरद दिघे]

तो सरकार को प्रस्तावित विधेयक में परिणामी संशोधन करने के लिए एक बार फिर एक संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। रेल मन्त्री यह बतायेंगे कि मुख्य रेल अधिनियम के स्थान पर नए रेल अधिनियम को लाने से पहले इस विधेयक को लाने के पीछे क्या तर्क है।

दूसरे, पूरे समय हमें यह बताया जाता रहा है कि न्यायपीठ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तकनीकी सदस्य और अन्य विधिक सदस्य आदि-आदि होंगे लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसमें कितनी न्यायपीठें होंगी केवल वित्तीय ज्ञापन में अवश्य यह बताया गया है कि उसमें 19 न्यायपीठें होंगी जो इस विधेयक के अंतर्गत स्थापित की जायेंगी, अगर इसका उद्देश्य रेलवे के प्रति दावे करने वालों को शीघ्र न्याय दिलाया है तो जहां तक इस न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है हमें अधिक संख्या में न्याय पीठ चाहिएं। वर्तमान में पूरे भारत के प्रत्येक जिले में जिला अदालतें हैं और लोग जिला अदालतों में अपने दावे कर सकते हैं, यहां तक कि अन्य सिविल अदालतों में भी रेलवे के विरुद्ध दावे किये जा सकते हैं, अगर हम पूरे भारत में कुछ ही न्याय पीठें स्थापित करें तो इसका मूल्य उद्देश्य अधूरा रह जाएगा क्योंकि साधारण व्यक्ति या गरीब व्यक्ति इन तक नहीं पहुंच पाएगा। उनके लिए उन न्यायपीठों तक जाना और उनमें अपने मुकदमें चलाना मुश्किल होगा।

मेरा यह कहना है कि सरकार को 19 से अधिक न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में सोचना होगा, कम से कम जिला अदालतों की संख्या के बराबर न्यायपीठें स्थापित की जानी चाहिए। उन न्यायपीठों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी जा सकें और रेलवे के विरुद्ध दावों की सुनवाई कर सकें। अधिनियम में उपाध्यक्षों की सख्या को नियत करने के बजाये लचीला रखा जाना चाहिए, अगर उन्होंने कहा होता कि उपाध्यक्षों की संख्या समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जायेगी तो इस अधिनिम के संदर्भ में वह बात ज्यादा ठीक होती, योग्यताओं के बारे में मुझे इस शर्त के सिवा और कुछ नहीं कहना है कि उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भारतीय विधि सेवा तथा रेल प्रशासन से भी लिए जायेंगे। जहां तक रेलवे से संबंधित दावों का संबंध है इसमें अगर हम लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे न्यायाधिकरणों के लिए न्यायाधिकरण के सदस्यों को रेलवे प्रशासन से नहीं लिया जाना चाहिए। वे रेलवे का पक्षपात करते हैं और दावा करने वाले सोचते हैं कि इस पक्षपात का उन्हें सामना करना होगा। इसलिए यह ज्यादा अच्छा होगा अगर इसमें रेलवे प्रशासन के लोगों को नहीं लिया जाता और यह प्रावधान नहीं किया जाता।

इसी तरह, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि भारतीय विधि सेवा में से लोगों को क्यों लिया जा रहा है, जब हम कहते हैं कि वे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हैं या जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या भूतपूर्व न्यायधीश है, उन्हें रखा जा सकता है तो इस प्रकार पूरी न्यायिक सेवाएं इसमें आ जाती हैं। इसलिए, इसमें यह कहना कोई आवश्यक नहीं था कि प्रशासनिक संवर्ग के व्यक्तियों जैसे विधिक सेवा अर्थात विधि और न्यायिक से लिए जायेंगे। इससे पक्षपात हो सकता है और दावा करने वाला इसे पक्षपातरहित न्यायाधिकरण नहीं समझेगा।

अंत में, मैं कहूंगा कि कार्य-वितरण का कार्य सरकार के लिए छोड़ दिया गया है, इससे कई व्यावहारिक दिक्कतें पैदा होंगी। तब कोई मुकदमा किया जाएगा तो किसी न्यायाधिकरण को इसके आवंटन के लिए पहले केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा। इसलिए आपको प्रादेशिक न्यायाधिकरण

या प्रादेशिक न्यायपीठें स्थापित करनी चाहिए थीं ताकि मामला उस प्रदेश में स्थित न्यायपीठ के पास भेजा जा सकता। यह ज्यादा आसानी से हो जाता।

अंततः, जहां तक उच्च न्यायालय में अपील करने का सम्बन्ध है, इसके लिए 90 दिनों की समय सीमा दी गई है। मुझे यह पता नहीं है कि प्रतिबंधन अधिनियम की धाराएं इस पर लागू होंगी। इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए था अथवा, कई बार हमें प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं होती हैं और हम सही समय पर अपील दायर नहीं कर पाते हैं इसमें देरी हो जाती है इस देरी की क्षमा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, मैं अपने विद्वान साथी श्री शरद दिघे द्वारा उठाये गए कुछ तर्कसंगत मुद्दों का समर्थन करता हूं,

प्रारम्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह विचार करने का अनुरोध करूंगा कि क्या अब भी स्थिति की पुनः जांच करना और इस विधेयक को भी उस विधेयक के साथ चयन समिति के पास भेजना? उपयुक्त होगा जो पहले से ही चयन समित समिति के समक्ष है।

जैसा कि मैंने कहा कि कई तर्कसंगत बातें यहां कही गई हैं। हम इस विषय पर एक विस्तृत कानून बनाना चाह रहे थे। हमें हमेशा शताब्दि पुराने भारतीय रेल अधिनियम पर आश्रित रहना पड़ता है जो हमें औपनिवेशिक स्मृतिचिन्हों की याद दिलाता है। अगर हम इस विधेयक में पूरे अध्याय 7 को देखें तो इसमें भारतीय रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के संशोधन मिलेंगे, मूल अधिनियम, भारतीय रेल अधिनियम को समग्र रूप में वैसा ही ले लिया गया है हमने इसमें केवल कुछ संशोधन ही किये हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमें इस बारे में विस्तृत कानून बनाना चाहिए और उसमें जो कुछ भी अब सोचा जा रहा है और जो कुछ भी विचाराधीन है या प्रवर समिति के समक्ष है, सम्मिलित किया जाना चाहिए। ताकि हमे शताब्दी पुराने कानून का सहारा न लेना पड़े और आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर बार-बार कानून न बनाना पड़े।

मुकदमेबाजी क्यों होती है? दावों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? पहले इस बात को देखा जाना चाहिए, मेरे पास, 'इंडियन रेलवे सेफ्टी पर्फोमेन्स 1985-86—एविन्यू की एक प्रति है। इसके अनुसार, वर्ष 1977-78 में रेल दुर्घटनाओं मे 172 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 421 व्यक्ति घायल हुए। उन्हें 45.82 लाख रुपये की राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया, सामान्यतः मुआवजे की राशि प्रत्येक व्यक्ति मृतक के लिए एक लाख रुपये की होनी चाहिए। 172 आदमियों के लिए कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए? और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया? केवल 45.82 लाख रुपये। वर्ष 1981-82 में रेल दुर्घटनाओं में 446 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 717 व्यक्ति घायल हुए और मुआवजे के रूप में उन्हें केवल 46.13 लाख रुपये दिये गये। एक लाख रुपये का भुगतान देने की बात केवल कागजों तक ही सीमित है, व्यावहारिकता में नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रेल दुर्घटना में मरे व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखे बिना उन्हें एक लाख रुपये का न्यूनतम मुआवजा दिया जाना चाहिए। शायद अधिनियम से इसके लिए प्रावधान करना संभव नहीं है, इसके प्रावधान नियमों में दिया जाना चाहिए। इसे स्पष्टतः निर्धारित किया

[श्री भट्टम श्रीराममूर्ति]

जाना चाहिए, अन्यथा इसमें बड़ी कठिनाई होती है और लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कृपया भारतीय रेल अधिनियम की धारा 73 देखिये। उसमें अनेक कमियां हैं। इसके अनुसार रेल प्रशान रेल द्वारा वहन किये जाने वाले माल के संबंध में प्राकृति आपदाओं, युद्ध, असमाजिक तत्वों, प्रेषक, परेषिती आदि की भूल-चूक अथवा लापरवाही के अलावा किसी अन्य कारण से हुए माल की हानि होने क्षतिग्रस्त होने अथवा अवह्रास के लिए उत्तरदाई है। इसलिए विभिन्न पार्टियों द्वारा किये गये दावों को अस्वीकार किया जा सकता। रेलवे प्रशासन के पास उक्त दावों को अस्वीकार करने की काफी गुंजाइश है।

धारा 74 के अन्तर्गत जब माल मालिक के जोखिम पर एक बुक किया जाता है तो रेलवे प्रशासन उक्त हानि अथवा क्षति के लिए तब तक उत्तरदाई नहीं है जब तक दावेदार इसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता कि यह हानि लापरवाही के कारण हुई है। इस प्रकार इसकी काफी गुंजाइश है। भारी संख्या में मामले अस्वीकार किये गये हैं। मेरे पास इसके आंकड़े हैं और में उन्हें यहां उद्धृत करना चाहता हूं :—

> जितने मूल्य के दावे स्वीकार किये गये और प्राप्त आय से भुगतान किये गये दावों के मूल्य का प्रतिशत वर्ष 1982-83 में 21.9 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1983-84 30.5 करोड़ रुपये हो गया तथा फिर वर्ष 1984-85 में यह बढ़कर 33 करोड़ रुपया हो गया।

इस प्रकार यह 21.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 33 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें सदैव वृद्धि हो रही है। यह एक पहलू है जिसे मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं।

दूसरी ओर यदि आप मामलों की संख्या पर देखें तो 4 से 7 लाख मामलों के दावे प्रति वर्ष विभिन्न पार्टियों तथा ग्राहकों द्वारा किये जा रहे हैं। इन दावों में से जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है उनकी संख्या 35 से 40 प्रतिशत तक है। उदाहरण के लिए वर्ष 1984-85 में 1,68,000 दावों का भुगतान किया गया तथा 1,73,000, दावों को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार कई दावे किसी न किसी आधार पर अस्वीकार कर दिये जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि इन मामलों को शीघ्रता से निपटाना, कुछ दलील पेश करना और तदोपरान्त प्रस्तुत किये दावे को नकारना प्रशासन के लिए कैसे सम्भव है।

दूसरा दिलचस्प मुद्दा 6 रेल विभागों के अन्तर्गत अगस्त 1985 के अन्तिम दस दिनों के दौरान अस्वीकार किये गये 1363 मामलों के नमूना अध्ययन से प्रकाश में आया है। इससे क्या बातें सामने आई हैं?

	अस्वीकार किये गये दावों की संख्या
पार्टी की लापरवाही से	364
6 माह के भीतर न दिये गये दावों के नोटिस	328

	अस्वीकार किए गए दावों की संख्या
पैकिंग की त्रुटिपूर्ण हालत	145
गलत लदान	101

इस प्रकार अस्वीकार किये गये अधिकांश मामले केवल तकनीकी आधार पर ही अस्वीकार किये गये थे जिसमें ग्राहकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। रेल विभाग को जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए था लेकिन इसके बजाय वह उनके लिए असंख्य समस्याएं पैदा कर रहा हैं। इसलिए इससे मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार इससे उन्हें न्यायाधिकरण में जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा अपितु कतिपय उन परिस्थितियों से भी बचा जा सकेगा जो उन्हें न्यायालय में अथवा न्यायाधिकरण में जाने को मजबूर करती हैं। इस समय कितने मुकद्मे लम्बित पड़े हैं। मंत्री महोदय ने कहा ये लगभग 52,000 और उससे अधिक है। तथ्यों के संबंध में मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। मेरे पास आठवीं लोकसभा की लोक लेखा समिति की 84वीं रिपोर्ट है। ऐसा समझा जाता है कि न्यायालय में चलाये जा रहे मुकदमा में प्रतिवर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है तथा रेल विभाग के विरुद्ध की गई डिक्रियों और डिक्रियों के परिणाम-स्वरूप मुआवजे के रूप में दी गई धनराशि में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि उक्त मामलों को अमान्य आधार पर अस्वीकार किया गया। वर्ष 1983-84 में 33,305 नये मुकदमे दायर किए गये। वर्ष 1984-85 यह संख्या घटकर 29,000 और इससे अधिक हो गई। इस प्रकार हजारों मुकदमे पड़े हुए हैं। इसलिए 19 न्यायपीठों तथा एक न्यायाधिकरण के लिए इन सब समस्याओं की जांच पड़ताल करना कैसे सम्भव है? जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता पहले बता चुके हैं, यह बिल्कुल भी सम्भव नहीं है।

पहले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वह स्थान भी आता था जहां से यात्री अपना पास लेता था अथवा अपना टिकट खरीदता था या ढुलाई के लिए दिये गये माल की रसीद प्राप्त करता था। उन स्थानों में भी मुकदमे दायर किये जा सकते थे अब यह सम्भव नहीं है क्योंकि अब इस काम को 19 न्यायपीठों तक सीमित कर दिया गया है। अतः अब मुकदमा दायर करना कठिन हो जायेगा। यहां तक कि अभी तक इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इन न्यायपीठों की स्थापना कहां की जायेगी।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मट्टम श्रीराममूर्ति : महोदया, अपनी पार्टी की ओर से केवल मैं ही इस विधेयक पर बोलने वाला व्यक्ति हूं। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं चार-पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

अब मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कठिनाइयां कैसे पैदा होती हैं और ग्राहक किस प्रकार यहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किस प्रकार भारी नुकसान होता है और किस प्रकार उनके सामने अन्य प्रकार की अनेक कठिनाइयां आती हैं। मुझे लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से पढ़ने की अनुमति दी जाय। रिपोर्ट में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मार्ग में खाद्यान्नों को हुई क्षति वर्ष 1977-78 में 23.27 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1983-84 में 95.85 करोड़ रुपया हो गई है। इस बारे में किया जाए? खाद्यान्नों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक की ढुलाई करते समय अत्यधिक क्षति होती है अथवा नुकसान होता है। यह स्वाभाविक है कि लोग अपनी शिकायतों तथा अन्य

[श्री भट्टम श्रीराममूर्ति]

समस्याओं का दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब हम दावों पर एक नजर डालते हैं। लोक लेखा समिति ने पाया कि वर्ष 1977-88 से 1984-85 तक भारतीय खाद्य निगम ने रेल परिवहन में हुई खाद्यान्नों की क्षति। चोरी और नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 48.69 करोड़ रुपए का दावा किया तथा निगम को रेल विभाग से इसके लिए 1.17 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई। 48 करोड़ रुपए और इससे अधिक की धनराशि में से केवल 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया—इसके बारे में क्या किया जाए? यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो एक साधारण व्यक्ति का क्या होगा? रेल परिवहन में खाद्यानों की क्षति होने और उनमें कमी आने के कारण भारतीय खाद्य निगम के दावों की बकाया राशि सितम्बर 1985 के अन्त में 26.83 करोड़ रुपए हो गई थी। स्थिति ऐसी है।

समिति ने आगे पाया कि रेल विभाग ने वर्ष 1977-78 से 1984-85 तक रेल परिवहन में हुई खाद्यान्नों के नुकसान/चोरी और क्षति के कारण किए गए 16.29 करोड़ रुपए के मुआवजे के दावे को अस्वीकार कर दिया। इसे कैसे अस्वीकार किया गया? समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 31 मार्च 1982 तक 21.21 करोड़ के दावों को निपटाने के लिए ऐसा लगता है कि अब तक कोई प्रयास शुरू नहीं किया गया है। इसके बाद ये दावे 31 मार्च, 1984 को बढ़कर 40.62 करोड़ रुपए हो गए। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है स्थिति यह है।

इसी प्रकार, मैं कोल इण्डिया के सम्बन्ध में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के बारे में बताऊंगा। कोयले के सम्बन्ध में कतिपय स्थानों पर यह देखने के लिए परीक्षण जांच की जाती है कि कोयले का लदान ठीक से हुआ है अथवा नहीं। सितम्बर 1985 में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में लादे गए 1.18 लाख मालडिब्बों की परीक्षण जांच के लिए वजन किया गया गया। परीक्षण जांच से पता चला कि 37.49% माल डिब्बों में अधिक लदान किया गया था, 41.39 प्रतिशत माल डिब्बों में कम लदान किया गया था और केवल 21.12 प्रतिशत माल डिब्बों में सही लदान किया गया था। कठिनाई यह है। यह किसका दोष है? और एक-दूसरे पर अथवा एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर जिम्मेवारी डालने का काम शुरू हो जाता है। अन्तहीन और असंख्य मुकदमेबाजियां होती हैं। वाद-विवाद और चर्चाएं होती हैं जिनका कोई हल नहीं निकलता। इन समस्याओं से निपटने का क्या तरीका है? हम इनका समाधान कैसे कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): यह इसी तरह है जैसे कि सत्ता पक्ष में अधिक सदस्य हैं।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति: जहां तक माल डिब्बों में लदान का सम्बन्ध है। उपभोक्ताओं से शिकायतें आई हैं कि वहन क्षमता में 13 से 16 प्रतिशत तक कम कोयले भरे जाते हैं। इस प्रकार की कमी महसूस की जा रही है। और परीक्षण जांचों से भी पता चला है कि माल डिब्बों में ठीक से लदान नहीं किया जाता है।

महोदया, इससे कहीं अधिक समय—क्योंकि आप घंटी बजा रही हैं और मैं अपने मुद्दे पूरा करने में समर्थ नहीं हूंगा और अन्ततः मुझे रेलवे की पूर्ण अकर्मण्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण अनूठा उदाहरण का विवरण देकर सन्तोष करना पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से लोक लेखा समिति के किसी प्रतिवेदन—50वां प्रतिवेदन—वर्ष 1986-87 में लाया गया था। यह सोने के पार्सल गुम हो जाने के बारे में है:

"बम्बई स्थित भारतीय स्टेट बैंक ने आगरा के लिए मार्च 1983 में 8 किलोग्राम सोने का एक पार्सल जिसका मूल्य 14.8 लाख रुपए था, बुक कराया था। यह वास्तव में 26 अप्रैल, 1983 को भेजा गया था। जब बुसावल पर माल डिब्बा खोला गया, सोने का पार्सल गायब पाया गया। सोने के पार्सल के रहस्यमय ढंग से लापता होने से सभी खोजो को चुनौती मिली है।"

अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई भी इसको खोज नहीं सका।

सभापति महोदय : क्या यह गाइड पुस्तक से लिया गया है।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : यह तब घटित हुआ था जब रेलगाड़ी बम्बई से आगरा जा रही थी। रास्ते में यह आठ किलोग्राम सोना गायब हो गया और दावा अभी तक लम्बित पड़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : बम्बई में कोई गड़बड़ नहीं थी।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : रेलवे ने इसको देना अस्वीकार कर दिया।

श्री मट्टम श्रीराममूर्ति : यही घटित हुआ है। जब ऐसी स्थिति घटित होती है या जब ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं, तो यह रेलवे का उत्तरदायित्व है कि वह कुछ बेहतर काम करने के लिए प्रशासन में सुधार लाएं। अन्यथा यह बहुत ही कठिन है। लोगों के लिए केवल मात्र न्यायाधिकरण को पहुंच करने का रास्ता है जो स्वयं पर्याप्त सन्तोषजनक और सान्त्वना देने वाला नहीं है।

यहां, मैं समापन करने से पहले, एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक डिगरियों का सम्बन्ध है, यदि एक बार डिगरी हो जाती है तब इस अधिनियम के अंतर्गत दावा न्यायाकरण द्वारा दिए गए आदेश सिविल न्यायालय के डिगरी के रूप में कार्यान्वित किए जाएंगे। और इस प्रयोजन के लिए, दावा न्यायाधिकरण के पास सिविल न्यायालयों की सभी शक्तियां होंगी। यह न्यायाधिकरणों द्वारा दी गई डिगरियों के लागू करने या कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए लोगों को सिविल न्यायालय में जाने और पहुंच करने के लिए अनुमति देने का प्रश्न नहीं है। जैसी ही डिगरी की जाती है, तो राशि को तुरन्त जमा कराने का काम रेलवे प्रशासन का है और जब आवश्यक हो तब पार्टी राशि निकाल सके।

आप, यदि आवश्यक हो, तो सम्बन्धित पार्टियों को प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए आग्रह कर सकते हैं। लेकिन, राशि निरपवाद रूप से जमा हो जानी चाहिए और पार्टी इसको निकलवाने में समर्थ होनी चाहिए, अन्यथा न्याय नहीं होगा और हम अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित लाभों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।

धन्यवाद।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं माननीय मन्त्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत दावा न्यायाकरण विधेयक का स्वागत करता हूं। यह न्यायाधिकरण जो दावे के मामलों को निपटाएगा, इससे दावा प्राप्त करने वाली जनता को ही लाभ नहीं मिलेगा बल्कि रेलवे को भी लाभ होगा क्योंकि रेलवे माल यातायात में विश्वास बढ़ेगा। हम सिन्धिया जी के चुस्त और गतिशील कार्यकरण से रेल दुर्घटनाएं कम हुई हैं।

[श्री विजय एन० पाटिल]

और वर्ष 1981 में लगभग 400 मृत्यु संख्या की तुलना में वर्ष 1985-86 में मृत्यु संख्या केवल 66 थी। निस्संदेह, वर्ष 1985-86 में जो दावे तय किए गए और मुआवजे की राशि दी गई, वह लगभग 2 करोड़ रुपए थी। जैसा कि मेरे मित्र ने भी उल्लेख किया है कि दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के लिए मुआवजे की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए है। में सुझाव देना चाहूंगा कि न्यूमतम सीमा भी होनी चाहिए। पूर्ण अपंगता के लिए न्यूनतम सीमा 50000 रुपए हो सकती है। यदि ऐसा किया गया तो रेलवे दुर्घटना से शिकार हुए व्यक्ति को बेहतर न्याय दिया जा सकेगा। और साथ ही कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि मृतक परिवार या गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को मौके पर 10000 रु० से कम न दिए जाएं।

निस्संदेह, हम आशा करते हैं कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए सिगनलों के आधुनिकीकरण और अपनाए गए विभिन्न तरीके और विशेषकर पुराने मार्गों को बदलने के लिए अनुमानित व्यय के कारण दुर्घटनाओं की संख्या और इससे होने वाली मृत्युसंख्या कम होती जाएगी। रेलवे ने मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए अगले 15 वर्षों में 9000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने में भारी वृद्धि होने तथा वर्ष 2000 तक इसमें और वृद्धि की सम्भावना को देखते हुए दावा न्यायाधिकरण का होना नितांत आवश्यक हो गया है। इस समय, देश में एक वर्ष में 2580 लाख टन माल हजारों किलोमीटर भेजा जाता है और हम आशा करते हैं कि वर्ष 2000 तक माल यातायात में 114 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अतः माल में, पशु और अन्य मदों में क्षति के कारण दावों की संख्या बढ़ेगी। मामलों को निपटाने में इस न्यायाधिकरण और 19 न्यायपीठों की स्थापना से मदद मिलेगी।

मैं समझता हूं कि रेलवे को अपने एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में जैसा कि हम कुछ सामाजिक मूल्यों के बारे में विचार करते हैं, इन दावों की अदायगी इस दावा न्यायाधिकरण के माध्यम से करने पर विचार करना चाहिए। हमने पिछले वर्ष के दौरान खाद्यान्न, गन्ना और अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करके लगभग 183 करोड़ रुपए की हानि उठाई है हमने माल-भाड़े में रियायती दर होने के कारण 183 करोड़ रुपए की हानि उठाई है। लेकिन हमने वर्ष 1985-86 के पहले वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 32 करोड़ रुपए के मुआवजे की तुलना में इस वर्ष माल की हानि या माल को क्षति के लिए दावा करने वाले दावेदारों को मुआवजे के रूप में केवल 43 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। स्पष्ट रूप से दावों की संख्या पिछले 5 या 6 वर्षों में लगभग 7 लाख रुपए से घट कर पिछले वर्ष के दौरान 4 लाख रुपए रह गई है। ऐसा इसलिए नहीं है कि दावेदार बिना हानि या क्षति के माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर रहे हैं; लेकिन वर्षों से, रेल से ढोए जाने वाले माल के ढांचे में परिवर्तन आया है। हम सस्ती दर पर भारी मात्रा में माल ढोने वाले माल वाहक बनते जा रहे हैं। हम अधिक लाभ अर्जित करने वाले माल के परिवहन व्यय के प्रतिशत में वृद्धि करने में समर्थ नहीं हैं। यदि आप दावों को थोड़े समय के अन्दर और ग्राहकों के सन्तोष के अनुसार उचित प्रकार से तय करते हैं तो यह ग्राहकों की सेवाओं में से एक सेवा होगी जो रेलवे में माल यातायात बढ़ाने में सहायक होगी जैसाकि हम सड़क-वाहनों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। यहां भी, यदि आप ठीक प्रकार से और शीघ्रता से कार्य करने योग्य हैं और यदि दावा न्यायाधिकरण इस मामले सहायता कर सकता है, तो हम अधिक मात्रा में ऐसी वस्तुओं का परिवहन कर सकेंगे जिनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके और रेलवे की आय भी अधिक होगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हम रेलवे के माध्यम से किसी अन्य विभाग की तुलना में अधिक सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। निस्संदेह, इसके बाद संचार विभाग आता है। इन न्यायाधिकरणों की स्थापना और शीघ्रता से जनता की सेवा करने से, अर्थात, दावों का तेजी निपटान करने से, मैं समझता हूं कि हम इस उप-महाद्वीप की जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारतीय रेलवे अधिनियम को लगभग एक शतक पहले अर्थात्, वर्ष 1890 में अधिनियमित किया गया था। जहां तक इस विशेष धारा का सम्बन्ध है, इससे निस्संदेह सुधार हुआ है लेकिन मैं नहीं समझता कि यह पूर्ण रूप से दोष-रहित होगा जैसा कि मेरे दो साथियों ने पहले ही उल्लेख किया है। वे जो कह चुके हैं, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 19 न्याय पीठ पर्याप्त होगी। क्या मन्त्री महोदय अपराध-संख्या घटाने जा रहे हैं? क्या मन्त्री महोदय दुर्घटना-संख्या घटाने जा रहे हैं? क्या उन्हें यह करने का विश्वास है? अतः, यह 19 संख्या किस आधार पर निकाली गई? यदि वह रेलवे में अपराध या दुर्घटना संख्या घटाते हैं, तब हम अत्यधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन इस समय क्या घटित हो रहा है? रेलवे में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अतः यह कोई वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है। जैसा कि श्री शरद दिघे ने सही रूप में प्रस्तुत किया है, देश में लगभग 380 के लगभग जिले हैं और क्या ये 19 न्यायाधिकरण सभी जिला न्यायालयों को बदल सकते हैं? सरकार को इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में दूसरा मुद्दा लाना चाहूंगा। आप इस विधेयक को इसलिए लाए हैं क्योंकि आप दावों को तय करने में हो रही देरी को, जो इस समय दावा आयोग के स्तर पर या जिला न्यायालयों के स्तर पर बढ़ती जा रही है, घटाना चाहते हैं। लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि विधेयक में समय सीमा के बारे में एक उपबन्ध शामिल किया जाए? मैं समझता हूं कि समय सीमा निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मैं माननीय मन्त्री से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करूंगा कि इस अवस्था में भी समय का निर्धारण करना सम्भव है क्योंकि इसके बाद दूसरा न्यायालय भी है, वह है उच्च न्यायालय। अतः यह आवश्यक है कि मामले निर्धारित समय में निपटाये जाने चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री से पुनः यह पूछना चाहूंगा कि वह रेलवे में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? यद्यपि यह बात इस विधेयक से सीधे सम्बन्धित नहीं है, तथापि वह जो उपाय करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इससे न्यायाधिकरणों की बदनामी होगी।

मैं रेलवे बोर्ड की 1985-86 की रिपोर्ट से एक-दो आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 1985-86 में 717 रेल दुर्घटनाओं में से 484 अर्थात 67.5 प्रतिशत रेलवे दुर्घटनाएं कर्मचारियों की भूल अर्थात मानवीय भूल के कारण हुईं; 66 अर्थात 9.2 प्रतिशत रेलवे दुर्घटनाएं कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के कारण हुईं तथा तोड़फोड़ के कारण केवल 0.6 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुईं।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

माननीय मन्त्री यह कह रहे थे कि रेलवे का पूरा आधुनिकीकरण कर दिया गया है। अगर बात यह है तो रेलवे कर्मचारियों की भूल के कारण हुई दुर्घटनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे ? आपने यह देखने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि रेलवे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें ? रेल में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की जान भारतीय रेल के ड्राइवरों के हाथ में होती है। यह अत्यधिक जरूरी है कि उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा अत्यधिक जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति ही इन्जन ड्राइवर नियुक्त किए जाएं।

इसी प्रकार, रेलवे में होने वाली चोरियों के सम्बन्ध में आप यह कहते हैं कि यह रेलवे की जिम्मेदारी न होकर रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। जो समझ नहीं आता। आपकी रेलगाड़ी में चोरी हुई है। आप यात्रियों को ले जा रहे हैं। आपको यात्रियों की न केवल दुर्घटना से सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपितु चोरी की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि रेलगाड़ियों में चोरी और डकैतियां न हों। अब यह आम हो गया है कि डाकू रेलगाड़ी में घुसकर यात्रियों को डराते हैं, उनका सामान लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। इस बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

हमें रेलवे में पूरा विश्वास है कि अगर हम अपनी खेप बुक कराते हैं तो वह निर्धारित स्थल पर बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पहुंच जाएंगी। यहां, मैं इस रिपोर्ट से एक-दो आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। वर्ष 1985-86 में 376 लाख रु० की खेप खो गई थीं। इनमें से केवल 31.77 लाख की खेप ही मिल पाई। इस प्रकार प्राप्त खेप की प्रतिशतता मुश्किल से 6 थी इसी प्रकार, 1984-85 में यह 6 प्रतिशत और 83-84 में 6 प्रतिशत रही। कभी भी यह 13 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई। अत: रेलों में चोरी आम बात है तथा कुछेक रेलों को मुआवजा देना ही पड़ता है। माननीय मन्त्री इस बात के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं कि रेलवे में चोरियों को रोका जा सके।

रेलवे में, बुक कराए गए सामान की सुरक्षा के बारे में मैं यह कहूंगा। मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बंगलौर के लिए तीन अथवा चार महीने पूर्व एक सोफा बुक कराया था लेकिन, बंगलौर पहुंचने तक यह पूरी तरह टूट गया था। मैंने अपने सहायक को रेलवे स्टेशन भेजा और उन्हें कहा कि वह टूटे हुए सोफे को न लाएं। मैंने मुआवजा दिए जाने की मांग की। लेकिन मुझे 1000 रु० ही मिले जबकि मैंने इसे 2500 में खरीदा था। मेरे पास इसका बिल और रसीद है। मैंने उनसे पूछा कि आपने किस आधार पर यह राशि निर्धारित की। लेकिन मुझे इसका सही-सही जवाब नहीं मिला। मुझे रेलवे से सामान बुक कराने की 'पेनाल्टी' के रूप में 1000 रु० मिले।

इसमें कोई शक नहीं कि आप एक ईमानदार और सक्षम व्यक्ति हैं। लेकिन, इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक पूरी व्यवस्था फाटक चौकीदार से लेकर रेलवे बोर्ड के चेअरमैन तक अपने उत्तर-दायित्वों के प्रति जिम्मेदारी नहीं महसूस करती, ईमानदार नहीं है ,रेलवे अपने यात्रियों की सेवा नहीं कर सकती। यह देखना भी जरूरी है कि सामान को कैसे उतारा और चढ़ाया जाता है। सामान को बस फेंक दिया जाता है। अगर खेप पर 'ध्यान से उठाएं' लिखा होता है फिर भी ध्यान नहीं रखा जाता। मैंने साफ-साफ अक्षरों में 'संसद सदस्य' 'ध्यान से उठाएं' लिखा था लेकिन वहां तो संसद सदस्य और आम आदमी सब एक है। कितने भले समाजवादी हैं वह।

मैं पुन: उसी रेलवे रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं। यही प्रश्न श्री भट्टम श्रीराममूर्ति ने भी पूछा

है। वर्ष 1981-82 में दुर्घटनाओं के कारण 463 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 652 घायल हुए तथा 46.13 लाख रु० मुआवजे के रूप में दिए गए। वर्ष 1982-83 के आंकड़े 59,325 और 12.3.87 लाख रु० है। वर्ष 1983-84 के 68,307 और 95.94 लाख रु०, 1984-85 के 194.490 और 122.75 लाख रु० और 1986-87 के 269 और 220.80 लाख रु० हैं। आपका नियम अथवा परम्परा यह है कि मृत व्यक्ति के परिवार को आप 1 लाख रु० देते हैं। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि 1986-87 में मृत व्यक्तियों और दी गई मुआवजे की राशि के बीच क्या सम्बन्ध है। यही स्थिति 1984-85 की है। इस वर्ष वर्ष 194 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 490 घायल हुए तथा 122.75 लाख रु० मुआवजे के रूप में दिए गए। क्या इसका कारण न्यायालयों में मामलों का न निपटाया जाना है? यह असंगति किस कारण से है मुझे नहीं मालूम। अतः, मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि चर्चा का उत्तर देते समय वह इसे स्पष्ट करें।

अब न्यायाधिकरण स्थापित किया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। यह वास्तव में एक अच्छी बात है और हम आशा करते हैं कि इसके पश्चात स्थिति में सुधार होगा तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए अब महीनों अथवा सालों इन्तजार नहीं करना होगा। मुझे ऐसे कई मामले पता है जहां लोग रुचि लेना छोड़ देते हैं। वह न्यायालयों में नहीं जाते। वह इसे वकीलों पर छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि मुआवजा तो उन्हें मिलेगा नहीं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। परन्तु, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह ध्यान रखें कि इन न्यायाधिकरणों का गठन करते समय इनकी पर्याप्त संख्या में पीठ स्थापित की जाएं और यह भी ध्यान रखा जाए कि उनमें केवल न्यायिक व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएं चूंकि तकनीकी व्यक्ति तो रेलवे के ही होंगे। अन्यथा न्यायधीश और अभियोगी एक ही व्यक्ति हो जायेंगे, जो ठीक नहीं होगा। तकनीकी व्यक्ति इस पीठ के चेयरमैन हो सकते हैं अतः, यह ठीक नहीं होगा इससे प्राकृतिक न्याय नहीं मिल पाएगा। अतः, केवल निष्पक्ष व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए।

एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय एक समय-सीमा निर्धारित करें। अगर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती और मामलों को पहले की तरह ही लटकाया जाता है तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। मुझे आशा है, मन्त्री महोदय इसे ध्यान में रखेंगे। मैं पुनः इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं। इसका समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि और संशोधन भी किए जाएंगे। अतः, रेलवे संशोधन विधेयक शीघ्र ही लाया जाएगा। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। हमें रेलवे संशोधन विधेयक पास करना चाहिए। इसे अगली संसद तक नहीं टालना चाहिए मध्यावधि चुनाव के पूर्व इसे पास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, रेलवे क्लेम्स ट्रेब्यूनल बिल, 1987 जो सदन में प्रस्तुत किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मित्र बोले, उसमें उन्होंने इस बात पर विशेष तौर से बल दिया कि यह जो बैंचेज हैं, ये 19 हैं जो अपर्याप्त हैं। फायनेंशयल मेमोरेण्डम मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसमें :

[अनुवाद]

"सर्वप्रथम' उसमें 19 पीठ उन-उन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनके

[श्री बुद्धि चन्द जैन]

सम्बन्ध में केन्द्र सरकार निर्धारण करेगी। यह प्रस्ताव भी किया गया है कि यह पीठ अपनी बैठकें अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्टेशनों पर आयोजित कर सकती है। कितनी पीठ स्थापित की जाएं, इस सम्बन्ध में कार्य भार और प्राप्त अनुभव के आधार पर पुनरीक्षा की जाएगी।"

[हिन्दी]

है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि ज्यों-ज्यों काम बढ़ेगा, त्यों-त्यों बैंचेज की संख्या बढ़ाई जाएगी और यह होना भी चाहिए। तो जो 19 बैंचेज के बारे में निर्णय लिया गया है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये 19 ही रहेंगी, बल्कि काम के अनुसार आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। इसलिए बैंचेज के बारे में माननीय मित्रों की जो शंकाएं हैं वे दूर हो जानी चाहिएं।

इस अवसर पर दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के जो कोर्ट्स स्थापित हुए हैं, इनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि इसमें बहुत ही सावधानी बरती गई है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैम्बर्स की क्वालिफिकेशन में बहुत सतर्कता बरती गई है। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि कोई भी आफीसर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मैम्बर, ज्वाइंट सैक्रेट्री के ग्रेड से नीचे का नहीं होगा। यह भी रखा गया है कि वह हाईकोर्ट के जज हों, उनके लैवल का हो। सैलरी जो फिक्स की गई है उसमें मुझे थोड़ा कहना है। चेयरमैन के लिए आठ हजार रुपए फिक्स, वाईस चेयरमैन और मैम्बर्स के लिए 7,300 से 7,600 रुपए तक रखी गए है। यानी जो हाईकोर्ट के जज की सैलरी है, वही फिक्स की गई है। मेरे हिसाब से यह सैलरी बिलकुल पर्याप्त है। इस प्रकार से योग्य से योग्य व्यक्ति को इसमें लेने का उद्देश्य सरकार का है, यह स्पष्ट हो जाता है। इसमें एक स्थिति यह भी है कि जो टेक्नीकल मैम्बर है उसको लेना ही पड़ेगा। इसका लेना अत्यावश्यक है। इसके बारे में इसमें लिखा गया है टैक्नीकल मैम्बर का लिया जाना इस दृष्टिकोण से आवश्यक है, आज जो एक्सीडैंट्स होते हैं, उसमें डैथ्स हो जाती हैं, इन्जरी हो जाती है, उसके बारे में टैक्नीकल पर्सन ही अच्छी तरह से निर्णय कर सकते हैं। अगर टैक्नीकल पर्सन न हों, जुडिशियल पर्सन हों तो वह इसके बारे में सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए टैक्नीकल पर्सन होना आवश्यक है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : टैक्नीकल पर्सन क्या करेंगे ?

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : वह भी ज्वायन्ट सैक्रेटरी कैडर का है। उसको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरिएन्स होता है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि टैक्नीकल पर्सन आई० पी० एस० से भी योग्य होते हैं। आप इसकी जानकारी रखिए और आप बीच में इंटरफीयरेंस मत करिए।

इसलिए टैक्नीकल पर्सन को मैम्बर रखना उचित निर्णय है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे जो गुड्ज का ट्रांस्पोर्टेशन करती है, उसमें जो कम्पनीज या प्राइवेट पर्न्सस हैं, वह ट्रक से गुड्ज ले जाना पसन्द करते हैं। रेलवे से गुड्ज ले जाना पसन्द नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि उन्हें हमेशा डर रहता है कि अगर रेलवे से गुड्ज भेजीं तो उनकी सुरक्षा नहीं रहेगी। यह भी एक स्थिति है कि रेलवे सर्वेंट्स उस माल में पिलफेज करते हैं, थैफ्ट करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अगर उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए तो इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से हो सकती है और रेलवे की तरफ लोगों का आकर्षण हो सकता है, क्योंकि रेलवे से जो सामान भेजा जाता है

वह ट्रक के मुकाबले बहुत ही सस्ता पड़ता है, परन्तु माल सुरक्षा न होने के कारण लोग ट्रक से गुड्ज भेजना पसन्द करते हैं। इसलिए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि गुड्ज की सुरक्षा हो और इसके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है, उसको स्पीडी डिस्पोजल करना चाहिए। अगर वह स्पीडी डिस्पोजनल नहीं करता है तो उद्देश्य की सफलता नहीं होती है। इसलिए कर्नाटक के सदस्य महोदय ने जो विचार प्रस्तुत किया, तो इसमें डिस्पोजल के बारे में लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि एक साल में डिस्पोजल हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें उनको सुविधा, रिलीफ और राहत मिल जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि इन केसेज का डिस्पोजल एक वर्ष के अन्दर करना चाहिए। यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर) : रेल दावा न्यायाधिकरण विधेयक, 1987 का उद्देश्य वास्तव में बहुत अच्छा है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

विधेयक की भावना इस उक्ति को मिथ्या साबित करना है कि —'न्याय में विलम्ब न्याय करने से इन्कार करना है।' दीवानी अदालतों में अनेक मामले लंबित पड़े हैं। उन्हें निपटाया जाना चाहिए। अतः, यह विशेष विधेयक इस सदन में लाया गया है ताकि विशेष न्यायालयों अर्थात न्यायाधिकरणों में मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

सभापति महोदय : श्री तांती, आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं। अब हम मद संख्या 13—नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा प्रारम्भ करते हैं। डा० चिन्ता मोहन।

4.00 म० प०

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा प्रारम्भ करता हूं। महोदया, इस महत्वपूर्ण विषय के अवसर पर वित्त मन्त्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री श्री एच. के. एल. भगत यहां उपस्थित हैं। यहां अन्य मन्त्री भी उपस्थित है। आप जारी रखिए।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं एक बात कहना चाहता था। मैं यहां कुछ देर तक रहूंगा। यदि आप मुझे अनुमति दें, यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो मुझे थोड़े समय के लिए राज्य सभा में कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जाना है। मेरे सहयोगी सदन में उठाये गए मुद्दों पर ध्यान देंगे। मैं वापस आऊंगा। परन्तु अभी मैं कुछ समय के लिए यहां हूं। इस बीच श्रीमती दीक्षित मेरी ओर से आपकी बातें सुनेंगी। मैं राज्य सभा में कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक समाप्त होने के पश्चात आ जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप मन्त्रालय का विस्तार क्यों नहीं कर देते।

श्री एच० के० एल० भगत : यदि आप इस पक्ष में आ जाएं तो मैं आपका मन्त्री बनने को तैयार हूं।

डा० चिन्ता मोहन : महोदया, यदि आप विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की वर्तमान मूल्य सूची देखें और इसकी तुलना पिछले वर्ष की मूल्य सूची से करें तो पाएंगे कि इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार पिछली बार थोक मूल्य सूचकांक में 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई और आज यह बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा यदि आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ध्यान दें तो मन्त्री महोदय के कथन और आज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भारी अन्तर है। यह दो अंकों में पहुंच गया है। अब यह लगभग 10.2 प्रतिशत है। सदन में आने से पूर्व मैं सुपर बाजार गया था वहां मैंने पिछले वर्ष वनस्पति के मूल्यों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष वनस्पति का मूल्य 15.75 रुपए प्रति किलो ग्रा० था और आज यह 25.75 रुपए प्रति किलो ग्रा० हो गया है। यदि आप चीनी का मूल्य देखें तो पिछले वर्ष यह 4.75 रुपए प्रति कि०ग्रा० था और आज यह 5.75 रुपए प्रति किलोग्राम है। गेहूं का मूल्य 2.27 रुपए प्रति किलो था और आज 3.50 रुपए प्रति किलो है। बासमति चावल का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो था और आज यह 11.40 रुपए प्रति किलोग्राम है। मैं ब्यौरावार बात नहीं करता। मैं केवल आवश्यक वस्तुओं की बात कर रहा हूं। जब इन सभी बातों की तुलना करें तो सरकार मूल्यों में वृद्धि को नियन्त्रित करने में बिल्कुल असमर्थ रही है। मैं किसी एक पक्ष को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों को सरकार से सहयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि मूल्यों में कमी आए। परन्तु मैं सत्ता पक्ष पर मूल्य वृद्धि को न रोक पाने का आरोप लगाता हूं। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय, श्री भगत से मूल्य वृद्धि रोक पाने में असमर्थ रहने पर त्यागपत्र देने का निवेदन करता हूं।

4.04 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

प्रो० मधु दण्डवते : चर्चा समाप्त होने के बाद दे देंगे। अन्यथा, वे चर्चा का उत्तर नहीं दे पाएंगे।

डा० चिन्ता मोहन : मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री ने यह एक प्रशंसनीय कदम उठाया है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। उन्होंने देश भर में 19,000 उचित दर की दुकानें प्रारम्भ की हैं। उचित दर की नई दुकानें खोली गई हैं। वह इसका हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तुयें देश के प्रत्येक स्थान तक पहुंचे। उनका लक्ष्य यह है कि प्रत्येक 2000 की जनसंख्या के लिए कम से कम उचित दर की एक दुकान हो।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं डा० चिन्ता मोहन के लिए व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह अग्रिम सूचना दे रहा हूं कि मैं अपने उत्तर में आपके मुख्यमन्त्री को उद्धृत करूंगा। यह आपकी अग्रिम जानकारी के लिए है।

(व्यवधान)

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, यदि आप इन बातों पर गम्भीरता से ध्यान दें तो मूल्य वृद्धि का मामला खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय का मामला नहीं है वरन् यह वित्त मन्त्रालय का मामला है

हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूपति में कार्यशाला और विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें कुछ अर्थशास्त्रियों ने मूल्यों पर नियन्त्रण हेतु 180 मुद्दे सुझाए थे। मैं अभी उन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा परन्तु मैं आज मूल्यों पर नियन्त्रण कैसे किया जाए उन मुद्दों का चयन करूंगा।

हम मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन पर बल दे रहे हैं। आज औद्योगिक उत्पादन सरकारी क्षेत्र में है। हमारे यहां सरकारी क्षेत्र में इतने अधिक संगठन हैं परन्तु वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इस्पात, सीमेंट और अन्य कोई सरकारी क्षेत्र देखें तो मालूम होगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और कुछ मन्त्री निजी तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र का समर्थन भी कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से सरकारी क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं। आज यही बात हो रही है। इन सभी का कारण यह है कि समृद्ध औद्योगिक वर्ग, समृद्ध औद्योगिक संगठित वर्ग वेतनभोगी लोग और अमीर कृषक भी आपस में मिल गए हैं और राजनीतिक लोगों की मदद से स्वतन्त्रता और विकास का लाभ उठा रहे हैं। (व्यवधान)

हमारी स्वतन्त्रता के 40 वर्षों में जो कुछ भी विकास हुआ है उसका लाभ मुख्यतः समृद्ध औद्योगिक वर्ग, अमीर कृषक वर्ग, वेतनभोगी लोगों और राजनीतिक लोगों तक ही सीमित रहा है। उन्हें जो भी लाइसेंस प्राप्त होते हैं, औद्योगिक लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस, आयात लाइसेंस और क्या कुछ नहीं है जो केवल 10 प्रतिशत लोगों को ही प्राप्त हो रहा है परन्तु 90 प्रतिशत लोग आज भूखे मर रहे हैं। उड़ीसा में आज भूख से इतने लोग मर रहे हैं और दिल्ली में भी भूख से मौतें हो रही हैं। स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष के पश्चात भी यह सब हो रहा है। (व्यवधान)

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आज मुख्य बात यह है कि किसान भरसक प्रयत्न कर रहा है और हमारे गोदामों में फालतू अनाज है। मैं इस बात पर प्रसन्न हूं। हमारा किसान सूखा और तूफान और अन्य विपदाओं के बावजूद आज कृषि उत्पादन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। सूखा बार-बार की समस्या हो गया है। कुछ समुद्रविज्ञानिकों का कहना है प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात—माननीय सदस्य प्रो० दण्डवते जी इस विषय में मुझसे अधिक जानते होंगे समुद्रविज्ञानियों का कहना है कि हमारे देश में प्रत्येक चार वर्ष में सूखा पड़ने की सम्भावना है। उनका कहना है कि इसका कारण यह है कि प्रशांत महासागर गर्म हो रहा है और उसके परिणामस्वरूप हिन्द महासागर में असन्तुलन पैदा हो गया है और हमारे वहां सूखा पड़ रहा है। हमारे देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1987 में सूखा पड़ा है और वर्ष 1991 में भी सूखा पड़ने की सम्भावना है। मेरा विचार है कि सरकार समुद्रविज्ञानियों से सम्पर्क करेगी और इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी।

घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह है कि यह एक आम बात हो गई है। वर्ष 1986-87 में उन्होंने कहा था कि 3,349 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था है और अन्त में यह राशि 7 हजार करोड़ रुपये हो गई थी। परन्तु इस वर्ष यह राशि 14,000 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। इस पर रोक पाबन्दी नहीं है। यह सरकार की कमी है।

व्यापार के क्षेत्र में आज हमारे वहां दो मुख्य व्यापार संगठन हैं, एक खनिज तथा धातु व्यापार निगम और दूसरा राज्य व्यापार निगम है। क्या खनिज और धातु व्यापार निगम में कोई अध्यक्ष नहीं है, राज्य व्यापार निगम में भी कोई अध्यक्ष नहीं है? यह दोनों संगठन आज डूब रहे हैं। आयात में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और निर्यात में भारी गिरावट आई है और घाटा बढ़ता जा रहा है। यह

[डा० चिन्ता मोहन]

स्थिति हैं। मुझे नहीं मालूम सरकार क्या कर रही है, वाणिज्य मन्त्रालय इस दिशा में क्या कर रहा है सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों में इनको संगठित करने के लिए कोई नहीं है। यह छठा महीना चल रहा है और इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विषय में कुछ करें।

ऋण नीति के बारे में हमारे यहां गैर सरकारी क्षेत्र के अलावा सरकारी क्षेत्र में कई बैंक हैं। इस देश में कोई अमीर उद्योगपति एक दिन में 100 करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। यदि वह प्रातः फोन करे तो 2.00 बजे तक 100 करोड़ रुपए उसे मिल जायेंगे। ऐसा हो रहा है। परन्तु एक किसान को अपना खेत जोतने के लिए यदि 10,000 रुपए का ऋण चाहिए तो उससे 10,000 प्रश्न पूछे जायेंगे और बैंक उससे 10,000 बंधक मांगेगा। किसानों को आज कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उन्हें ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है।

कर ढांचे और कर आयोजना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि आपने वर्ष 1954 में मथाई आयोग नियुक्त किया था। आपने कर की दरों में वर्ष 1961 में 5 प्रतिशत की वृद्धि की थी और उसके पश्चात वर्ष 1972 में 10 प्रतिशत की और वर्ष 1981 में यह 15 प्रतिशत तक पहुंच गई। अब यह 17 प्रतिशत पहुंच गया है। कुल मिलाकर आय करों में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं। किन्तु यह स्थिति गतिरोध की स्थिति पर पहुंच गई है जिसमें आम लोगों पर और कर नहीं लगा सकते हैं। किन्तु मैं वित्त मन्त्रालय को बधाई देता हूं कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु कर और शुल्क एकत्र करने हेतु बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं।

व्यय के सम्बन्ध में, मुझे प्रसन्नता है कि आपने कहा है कि सूखे के कारण आपने खर्च में 600 करोड़ रुपए की कटौती की है। दूसरे दिन मेरे माननीय साथी श्री सैफुद्दीन चौधरी ने वित्त मन्त्री से पूछा था कि क्या किसी मन्त्री ने किसी व्यक्ति को दिए गए रात्रि-भोज में बम्बई के एक होटल में लगभग 41,000 रुपए खर्च किए थे। जब गत बार मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने उस समय एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। किन्तु उस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मन्त्री महोदय ने एक दिन में एक रात्रि भोज पर लगभग 41,000 रुपए क्यों खर्च किए?

प्रो० मधु दण्डवते : यह धनराशि इसलिए अधिक लग रही है क्योंकि भोजन पर मूल्य बढ़ गए हैं।

डा० चिन्ता मोहन : पिछले वर्ष आपने केवल विज्ञापन पर ही 60 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस वर्ष, मैंने सुना है कि आप इस पर 180 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप 180 करोड़ रुपए किन विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। इन विज्ञापनों से आपको क्या फायदा होने जा रहा है? आप विज्ञापनों पर खर्च में कटौती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं यह बात माननीय वित्त मन्त्री से स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं।

मैं सुरक्षा और विदेश यात्रा जैसे अस्थिर विषय पर नहीं बोलने जा रहा हूं। किन्तु, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री विदेश यात्राओं पर कितना धन खर्च कर रहे हैं। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो उनमें सबसे ऊपर है किन्तु फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी विदेश यात्राओं पर कुल कितना खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी आपके लिए कोई पाबन्दी नहीं है, इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त नहीं है, इसीलिए यह सब हो रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु कुछ सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण, सूक्ष्म स्तर का सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है, किन्तु विश्व बैंक कहता है, इस विशेष वर्ष में हमारा विकास स्तर शून्य हो गया है। माननीय मन्त्री यदि विश्व बैंक की इस टिप्पणी को स्पष्ट कर दें और उस पर प्रकाश डाल दें तो मुझे खुशी होगी।

राजसहायता के बारे में, पिछले वर्ष हमने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे सामाजिक राजसहायता कार्यक्रमों पर 5,025 करोड़ रुपए में से 52 करोड़ रुपए खर्च किए।

उसके अलावा आपने खाद्यान्न परिवहन और अन्य विषयों पर काफी धन खर्च किया है। मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं कि खाद्यान्नों, परिवहन और अन्य निर्यातों पर राजसहायता की कितनी धनराशि खर्च की जाती है।

मैं जानना चाहता हूं कि आप राजसहायता किस प्रकार दे रहे हैं और राजसहायता से सम्बद्ध तन्त्र किस प्रकार कार्य कर रहा है।

मैं औद्योगिक उत्पादन के प्रश्न को फिर लेना चाहता हूं। आजादी के बाद अपने लगभग 8,03,000 उद्योग प्रारम्भ किए हैं और उनमें से 3,25,000 उद्योग आज रूग्ण से गए हैं और लगभग 2,500 बड़े उद्योग भी रुग्ण हो गए हैं। बताया गया था कि रूग्ण उद्योगों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि आप 20,000 करोड़ रुपए कैसे वापस प्राप्त कर रहे हैं अथवा 20,000 करोड़ रुपए हिन्द महासागर में अथवा पानी में बहा दिए गए हैं। मैं रूग्ण उद्योगों के बारे में यह जानना चाहता हूं और आप धन किस तरह प्राप्त करने जा रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि आप श्रीलंका में शांति सेना पर कितनी धनराशि खर्च कर रहे हैं और वहां पर प्रतिदिन कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। मैंने सुना है कि शांति सेना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

मैं अन्तिम रूप से यह कहना चाहूंगा कि हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति के प्रति सावधान हो जाना चाहिए तथा हमारी गलत योजना के कारण आज अर्थव्यवस्था डांवाडोल स्थिति में पहुंच गई है। जब तक समाज और सरकारी विभागों में संगठनात्मक परिवर्तन नहीं होता तब तक आप महात्मा गांधी और पण्डित जी के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने दिमाग में स्पष्ट अवधारणा नहीं बनाएंगे तब तक आप परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। आप मूल्य पर नियन्त्रण करने हेतु जो भी कार्य कर रहे हैं उससे सहायता नहीं मिलेगी और कीमतें निरन्तर बढ़ती रहेंगी तथा अन्ततः सरकार इस स्थिति में पहुच जाएगी कि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते।

चूंकि सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने मे सफल नहीं हुई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय भगतजी अपने पद से त्यागपत्र दे दें और वह स्थान किसी और के लिए छोड़ दें।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों ने एक बहुत ही असहनीय अवस्था पैदा कर दी है और हमारा सारा अर्थ-तन्त्र जो है,

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

वह एक तरह से लड़खड़ा गया है। यदि बढ़ते हुए मूल्यों और मुद्रा-स्फीति के ग्राफ को देखा जाए, तो वह निरन्तर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है : मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि मुद्रा-स्फीति को हमें रोकना ही होगा। जो मुद्रा-स्फीति 5.1 परसेन्ट थी, वह आज बढ़कर 7.1 परसेन्ट हो गई है। अब प्रश्न यह है कि यदि हम इसे नहीं रोकते हैं, तो इससे और विघटनकारी परिस्थिति पैदा होगी। प्रश्न यह पैदा होता है कि इस समय जो मुद्रा-स्फीति है, उसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार से मुद्रा-स्फीति हुई है, उसी अनुपात से हमारे देश में, मैं यह मानूंगी कि कम हुई है, उतनी अधिक नहीं हो पाई है, मुद्रा-स्फीति हुई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मुद्रा-स्फीति और मंहगाई बढ़ने का जो है, वह देश व्यापी भयंकर सूखा है और हमारे देश की अधिक से अधिक जनसंख्या सूखे से प्रभावित है। इसलिए मूल्यों का बढ़ना स्वाभाविक है। तीसरी बात यह है कि आज हमारे पब्लिक सेक्टर के बहुत से जो कारखाने हैं, वे एक तरह से घाटे में चल रहे हैं और इस वजह से बहुत सी चीजों के मूल्य जो हैं, हमें आवश्यक रूप से बढ़ाने पड़ते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करना ही होगा।

मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। मांग के ऊपर सरकार का नियन्त्रण नहीं है, लेकिन पूर्ति के ऊपर तो सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी पूर्ति सरकार को बढ़ानी होगी, तभी जाकर हम मूल्यों में कमी कर सकते हैं।

सभापति महोदय, खासकर महिला सदस्य गृहणियों का प्रतिनिधित्व करती है और आज के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति बड़ी शोचनीय है। आवश्यक वस्तुएं जैसे दाल, चावल, गेहूं, तेल, सब्जी, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान को छूने लगे हैं। आप 1981 की स्थिति को देखें तो पता लगेगा कि आज उसकी तुलना में 5 गुना मूल्यों में वृद्धि हो चुकी है। यह वृद्धि आवश्यक वस्तुओं के खुदरा तथा थोक मूल्यों में हुई है। गृहणी से सम्बन्धित सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसका परिणाम यह होता है कि उसका पारिवारिक बजट असंतुलित हो जाता है और उसको अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, यह मंहगाई का सबसे भयंकर परिणाम सामने आया है।

मुद्रास्फीति बहुत नाजुक विषय है, इसको हमें दलगत राजनीति से ऊपर ऊपर उठकर देखना होगा। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, किस तरह से सरकार इसके ऊपर नियन्त्रण कर सकती है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहती हूं जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। मेरा सबसे पहला सुझाव तो यह है कि हमें बड़े व्यापारियों पर नियन्त्रण करना होगा। ये लोग उपभोक्ताओं का और उत्पादकों का दोनों का शोषण करते हैं। ये लोग उत्पादक से सस्ते मूल्य पर चीजें खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को मंहगे मूल्य पर बेचते हैं। इसलिए इनके ऊपर नियन्त्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना होगा। कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी, इसके लिए अगर नियमों में परिवर्तन की आवश्कता हो तो उससे भी हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है। हमारी यह व्यवस्था बहुत

अच्छी है, लेकिन केवल बड़े शहरों तक। दिल्ली, बम्बई आदि बड़े शहरों में इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन यह व्यवस्था ग्रामीण स्तर तक समुचित रूप से नहीं पहुच पाई है। आज हमारी 75 से 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को हमें बढ़ाना होगा, ताकि सहकारी समितियों के माध्यम से, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारा जा सके।

एक मेरा सुझाव करों की चोरी के बारे में है। आज यह सामान्य सी बात हो गई है। करों की चोरी से एक सामानांतर अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, इसको रोकने के लिए हमें अपने विभाग को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। जिस प्रकार की व्यवस्था आपने पिछली बार की है वह स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

एक मेरा सुझाव सरकारी खर्चे में कटौती के बारे में है, आपने इसमें 600 करोड़ रु. की कटौती की है जो कि स्वागत योग्य है, परन्तु अभी भी इसमें कटौती की गुंजाइश है। इसमें और अधिक कटौती की जानी चाहिए जिससे मुद्रास्फीति और मंहगाई पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी तरह से कुछ हमारी नीतियों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। घाटे की अर्थव्यवस्था और घाटे के बजट मंहगाई और मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन देते हैं। यह चक्र एक बार शुरू होने पर निरन्तर बढ़ता जाता है, इसलिए हमें नीतियों में परिवर्तन करके घाटे के बजट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

जो पब्लिक सैक्टर घाटे में जा रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सी वस्तुओं के दाम सरकार को न चाहते हुए भी बढ़ाने पड़ते हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है। पब्लिक सैक्टर को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें ताकि जितनी घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें सुधार हो सके। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन प्रांतों में सूखा है, वहां पर इस मंहगाई का और मुद्रास्फीति का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खासतौर से मैं राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। वहां पर लगभग चार साल से सूखे की अवस्था है। वहां पर अकाल राहत के लिए जो भी काम चलाए जा रहे हैं, उसमें मजदूरों को दस या ग्यारह रुपए प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिलते हैं वह भी परिवार के एक सदस्य को। मान लीजिए, परिवार मे पांच सदस्य हैं और एक सदस्य को काम मिलता है तो दस या ग्यारह रुपए में मुद्रा स्फीति के जमाने में वह आवश्यक वस्तुएं नहीं खरीद पाता है। परिणाम यह है कि दिन पर दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे प्रांतों में जहां पर सूखे की अवस्था है, वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आवाश्यक सामान जैसे आयातित तेल, शक्कर, कपड़ा आदि चीजें वहां पहुंचाई जाएंगी तो निःसंदेह वहां के लोगों को मंहगाई के प्रकोप से छुटकारा मिल सकेगा। राजस्थान जैसे प्रांत में सूखे का कारण पेड़ों का कटना है। इन दोनों का लिंक है, इसलिए इसको रोकना होगा तभी हम मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण पा सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने बहुत कुछ किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारा है। सरकारी खर्च में भी आपने कटौती की है। इस मंहगाई को रोकने के लिए आपकी मजबूरी है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं उनमें भागीदार है इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। परन्तु कुछ परिवर्तन लाने होंगे। आज खासतौर से मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवारों को इन बढ़ते हुए मूल्यों की वजह से एक कमरतोड़ मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसकी ओर ध्यान देकर सरकार इस व्यवस्था को यदि सुधारेगी तो निःसंदेह हम सोचेंगे देश में एक बहुत बड़ा काम हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

*श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : सभापति महोदय, आज हम मूल्य वृद्धि की चर्चा कर रहे हैं जिससे देश का हर व्यक्ति विशेषकर वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दैनिक आवश्यकता की चीजों के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उन्हें खरीद पाना उनकी पहुंच से परे हो चुका है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें आधे भोजन में संतोष करना पड़ रहा है; अथवा भूखे पेट रहना पड़ रहा है। मैं इस समस्या पर गहाई से विचार करने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार ने दिल्ली में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के दामों के निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनसे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि दामों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। माननीय वित्त मन्त्री ने निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं :

वस्तु का नाम	वर्ष (अक्तूबर)	मूल्य (रुपए प्रति किलो)
चावल	1984	3.50 ,,
	1987	4.50 ,,
चीनी	1984	5.50 ,,
	1987	7.00 ,,
तेल सरसों	1984	17.00 ,,
	1987	29.00 ,,
मछली	1984	16.00 ,,
	1987	32.00 ,,
दूध	1984	4.50 रु० प्रति लीटर
	1987	6.00 ,,
आलू	1984	2.40 रुपये प्रति किलो
	1987	3.50 ,,
दाल (अरहर)	1984	6.50 ,,
	1987	10.35 ,,
नमक	1984	0.60 ,,
	1987	2.00 ,,
प्याज	1984	2.50 ,,
	1987	6.00 ,,

महोदय, ये आंकड़े इस आधार पर वास्तविक नहीं हैं कि बाजार में खरीदते समय ये वस्तुएं इन मूल्यों पर उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति केवल दिल्ली में ही नहीं है। पूरे देश में है।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अब प्रश्न यह है आवश्यक वस्तुएं के मूल्य बेरोक टोक क्यों बढ़ रहे हैं। एक मनोवृत्ति यह पैदा की जा रही है कि मूल्य वृद्धि भयंकर सूखे की स्थिति के कारण हो रही है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूखे के कारण कृषि उत्पाद में गिरावट आ गई है और निस्संदेह इससे मूल्य वृद्धि होगी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सूखा ही मूल्य वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं है। मूल्य वृद्धि में वास्तविक सहायक कारण सरकार की दोषपूर्ण नीतियां, कराधान नीति, मूल्य नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना और दोषपूर्ण आयात और निर्यात नीति हैं। ये सभी तथ्य मूल्य वृद्धि में पूर्णतया सहायक हैं।

महोदय, मेरे पूर्ववक्ता ने घाटे के बजट को मूल्य वृद्धि के एक कारण के रूप में माना है। उनके इस तर्क का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करते हुए यह आश्वासन देती है कि इससे न तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी और न मूल्यों में वृद्धि होगी तथा न ही जनता को कोई कठिनाई होगी। लेकिन प्रतिवर्ष उनके आश्वासन झूठे ही साबित होते है। यदि हम वर्ष 1987-88 के बजट के प्रस्तुत किए जाने से पहले के मूल्यों की तुलना बजट के बाद के मूल्यों से करें तो हम देखेंगे की मूल्यों में वृद्धि हुई है। अब घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें और अधिक करेंसी नोट छापने पड़ते हैं या हम और अधिक कर लगाते हैं अथवा हमें और अधिक विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ेगी ही तथा मूल्य वृद्धि का दूसरा नाम मुद्रास्फीति है। अतः यदि केन्द्रीय सरकार इस समस्या के प्रति सचेत नहीं होती तो किन्हीं भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ओवर ड्राफ्ट न करने के प्रति आगाह किया है। लेकिन जब केन्द्र को घाटे की व्यवस्था करनी होती है तो वे हजारों करोड़ रुपए के करेंसी नोट छापने लगते हैं जिससे निश्चित रूप से मूल्यों में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप समूचे देश के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में राज्य सरकारों को अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा अपनाने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार को ऋण लेकर, कराधान द्वारा तथा करेंसी नोट छापकर अपने बजट के घाटे को पूरा करने की और इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि के भार को जनता पर लादने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।

तथापि मूल्य वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार ने स्वयं ही पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक आदेश से अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में कई बार वृद्धि कर दी है। वर्ष 1981-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूल्य वृद्धि छः बार हुई। एक अक्तूबर, 1981 को साधारण किस्म के चावल का मूल्य 1.75 रुपया प्रति किलोग्राम था। 1 अक्तूबर, 1986 को यह मूल्य बढ़कर 2.39 रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान (1981-86) गेहूं के मूल्य में 8 बार वृद्धि हुई। 1 अप्रैल 1981 को गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य 145 रुपये था। 1 मई, 1987 को गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य बढ़कर 195 रुपए हो गया। वर्ष 1980-86 के दौरान चीनी के मूल्य में सात बार वृद्धि हुई। 3 मार्च, 1980 को चीनी का मूल्य 2.85 रुपया प्रति किलोग्राम था। 15 दिसम्बर, 1986 के चीनी का मूल्य बढ़कर 4.85 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। वर्ष 1981-86 के दौरान मिट्टी के तेल के मूल्य में 10 बार वृद्धि हुई। 13 जून, 1981 की प्रति लीटर मिट्टी के तेल का मूल्य 1.60 रुपया था जबकि 6 फरवरी, 1986 को यह बढ़कर 2.27 रुपए प्रति लीटर हो गया। इससे भी अधिक रेल भाड़े की दरों में वृद्धि होती जा रही है और इसके साथ-साथ सरकार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करती जा रही है। वर्ष 1981-86 के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 9 बार वृद्धि हुई। जिसके

[श्री जायनल अबेदिन]

परिणामस्वरूप वर्ष 1981 में पेट्रोल का मूल्य 5.54 रुपए प्रति लीटर था और वर्ष 1986 में इसे बढ़ाकर 7.60 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया।

इस प्रकार परिवहन लागत को बढ़ाकर सरकार स्वयं ही अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर रही है। इसके साथ-साथ विदेशी ऋण का भार है जो देश को प्रति वर्ष वहन करना पड़ रहा है। हम विदेशी ऋणों पर प्रतिवर्ष दस हजार करोड़ रुपए ब्याज के रूप में अदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस व्यय की पूर्ति अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से नहीं हो पा रही है इसलिए प्रति वर्ष अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की जा रही है।

इस प्रकार इन सभी बातों के बाद भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा प्राकृतिक आपदाएं हैं और मूल्यों में वृद्धि का एक कारण हो सकती है लेकिन यदि सरकार मूल्यों में वृद्धि के कारण जनता की दयनीय हालत पर विचार करती तो वह मूल्यों को नियन्त्रित करने की जिम्मेदारी समझती लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इससे कोई खास चिन्तित नहीं है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक अनुत्पादक योजनेतर खर्चे ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। केन्द्र राज्यों को निर्देश जारी करता है कि योजनेतर व्यय कम से कम किया जाना चाहिए लेकिन जब योजनेतर व्यय उन्हें करना होता है तो वे राज्यों को दिए गए सुझाव का स्वयं पालन नहीं करते। वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्र का योजनेतर व्यय 95000 करोड़ रुपए था दूसरे शब्दों में यह व्यय सकल घरेलू उत्पादन का 35 प्रतिशत था जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-उत्पादक व्यय के रूप में वहन किया गया। केन्द्रीय सरकार को यह शोभा नहीं देता कि वह राज्यों को व्यय में किफायत करने के उपदेश दे जब कि वे स्वयं इस प्रकार का भारी खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा मूल्यों में वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हैं जिनमें से मुख्य जमाखोरी मुनाफाखोरी तथा काले धन की समान्तर अर्थव्यवस्था है। लेकिन पिछले चालीस वर्षों के अपने अनुभव से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस दिशा में उनका कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे पास इस दिशा में सरकार द्वारा सतत प्रयास करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

महोदय, मैं इस विषय के अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह रुपए के अवमूल्यन से सम्बन्धित है। राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने कहा कि वर्ष 1947 के एक रुपये का मूल्य गिरकर वर्ष 1987 में 9.78 पैसा अर्थात 10 पैसे से कम हो गया है। दूसरे शब्दों में वर्ष 1947 में जो चीज हम 10 पैसे में खरीद सकते थे वही आज हम एक रुपए में खरीद रहे हैं। इस प्रकार स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद रुपए का 90 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया है।

मैं नहीं जानता कि माननीय मन्त्री जी यह सूचना देते समय खुशी से गर्वान्वित महसूस कर रहे थे अथवा शर्मिन्दा हो रहे थे, लेकिन निसन्देह समूचे राष्ट्र के लिए यह बड़े शर्म की बात है। यह स्वीकार करते हुए कि रुपए का मूल्य गिर गया है, माननीय मन्त्री जी ने इस गिरावट के प्रतिशत को दर्शाते हुए निम्नांकित आंकड़े दिए :—

1984-85	4.8 प्रतिशत
1985-86	8.15 प्रतिशत
1986-87	6.96 प्रतिशत

इस प्रकार 40 वर्षों के दौरान रुपये के मूल्य में 90 प्रतिशत गिरावट आई है। यह बात और भी अधिक ध्यान देने लायक है कि पिछले 3 वर्षों में जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है रुपये के मूल्य में लगभग 20 प्रतिशत गिरावट आई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार अपनी सफलताओं में इसे भी एक सफलता के रूप में ले सकती है।

विदेशी बाजार में भी रुपए के मूल्य में तेजी से गिरावट आ रही है। वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानकर अक्तूबर, 1987 में रुपए का मूल्य 57 पैसे था और नवम्बर 1987 में यह गिरकर 56 पैसे हो गया। इस समय सभा में यह सब कहते समय मैं नहीं जानता कि विदेशी बाजार में हमारे रु० के मूल्य में एक पैसा और गिरावट आ गई हो। उदाहरणार्थ 16 वर्ष पहले विदेशी बाजार में माल की 'एक्स' मात्रा बेचकर हम एक रुपया प्राप्त करते थे लेकिन, आज हमें उसके लिए केवल 56 पैसे मिल रहे हैं। इससे केवल इसी बात की पुष्टि होती है कि विदेशी बाजार में हमारे माल के मूल्य में गिरावट आई है और इससे हमारा व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो गया है। विदेशी बाजार में हमारी वस्तुएं सस्ते भाव पर बिक रही हैं जबकि स्वदेशी बाजार में इनके मूल्य बेरोक टोक बढ़ते जा रहे हैं।

अब हमें यह देखना है कि इस बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकने तथा मुद्रास्फीति के फलस्वरूप लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है। (व्यवधान)। अन्य राज्यों के बजाय पश्चिम बंगाल में मूल्य कम हैं। महोदय, सरकार ने देश में मूल्य वृद्धि की जांच करने तथा इस पर निगरानी रखने के लिए एक मन्त्री मण्डलीय उप समिति की स्थापना की है और सरकार ने मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए एक 5-सूची कार्यक्रम भी शुरू किया है। मुझे आशंका है कि ये उपाय अपने आप में केवल दिखावा मात्र ही होंगे तथा इनसे वास्तविक उद्देश्य की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। पांच सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का जमाखोरी करने वालों, मुनाफाखोरी करने वालों, उद्योगपतियों आदि से यह अपील करने का विचार है कि वे मूल्य वृद्धि को रोकने में उन्हें अपना सहयोग दें मेरे लिए तो यह एक नरभक्षी से अपने शिकार के स्वाद को भूल जाने के लिए कहने जैसी हास्यास्पद उक्ति है। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से एक बार पुनः अपील करता हूं कि वह हमारे उस सुझाव को स्वीकार करे जो हम बार-बार दे रहे हैं कि अनिवार्य वस्तुओं के फुटकर व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाए और सरकार इन वस्तुओं का बितरण समूचे देश में उचित दर की दुकानों से निर्धारित मूल्य पर करे तथा यह सुविधा देश के दूर-दराज के भागों में गरीबों तक पहुंचाए। केवल एक यही उपाय है कि जिससे हम मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण कर पाएंगे और जनता की परेशानी को दूर कर पाएंगे। इसके साथ-साथ गैर-उत्पादक योजनेतर व्यय को न्यूनतम करने के लिए दृढ़ कदम उठाये जाने चाहिए। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं बड़े गौर से विपक्ष के सदस्यों की बात सुन रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और आंकड़ों के जाल में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। हमारा कोई सदस्य कहे कि महंगाई इतनी बढ़ी है, हम कहें कि महंगाई केवल इतनी बढ़ी है। वे कहें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है। हम कहें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा नहीं है। सब बढ़ा है। होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों बढ़े हैं। इन बातों में जाने से फायदा क्या है। हम सभी जानते हैं कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है और बढ़ रही है। इस बात को हमें महसूस करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक मध्यम वर्ग का आदमी, एक गरीब आदमी इसके बोझ से दबा जा रहा है। महंगाई जब बढ़ती है, तो इसके कई

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कारण होते हैं। मैं तो समझता था कि आज वित्त मन्त्री महोदय कृषि मन्त्री महोदय भी यहां रहते और मिलजुल कर बातें होतीं, कोई रास्ता ऐसा होता कि इस महंगाई को रोकने के लिए हम क्या कुछ करें।

एक बहुत सीधा सा अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जब मांग बहुत ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, तो महंगाई बढ़ेगी, इसको कोई नहीं काट सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अपने यहां अभूतपूर्व सूखा पड़ा, बाढ़ आई, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो गया, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन केवल भारत में ही नहीं गिरा है बल्कि एशिया के सभी देशों में गिरा है। यह जो ड्राउट और फ्लड आया है, उससे केवल भारतवर्ष ही प्रभावित नहीं हुआ है, अपितु एशिया के सभी देश प्रभावित हुए हैं। बंगलादेश में लोग अभी से एक-एक दाने के लिए मोहताज हैं। ढाका और दूसरी जगह अभी जो रायट्स हो रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता, बंगलादेश में एक-दो महीने पहले जबर्दस्त रायट्स हुए हैं, फूड के लिए रायट्स हुए हैं। लोगों ने राशन देने वाले अधिकारियों को किडनैप कर लिया, उनका घेराव कर लिया। बंगलादेश में हालात बहुत ही बुरे हैं।

चाइना में भी फूडग्रेन्स का शार्टेज हो गया है। मैं वहां से होकर आया हूं। इन्डोनेशिया में भी बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। जितना बड़ा ड्राउट है, पिछले 200 साल में इतना बड़ा ड्राउट नहीं हुआ था। जितना बड़ा फ्लड आया है, उतना बड़ा फ्लड नहीं आया था। मेरे कहने का अर्थ है कि एशिया के पूरे रीजन में कहीं ड्राउट है, कहीं फ्लड है और यह सारा रीजन प्राइस राइज से तबाह है। हम इस बात को सोचें कि यदि इसी तरह का ड्राउट और फ्लड अगले वर्ष भी हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे?

मैंने जैसा कहा कि प्रोडक्शन में कमी से महंगाई बढ़ती है, फिर डिस्ट्रब्यूशन में गड़बड़ी से भी महंगाई बढ़ती है। हमने राज्य सरकारों के हाथ में फेअर-प्राइस शाप्स दिए हुए हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है खासकर निचले लैवल पर बी० डी० ओ० और सी० ओ० के लैवल पर उसकी तरफ देखना चाहिए। क्या गरीबों, बाढ़-पीड़ितों और सूखा-पीड़ितों को अनाज मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए और क्या उचित दाम पर मिल रहा है? शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शहर में चीजें मिल जाती है, लेकिन गांव-दूर-देहात में जाइए और देखिए कि छोटे-छोटे गांव में, कस्बी में अफसरों की बदसलूकी के कारण फेअर-प्राइस शाप्स का क्या हाल है? अगर लोगों को अनाज सही दामों में नहीं मिल पाएगा तो महंगाई होगी ही। यह टैंडेंसी केवल शहरों में ही नहीं हो रही है, देहातों में भी हो रही है। एक और बड़ी खतरनाक टैंडेंसी हो रही है, एफ० ए० ओ० ने फोरकास्ट किया है कि अगले 2, 3 साल तक शायद ड्राउट पड़े और वैस्टर्न प्रेस इसको काफी जोर देकर छाप रहा है। नतीजा यह है कि सारे अन-डैवलप्ड कन्ट्रीज में तेजी से प्राइवेट हौर्डर्स कर होर्डिंग कर रहे हैं और यदि इस बड़े पैमाने पर होर्डिंग होने लगेगी तो चीजों के दाम आसमान पर चले जाएंगे।

फिर एक अजीब सी प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं है, सारे थर्डवर्ल्ड में हो गई है। स्टैगनेशन हो गया है। स्टैगनेशन का अर्थ है कि एक तरफ से इकनामी स्टैगनेट हो गई है और दूसरी तरफ से महंगाई आ गई है होता यह है कि जब मंहगाई आती है तो इन्फ्लेशन आता है और तेजी से रोजगार

बढ़ता है, लोग खुशहाल होते हैं, लेकिन यह अजीबसी स्थिति आ गई है, स्टैगनेशन हो गया है और सारे थर्ड वर्ल्ड में आया है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम इस मंहगाई को केवल एक क्षेत्र से नहीं संभाल सकते हैं। एक तो एसेन्शियल कमोडिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, इसे हम देखें। प्रोडेक्शन ठीक हो। हम खरीफ की क्रौप को खो चुके हैं लेकिन रबी की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरी तरफ फिजिक्ल इकानमिकी मेजर अपनाने होंगे जिससे कि कीमतें बढ़ने न पायें। सरकार ने फिजिकल मानिटरिंग मेजर अपनायें और कुछ डायरेक्ट टैक्स बड़े तबके के लोगों पर लगायें। इससे बढ़ कर अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। परन्तु आप देखेंगे कि अभी ब्लैकमनी हमारे समाज की जड़ों को कुरेद रही है। इस देश में ऐसी भी कई जगह हैं जहां पर लोगों को यह पता नहीं है कि वह कल क्या खायेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में इतनी ब्लैकमनी है कि लोग हर दूसरे दिन गाड़ी बदलते हैं और नया मकान खरीदते हैं। मैं एक और सही बात यह बताना चाहता हूं कि पौश कालोनियों में जब भी इनकम टैक्स रेड होता है तो दो दिन पहले ही उनको पता चल जाता है कि इनकम टैक्स रेड होगा। इससे सारा एक्सरसाइज बेकार चला जाता है। हमारे समाज में जो असमानता है, हमें उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब पीस रहे हैं। हमें फिजिकल मॉनिटरिंग मेजर अपनाने होंगे। जो ब्लैकमनी पैदा करते हैं उन पर और टैक्स लगा कर और छापे मार कर इसे कम करना चाहिए। इसके बाद यह पैसा वैलफेयर के कामों में लगाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीब लोग पीसे नहीं।

आंकड़ों के कन्फ्यूजन में जाने से कोई बात नहीं बनती है। यह इनफ्लेशन और मंहगाई वर्ल्ड-वाइड फिनौमिना है। यह हमें रोकना होगा। इसको कम करने में हम सब को अपना सहयोग देना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति या सरकार के सहयोग से कम नहीं हो सकेगा। जब तक कंज्यूमर रिजिस्टेन्स नहीं होगा तब तक मंहगाई कम नहीं होगी। कोई भी सामान यदि पांच रुपये में मिलता है तो उस सामान को तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि वह एक रुपये में न हो जाये। इसमें हमारी ग्रहणियां अपना पूरा सहयोग दे सकती हैं। अगर हम वह सामान दो महीने तक नहीं खरीदेंगे तो वह अपने आप एक रुपये में बिकना शुरू हो जायेगा। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां कंज्यूमर मूवमेंट उतना हो नहीं पाया है जितना कि होना चाहिए। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि हमें फिजिकल मॉनिटरिंग पालिसी अपनानी होगी, फेयर प्राइस शाप्स की संख्या बढ़ानी होगी और कंज्यूमर मूवमेंट व कंज्यूमर रिजिस्टेन्स बढ़ाना होगा। ऐसा होने के बाद ही प्राइस कम हो सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मूल्य वृद्धि ने एक विकट और असहनीय स्थिति पैदा कर दी है। हमने पिछले सत्र के दौरान भी अनिवार्य वस्तुओं की चर्चा करते समय मूल्य वृद्धि की चर्चा की थी। अब यह स्थिति गत सत्र के दौरान चर्चा की गई स्थिति से भी बदतर हो गई है। हमने सोचा था कि सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी तथा कम से कम कुछ सीमा तक मूल्यों को नियन्त्रित कर लेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश, यह उनके नियन्त्रण से बाहर की बात हो गई है। वे इसे नियन्त्रित नहीं कर पा रहे हैं। अभी मेरे मित्र ने कहा कि खाद्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत जी को इस्तीफा देना चाहिए। वे अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस अव्यस्था के लिए सारी सरकार जिम्मेदार है। ये सरकार की आर्थिक नीतियां हैं न कि बेचारे श्री भगत जो मुद्रा स्फीति और मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। वे निसन्देह एक ईमानदार और कार्यकुशल मंत्री हैं। यह वित्त मंत्री तथा प्रधान

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

मंत्री द्वारा निर्धारित की गई नीति है जो मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इस सभा में जब भी मूल्य वृद्धि के बारे में सवाल उठता है—हाल ही में भी एक सवाल उठाया गया था—सरकार का यह उत्तर होता है कि थोक मूल्य सूचकांक थोड़ा सा बढ़ा है अथवा स्थिर हो गया है। थोक मूल्य सूचकांक से किसका संबंध है? इसका फुटकर मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। हमारी चिन्ता तो आज जनता तथा दलित वर्ग पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव के बारे में है।

इस मुद्रा स्फीति का कारण सरकार द्वारा घाटे का बजट अपनाना है। पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमरीका में क्या हुआ है? रीगन प्रशासन की नीतियों के कारण डॉलर का भारी अवमूल्यन हुआ है। उन्होंने घाटे के बजट का सहारा लिया और रक्षा पर कई बिलियन डॉलर खर्च किये जा रहे हैं। इसका वास्तविक परिणाम क्या निकला? डालर में भारी गिरावट आई है। बिल्कुल लगभग उसी तरह की स्थिति का सामना हम अपने देश में कर रहे हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : वहां निर्बाध अर्थव्यवस्था के कारण यह उपाय असफल हो गया है···(**व्यवधान**)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : इस वर्ष घाटे के बजट की 6000 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जबकि गत वर्ष यह 9000 करोड़ रुपये था। यद्यपि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते कि वर्ष के अन्त तक घाटे के बजट की राशि क्या होगी।

इसके अतिरिक्त सरकार के खर्च पर कोई नियन्त्रण नहीं है। सरकार ने वर्ष 1985-86 की तुलना में, जिसमें उसने योजनेतर मदों पर 83,498 करोड़ रुपया अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का 34.5 प्रतिशत खर्च किया था, वर्ष 1986-87 में इन मदों पर 95000 करोड़ रुपया खर्च किया जो सकल घरेलू उत्पाद का 35 प्रतिशत है। यह उन कारणों में से एक कारण है जिससे मुद्रा स्फीति में भारी वृद्धि हुई है और सरकार इसे रोकने में असफल रही है।

मूल्य वृद्धि के लिए किये गये कारणों में से एक कारण सूखा है लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। हां, कुछ सीमा तक यह सही है। मूल्य वृद्धि का कारण सरकार की अनेक गलत नीतियां हैं।

मूल्य वृद्धि का दूसरा मुख्य और महत्वपूर्ण कारण अनिवार्य वस्तुओं के घोषित मूल्यों में वृद्धि होना है। पिछले वर्ष क्या हुआ? सरकार ने पेट्रोल, चावल, गेहूं और इस्पात आदि जैसी सभी महत्वपूर्ण अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर दी।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : इस्पात के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई। इनमें केवल 1985 में ही वृद्धि की गई थी और अब हम इसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं सरकार को सलाह देता हूं कि सरकार के समक्ष चाहे जो भी कठिनाइयां आएं, वह आवश्यक वस्तुओं के सरकारी मूल्यों में वृद्धि न करे अन्यथा स्थिति खराब और असहनीय हो जाएगी तथा देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और गृह युद्ध की संभावना हो जाएगी।

सरकार कहती है कि उसके पास 23-24 मिलियन टन खाद्यान्नों का रक्षित भंडार है। सुबह समाचार पत्र में यह पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि हम चावल का अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। हमें

सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है। खाद्यान्नों के प्रचुर भंडार का क्या हुआ ? क्या कृषि उत्पादन में इस सीमा तक गिरावट आ गई है ? हमें पता है कि सूखे के कारण हमारे उत्पादन में गिरावट आई है। हमें यह भी पता है कि यदि कृषि उत्पादन में दस प्रतिशत की हानि होती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 9000 करोड़ रुपये का घाटा हो जाएगा। केवल एक दिन पहले, मंत्री महोदय ने दूसरी सभा को खाद्यान्नों के प्रचुर भंडार के बारे में बताया था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनके प्रचुर भंडार का क्या हुआ ? क्या इसे चूहे खा गए ? क्या यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वितरित कर

5.00 म० प०

दिया गया है ? कृपया सभा को विश्वास में लीजिए और हमें सही स्थिति की जानकारी दीजिए। अन्य महत्वपूर्ण बात ऋण लिया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति बढ़ी है। सरकार ने कभी भी ऋण की राशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है कि उस पर ऋण है। हमें पूरे विश्व का कितना ऋण चुकाना है ? किन्तु मुझे संसद लाइब्रेरी से जो रिपोर्टें मिली हैं उनमें से एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1982 और 1986 के बीच आपने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऋण लिया है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी धनराशि का ऋण लिया गया है ? इसके अतिरिक्त आप के ऊपर आन्तरिक (देश का) ऋण भी है। इस सबका क्या परिणाम निकला है ? आपको ब्याज का भुगतान करना है। क्या आपने कभी यह हिसाब लगाया है कि आप इन सभी ऋणों पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे हैं ? इन सभी बातों से देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है।

अभी मैंने खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है जिसके बारे में, वस्तुतः आप डींग मार रहे हैं कि हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी की क्रय क्षमता क्या हो गई है ? वित्त मंत्री महोदय के स्वयं के वक्तव्य के अनुसार रुपए का मूल्य इस सीमा तक गिर गया है कि इसका मूल्य सिर्फ 12 पैसे या उसके लगभग रह गया है। अतः, जब रिजर्व बैंक का गवर्नर कहता है : "मैं 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं", तो उसका वास्तविक मूल्य केवल 1.25 रुपए के बराबर है।

श्री एम० एल० फोतेदार : आपको यह 10 रुपए का नोट कहां से मिला है ?

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : यह मेरे कठोर परिश्रम की कमाई का पैसा है। यह काला धन नहीं है।

डा० वत्सा सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : एक रुपए का मूल्य सिर्फ 12.5 पैसे है। यह स्वयं आपका आंकड़ा है।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : ये आपके द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। मैं और कहीं से आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकता या तो ये आपको देने चाहिए अथवा मैं उन्हें लाइब्रेरी से प्राप्त करता हूं। अतः, स्थिति यह है। रुपए का मूल्य यह है।

अब, उन लोगों की स्थिति क्या है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ? यहां तक कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में दो बार भी भोजन देना सुनिश्चित किया जाए, तो खाद्यान्नों का यह भंडार बिल्कुल भी फालतू नहीं होगा। आपके पास कोई प्रचुर भंडार नहीं रहेगा। 40 से 50 प्रतिशत लोगों को दिन में एक बार भी भोजन नसीब नहीं हो पाता। यह वक्तव्य भी आपका ही है।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

अतः, मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं ? अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के मेरे एक मित्र ने कुछ ब्यौरा दिया था। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मेरे पास तथ्य और आंकड़े हैं जिन्हें मैं दिखा सकता हूं। जब मैं संसद सदस्य के रूप में दिल्ली आया था उस समय क्या मूल्य दरें थीं और अब क्या है ? विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में 100 से लेकर 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। मैं अपनी पत्नी के साथ करोल बाग और गोल मार्केट के सब्जी बाजार में जाता हूं। आप एक टोकरी में सौ रुपए की सब्जी खरीद कर रख सकते हैं जिसे यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी बिना किसी कठिनाई के ले जा सकता है। अतः आप रुपए का मूल्य समझ सकते हैं। एक जिम्मेदार सदस्य के नाते मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे। हमें इस संबंध में मिलकर विचार करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अतः, आपको हमें विश्वास में लेना ही चाहिए और आपको समूची वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए।

आपको देखना चाहिए कि सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अर्थात उचित दर की दुकानों के माध्यम से की जाए। लेकिन, दुर्भाग्यवश आप हमें क्या दे रहे हैं ? कर्नाटक में आप केवल 4 वस्तुएं, अर्थात चावल, गेहूं, चीनी और तेल दे रहे हैं और ये भी नियमित रूप से नहीं दी जा रही हैं तथा कई बार वे घटिया किस्म की होती हैं। इसलिए, मेरा विनम्र सुझाव है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति तो नियंत्रित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

आप रियायती मूल्य के चावल तथा अन्य वस्तुएं धनी व्यक्तियों को क्यों देते हैं ? बहुत से धनी व्यक्ति राशन की दुकानों से इन वस्तुओं को लेने की परवाह नहीं करते। राशन की दुकान के मालिक सिर्फ फार्मों में यह भर देते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति ने वस्तुएं खरीदी हैं और वे उन वस्तुओं को काला बाजार में बेच देते हैं। अतः, आपको इन सभी कारगुजारियों पर रोक लगानी होगी। कृपया आप देखें कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को रियायती मूल्य के चावल तथा रियायती मूल्य पर अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं जैसा कि आप आदिवासी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। कतिपय राज्य जैसे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यह कार्य कर रहे हैं। हम 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल देते हैं। यह योजना प्रत्येक राज्य में लागू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो कदम उठाने जा रही है उसके बारे में ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी कि वह मूल्य वृद्धि आदि पर किस प्रकार नियंत्रण करने जा रही है। मुझे मंत्री सहोदय से इस संबंध में एक अनुकूल, बहुत सकारात्मक और संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की आशा है। अन्यथा यही स्थिति जारी रहेगी। हम यहां आते हैं, मूल्य वृद्धि के बारे में चिल्लाते हैं तथा घर चले जाते हैं और जनता की परेशानी बरकरार रहती है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, आज देश में जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वह सबसे बड़ी समस्या है। इस से हम लोग भी परेशान हैं। लास्ट सैसन में इस सदन में प्राइस राइज पर जो डिस्कशन हुआ था और उस समय जो सवाल किए गए थे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने स्टैप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने बाढ़ और सूखे के लिए 4 लाख टन फूडग्रेन्स रिलीज किए हैं और गवर्नमेंट

ने बजटरी कट भी किया है । सूखे की समस्या से निपटने के लिए गवर्नमैंट ने 3 हजार नई डिस्ट्रीब्यूशन शोप्स भी खोली हैं, फेयर-प्राइस शोप्स भी खोली हैं और 219 मोबाइल वैन भी स्टार्ट किए हैं पब्लिक कोएसेंशियल कोमोडिटीज देने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है :

[अनुवाद]

"इस देश में किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा"

[हिन्दी]

या बात सच है कि इस देश के लिए काफी कुछ किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

अगस्त 1987 में भिन्न-भिन्न राज्यों में 32,681 छापे मारे गए हैं; 1487 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; 1554 मामलों में मुकदमे दायर किए गए हैं; और 15.75 करोड़ रुपए मूल्य का सामान पकड़ा गया है ।

[हिन्दी]

गवर्नमेंट ने यह भी किया है लेकिन हमें यह बोलना है कि कितने ब्लैक मार्केटियर्स और कितने हारडर्स ऐरेस्ट हुए हैं, उनके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आल इन्डिया फीगर्स दिए हैं लेकिन स्टेटवाइज ब्रेक-अप नहीं दिया है । अगर स्टेट-वाइज ब्रेक-अप दिए होते, तो हमें सुविधा होती और हम यह जान पाते कि किस स्टेट में कितने ब्लैक-मार्केटियर्स और होर्डर्स एरेस्ट हुए हैं । प्राइस राइस को कम करने की सेन्ट्रल गवर्नमेंट की रेस्पोंसीविलिटी है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी प्राइस राइज कम करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टैट्स के हाथ में है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट तो मानिटरिंग करती है । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्टैट्स में क्या हो रहा है, यह देखने की बात है । हम लोग तो भाषण करके चले जाते हैं, लेकिन जिन को राशन नहीं मिलता, जिनको खाना नहीं मिलता, उनके बारे में भी हमें सोचना है । दो महीने पहले मस्टर्ड आयल का भाव क्या था और आज क्या है । 1984-85 में इन्फ्लेशन रेट 11 पर सेन्ट था और 1985-86 में इन्फ्लेशन रेट 6 पर सेन्ट हो गया था लेकिन इस साल फिर बढ़ा है । वेजीटेबिल्स का भाव 1979-80 में 14 66 पर सेन्ट बढ़ा । और वह 1985-86 में 18.50 पर सेन्ट और 1986-87 में 22.2 पर सेन्ट बढ़ा ।...(व्यवधान) मार्क्सवादी लोग बोल नहीं सकते कि हमने यह नहीं किया और वह नहीं किया ।

5.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जो सच्चाई है, वह मैं बताना चाहती हूं । हमारी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है लेकिन यह कहना चाहूंगी कि इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । पब्लिक की प्राब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस पर हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा । यह पार्टी का सवाल नहीं है । आयलसीड्स प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं । 31.77 पर सेन्ट लास्ट इयर था लेकिन इस साल 32.85 पर सेन्ट बढ़ गई । मस्टर्ड आयल 48.92 पर सेन्ट बढ़ गया । इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं । अभी राजहंस जी ने और कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बाढ़ और सूखे की वजह से उत्पादन कम हुआ है और यह भी कीमतों के बढ़ने का एक कारण रहा है, यह ठीक है । श्रीमती गांधी के समय

[कुमारी ममता बनर्जी]

में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और हमारे पास एक बहुत बड़ा फूड ग्रेन का स्टाक था, आज अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि यह स्टाक कम हो रहा है। इसके बारे में भी मैं सरकार से जानना चाहती हूं, क्योंकि अगर हमारे पास फूड ग्रेंस का स्टाक कम हो जाएगा तो इससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सरकार स्थिति स्पष्ट करे। यह ठीक है कि नेचुरल केलेपिटीज के समय सरकार अभावग्रस्त लोगों को अनाज देती है, उसके लिए व्यवस्था करती है, यह उचित भी है। जैसे परिवार में अगर छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए घर में रुपए की व्यवस्था न होने पर भी कैसे भी उसकी व्यवस्था करनी होती है। इसी तरह से आज केन्द्र सरकार कर रही है।

सरकार को यह देखना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टेट में तो मस्टर्ड आयल 25 रुपए किलो मिले और किसी स्टेट में 100 रुपए किलो मिले। (व्यवधान) बिहार में 25 रुपए किलो के भाव से मस्टर्ड आईल उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहां सौ रुपए प्रति किलो में भी यह उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रेपसीड आईल के रिलीज न होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वास्तव में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेपसीड आईल रिलीज नहीं किया गया है या रिलीज होने के बाद राज्य सरकार उसका उचित ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है? अभी हमारे माननीय सदस्य श्री जायनल अबेदीन बोल रहे थे, मैं समझती थी कि वे बंगाल के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज मस्टर्ड आईल का सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल हो गया है, इसलिए सरकार इसके बारे में अवश्य स्थिति स्पष्ट करे। आज हमारे यहां बंगाल में लाइफ को लाइन से जोड़ दिया गया है। वहां का आदमी सुबह उठते ही मदर डेरी की लाइन में लग जाता है, दोपहर को मस्टर्ड आईल की लाइन में लग जाता है और शाम को केरोसिन आईल की लाइन में लग जाता है। जो लोग अनएंप्लायड हैं वे तो हैं ही, जो एंप्लायड हैं वे भी अपना काम धन्धा छोड़कर और इन लाइनों में लगे हुए हैं। इस तरह से हमारी लाइफ को लाइन से जोड़ दिया गया है। इसलिए अगर यहां से रेपसीड आयल रिलीज नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए और अगर रिलीज किया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी राज्य सरकार को कहिए। सारे देश में बाढ़ और सूखे की वजह से प्राब्लम है लेकिन हमारे स्टेट में कुछ ज्यादा ही प्राब्लम है इसलिए मैं इतना बोल रही हूं। वहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर की दो ग्रांड डाटर हैं कोयल और दोयल, उसके साथ साथ अब लोग कोयल दोयल और रेपसीड आइल कहने लगे हैं, समस्या इतनी गम्भीर है। यह कोई पोलीटिकल बात नहीं है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। (व्यवधान) आज रेपसीड आयल की कीमतों की जो स्थिति है, हर स्टेट में अलग-अलग कीमत चल रही है, इसके बारे में भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर प्राइस-राइस हो भी तो हर स्टेट में समान रूप से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर 25 रुपए, कहीं पर 30 रुपए और कहीं पर 100 रुपए इसकी कीमत हो। सबके ऊपर समान रूप से बोझ पड़ना चाहिए। इसमें यूनिफार्मिटी आनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूनिफार्मिटी आनी चाहिए। इसके अभाव में जनता को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। मैं इस बारे में यह भी कहना चाहती हूं कि फेयर प्राइस शाप्स पर बहुत सी चीजें देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जब कोई वहां पर जाता है तो चीनी होती है तो चावल नहीं होता, चावल होता है तो तेल नहीं होता, इसको भी चैक करना चाहिए। जो चीज गवर्नमेंट फेयर प्राइस शाप्स के लिए देती है, उसको सुपरवाइज करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वह चीजें लोगों को मिलती है

या नहीं। सरकार जो प्राइस लिस्ट बनाती है, वह हरेक दुकान में होनी चाहिए तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि मस्टर्ड आयल, रेपसीड आयल और बेबी फूड आदि का भाव क्या है। बिजनैस मैन तो वैस्टेड इन्टरेस्ट के लिए काम करेगा। अगर देश में यूनिफार्म सिस्टम नहीं होगा तो ऐसे ही होता रहेगा।... (व्यवधान) सरकार को फिस्कल पालिसी की ओर भी ध्यान देना चाहिए और प्रोक्युरमेंट भी होना चाहिए। जिन चीजों का उत्पादन देश में बाढ़ और सूखे के कारण नहीं हो सकता, उन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। स्टाक आफ फूड ग्रेन और लाग टर्म प्लानिंग भी होना जरूरी है। बाढ़ और सुरक्षा हमारे देश में चलता रहता है इसलिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। फ्लड और ड्रॉट कन्ट्रोल बोर्ड होना चाहिए नहीं तो हर वर्ष ऐसे ही बाढ़ और सूखे से हम लोगों को परेशानी होती रहेगी। सरकार ने जो कंज्युमर प्रोटेक्शन लॉ पास किया है, उसको भी देखना चाहिए। सरकार ने हर स्टेट में नेशनल कमीशन बनाने के लिए वायदा किया था वह नहीं बना है। कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट को इम्पलीमेंट करने की ओर ध्यान देना चाहिए। कंज्युमर मूवमेंट को अच्छा नहीं बनाया जाएगा तो पब्लिक को पब्लिक को यह मालूम पड़ेगा कि एसोशियल कमोडिटीज एक्ट, कंज्युमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है। इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एडीबल आयल और शक्कर पब्लिक के लिए ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा, इससे पब्लिक को काफी राहत मिलेगी। मैं ज्यादा प्वाइंट नहीं बोलना चाहती। कोई पोलिटिकल सवाल नहीं है। प्राइस राइस की प्राब्लम हमारी अकेले की नहीं है बल्कि सभी की है। इसलिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को एक साथ बैठकर ऐसा वे-आउट निकालना पड़ेगा जिससे देश के दक्षिण भाग के लोगों की समस्याएं भी सुलझेंगी। इन दो शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मूल्य वृद्धि हम सबके लिए है, चाहे सदन के किसी भी तरफ बैठने वाले सदस्य हों, चिंता का विषय है। सरकार ने पिछले दिनों स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। अभी कृष्ण अय्यर साहब कह रहे थे कि आज के अखबार में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार चावल का आयात करने की सोच रही है। इस बात का अन्दाजा लगाकर कि देश में कहीं खाद्य सामग्री की कमी न हो और उसका फायदा उठाने वाले तत्व मूल्य वृद्धि करने की सोचते हों तो ऐसे समय में सरकार को चाहे चावल का हो या और किसी उपभोग की चीज का, उसका आयात करना चाहिए। मैं आयात के पक्ष में खुलेतौर पर नहीं हूं। जिस प्रकास की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बाध्य होने पर मूल्यों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए सरकार को आयात करने में परहेज नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों खाने के तेलों में जो वृद्धि हुई है, उसका एक बड़ा कारण यह था कि हमारी फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री ने यह घोषणा कर दी कि वह किसी भी परिस्थिति में खाने के तेल का आयात नहीं करेगी। इसका फायदा उठाकर वनस्पति और तेल के निर्माताओं ने कीमतें बढ़ा दी। बाद में जब मन्त्रालय को चेत आई तब कुछ कदम उठाए गए, मगर तब तक कीमतें इतनी बढ़ चुकी थीं कि कुछ घटने के बावजूद भी लोगों के ऊपर बड़ा भार खाद्य तेलों में कीमत की वृद्धि का पड़ा। मन्त्री जी को इस बात को देखना चाहिए किन-किन चीजों के स्टाक की हमें कितनी-कितनी आवश्यकता है और जितने स्टाक की आवश्यकता प्रति माह है उतनी ही प्रत्येक राज्य को देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि हम आवश्यकता से ज्यादा स्टाकिंग को रिलीज करेंगे तो इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष तौर से मूल्यों को बढ़ाने में रहेगा। यदि हम पूरे स्टाक को रिलीज करेंगे चाहे गेहूं हो, चावल हो चीनी का हो, कपड़े का हो उससे जो मुनाफाखोर लोग हैं वह फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा देंगे। एक बार जब कीमत बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई कीमत को फिर घटाना बहुत कठिन काम है। इस समय हालत यह है कि जितनी भी साधारण व्यक्ति के उपभोग की चीजें हैं उन सबमें बहुत ज्यादा

[श्री हरीश रावत]

मूल्य वृद्धि हुई है। कई-कई चीजों में तो 60 प्रतिशत से भी ज्यादा की मूल्य वृद्धि इस दौरान देखने में आई है। यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री जी को अपने मन्त्रालय द्वारा इस बात के लिए तत्परता से कदम उठाना चाहिए कि जो लोग स्थिति का फायदा उठाकर कीमतों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। कुछ कदम सरकार ने उठाये हैं, कुछ स्टाक की स्थिति को बढ़ाकर, कुछ ज्यादा माल रिलीज करके और कुछ जगह छापे भी पड़े। छापों की स्थिति यह है कि कुछ दिनों तक तो इनका प्रभाव रहता है, लेकिन ज्यों ही छापों का प्रभाव खत्म होता है तो वही मुनाफाखोर लोग फिर कीमतें बढ़ाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां छापे नहीं पड़ते हैं वहां मूल्य वृद्धि सतत प्रक्रिया के रूप में चल रही है।

मन्त्री जी को चाहिए कि वह इस बात को देखें। पिछले सत्र में यहां पर एक कानून पास हुआ था उसके अन्दर उपभोक्ता संरक्षण समिति बनाने और तरमीम करने की बात कही गई थी। लेकिन वह तरमीम और समितियों के जिस फायदे का अनुमान लगाया गया और जिस तरह से सदन के दोनों ओर बैठने वाले सदस्यों ने सहयोग किया था, समितियों से जिस काम की अपेक्षा कर रहे थे वह पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जो खामियां इसमें रह गई हैं मन्त्रालय के लोगों को देखना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य सरकारों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए जिससे समितियां अपना काम तत्परतापूर्वक कर सकें, इन परिस्थितियों में तो उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। मैं यहां पर सुझाव देना चाहूंगा जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया कि खाने के तेल को हमारे जो सस्ते गल्ले की दुकाने हैं उसके माध्यम से वितरित कराएं। उसी प्रकार का निर्णय आज और भी रोजमर्रा वस्तुओं के लिए लिया जाना चाहिए जिसमें सस्ता कपड़ा हो सकता है, साबुन है और भी आवश्यक वस्तुएं हैं इनको भी हमें उचित दर की दुकानों से वितरित कराना चाहिए। जब तक हम इसका निर्णय नहीं करेंगे तब तक साधारण आदमी, सीमित आय वाला वर्ग जो है उसका जीवन दूभर ही रहेगा। क्योंकि मूल्य वृद्धि का प्रभाव बड़े लोगों पर नहीं पड़ता, मगर जिस आदमी की आय सीमित है, चाहे वह संसद सदस्य हो या मन्त्रीगण हों उनके लिए बाजार में जाना और वहां से सामान लाना बड़ा कठिन काम हो गया है सब्जी के दाम, दूध के दाम, डबलरोटी के दाम पहले से ही इतने बढ़े हुए हैं और हर 15-20 दिन या महीने बाद और बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज आपको एक महीने बाद 40-50 पैसे पर किलो अधिक दाम पर मिलेगी। यह आम बात हो गयी है। यदि कोई व्यक्ति इसके विषय में कुछ कहने का प्रयत्न करता है तो दुकानदार उसकी ओर इस नजर से देखता है मानो उपहास कर रहा हो, मजाक करने जा रहा हो। हमें इस हालत पर काबू पाने के लिए सख्त कार्यवाही करनी होगी। यह ठीक है कि बड़े शहरों में, और दिल्ली में भी, नाफेड जैसी संस्थाएं मोबाइल वैनों के माध्यम से आम जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं परन्तु स्वयं दिल्ली के गरीब मुहल्लों सहित, देश के ग्रामीण इलाकों और छोटे स्थानों पर लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। उनके सामने महंगी वस्तुएं खरीदने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। पहले वहां सब्जी आदि हो जाया करती थी परन्तु सूखे के कारण अब वह भी नहीं हो पा रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से आम जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध करवाई जा सकें, नाफेड जैसी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्याज, लुहसन, आलू और दैनिक उपभोग की तमाम वस्तुएं उपलब्ध करवाने की चेष्टा करें।

इसके अतिरिक्त पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मैं यहां कई बार कह चुका हूं। सरकार ने पिछले दिनों एक ड्राइव चलाकर, एक आन्दोलन चलाकर, कुछ राज्यों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं। दुकानें तो खुलवा दीं लेकिन उनके द्वारा जो गेहूं, चावल या दूसरी चीजें लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उनका स्तर बहुत गिरा हुआ है। इस समय यह हालत है कि मैं पिछले दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया हुआ था, कई जगहों पर मेरे सामने इन दुकानों से मिलने वाले चावल और गेहूं के नमूने लोगों ने मेरे सामने लाकर दिखाये। उस अनाज का वास्तव में स्तर इतना गिरा हुआ था कि आम आदमी से उसको खाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पता नहीं चावल किस शताब्दी का सड़ा हुआ था और वही सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से लोगों को वितरित किया जा रहा था। इससे लोगों में एक कृत्रिम अभाव का वातावरण बनता है। हमारे जैसे देश में उस कृत्रिम अभाव का फायदा कुछ लोग तो उठाते ही हैं, वे अभाव का वातावरण बनाने में बढ़-चढ़ कर काम करते हैं, लेकिन आम आदमी भी यह समझता है कि कैसे मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा सामान वह अपने घर में एकत्रित कर ले। इस कृत्रिम अभाव की स्थिति की तरफ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि उपभोग का सामान उपलब्ध करवाने वाली जितनी हमारे यहां एजेन्सियां हैं, जैसे एफ. सी. आई., नाफेड, आदि, उनको भी कहने की जरूरत है कि वे नजर रखें और लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध कराएं। एक शिकायत यह भी है कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो उनको आबंटित किया गया कोटा नहीं उठातीं हैं। मैं यहां वैस्ट बंगाल सरकार या किसी विशेष सरकार की बात नहीं करता, परन्तु कुछ सरकारें अवश्य हैं जो अपना निर्धारित कोटा समय से नहीं उठाती हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दें कि वह अपने हिस्से का कोटा समय से उठाये ताकि उस राज्य में कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। गेहूं, चावल आदि सभी सामान राज्य सरकारों द्वारा समय से उठा लिया जाए, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। जब हम सब का सम्मिलित प्रयास इस दिशा में होगा तभी हम जाकर मूल्यवृद्धि को नियन्त्रित कर पायेंगे अन्यथा मूल्यों के कम करने की तो कल्पना करना भी निरर्थक है परन्तु नियन्त्रण अवश्य किया जा सकता है और उसमें सभी के सम्मिलित प्रयास, सहयोग की आवश्यकता है। तभी हम इस देश में आम वातावरण निर्मित करने में सफल होंगे। कोई भी व्यक्ति या पार्टी इससे राजनीतिक फायदा उठाने की चेष्टा न करे क्यों कि यह अवसर राजनीतिक फायदा उठाने का नहीं है बल्कि हम सबको मिलकर देखना है कि आम आदमी को कैसे राहत मिले।

[अनुवाद]

*श्री सोडे रमैया (भद्राचलम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि चावल, खाद्य तेल, मिटटी का तेल और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुएं देश भर में उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियों के कारण ये आवश्यक वस्तुएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग विशेषतया निर्धन और दलित लोगों को आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध न होने के कारण अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सामान्यतः बहुत अशिक्षित

*मूलतः तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री सौंडे रमैया]

होते हैं चूंकि उन्हें अपने आस-पास होने वाली घटनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती इसलिए बेइमान लोगों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। अच्छी किस्म के खाद्यान्नों और खाद्य तेलों की उन्हें पूर्ति नहीं की जा रही है। इसके अलावा सही मानक के माप तोल का प्रयोग नहीं किया जाता है इस प्रकार उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से मिलने वाली वस्तुओं की मात्रा और वजन कम होता है इतना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की नीतियों के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है परिवार का मुखिया जिसके नाम राशन कार्ड है वही राशन की दुकान पर व्यक्तिगत रूप से राशन लेने जाएगा एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राज्य में लोगों को किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी अव्यवहारिक शर्तें का किसी के लिए कोई उपयोग नहीं हैं।

इसी प्रकार, जनजाति विकास निगम इमली, शिकाकाई, शहद और फूलों जैसे उत्पादों को जिनका शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुत कम दामों पर खरीदा जा रहा है यही नहीं इन वस्तुओं को भारी मात्रा में खरीदते समय मानक माप-तोल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है इन्हीं निगमों द्वारा इन वस्तुओं को अन्य लोगों को अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा। इस प्रकार ये एजेंसियां गरीब आदिवासियों का शोषण कर रही हैं। इस प्रकार का शोषण करना बन्द किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को आदिवासियों के शोषण को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए। महोदय वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार 100 ट्रनिका पत्रियों के बंडल के लिए केवल 25 पैसे का भुगतान कर रही है। 100 पत्तियों के बंडल के लिए कम से कम 1 रुपया दिया जाना चाहिए।

महोदय, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इन वस्तुओं के नियन्त्रित मूल्य प्रत्येक की सामर्थ्य के अन्दर हो, इन वस्तुओं की किस्म को भी बनाए रखना आवश्यक है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल मानक माप-तोल का ही प्रयोग किया जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को ही बेची जाएं बड़े व्यापरियों को नहीं। काला बाजारी को भी जो इस समय हर जगह व्याप्त है समाप्त किया जाना चाहिए। उचित मूल्यों की दुकानों के मालिक सामान को चुपके से बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं। और दुकान के बहार "स्टाक नहीं है" का बोर्ड लगा देते हैं। सरकार को इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इसे इन सभी क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे।

डा० दत्ता सामन्त : कृपया मुझे बोलने का अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को बोलिए, क्या करें। अब केवल आधे घण्टे का समय ही बाकी है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, उन्हें जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । प्रत्येक चर्चा पर में, मैं एक ही वक्ता को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता । वह प्रत्येक विधेयक पर बोल रहे है, उन्हें चाहिए कि वे दूसरों को मौका दें ।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, मैं पिछले तीन दिनों से नहीं बोला हू ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय श्री नामग्याल का नाम बहुत पहले था । उन्हें पीछे क्यों रखा जा रहा है ? वे बहुत ही पिछड़े क्षेत्र व राज्य से हैं ।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : यहां दो लिस्टें बनती है हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, हम तो हाथी के दिखाने वाले दातों में हैं ?

[अनुवाद]

श्री शरद विघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ घण्टे से मूल्य वृद्धि की की समस्या पर बहस की गई है और दोनों पक्षों के वक्ताओं ने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है मेरे अनुसार इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले उपाय केवल खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इसका वास्तविक उपाय राजस्व नीति में है । जिसका सरकार को पालन करना चाहिए । इस समस्या की गंभीरता को पहले ही सदन के सामने प्रकट किया गया है । 17 अक्तूबर, 1987 को समाप्त हुई छमाही के दौरान पिछले वर्ष की 5.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में 7.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है । जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है यह उपभोक्त मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को प्रतिबिंबित नहीं करता है । जो थोक मूल्य सूचकांक से बहुत अधिक है । अत: पिछले सितम्बर को समाप्त होने वाले 12 महीने की अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । दूसरे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुछ वस्तुओं के पैकेज को साथ मिलाकर लिया गया है । जबकि उस पैकेज की कुछ वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है जैसे कि सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं, कुछ वस्तुएं जैसे उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में इतनी तेजी से वृद्धि नही होती है अथवा उनके मूल्यों में गिरावट भी आ जाती है । इसलिए कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो दिखाया गया है, जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है आम आदमी की परेशानी को प्रतिबिंबित नहीं करता है । इसलिए हमें इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए हमें केवल अखबारों में प्रकाशित होने वाले आंकड़ोंको ही ध्यान में रखना चाहिए बल्कि मूल्य वृद्धि के संदर्भ में आम आदमी की स्थिति इससे भी अधिक शोचनीय है । इसके अलावा इसका क्या समाधान है । जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसे केवल आपूर्ति की समस्या के रूप में ही नहीं देखना चाहिए । हमें वस्तुओं का आयात करके बाजारों को उनकी पूर्ति करनी चाहिए । हमारे पास उचित मूल्यों की दुकाने हैं और हमने जमाखोरी के विरूद्ध उपाय भी किए हैं । ऐसा करना आवश्यक है लेकिन सत्य तो यह है कि सरकार की राजस्व नीति की पुर्नसमीक्षा और जांच करने की आवश्यकता है । हमें इस बात का पता लगाना है कि सरकार को वित्त सम्बन्धी उपायों में क्या परिवर्तन करने चाहिए । वास्तव में अभी सूखे की स्थिति का पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है कुछ महीनों बाद इसका पूरा प्रभाव सामने आएगा और मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें अपनी राजस्व नीति तथा उदार नीति के मामलों की पुर्नसमीक्षा करनी चाहिए । जहां तक घाटे को वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है हमें गैर-योजना व्यय को कम करना चाहिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । पिछले बजट भाषण में घाटा बताया गया था । यह आश्वासन दिया गया था । कि घाटे की बढ़ने नहीं दिया जाएगा तथा गैर-योजना गत व्यय को स्थिर रखने के लिए एक मन्त्रीमंडलीय उप-समिति नियुक्त की जाएगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि

[श्री शरद दिघे]

समिति नियुक्त की गई है लेकिन हमें यह पता नहीं है कि इसके वास्तविक प्रभाव क्या होंगे और गैर-योजना व्यय में कोई कमी आई है अथवा नहीं। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि सरकार के लिए यह उचित समय है कि वह मूल्य नीति निर्धारित करें। एक ऐसी मूल्य नीति हो जो यह बताए कि लागत मूल्य पर उत्पादक का कितना लाभ होना चाहिए तथा विक्रेता को उस पर कितना प्रतिशत लाभ लेना चाहिए जिससे उपभोक्ता को हानि न हो। मैं सरकार से एक राष्ट्रीय मूल्य नीति पर विचार करने का आग्रह करूंगा, इस स्थिति पर काबू पाने का यही एक रास्ता है। केवल दुकानों पर नियन्त्रण करने, उपभोक्ता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने और जमाखोरी के विरुद्ध कदम उठाने आदि का कोई लाभ नहीं है। मैं कहता हूं कि यह आवश्यक है लेकिन सबसे आवश्यक यह है कि सरकार द्वारा राजस्व नीति और मूल्य नीति को निर्धारित किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० नामग्याल।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइस राइज पर चल रहे डिस्कशन पर कुछ चन्द बातें मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे मुअजिज साथियों ने यह कहा और यह सही भी है कि प्राइस राइज वर्ल्ड-वाइड फिनोमिना है और जाहिर है कि इसका असर हमारे देश पर भी पड़ा है। हमारा देश एग्रीकल्चरल या जिराअती मुल्क होने के कारण हमारे माहशियात जिरात पर मुन्हस्सिर है। जिरात पर जो हमारे मुल्क के प्राइस हैं, उन पर काफी असर पड़ा है।

इस साल बदकिस्मती से हमारे देश में शुरू में इस कद्र बेवक्त बारिश और ओले पड़े, जैसे कि नार्थर्न इण्डिया के 5 स्टेट्स हैं—जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यू० पी०—यह एरिया हमारे देश का ग्रेन-बाउल कहा जाता है यानी कि हमारे देश के ग्रेन का खजाना कहा जाता है, तो इसमें जो भी क्राप्स थीं, वह बारिश में तबाह हो गयीं। सरकारी एसेस्मैंट के मुताबिक यू० पी० के अलावा, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर 22 मि० टन खुराक का नुकसान हो गया। यू०पी० में जो टोटल प्रोडक्शन है उसका जो कुछ नुकसान हुआ उसकी तो पूर्ति किसी तरह हो गई। लेकिन ईस्टन सेक्टर में फ्लड़ का इस कद्र बेतहाशा सिलसिला रहा कि काफी नुकसान हो गया है। इसका असर प्राइसीज पर भी पड़ा और डेरी प्रोडेक्ट्स पर भी पड़ा। सूखे की वजह से प्राइज राइज में काफी बढ़ोत्तरी हो गई। लेकिन मैं एक चीज के लिए माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई प्रोवीजन रखा है। उनका यह प्रोवीजन बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने फेयर-प्राइज शाप्स और मोबाइल गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया। इसके साथ-साथ चीजों को स्टाक भी बढ़ाया। इससे लोगों को बहुत-फायदा हुआ है। आपको तो मालूम ही है कि शहर का असर देहात पर भी पड़ता है। हमारे मन्त्री जी इस दिशा में जो भी कदम उठा रहे हैं, वह सही ही उठा रहे हैं। इम्पलीमेंटेशन करवाना तो स्टेट के हाथ में होता है और उसमें सेण्टर दखल नहीं दे सकता है। लेकिन बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां चीजों की बहुत कमी महसूस की जा रही है। जम्मू-कश्मीर जहां से मैं आता हूं वहां पर रोजमर्रा की चीजों की लिस्ट लगती नहीं है। दुकानदार अपनी मर्जी से दाम बढ़ाते रहते हैं। अगर एक दिन किसी चीज की कीमत 10 रु० है तो वह दूसरे दिन 12 रु० और तीसरे दिन 15 रु० हो जाती है। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इसके लिए हरेक स्टेट को सख्त निर्देश दे कि वह दुकानों में रोजमर्रा की चीजों की लिस्ट लगाएं। इसके लिए बीच-बीच में चैकिंग भी होनी चाहिए। आप चैकिंग नहीं करेंगे तो वह अपनी मर्जी से प्राइज बढ़ाते जाएंगे। यह सब आपको देखना चाहिए।

आप खाने के तेल को ही ले लें। इसको हर तबके के लोग खाते हैं। यह इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी उसको खरीद नहीं पाता। इसके दाम भी आपको कम करने चाहिएं। हमारे दूर-दूराज इलाकों में तो यह रैपसीड आयल मिल नहीं पाता है। आप हर स्टेट वालों को यह निर्देश दें कि जो दूर-दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं और ट्राइबल इलाके हैं वहां तक उनको अवश्य पहुंचाएं। यह बड़े-बड़े शहरों में तो पहुंच जाते हैं लेकिन दूर-दराज इलाकों में पहुंच नहीं पाते हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस तरह तवज्जह दे।

मैं कुछ बात अपनी कान्स्टीच्यूयेन्सी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी कान्स्टीच्यूयेन्सी लद्दाख है। आपको तो पता ही है कि वहां 7-8 महीने रास्ता बन्द रहता है। बदकिस्मती से इस बार डेढ़ महीने पहले ही रास्ता बन्द हो गया। वैसे रास्ता बीच में खुल गया था लेकिन खुलने के बाद सप्लाई ठीक से पहुंची नहीं। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं पहले श्रीनगर से लेह तक 73 रुपए पर क्विंटल किराया लेते थे।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मै माननीय सदस्य से इस विषय में उनकी सहायता और मार्गदर्शन लेना चाहूंगा, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अधिकारियों को यह कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि दूरस्थ स्थानों पर हर समय कम से कम तीन महीने के खाद्यान्न भण्डार उपलब्ध रहे। प्रश्न यह है कि लद्दाख के मामले में ऐसा किया गया है अथवा नहीं। यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो लद्दाख को जारी किए जाने वाले खाद्यान्न के अलावा हमेशा अतिरिक्त तीन महीने के लिए खाद्यान्न भण्डार उपलब्ध रहना चाहिए। प्रश्न यह है कि उससे सहायता मिलेगी अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : मान्यवर, हमें 8 महीने के लिए स्टाक करना पड़ता है क्योंकि कम से कम 6 महीने के लिए सड़क बन्द हो जाती है और लास्ट ईयर तो 8 महीने बन्द रही। तो इसके लिए जो आप फर्माते हैं वह आपका सजेश्चन बहुत ही अच्छा है।

श्री एच० के० एल० भगत : कितने महीने का स्टाक वहां पर होना चाहिए ?

श्री पी० नामग्याल : 8 महीने का।

श्री एच० के० एल० भगत : ठीक है।

श्री पी० नामग्याल : इस साल रास्ता पहले बन्द हो गया था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेण्ट ने···

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जब रेप्लाई दूंगा तो लद्दाख का भी जिक्र करूंगा। जब रास्ता खुला होता है उस समय 8 महीने का स्टाक, लद्दाख की रेक्वायमेंट का वहां पर रखा जाए। वहां पर गोडाउन्स वगैरह की जो स्पेश है उसके लिए देखूंगा और आपसे डिस्कशन भी करूंगा।

श्री पी० नामग्याल : आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

तो मैं कह रहा था कि वहां पर 73 रु० फी क्विंटल का रेट था, एक ट्रक लोड का 4380 रु० किराया होता था लेकिन जब दूसरी बार रास्ता खुला तो 12 से 14 हजार फी ट्रक किराया हो गया यानी 240 से 280 रु० पर क्विंटल श्रीनगर से लेह का किराया चढ़ा दिया प्राइवेट ट्रेडर्स ने। हम

[श्री पी० नामग्याल]

समय पर सरकार की नोटिस में भी लाए लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो मेरी गुजारिश है कि इस एरिया के लिए आप मेहरबानी करके कोई इन्तजाम करें। एक तो वहां पर गवर्नमेण्ट ट्रांसपोर्ट है, स्टेट में आर० टी० सी० है, हमने कहा कि अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ज्यादा चार्ज करते हैं तो उनको आप मत दीजिए तो उसको भी आप कन्ट्रोल नहीं कर पाए और न सरकार की ट्रांसपोर्ट ही दे सके। वहां पर मजबूरन हमारे लोगों को इतना किराया अदा करके शापिंग करनी पड़ी।

इसके अलावा कुछ और भी रिमोट एरियाज हैं जोकि लेह और करगिल से भी कट-आफ रहते हैं जैसे कि जांसकतर है। वहां पर कोई सप्लाई नहीं पहुंची। वहां पर एक छटाक भी खाने का तेल नहीं पहुंचा। आटा और राइस वगैरह जो है वह सब-डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर तो पहुंच गया लेकिन उन रिमोट एरियाज में जो अब तक ले जाते थे, चार-पांच दिन का रास्ता होता था, वहां पर रास्ता बिल्कुल ही बन्द हो गया क्योंकि वक्त से पहले बर्फ गिरी इसलिए वह सप्लाई भी वहां नहीं पहुंच पायी। जो हार्वेस्टिंग क्राप्स थीं वह अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई है। विंटर के लिए वहां पर जो चारा जमा करके रखा हुआ था वह भी बर्फ में दब गया। इस वक्त वहां पर जो सिच्युएशन है—मैं सारे एरियाज की बात नहीं करता हूं – जो दो तीन ऐसे पाकेट्स हैं जैसे जांस्कार का एरिया है, लिंगशेट का एरिया है, ये ऐसे एरियाज हैं जो लेह और कर्गिल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स से कट-आफ हैं डेढ़ महीने से, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन एरियाज में बाई एअर एसेंशियल कमाडिटीज ड्राप करने का बन्दोबस्त होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर कैटल के लिए चारा भी नहीं है। वैसे तो हमारे यहां लोग ज्यादा कैटल नहीं रखते हैं, लिमिटेड नम्बर में ही रखते हैं और उनके लिए चारे की स्टार्किंग करते हैं, लेकिन इस साल वे स्टार्किंग नहीं कर पाए हैं। वहां से बहुत सारे कैटल मरने की भी खबर आई है।

मैं मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इन मुद्दों पर कुछ न कुछ स्टैप जरूर उठाएं। अब मैं आपको चन्द सुझाव देना चाहता हूं, जिससे आप प्राइस को चैक कर सकें। पहला सुझाव मेरा यह है जो होर्डर्स और प्रोफेटियर्स हैं, उनके खिलाफ आपको सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और सरकारी तौर पर एसेंशियल कमोडिटीज के रेट फिक्स करने चाहिए। चीजों पर प्राइस टैग्स लगाना मैंडेटरी होना चाहिए। फेयर-प्राइस-शाप्स रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा बनानी चाहिए और जनता तक सामान पहुंचाने के लिए स्टडी सप्लाई होनी चाहिए। एक सुझाव मेरा यह भी है, बड़े-बड़े शहरों के आसपास जितने फार्मर्स रहते हैं, उनको सब्जी और दूसरी चीजें प्रो करने के लिए एन्क्रेज करना चाहिए। आज आप वैजिटेबल प्राइस को ही देख लीजिए, मीडिल-क्लास के आदमी के पास सब्जी खरीदने की पावर नहीं है। यही स्थिति दालों की भी है। बड़े-बड़े शहरों के नजदीक जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको सिंचाई के लिए पम्प लगाने के लिए मदद देनी चाहिए, ताकि वैजिटेबल की सप्लाई शहरों में रैगुलर मिल सके। उनको फाइनेन्शियल-एसिस्टेन्स भी देनी चाहिए। छोटे-छोटे जो फार्मर्स हैं, उनकी को-आपरेटिव वैजिटेबल सोसायटी बनानी चाहिए। उनको शहर के कोने-कोने में जगह देनी चाहिए ताकि वे सब्जी लगाकर मुनासिब दामों पर सब्जी बेच सकें।

आखिर में, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमको कन्ज्यूमर मूवमेन्ट को एनक्रेज करना चाहिए। यह सबका फर्ज बनता है कि सब मिलकर महौले-महौले में एक कमेटी बनाएं, जहां-जहां प्राइस राइज होता है या जहां पर ज्यादा चार्ज किया जाता है उन लोगों पर नजर रखने के लिए, उनके एगेन्स्ट प्रोटैस्ट करना चाहिए और इन चीजों को उनको सरकार की नोटिस में लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[شری پی۔ نامگیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے پرائس رائز پر بحث چل رہی ہے تو میں بھی کچھ چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ممبر صاحبان نے یہ کہا اور یہ صحیح بھی ہے کہ پرائس رائز ورلڈ وائڈ فینومینا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہمارے دیش پر بھی پڑا ہے۔ ہمارا دیش ایگریکلچرل یا زراعتی ملک ہونے کے کارن ہمارے معاشیات زراعت پر منحصر ہیں۔ زراعت پر جو ہمارے ملک کے پرائس ہیں ان پر کافی اثر پڑا ہے۔

اس سال بدقسمتی سے ہمارے دیش میں شروع میں اس قدر بے وقت بارش اور اولے پڑے جیسے کہ ناردرن انڈیا کے ۵ اسٹیٹس میں جموں کشمیر ہماچل پردیش پنجاب ہریانہ اور یو پی یہ ایریا ہمارے دیش کا گرین باول کہا جاتا ہے یعنی کہ ہمارے دیش کے گرین کا خزانہ کہا جاتا ہے تو اس میں جو بھی کراپس تھیں وہ بارش میں تباہ ہو گئیں۔ سرکار اسیسمنٹ کے مطابق یو پی کے علاوہ ہریانہ پنجاب جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کو ملا کر ۲۲ ملین ٹن [illegible] کا نقصان ہو گیا۔ یو پی میں جو ٹوٹل پروڈکشن ہے اس کا جو کچھ نقصان ہوا اس کی تو پوری کسی طرح ہو گئی۔ لیکن ایسٹرن سیکٹر میں فلڈ کا اس قدر بے تحاشہ سلسلہ رہا کہ کافی نقصان ہو گیا ہے۔ اس کا اثر پرائسز پر بھی پڑا اور ڈیری پروڈکشن پر بھی پڑا۔ سوکھے کی وجہ سے پرائس رائز میں کافی بڑھوتری ہو گئی۔ لیکن میں ایک چیز کے لیے ماننیے منتری جی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یونین ٹیریٹریز میں سپلائی پوزیشن رکھا ہے۔ اس کا پرفارمنس بہت اچھا رہا ہے۔ انہوں نے فیئر پرائس شاپس اور موبائل گاڑیوں کی سنکھیا کو بڑھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کا اسٹاک بھی بڑھایا۔ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ شہر کا اثر دیہات پر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے منتری جی اس [illegible] میں جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ صحیح اٹھا رہے ہیں۔ امپلیمینٹیشن کروانا تو اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس میں سینٹر دخل نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں چیزوں کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر جہاں سے میں آتا ہوں وہاں پر روزمرہ کی چیزوں کی لسٹ لگتی نہیں ہے۔ دکاندار اپنی مرضی سے دام بڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایک دن کسی چیز کی قیمت ۱۰ روپئے ہے تو وہ دوسرے دن ۱۲ روپئے اور تیسرے دن ۱۵ روپئے ہو جاتی ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک اسٹیٹ کو سخت نردیش دے کہ وہ دکانوں میں روزمرہ کی چیزوں کی لسٹ لگائیں۔ اس کے لیے بیچ بیچ میں چیکنگ بھی ہونی چاہیئے۔ آپ چیکنگ نہیں کرینگے تو وہ اپنی مرضی سے پرائس بڑھاتے جائینگے۔ یہ سب آپ کو دیکھنا چاہیئے۔

آپ کھانے کے تیل کو ہی لے لیں۔ اس کو جو ملنے کے لوگ کھاتے ہیں۔ یہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی اس کو خرید نہیں پاتا۔ اس کے دام بھی آپ کو کم کرنے چاہیئے۔ ہمارے دور دراز علاقوں میں تو یہ ریپسیڈ آئل مل نہیں پاتا ہے۔ آپ ہر اسٹیٹ والوں کو یہ نردیش دیں کہ جو دور دراز علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں اور ٹرائبل علاقے ہیں وہاں تک ان کو اوشیے پہنچائیں۔ یہ بڑے بڑے شہروں میں تو پہنچائے جاتے ہیں لیکن دور دراز علاقوں میں پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ سرکار کو چاہیئے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔

میں کچھ باتیں اپنی کانسٹی ٹیونسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میری کانسٹی ٹیونسی لداخ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہاں ۷-۸ مہینے راستہ بند رہتا ہے۔ بدقسمتی سے اس بار ڈیڑھ مہینے پہلے ہی راستہ بند ہو گیا۔ ویسے راستہ بیچ میں کھل گیا تھا لیکن کھلنے کے بعد سپلائی ٹھیک سے پہنچ نہیں پائی جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں پہلے سری نگر سے لیہ تک ۷۳ روپیہ پر کوئنٹل کرایہ لیتے تھے]

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L BHAGAT) : I would just like to be guided by the hon. Member with regard to one respect—only his help and guidance in the matter. I would like to know from him, because I have told my officials that in distantplaces arrangements should be made to see that at least three months' stock remains all the time. The point is whether this will do in the case of Ladakh or not. If this is implemented, three month's stock always in addition to what is issued should remain available in Ladakh. The point is whether that will help or not.

[شری پی۔ نام گیال : مانیور میں ۸ مہینے کے لیے اسٹاک کرنا پڑتا ہے کیونکہ کم سے کم ۶ مہینے کے لیے سڑک بند ہو جاتی ہے اور اسے ایئر تو ۸ مہینے بند رہتی۔ تو اس کے لیے تو آپ فرماتے ہیں وہ آپ کا سجھشن بہت ہی اچھا ہے۔

شری ایچ کے ایل بھگت : کتنے مہینے کا اسٹاک وہاں پر ہونا چاہیے۔

شری پی۔ نام گیال : ۸ مہینے کا۔

شری ایچ کے ایل بھگت : ٹھیک ہے۔

شری پی۔ نام گیال : اس سال راستہ پہلے بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسٹیٹ گورنمنٹ نے ۔ ۔ ۔ ۔

شری ایچ کے ایل بھگت : میں جب رپلائی دونگا تو لداخ کا بھی ذکر کرونگا۔ جب راستہ کھلا ہوتا ہے اس سمے ۸ مہینے کا اسٹاک لداخ کی ریکوائرمنٹ کا وہاں پر رکھا جائے۔ وہاں پر گوڈاونس وغیرہ کی جو اسپیس ہے اس کے لیے دیکھونگا اور آپ سے ڈسکشن بھی کرونگا۔

شری پی۔ نام گیال : آپ کا بہت بہت شکریہ۔

تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پر ۴۳ روپیہ فی کوئنٹل کا ریٹ تھا۔ ایک ٹرک لوڈ کا ۴۳۸۰ روپیہ کرایہ ہوتا تھا لیکن جب دوسری بار راستہ کھلا تو ۱۲ سے ۱۴ ہزار فی ٹرک کرایہ ہو گیا یعنی ۲۴۰ سے ۱۸۰ روپیہ پر کوئنٹل سری نگر سے لیہ تک کرایہ چڑھا دیا پرائیویٹ ٹریڈرس نے۔ اس سمے پر سرکار کی نوٹس میں بھی لائے لیکن سرکار کچھ نہیں کر پائی۔ تو میری گزارش ہے کہ اس ایریا کے لیے آپ مہربانی کرنے کوئی انتظام کریں۔ ایک تو وہاں پر گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہے اسٹیٹ میں آر ٹی سی ہے ہم نے کہا کہ اگر پرائیویٹ ٹرانسپورٹر زیادہ چارج کرتے ہیں تو ان کو آپ دیکھیے تو اس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر پائے اور نہ سرکار کی ٹرانسپورٹ ہی دے سکے۔ وہاں پر مجبورا ہمارے لوگوں کو اتنا کرایہ ادا کرکے شاپنگ کرنی پڑی۔

اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریموٹ ایریاز ہیں جو کہ لیہ اور کارگل سے بہت کٹ آف رہتے ہیں جیسے کہ جانسکار ہے۔ وہاں پر کوئی سپلائی نہیں پہنچی۔ وہاں پر ایک چھٹانک بھی دھانیے کا تیل نہیں پہنچا۔ آٹا اور راشن وغیرہ جو ہے وہ سب ڈیویژنل اور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر پر تو پہنچ جاتا لیکن ان ریموٹ ایریاز میں جو اب تک لے جاتے تھے اور پانچ دن کا راستہ ہوتا تھا۔ وہاں پر راستہ بالکل ہی بند ہو گیا کیونکہ وقت سے پہلے برف گری اس لیے وہ

سپلائی بھی وہاں نہیں پہنچ پاتی۔ جو ہارویسٹنگ کراپس تھیں، وہ ابھی بھی برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ ونٹر کے لیے وہاں پر جو چارا جمع کرکے رکھا ہوا تھا وہ بھی برف میں دب گیا۔ اس وقت وہاں پر جو سچوئیشن ہے۔ میں سارے ایریاز کی بات نہیں کرتا ہوں۔ جو دو تین ایسے پاکیٹس ہیں جیسے جانسکار کا ایریا ہے لنگ شیڈ کا ایریا ہے یہ ایسے ایریاز ہیں جو لیہہ اور کارگل ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرس سے کٹ آف ہیں چھ مہینے سے تو میری سرکار سے گذارش ہے کہ ان ایریاز میں ہائی ایئر اسینشل کموڈیٹیز ڈراپ کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کیٹل کے لیے چارا بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں لوگ زیادہ کیٹل نہیں رکھتے ہیں، لمیٹڈ نمبر میں ہی رکھتے ہیں اور ان کے لیے چارے کی اسٹاکنگ کرتے ہیں لیکن اس سال وہ اسٹاکنگ نہیں کر پائے ہیں۔ وہاں سے بہت سارے کیٹل مرنے کی بھی خبر آتی ہے۔

میں منتری مہودے سے گذارش کرونگا کہ مہربانی کرکے ان مدوں پر کچھ نہ کچھ اسٹیپس ضرور اٹھائیں۔ اب میں آپ کو چند سجھاؤ دینا چاہتا ہوں جس سے آپ پرائس کو چیک کر سکیں۔ پہلا سجھاؤ میرا یہ ہے کہ جو ہورڈرس اور پروفیٹیئرس ہیں، ان کے خلاف آپ کو سختی سے کارروائی کرنی چاہیے اور سرکار طور پر اسینشل کموڈیٹیز کے ریٹ فکس کرنے چاہییں۔ چیزوں پر پرائس ٹیگس لگانا مینڈیٹری ہونا چاہیے۔ فیئر پرائس شاپس رورل ایریاز میں زیادہ سے زیادہ بنانی چاہییں اور جن تک سامان پہنچانے کے لیے اسٹیڈی سپلائی ہونی چاہیے۔ ایک سجھاؤ میرا یہ بھی ہے بڑے بڑے شہروں کے آس پاس جتنے فارمرس رہتے ہیں ان کو سبزی اور دوسری چیزیں گرو کرنے کے لیے اینکریج کرنا چاہیے۔ آپ آج ویجیٹیبل پرائس کو ہی دیکھ لیجیے۔ مڈل کلاس کے آدمی کے پاس سبزی خریدنے کی پاور نہیں ہے۔ یہی اسٹیڈی دالوں کی بھی ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے نزدیک جو چھوٹے فارمرس ہیں ان کو سنچائی کے لیے پمپ لگانے کے لیے مدد دینی چاہیے۔ تاکہ ویجیٹیبل کی سپلائی شہروں میں ریگولر مل سکے۔ ان کو فائنینشل اسسٹنس بھی دینی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جو فارمرس ہیں ان کی کوآپریٹو ویجیٹیبل سوسائٹی بنانی چاہیے اس کو شہر کے کونے کونے میں جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ سبزی لگاکر مناسب داموں پر سبزی بیچ سکیں۔

آخر میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو کنزیومر موومنٹ کو اینکریج کرنا چاہیے۔ یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ سب مل کر محلے محلے میں ایک کمیٹی بنائیں جہاں جہاں پرائس رائز ہوتا ہے یا جہاں پر زیادہ چارج کیا جاتا ہے ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ان کو سرکار کی نوٹس میں لانا چاہیے۔

ان شبدوں کے ساتھ میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کے لیے سمے دیا۔]

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन अहमद (मंगलदाई) : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों का दायित्व मूल्य-स्तर को बनाए रखना है। केवल केन्द्रीय सरकार का ही इसकी वित्तीय नीति के कारण दायित्व नहीं है बल्कि यह देखना राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि मूल्य-वृद्धि पर रोक लगी रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि वर्ष 1986 में, पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कीमत काफी बढ़ गई थी तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने मूल्य को कम करने के लिए भरसक कोशिश की किन्तु वह असफल रही। अन्ततः, पश्चिम

[श्री सैफुद्दीन अहमद]

बंगाल सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके सरसों के तेल की कीमत 22 रु० प्रति किलो निर्धारित कर दी जबकि उस समय कीमत 32 से 33 रु० प्रति किलो थी। इसलिए, यदि वे वास्तविक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण रखना केवल केन्द्रीय सरकार का ही दायित्व नहीं है बल्कि राज्य सरकार का भी दायित्व है।

मैं सभा के समक्ष केवल दो मुद्दों को रखना चाहता हूं, ये हैं चावल और सरसों के तेल की मूल्य-स्थिति। असम में, सूखे और बाढ़ से हम उसी प्रकार प्रभावित हुए हैं जिस प्रकार देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में इस वर्ष के दौरान लगभग 2 करोड़ टन खाद्यान्नों की हानि होगी। किन्तु, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि असम में फसल का एक बड़ा भाग बाढ़ के कारण नष्ट हो गया है तथा शेष फसल को नाशक कीटों के कारण क्षति पहुंची है। किन्तु, कृषि विभाग के पास जानकारी के अभाव के कारण फसलों को बचाया नहीं जा सका। इस जानकारी का अभाव केवल केन्द्रीय सरकार के पास ही नहीं, बल्कि राज्य कृषि विभाग के पास भी इसका अभाव है। असम में खाद्य चावल की भारी कमी हो गई है। किसी गांव में जाने पर मालूम होगा कि धान 105/110 रु० प्रति मन बेचा जा रहा है।

महोदय, यह फसल कटाई का समय है। इस समय, धान 105/110 रु० प्रति मन बेचा जा रहा है। पहले, वर्ष के दौरान इस समय यह 50 रु० प्रति मन बेचा जाता था। इसलिए, असम में खाद्यान्नों की भारी कमी है। यदि केन्द्रीय सरकार समय पर उचित कदम नहीं उठाएगी तो असम में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, असम सरकार का सुरक्षित खाद्यान्न भण्डार पहले ही बाढ़ के समय समाप्त हो चुका है। अतः, मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि असम के लोगों को बचाने के लिए असम सरकार को केन्द्रीय सरकार के खाद्यान्न भण्डार से खाद्यान्न आवंटित किया जाए क्योंकि असम के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों की भारी कमी है। हम यहां दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता अथवा गुवाहाटी में मूल्य-वृद्धि के बारे में बोल रहे हैं, किन्तु, हम ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य-वृद्धि पर विचार नहीं कर रहे हैं जहां खाद्यान्नों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। मैं असम में सरसों के तेल के मूल्य में हुई वृद्धि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस वर्ष सरसों की फसल नहीं उगाई जा सकी क्योंकि जिस क्षेत्र में सरसों की खेती की जाती है, वह अभी भी पानी में डूबा हुआ है। अब भी, इसमें पानी भरा हुआ है। इसलिए, इन क्षेत्रों में फसल नहीं उगाई जाएंगी। अतः, जहां तक सरसों के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारे क्षेत्र में इसमें गिरावट आएगी। इस समय गांवों में सरसों का तेल 37.40 रु० प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। इस मूल्य वृद्धि के कारण लगभग 80 प्रतिशत गांव वालों ने सरसों का तेल खाना छोड़ दिया है। अतः, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि असम को खाद्य तेल की कुछ मात्रा आवंटित की जाए ताकि ग्रामीण लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि सरसों के तेल की कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए। यह अति आवश्यक है। राज्य को खाद्य तेल का कोटा आवंटित करते समय सरसों के तेल के मूल्य-निर्धारण हेतु शर्तें संलग्न की जानी चाहिए ताकि ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 पारित तो कर दिया गया है, किन्तु अभी तक इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम को अब तक कार्यरूप नहीं दिया गया है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखे कि इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जाए तथा तत्काल जिला और राज्य मंचों की स्थापना की जाये, उपभोक्ता मंचों की स्थापना की जाए ताकि उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

अन्त में, मैं पुनः एक बार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले असमिया लोगों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दे तथा आवश्यक व्यवस्था करें ताकि असम के लोगों की भूख से मृत्यु न हो। इस समय, असम के गांवों में चावल की भारी कमी है। मैंने गांवों में जाकर देखा है। मैंने देखा है कि असम में बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः, केन्द्रीय सरकार से मेरा पुनः अनुरोध है कि असम सरकार की भण्डार-स्थिति को बढ़ाने के लिए असम को खाद्यान्नों की कम-से-कम कुछ मात्रा भेजी जाये। यही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट रह गया है···

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, कृपया भगत जी को एक स्पष्टीकरण देने दें। क्या आप चावल का आयात करने जा रहे हैं? कृपया सदन को बताएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1987 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

6.00 म० प०

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1987/6 अग्रहायण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित

पी० एल० एस०—48/33/15/87(एम०)

185

© 1987 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, K-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित